इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
निवेशक सेवाएँ कक्ष
INVESTOR SERVICES CELL
वेबसाइट / website: www.indianbank.in
ई-मेल / e-mail : ibinvestorrelations@indianbank.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014
Corporate Office
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai - 600 014
दूरभाष/Phone: 044-28134076/28134698/28134484

Ref No.: ISC/91/2021-22 Date: 23.06.2021

The Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051 ***NSE Symbol: INDIANB***	The Vice President BSE Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 ***BSE Scrip Code: 532814***

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Annual Report of the Bank for FY 2020-21

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Annual Report of the Bank for FY 2020-21.

Further, we submit that the Business Responsibility Report forms part of the said Annual Report.

This is for your information, records and dissemination please.

Yours faithfully,

(Dina Nath Kumar)
Asst. General Manager & Company Secretary

Encl: As Stated

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ

YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

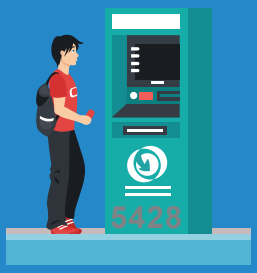

Hon'ble Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman launches Indian Bank's 'MSME Prerana', a Business Mentoring Programme in vernacular for MSMEs

Indian Bank bags 1st position among Public Sector Banks for Self Help Group (SHG) - Bank Linkage Programme for the year 2019-20 in Tamil Nadu.

Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO of the Bank, was felicitated under Mission Shakti for her contribution to Banking & Public services by Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh at Lucknow on the occasion of International Women's Day (08.03.2021).

विज़न

''ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत् विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना''

Vision

"Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth"

मिशन

- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना

Mission

- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Ms. Padmaja Chunduru
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री शेणॉय विश्वनाथ वी
कार्यपालक निदेशक
Shri Shenoy Vishwanath V
Executive Director

श्री के रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक
Shri K Ramachandran
Executive Director

श्री इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक
Shri Imran Amin Siddiqui
Executive Director

श्री संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri Sanjeev Kaushik
Government Nominee Director

श्री एस के पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
Shri S K Panigrahy
RBI Nominee Director

डॉ. भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bharath Krishna Sankar
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

श्री सुधाकर आर अय्यर / Shri Sudhakar R Iyer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

श्री संजय अग्रवाल
Shri Sanjay Aggarwal

श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar

श्री वेंकटेसा पेरुमाल पी
Shri Venkatesa Perumal P

श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur

श्री प्रकाश चंद्र शर्मा
Shri Prakash Chandra Sharma

श्री कामिरेड्डी चन्द्रा रेड्डी
Shri Kamireddy Chandra Reddy

श्री नीलरत्न निर्मल कुमार साहा
Shri Neel Ratan Nirmal Kumar Saha

श्री मुक्ति नाथ पटेल
Shri Mukti Nath Patel

श्री सुनील बरन जेना
Shri Sunil Baran Jena

श्री संजीव कुमार सूरी
Shri Sanjeev Kumar Suri

श्री बानम्बर साहू
Shri Banambar Sahoo

श्री रविंदर सिंह
Shri Ravinder Singh

श्री अभय कुमार महापात्रा
Shri Avaya Kumar Mohapatra

श्री नारायणन वी एस
Shri Narayanan V S

श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया
Shri Hardeep Singh Ahluwalia

सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव
Ms. Dipti Shrivastava

श्री बिजय कुमार सारंगी
Shri Bijay Kumar Sarangi

श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar

सुश्री जफिया फरीद तोट्टत्तु कुडियिल
Ms. Zaphia Fareed Thottathikudiyil

श्री महेंद्रा जी
Shri Mahendra G

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

श्री सुधाकर राव के एस
Shri Sudhakara Rao K S

श्री बिनय कुमार सिंह
Shri Binoy Kumar Singh

श्री भारती सी
Shri Bharathi C

श्री महेश कुमार बजाज
Shri Mahesh Kumar Bajaj

श्री सुजीत कुमार डे
Shri Sujit Kumar Dey

श्री सेल्वराज एस
Shri Selvaraj S

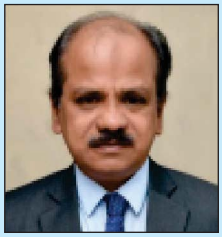
श्री गोपीकृष्णन सी आर
Shri Gopi Krishnan C R

श्री शशि भूषण दाश
Shri Sashi Bhusan Dash

श्री रोहित ऋषि
Shri Rohit Rishi

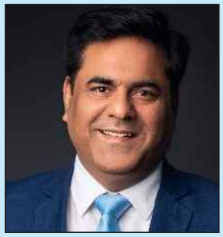
श्री अरुण कुमार बंसल
Shri Arun Kumar Bansal

श्री गणेशरामन ए
Shri Ganesaraman A

सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V

श्री भक्तुला सूरिबाबू
Shri Bhaktula Suribabu

श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik

श्री अमरेन्द्र कुमार साही
Shri Amarendra Kumar Shahi

श्री धनराज टी
Shri Dhanaraj T

श्री दीपक सारड़ा
Shri Deepak Sarda

श्री सुजय मलिक
Shri Sujay Mallik

सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath

श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta

श्री सुरेश कुमार एस
Shri Suresh Kumar S

V. Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

बैंक के निगमन से अब तक का संक्षिप्त इतिहास
A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

1907

- **5 मार्च, 1907 को 20 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ बैंक का निगमन किया गया तथा बैंक ने 15 अगस्त 1907 को अपना कारोबार शुरू किया।**
- वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड के प्रतीक–चिन्ह के एक हिस्से में **'बरगद'** वृक्ष की तस्वीर थी जोकि चहुँओर प्रगति, विकास (सुदूर व व्यापक) एवं लगातार बढ़ती समृद्धि का प्रतीक थी।

- **Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907.**
- In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree **'Banyan'** as a part of its emblem denoting an all around progress, growth (far and wide) and an ever increasing prosperity.

1921

- **बैंक की पूंजी 20 लाख रुपए से बढ़कर 60 लाख रुपए हुई।**

- **Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹ 20 lakhs.**

1932

- **बैंक ने अपनी रजत जयंती मनाई।**
- बैंक ने विदेश में अपना प्रथम परिचालन कोलंबो में शुरू किया।

- **Bank celebrated its Silver Jubilee**
- Bank opened its first overseas operations in Colombo

1941

- सिंगापुर शाखा का उद्घाटन

- Singapore branch was opened

1957

- **बैंक ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।**

- **Bank celebrated its Golden Jubilee**

1967

- बैंक ने अपनी हीरक जयंती मनाई।

- **Bank celebrated its Diamond Jubilee**

1978

- इंडियन बैंक के ''लोगो'' को स्वीकृति मिली जिसमें सर्किल करने वाले तीन तीर एक केंद्र बिन्दु को घेरे हुए थे।

- Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved.

1982

- बैंक ने अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई।
- **Bank celebrated its Platinum Jubilee.**

1990

- बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) की 157 शाखाओं को बैंक में समामेलित किया गया।
- **Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank.**

2006

- बैंक के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 सितंबर को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था।
- The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri. A P J Abdul Kalam on 4th September.

2007

- फरवरी, 2007 में बैंक ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी किया।
- **Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007.**

2008

- बैंक ने 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया।
- Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant

2019

- दिसंबर 2019 में बैंक का कारोबार रू. 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया।
- बैंक के पल्लवन ग्रामा बैंक में, इण्डियन ओवरसीज बैंक के पांडयन बैंक के सफल समामेलन के बाद **'तमिलनाडु ग्रामा बैंक'** ने 1 अप्रैल 2019 को परिचालन आरंभ किया।
- भारत सरकार ने 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन की घोषणा की।

- Bank's business crossed ₹4.5 lakh crore in December 2019.
- Tamil Nadu Grama Bank' commenced operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank.
- Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank – a bank with 155 years legacy into Indian Bank.

2020

- दिनांक 01.04.2020 से बैंक ने समामेलित संस्था के रूप में परिचालन शुरू किया। दिनांक 14.02.2021 से दोनों बैंकों के सीबीएस सिस्टम का एकीकरण सम्पन्न हो गया।
- Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
चेन्नै - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट 2020–21

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	8
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	10
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	50
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	60
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	90
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	91
• मुख्य लेखांकन नीतियां	103
• लेखों पर टिप्पणियां	108
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	141
समेकित वित्तीय विवरण	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	149
• मुख्य लेखांकन नीतियां	158
• लेखों पर टिप्पणियां	165
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	184
बेसल – III प्रकटीकरण	190

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं. 044 2813 4698; फैक्स सं. 044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

श्री राममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार

जी. नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक

वी. सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
Chennai - 600 014

Annual Report 2020-21

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	1
Directors' Report	237
Management Discussion and Analysis	239
Business Resposibility Report	279
Report on Corporate Governance	289
Auditors' Certificate on Corporate Governance	320
Financial Statements – Indian Bank	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	321
• Significant Accounting Policies	333
• Notes on Accounts	338
• Auditors' Report	371
Consolidated Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	379
• Significant Accounting Policies	388
• Notes on Accounts	395
• Auditors' Report	414
Basel - III Disclosures	420

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 2813 4698; Fax No. 044 28134075
E-Mail : investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E-Mail : investor@cameoindia.com

Auditors

K C MEHTA & CO.
Chartered Accountants

SRIRAMAMURTHY & CO.
Chartered Accountants

RAVI RAJAN & CO. LLP
Chartered Accountants

PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants

G. NATESAN & CO.
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

V. SURESH ASSOCIATES
Practising Company Secretary

कॉर्पोरेट कार्यालय : **254 - 260** अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै **Chennai - 600 014**

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2020-21**
निष्पादन की प्रमुख बातें **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

(₹ करोड़ में) **(₹ in crore)**

विवरण **Particulars**	**31.03.17***	**31.03.18***	**31.03.19***	**31.03.20***	**31.03.21**
कुल व्यापार Total Business	314654	371020	429972	466116	928388
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	182509	208294	242076	260226	538071
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	132145	162726	187896	205890	390317
निवेश (सकल) Investments (Gross)	67956	71232	66117	82622	181991
ब्याज आय Interest Income	16040	17113	19185	21405	39106
गैर ब्याज आय Non Interest Income	2211	2406	1883	3312	6079
कुल आय Total Income	18251	19519	21068	24717	45185
ब्याज व्यय Interest Expenses	10894	10850	12167	13798	23440
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	3356	3668	4020	4421	10349
कुल व्यय Total Expenditure	14250	14518	16187	18219	33789
परिचालनगत लाभ Operating Profit	4001	5001	4881	6498	11396
निवल लाभ Net Profit	1406	1259	322	753	3005
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	6.03	5.40	5.28	5.34	4.44
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	9.17	8.50	8.45	8.46	7.45
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.59	2.90	2.96	2.87	2.81
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.67	0.53	0.12	0.26	0.50
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	480	480	480	609	1129
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	13981	15347	15813	18493	31528
निवल संपत्ति Net Worth	14461	15827	15785	18357	29812
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	7.47	7.37	7.11	6.87	9.85
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	4.39	3.81	3.75	3.13	3.37
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III Capital Adequacy Ratio - Basel III	13.64	12.55	13.21	14.12	15.71
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	29.27	26.21	6.70	14.33	26.61
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	301.10	329.53	328.64	301.53	263.98
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	6.00	---	--	--	2.00
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2682	2823	2875	2890	6007
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	20924	19843	19604	18758	41629
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1488	1856	2174	2462	2217

*आंकड़े समामेलन पूर्व अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
MD & CEO's Message

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे अपनी ओर से और निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2021 के बैंक के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा की गई प्रगति और विभिन्न पहलों का विवरण दिया गया है।

सबसे पहले मैं उन कर्मचारियों के प्रति श्रद्धा–सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने बैंक की सेवा करते हुए कोविड महामारी में अपनी जान गंवाई है। मैं सभी कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों और सभी हितधारकों को इस कठिन समय के दौरान निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का उल्लेख करने से पहले मैं संक्षेप में दीर्घ आर्थिक परिदृश्य को प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

आर्थिक अवलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था :

- पिछले वर्ष के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास दर में गिरावट आई क्योंकि महामारी ने अपेक्षित अवधि से अधिक समय तक व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित किया है। टीकाकरण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और दूसरी छमाही के दौरान विकास की गति बढ़ने की संभावना है। हालांकि, कुछ देशों में वायरस के नए रूप के कारण महामारी में उभार की स्थिति को तत्काल कुशलता से निपटाने की आवश्यकता है।

- कैलेंडर वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि 6.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और विकासशील देश महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन देशों को अपने नागरिकों का टीकाकरण कराने में अन्य देशों के समर्थन की आवश्यकता है।

Dear Shareholders,

On my personal behalf and on behalf of Board of Directors, it is my privilege to place the highlights of your Bank's performance for FY21. The Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2021 details the progress made and initiatives taken by your Bank during the year.

At the outset, I sincerely pay my homage to those employees who have lost their lives to the Covid pandemic while serving the Bank. I would also like to thank all the employees for their relentless efforts and all stakeholders for their unstinted support during these testing times.

Before I proceed to present the performance highlights of your Bank, let me briefly dwell upon the macro-economic scenario.

ECONOMIC OVERVIEW

Global Economy:

- Global economic growth suffered a setback during last year due to the pandemic disrupting business activities for a longer than expected duration. With the surge in vaccination, economies are opening up and growth is likely to be visible in the second half of the year and gain momentum gradually. However, the new variants of the virus causing recurring waves in few countries raise concerns to be managed promptly and efficiently.

- Global growth is expected to be 6.0% in the year 2021. The emerging market economies and developing countries are most affected due to the pandemic requiring support from other countries in getting their population vaccinated.

भारतीय अर्थव्यवस्था :

- भारतीय अर्थव्यवस्था भी महामारी के चपेट से बच नहीं सकी क्योंकि वित्त वर्ष 2021 के दौरान व्यावसायिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। लॉकडाउन में छूट से कुछ राहत मिली और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई।

- दूसरी कोविड–19 लहर से गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है और स्थानीय प्रतिबंध से आशाजनक सुधार की गति धीमी हो सकती है।

- सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां तक कि औपचारिक क्षेत्र के हालिया आंकड़े भी अल्पावधि में मंदी दर्शाते रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2022 में घरेलू आर्थिक गतिविधि में सुधार की उम्मीद है। प्रत्येक निवासी का टीकाकरण करने की सरकार की मंशा ने इस वर्ष के अंत तक महामारी के प्रभाव को कम करने की उम्मीद जगाई है।

- आरबीआई को आशा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत और वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 9.5 प्रतिशत रहेगी। बेहतर मानसून और टीकाकरण में तेजी से स्थिति में सुधार की आशा है। ग्रामीण और शहरी मांग में भी सुधार होगी जिससे अर्थव्यवस्था के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बैंकिंग क्षेत्र – वित्तीय वर्ष 2021

- वित्तीय वर्ष 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि वर्ष दर वर्ष 12.3% रही, जोकि इसी अवधि में 5.6 % की ऋण वृद्धि से अधिक रही। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि थी तथा कम जमा दरों के बावजूद जमाराशियों में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि स्थानीय प्रतिबंधों के कारण ऋणों की मांग में कमी रही। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के अंत में कुल बचत जमाराशि में वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कासा अनुपात 44.1 % रहा।

- कोविड संबंधी व्यवधानों की प्रतिक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्योग में परिसंपत्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दरों पर अनुकूल रुख, टीएलटीआरओ, एलटीआरओ, ऑपरेशन ट्विस्ट एवं ओएमओ जैसी पहलें की गई। दबावग्रस्त उधारकर्ताओं को कई राहत उपाय उपलब्ध करवाते हुए भारत सरकार भी उधारकर्ताओं के समर्थन में आगे आई। ऋण पुनर्भुगतान में अधिस्थगन, ऋण पुनर्रचना सुविधा, जीईसीएलएस ने जरूरतमंद क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते हुए देशभर में उधारकर्ताओं को आवश्यक समर्थन प्रदान किया गया। बैंक बेहतर तरीके से परिसंपत्ति की गुणवत्ता से संबंधित दबाव का प्रबंधन करने में सक्षम रहा एवं समूचे क्षेत्र में पूंजी अनुपात में भी सुधार हुआ।

Indian Economy:

- Indian economy was no exception to the pandemic scenario with business activities severely effected during FY21. There was some respite due to the unlocking and growth was seen in few sectors like steel, cement and electricity generation in the last quarter of the financial year.

- With the second Covid-19 wave there has been a severe setback and the local restrictions may slow down what was a promising recovery.

- The service sector has been affected the most. The recent data of the formal sector also exhibit slowdown in the short term.

- Domestic economic activity is expected to rebound in FY22. Government's intention to vaccinate every single resident has raised hopes of an eventual turnaround in the economy later this year.

- RBI expects inflation to remain around 5.1% and real GDP growth at 9.5% in FY22. An active monsoon and pick up in vaccination give cause for hope on this front. The rural and urban demand should also improve giving a positive impact on growth of the economy.

Banking Sector – FY21

- In FY21, SCBs witnessed a better growth in deposits at 12.32% than credit which was at 5.6%. There was ample liquidity in the system and despite low deposit rates prevailing, there was consistent growth in deposits. The demand for loans however remained subdued due to the localized restrictions. The CASA ratio for SCBs stood at 44.1% on account of growth in the overall savings deposit at the end of Q4FY21.

- In response to Covid related disruptions, RBI took several measures including maintaining an accommodative stance on rates, introduction of LTRO, TLTRO, Operation Twist and OMOs to improve the liquidity position in the system. Govt. of India also came to the support of the borrowers by providing many relief measures to the stressed borrowers. The facilities of moratorium on repayment of loans, restructuring facility, guaranteed emergency loans (GECLS) gave necessary support to borrowers across the industry, providing succor to the needy sectors. Banks were able to manage the stress on asset quality and capital ratios also improved across the sector.

इंडियन बैंक: वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान मुख्य घटनाक्रम

इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का समामेलन

वर्ष के दौरान होने वाले एकीकरण में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं में आशातीत प्रगति के साथ यह वित्तीय वर्ष समामेलित इकाई के लिए घटनापूर्ण रहा । पहले दिन से ही सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं और नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया गया ।

दोनों कोर बैंकिंग प्रणालियों के बीच सीबीएस एकीकरण 14 फरवरी 2021 को पूरा हुआ। पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की सभी 3000 से अधिक शाखाओं को समेकित रूप से "बिग बैंग" पद्धति के जरिए एक ही बार में इंडियन बैंक के सीबीएस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया।

समामेलन की पूरी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा गया ।

बैंक ने 203 शाखाओं, 25 अंचल कार्यालयों, 12 मुद्रा तिजोरियों, 3 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं, 4 एफजीएमओ, 5 सर्विस शाखाओं, 6 कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों और 6 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं का पुनर्गठन किया गया है ।

खुदरा और एमएसएमई में ऋण प्रसंस्करण को केंद्रीकृत करने के लिए संगठनात्मक संरचना को नया रूप दिया गया है। नियंत्रण कार्यों को सुदृढ़ बनाना – कोलकाता और चेन्नै से एक–एक क्रेडिट मॉनिटरिंग और रिकवरी टीमों द्वारा निगरानी किया जाना ।

बैंक समामेलन के पश्चात अपने आकार एवं उपस्थिति के सामंजस्य से अब विकास के पथ पर अग्रसर है तथा लाभार्जन हेतु तैयार है ।

बैंक का निष्पादन – वित्तीय वर्ष 2021

इस पृष्ठभूमि में, मैं प्रमुख मानकों में बैंक के प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करना चाहूंगी।

बैंक का फुट प्रिंट:

आपके बैंक के पास 20593 टच पॉइंट्स के साथ अखिल भारतीय नेटवर्क है, जिसमें 6004 शाखाएं, 5428 एटीएम/बीएनए और 9161 व्यवसाय प्रतिनिधि एवं 3 ओवरसीज़ कार्यालय शामिल हैं।

कारोबार :

बैंक का कारोबार 9.2 लाख करोड़ रू.को पार कर 928388 करोड़ रू. पर पहुंच गया है। कुल कारोबार में, जमाराशियां 538071 करोड़ रू. और अग्रिम 390317 करोड़ रू. थे।

मजबूत कासा :

कुल जमाओं में, कम लागत वाला चालू खाता और बचत खाता (कासा–घरेलू) जमा की हिस्सेदारी 42% के साथ अच्छी रही।

Indian Bank: Major events during FY21

Amalgamation of Allahabad Bank with Indian Bank

The financial year was eventful for the amalgamated entity with considerable progress in various processes involved in the integration happening throughout the year. All the products, processes and policies were harmonized from day one.

CBS Integration between the two core banking systems was completed on 14th February 2021. All the 3000+ branches of the e-ALB were seamlessly integrated on the Indian Bank's CBS platform in one go using “Big Bang” approach.

Continuous communication with employees and customers was maintained throughout the process of amalgamation.

Bank has rationalised 203 Branches, 25 Zonal offices, 12 Currency Chests, 3 Large Corporate Branches, 4 FGMOs, 5 Service branches, 6 Staff Training centers and 6 Stressed Asset Management branches.

Organisational structure has been revamped to centralize loan processing in retail and MSME segments. Strengthened control functions – Focused monitoring by two teams of Credit Monitoring and Recovery one each from Kolkata and Chennai.

The Bank is now poised to take off on a growth trajectory and would reap the synergies out of amalgamation in both balance sheet size and strength.

Bank's performance - FY21

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters.

Bank's foot print:

Your Bank has pan-India network with 20593 touch points including 6004 Brick & Mortar branches, 5428 ATMs/BNAs, 9161 Business Correspondents and 3 overseas offices.

Business:

Bank's business crossed ₹9.2 lakh Cr to reach ₹928388 Cr. of the total business, Deposits were at ₹538071 Cr and Advances at ₹390317 Cr.

Strong CASA:

The share of low-cost Current Account and Savings Account (CASA-Domestic) deposits in total deposits stood at healthy 42%.

रैम और कॉर्पोरेट :

रैम सेक्टर में 58% (218942 करोड़ रू.) और कॉर्पोरेट सेक्टर 42% (160595 करोड़ रू.) के साथ ऋण पुस्तिका अच्छी तरह से विविधीकृत है। अग्रिमों में वृद्धि मुख्य रूप से रैम क्षेत्र (12%) में वृद्धि के कारण हुई है।

आय और लाभप्रदता :

- वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 11396 करोड़ रू. पर पहुंचकर परिचालन लाभ ने 19% की वृद्धि दर्ज की है।
- वित्तीय वर्ष 2021 के लिए निवल लाभ 3005 करोड़ रू. था, जो बैंक के लिए एक रिकॉर्ड है।
- वित्तीय वर्ष 2021 के लिए एनआईएम 2.81% था।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में तिमाहियों के दौरान लगातार सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए यह 0.50% रहा।
- आय की लागत का अनुपात 47.59% था।

प्राथमिकता क्षेत्र :

31.03.2021 को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 130274 करोड़ रू. थे। 2020–21 के लिए, तिमाही औसत एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) प्राथमिकता क्षेत्र के 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 43.38% था।

31.03.2021 को कृषि ऋण 60869 करोड़ रू था और 2020–21 के लिए तिमाही औसत एएनबीसी के अनिवार्य लक्ष्य 18.00% के मुकाबले 19.84% रहा।

सुदृढ़ पूंजी संरचना :

- बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.71% था।
- टियर–1 सीएआर 11.93% रहा।
- जोखिम भारित परिसंपत्तियां 298097 करोड़ रू. रही। क्रेडिट जोखिम घनत्व 65% पर बनाए रखा गया था।

आस्ति गुणवत्ता :

- 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः 9.85% और 3.37% थे। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 82.12% रहा।

RAM and Corporate:

Loan Book is well diversified with RAM Sector constituting 58% (₹218942 Cr) and Corporate sector 42% (₹160595 Cr). The growth in advances was driven mainly by the growth in RAM Sector (12%).

Earnings and Profitability:

- Operating Profit registered a growth of 19%, touching ₹11396 Cr for FY 21.
- Net Profit for FY 21 was at ₹3005 Cr, a record for the Bank.
- NIM was at 2.81% for FY21.
- Return on Assets (ROA) consistently improved during the quarters and stood at 0.50% for FY21.
- Cost to Income ratio was at 47.59%.

Priority Sector:

Priority Sector Advances were at ₹130274 Crore as on 31.03.2021. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2020-21 stood at 43.38% as against the mandatory target of 40.00%.

Agriculture Credit was at ₹60869 Cr as on 31.03.2021 and the percentage to quarterly average ANBC for 2020-21 stood at 19.84% as against the mandatory target of 18.00%.

Robust capital structure:

- **Capital Adequacy Ratio** as per Basel III guidelines was at 15.71 %.
- **Tier-I CAR** was at 11.93%.
- Risk weighted Assets were at ₹**298097 Cr**. Credit risk density was maintained at **65%.**

Asset Quality:

- Gross NPAs and Net NPAs were at 9.85% and 3.37% respectively as on 31st March 2021. The provision coverage ratio (PCR) was at 82.12%.

स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में अग्रणी:

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बैंक के एसएचजी संविभाग ने ₹7785 करोड़ से 3.39 लाख स्वयं सहायता समूह (44 लाख सदस्य) के बकाया के साथ 25% वर्ष–दर–वर्ष की वृद्धि दर्ज की।

बैंक ने एसएचजी लैंडिग के तहत कार्यनिष्पादन हेतू कई पुरस्कार व प्रशस्तियाँ प्राप्त किए :

- 'तमिलनाडू में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम'' के तहत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान नाबार्ड द्वारा पीएसबी में प्रथम स्थान हेतू पुरस्कृत
- ''एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम'' के तहत हमारा बैंक लगातार 11 वर्षों से तमिलनाडू सरकार द्वारा बेस्ट बैंक का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है
- वर्ष 2019–20 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में एसएचजी लैंडिंग के तहत बैंक के कार्यनिष्पादन को पश्चिम बंगाल रूरल लाइवलिहुड मिशन द्वारा सराहा गया

वित्तीय समावेशन की पहल :

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान वित्तीय समावेशन के तहत बैंक ने उत्कृष्ट निष्पादन जारी रखा:

- 260 लाख बीएसबीडी खाते खोले गए हैं।
- प्रति कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का औसत मासिक लेनदेन 103 लाख है– जो लेनदेनों की संख्या के तहत उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
- पीएमजेजेबीवाई के तहत 27 लाख ग्राहकों और पीएमएसबीवाई के तहत 73 लाख ग्राहकों को शामिल किया गया है।
- 19 लाख एपीवाई ग्राहक। एपीवाई के तहत सतत अनुपात 60% है, यह उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

महामारी के दौरान ग्रामीण ग्राहकों तक पहुंचे कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) :

देश में अभूतपूर्व लॉकडाउन के बाद कोविड महामारी की स्थिति के दौरान, कारोबार प्रतिनिधियों ने गरीब आबादी का समर्थन करने में, विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रेषित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) फंड को उनकी दहलीज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बैंक द्वारा पीपीई, बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता के रूप में बीसी को सहायता प्रदान की गई।

कोविड – 19 के लिए सीएसआर गतिविधियाँ

- बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में ₹8.10 करोड़ का योगदान दिया है। इसके अलावा, कोविड महामारी से लड़ने के एक प्रयास के रूप में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹7.24 करोड़ का योगदान दिया गया है।

Forerunner in lending to SHGs:

During FY21, SHG portfolio of Bank registered a growth of 25% YoY with outstanding at ₹7785 Cr to 3.39 lakh SHGs (44 lakh members).

Bank received several awards and accolades for its performance under SHG lending:

- First among PSBs for Excellence in performance under "SHG Bank Linkage Programme in Tamil Nadu" for FY 2019-20 from NABARD.
- Bank has been bagging the Best Bank award for 11 consecutive years in "SHG Bank linkage Programme" from Govt. of Tamil Nadu.
- Performance of Bank in SHG lending in the State of West Bengal for FY 2019-20 was recognized by West Bengal State Rural Livelihood Mission.

Financial Inclusion initiatives:

Bank continued to excel under financial inclusion during FY21 with:

- 260 lakh BSBD accounts.
- Average monthly transaction done per Business Correspondent (BCs) at 103 lakhs–One of the best in the Industry in terms of number of transactions.
- 27 Lakh customers enrolled under PMJJBY and 73 Lakh customers under PMSBY.
- 19 lakh APY subscribers. Persistency ratio under APY is 60%, one of the best in the industry.

Business Correspondents (BCs) reaching the rural customers during pandemic:

During the Covid pandemic situation followed by unprecedented lockdown in the country, the BC force, played a pivotal role in supporting the poor especially through delivery of Direct Benefit Transfer (DBT) funds from Government.

Bank extended support to BCs in the form of PPE, insurance coverage and financial aid.

CSR for COVID-19:

- Employees of the Bank contributed an amount of ₹8.10 Cr to PM CARES Fund. Further, ₹7.24 Cr was contributed to CM Relief fund of various States as a humble attempt to fight Covid pandemic.

- बैंक द्वारा विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षा सामग्री, पीपीई किट, फेस मास्क, सैनिटाइजर, वित्तीय सहायता के माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की मदद करना जारी रखा गया।
- बैंक ने कोविड के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य विषयक वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित की है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- इस वर्ष के दौरान डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेनों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- बायोमेट्रिक/फेस आईडी लॉगिन सहित विविध कार्यक्षमताओं वाले एक एकीकृत मोबाइल ऐप, इंड–ओएसिस को लॉन्च किया गया। इसमें पीपीएफ खाता खोलने, म्यूचुअल फंड सबस्क्रिप्शन, बीमा, ई–एनपीएस आदि नई सुविधाएँ प्रारंभ की गई हैं।

मानव संसाधन से संबंधित नई पहल

- स्टाफ कल्याण उपायों जैसे कि कोविड टेस्ट खर्च की प्रतिपूर्ति, ब्याज मुक्त अग्रिम, मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान को बढ़ाया गया है।
- कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर प्रमुख अस्पतालों के सहयोग से टीकाकरण शिविर आयोजित किए हैं।
- क्षमता निर्माण पहल के एक भाग के रूप में, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, साइकोमेट्रिक परीक्षणों, समूह चर्चा और मूल्यांकन मैट्रिक्स के एक सेट के माध्यम से बैंक के 373 अधिकारियों के नेतृत्व गुणों का मूल्यांकन किया गया था।
- मजबूत वित्तीय परिणामों के आधार पर, बैंक ने कर्मचारियों को 15 दिनों के वेतन के बराबर निष्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है।

नई पहल

- इंडियन बैंक ने एक आउट ऑफ द बॉक्स पहल के रूप में उद्यमी विकास संगठन, मेसर्स पूर्णता के सहयोग से एमएसएमई उद्यमियों हेतु एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम – एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है। यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम (सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में) है जो स्थानीय भाषाओं में है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 6 अक्तूबर, 2020 को बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
- बैंक ने स्टार्ट–अप को निधि देने के लिए एक पहल, इंड स्प्रिंग बोर्ड को भी लॉन्च किया है। इस योजना के तहत वित्त के लिए पात्र स्टार्ट–अप की पहचान करने के लिए बैंक ने आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल और आईआईएससी, बैंगलोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की एक कड़ी के रूप में ''आद्या'' (औटोमेटिड दोस्त फॉर योर असिसटेंस) चैटबोट की शुरुवात की गई है। यह एक वेब आधारित चैटबोट है जिसे ग्राहक की शंकाओं के समाधान हेतु एक अतिरिक्त मोबाइल अनुकूल ग्राहक इंटरफेस के रूप में इंडियन बैंक की वेबसाइट में एकीकृत किया गया है।

- Bank continued to extend helping hand to the covid frontline workers by way of distribution of safety accessories, PPE kits, face masks, sanitizers and financial support to various hospitals.
- Bank also conducted a series of webinars on wellness by reputed doctors to create an awareness on the precautionary measures to be taken during Covid.

Leveraging Technology

- Transaction through Digital channels increased by 13% during the year.
- An integrated Mobile app IndOASIS having various functionalities with Biometric/Face ID login was launched. New features such as PPF account opening, subscription to Mutual funds, Insurance, e-NPS etc. have been introduced.

HR Initiatives:

- Staff welfare measures such as reimbursement of COVID testing expenses, interest free advance, ex gratia payment to family of deceased were extended.
- To protect the employees, Bank conducted vaccination Camps in collaboration with leading hospitals at various centres.
- As a part of capacity building initiative, Leadership Development Programme (LDP) for Senior Management was undertaken. Under the programme, assessment of leadership qualities was carried out for 373 executives of the Bank through a set of psychometric tests, group discussions and evaluation matrix.
- Following the strong financial results, Bank has paid Performance Linked Incentive amount equivalent to 15 days' pay to the employees.

New initiatives:

- Indian Bank launched an out of the box initiative – MSME Prerana, an online business mentoring programme for MSME entrepreneurs in coordination with M/s Poornatha, an Entrepreneurial Development Organization. It is a Pan India Programme in vernacular languages (in all States / UTs). The programme was launched on 06th Oct'20 by Hon'ble Minister of Finance, Ms. Nirmala Sitharaman from the Corporate Office of the Bank.
- The Bank also launched Ind Spring Board, an initiative to fund the start-ups. Bank entered into MOU with IIT Madras Incubation Cell and IISC, Bangalore for identifying the eligible Start-ups for finance under this scheme.
- As a part of enhancing customer experience, Bank has launched "ADYA" (Automated Dost for Your Assistance) Chatbot. It is a web based chatbot that is integrated in the Indian Bank's website as an additional mobile-friendly customer interface for answering customer queries.

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने, उच्च मूल्य के चेक के भुगतान हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उनके चेक के विवरण की पुष्टि किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। चेक के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए इसकी शुरुवात की गई है।

भविष्य की ओर

- समामेलन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने से बैंक कारोबार एवं लाभ दोनों ही मोर्चों पर विकास के पथ पर अग्रसर है। अब ब्राँड एवं बेहतर ग्राहक अनुभव तक पहुँच के लिए परिचालनगत कार्यक्षमता, लागत सहक्रियाओं एवं नए अवसरों का लाभ उठाने पर बल देना होगा।

- ऋणों में विविध विकास पर नज़र बनाए हुए हमारा ध्यान जमाओं में कासा की वृद्धि पर होगा। लाभ में वृद्धि हेतु फीस जनित आय, बेहतर वसूली एवं एनपीए नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागत अनुकूलन एवं राजस्व में वृद्धि करना हमारा ध्येय रहेगा।

- बैंक के लिए "रूपांतरण रूपरेखा" तैयार की गई है जिसे आगामी 2–3 वर्षों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। विविध गतिविधियों में उच्च स्तरीय पहलों एवं विविध पहलों को कार्यान्वित किए जाने की योजना बनाई गई है।

- रूपांतरण के इस सफर में डिजिटल रूपांतरण, परिचालन मॉडलों में रूपांतरण, नेतृत्व विकास योजना एवं कार्यनिष्पादन प्रबन्धन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की पुनः प्राप्ति, आपके सहयोग एवं समर्थन से बैंक आगामी वर्षों में मजबूत कार्यनिष्पादन दर्ज करता रहेगा।

आभारोक्तियाँ

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के सभी सदस्यों को वर्ष के दौरान दिये गए बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन तथा निविष्टियों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे विश्वस्त ग्राहकों द्वारा दिये गए पूर्ण समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ तथा बैंक के समर्पित और निष्ठावान कार्मिकों को इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है।

मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं हमारे सभी बहुमूल्य शेयरधारकों एवं स्टेकधारकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बैंक के सभी प्रयासों में हमारा साथ दिया है।

हम आगे भी आप सबके समर्थन, सद्भाव तथा सहयोग की आशा करते हैं।

शुभकामनाओं के साथ

भवदीय,

पद्मजा चुन्डूरू
एमडी एवं सीईओ

- RBI has mandated the positive pay system for high value cheque payments. The internet banking customers are given facility to confirm their cheque details. This has been introduced to stop fraudulent activities through cheques.

Way forward

- The amalgamation process being successfully completed, the Bank is poised to grow on both business and profitability fronts. The emphasis will be to leverage operational efficiencies, cost synergies and new opportunities in terms of Brand and reach to deliver enhanced customer experience.

- The focus will be on increasing the CASA share in deposits while looking at diversified growth in credit. Cost optimization and increasing revenue with focus on fee income, improving recovery and containing NPAs will be levers to improve bottom line.

- A "Transformation Roadmap" has been identified for the Bank to be carried out over the next 2-3 years. Various high level initiatives and other initiatives are planned to be implemented across various functions.

- We are sure that with, recovery in the economic in the coming days and with your patronage as well as support the Bank will continue to show strong performance in the coming years as well.

Acknowledgement:

I would like to take this opportunity to thank all members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the Management during the course of this year's journey. I would also like to acknowledge the unstinted support of our loyal customers. I would like to express my sincere appreciation for the untiring efforts of the dedicated and devoted work force of the Bank who performed exceedingly well in a challenging time.

I also wish to sincerely thank the Govt. of India, RBI and all our valuable shareholders and other stakeholders for their continued confidence and support to the Bank in all its endeavours.

We would continue to look forward for your support, goodwill and patronage.

With best wishes,

Yours sincerely,

Padmaja Chunduru
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21

सेवा में
सदस्यगण...

आपके निदेशकों को बैंक के **31 मार्च 2021** को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

प्रमुख वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष **2020–21 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन** के **प्रमुख विवरण** निम्नानुसार हैं

ए) संसाधन जुटाना और अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20*	31.03.21
देशी जमाएं	252792	529264
जिसमें से चालू	13059	31861
बचत	76525	195166
कासा	89584	227027
कासा मिश्रण (%)	35.4	42.89
विदेशी जमाएं	7434	8807
वैश्विक जमाएं	260226	538071
देशी अग्रिम(निवल)	189696	353726
विदेशी अग्रिम(निवल)	8191	10284
कुल अग्रिम(निवल)	197887	364010
कुल कारोबार	458113	902081
कुल आस्तियां	310052	626005

* आंकड़े पूर्व–समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

- देशी कासा बढ़कर रुपए 2,27,027 करोड़ हो गया है। कासा पोर्टफोलियो में वृद्धि के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में 18,94,191 नए कासा खाते खोले।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में देशी मीयादी कोर जमाएँ बढ़कर रुपए 3,01,049 करोड़ हुई। बड़ी जमाओं(पीडी एवं सीडी) पर निर्भरता विशेष रूप से कम हुई है और कुल जमाओं में उनका भाग 0.18% रहा।
- 31.03.2021 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम की राशि रुपए 1,30,274 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2021 में त्रैमासिक औसत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण(एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 43.38% रहे।
- कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) रुपए 60,869 करोड़ रहे और त्रैमासिक औसत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 19.84% रहे।
- 31 मार्च 2021 पूंजी पर्याप्तता अनुपात(बेसल III) को 15.71% था।
- 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः 9.85% और 3.37% था ।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल रुपए 4,477 करोड़ की राशि की एनपीए वसूली की गई।
- 31.03.2021 को भारत में बैंक का कुल देशी शाखा नेटवर्क **6004** रहा। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं, जिसने बैंक के शाखा नेटवर्क की कुल संख्या को **6,007** तक पहुंचाया है।
- 31.03.2021 को कुल एटीएम एवं बीएनए की संख्या 5428 रहा, जिसमें 686 ऑफसाइट एटीएम/ बीएनए व 6 मोबाइल एटीएम शामिल हैं।
- 31 मार्च, 2021 तक 1231 स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किए गए।

आय एवं व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20*	31.03.21
अर्जित ब्याज	21405	39106
व्यय किया गया ब्याज	13799	23440
निवल ब्याज आय(एनआईआई)	7606	15666
अन्य आय	3313	6079
जिसमें से – शुल्क आय	1357	2368
निवेश के विक्रय पर लाभ	880	2124
डूबंत कर्ज की वसूली	261	618
परिचालन राजस्व (एनआईआई + अन्य आय)	10919	21745
परिचालन व्यय	4421	10349
जिसमें से कर्मचारी व्यय	2473	6378
अन्य परिचालनगत व्यय	1948	3971
परिचालनगत लाभ	6498	11396
प्रावधान	5745	8391
जिसमें से एनपीए के लिए प्रावधान	4336	7317
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	143	469
कर के लिए प्रावधान	619	(99)
निवल लाभ	753	3005

*आंकड़े पूर्व–समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

31 मार्च, 2021 तक

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रुपए 39,106 करोड़ की ब्याज आय एवं रुपए 6,079 करोड़ की अन्य आय सहित बैंक की कुल आय रुपए 45,185 करोड़ रही ।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रुपए 23,440 करोड़ के ब्याज व्यय एवं रुपए 10,349 करोड़ के परिचालन ब्याज सहित बैंक का कुल व्यय रुपए 33,789 करोड़ हो गया है।
- बैंक का परिचालन लाभ रुपए 11,396 करोड़ एवं निवल लाभ रुपए 3005 करोड़ रहा।

2020–21 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:– **(प्रतिशत में)**

मापदंड	मार्च-20*	मार्च-21
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.46	7.45
जमा लागत	5.34	4.44
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.26	0.50
लागत–आय अनुपात	40.49	47.59
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (लाख में)	2287	2077
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	4.02	7.22

*आंकड़े पूर्व–समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- 31.03.2021 को बैंक की निवल मालियत रुपए 29,812 करोड़ रही।
- बेसल III मानकों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को जोखिम भारित संपत्ति अनुपात(सीआरएआर) पूंजी 10.875 % की विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष में 15.71 % रही। सीईटी–I अनुपात 7.375% की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 11.27% रहा। 31 मार्च 2021 को टीयर–I पूंजी सीआरएआर 11.93% रहा।

(प्रतिशत में

बेसल III	निम्न तारीख को	
	मार्च 2020*	मार्च 2021
सीईटी – I	11.78	11.27
टियर I – पूँजी	12.08	11.93
टियर II – पूँजी	2.04	3.78
कुल	**14.12**	**15.71**

*आंकड़े पूर्व–समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा / अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयर धारक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामांकित किए गए।

- श्री के रामचंद्रन को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना एफ.नंबर 4 / 7 / 2018–बी ओ.आई दिनांक 18.03.2020 के द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 01.04.2020 से प्रभावी है।
- श्री विनोद कुमार नागर 30.06.2020 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक थे।
- श्री एम के भट्टाचार्य 30.11.2020 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।
- डॉ. भरत कृष्ण शंकर 20.12.2020 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक थे। उन्हें 07.02.2021 से 06.02.2024 तक दूसरे कार्यकाल के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया ।
- श्री सलिल कुमार झा 26.12.2020 तक बैंक के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक थे।
- श्री इमरान अमीन सिद्दीकी को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग अधिसूचना एफ.नंबर 4 / 3 / 2020–बी ओ.आई दिनांक 10.03.2021 के द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2021 तक बैंक के लाभ का सटीक चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- लेखों को मौजूदा स्थितियाँ के संज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड श्री विनोद कुमार नागर, श्री एम के भट्टाचार्य एवं श्री सलिल कुमार झा जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ी, के द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- महामारी के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी वैश्विक संभावनाओं में अति अनिश्चितता बनी हुई है। नए वायरस म्यूटेशन और मानव का इकट्ठा आवागमन अर्थव्यवस्था में सुधार पर चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि, बढ़ते वैक्सीन कवरेज ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बदलाव की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।

- घर से काम करने में सहायक उत्पादों की अधिक मांग और कम मांगवाले टिकाऊ वस्तुओं (विशेष रूप से ऑटोमोबाइल) में बढ़त वैश्विक सुधार के प्रमुख कारक रहे हैं।

- टीका इंडस्ट्री इनपुट आपूर्ति बाधाओं सहित प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। देशों को उत्पादन बाधाओं को दूर करने, उत्पादन में तेजी लाने, सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, जिस पर कई कम आय वाले देश खुराक के लिए बहुत अधिक निर्भर करते हैं और निर्यात नियंत्रण को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारत में महामारी फैल गई है और एक तरह का स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है जिसे शायद ही हमारे इतिहास में पहले कभी अनुभव किया गया हो।

- अप्रैल 21 में भारत का व्यापारिक निर्यात 30.63 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल 20 में यह 10.36 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 195.72 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में, तेल आयात 10.87 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें अप्रैल 20 में 4.66 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में, 133.24 प्रतिशत वर्ष–दर–वर्ष की वृद्धि हुई।

  इसके परिणामस्वरूप अप्रैल' 21 के लिए व्यापार घाटा 15.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल' 20 में यह 6.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसमें 123.17 फीसदी की वृद्धि हुई है।

- देश भर में महामारी के कारण नए प्रतिबंधों, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और उच्च परिवहन और रसद लागत के परिणामस्वरूप, आने वाले महीनों में अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जून, 2021 को अपनी पिछली एमपीसी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत दर को 4.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और ठोस आधार पर विकास को बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक समायोजनात्मक रुख को जारी रखने और मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव को कम करने का निर्णय लिया है।

- आरबीआई को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत के आसपास रहेगी, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और संक्रमण में कमी और प्रतिबंधों/ लॉकडाउन में ढील कर आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार के कारण लागत के दबाव को कम करने का जोखिम शामिल है।

- आरबीआई को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 9.5 प्रतिशत होगी, जिसमें ग्रामीण मांग और शहरी मांग में मजबूती आएगी क्योंकि चल रहे टीकाकरण अभियान के कारण आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी और वैश्विक सुधार होगा।

वित्तीय वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट

- राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत पर लक्षित है जो वित्तीय वर्ष 21 में 7.5 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है। वित्तीय वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत पर लक्षित है जो वित्तीय वर्ष 2021 में संशोधित अनुमान 9.5 प्रतिशत से कम है।

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) की स्थापना के लिए केंद्रीय बजट 2021–22 की घोषणा का उद्देश्य दीर्घकालिक परियोजना वित्तपोषण की समस्या का समाधान करना है।

- वर्तमान में बैंकों की बही में एनपीए निपटान के लिए आस्ति पुनर्रचना कंपनी (एआरसी) की स्थापना की जाएगी। इससे एनपीए और डूबंत ऋण के कारण दबाव कम हो सकता है।

- अनेक स्टील उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत करने और कुछ प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट वापस लेने से स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और कंपनियों द्वारा आयात में कमी आएगी जिससे स्थानीय एमएसएमई को उत्पादन में मदद मिलेगी।

आरबीआई द्वारा नवीन पहल

यह स्वीकार करते हुए कि दूसरी लहर ऋण सेवा में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, आरबीआई ने संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की है।

- ₹25 करोड़ तक के कुल एक्सपोजर वाले उधारकर्ता और जिन्होंने पहले के किसी भी पुनर्रचना ढांचे के तहत पुनर्रचना का लाभ नहीं उठाया है और जिन्हें 31 मार्च, 2021 को 'स्टैण्डर्ड' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 के तहत विचार किए जाने लिए पात्र होंगे।

- पूर्व में पुनर्रचित किए गए छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के संबंध में, कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन आदि के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं की समीक्षा करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को भी एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी जा रही है।

- एमएसएमई को नए ऋण देने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) से समान छूट की अनुमति दी गई थी।

- लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) – एनबीएफसी–एमएफआई और अन्य द्वारा ऋण – मार्च 2021 के अंत तक 25 करोड़ रुपये तक के सकल ऋण पोर्टफोलियो के साथ – प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में गणना के लिए पात्र बनाया गया था और इस तरह के ऋणों को दिसंबर 2021 के अंत तक नकद आरक्षित अनुपात अपेक्षाओं के लिए निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) से घटाया जा सकता है।

- बैंकों को एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 2020 के अंत तक उनके द्वारा धारित फ्लोटिंग / काउंटरसाइक्लिकल प्रावधान बफर के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई थी।

- देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल तरलता के प्रावधान को बढ़ावा देने के प्रयास में, 2020–21 के अंत तक रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता आधरित तरलता विंडो शुरु की गई थी। इसके साथ ही कुछ गहन–संपर्क क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 22 तक रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की एक अलग तरलता विंडो भी पेश की गई है।

- यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के नए ऋण देने के लिए नियुक्त किए जाने वाले एसएफबी के लिए रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये का विशेष तीन–वर्षीय दीर्घकालिक रेपो संचालन (एसएलटीआरओ) आयोजित किया जाए।

- सिस्टम–स्तरीय चलनिधि का और विस्तार करने तथा आय में क्रमिक वृद्धि को सक्षम करने के लिए आरबीआई ने जी–एसएपी 1.0 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की। इसके अलावा,आरबीआई ने बाजार को समर्थन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 1.20 लाख करोड़ रुपये के जी–एसएपी 2.0 की घोषणा की।

प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक विकास

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सीआरआर की गणना के लिए नए एमएसएमई उधारकर्ताओं की निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) से ऋण संवितरण में प्रति उधारकर्ता ₹ 25 लाख रुपए तक कटौती करने की अनुमति होगी (जिन्होंने 1 जनवरी 21 को बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है)। यह बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।

- आरबीआई ने 0.625 प्रतिशत के पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल 21 से 1 अक्टूबर 21 तक अन्य छह महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे बैंकों को विनियामक पूंजी आवश्यकता लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सके।

- आरबीआई ने सितंबर 2021 तक सभी शाखाओं को सीटीएस समाशोधन तंत्र के तहत लाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कागज आधारित समाशोधन में परिचालन दक्षता लायी जा सके और चेकों के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

- आरबीआई ने सरकार के ईसीएलजीएस 2.0 के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी से टीएलटीआरओ योजना के दायरे को 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इससे बैंकों को दबावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

- आरबीआई वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगा और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगा।

- डिजिटल भुगतान के माध्यम से ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, कार्ड (और यूपीआई) के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए कॉन्टेक्ट रहित कार्ड लेनदेन और ई–मैनडेट्स की सीमा को 1 जनवरी, 21 से ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है।

- आरबीआई ने पूर्ण–केवाईसी पीपीआई और सभी स्वीकृति बुनियादी ढांचे के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया है। इसने ऐसे पीपीआई में बकाया राशि की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का भी प्रस्ताव किया है। इससे अलग–अलग वॉलेट में पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे।

3. बैंकिंग क्षेत्र 2020–21

- मार्च,21 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि वर्ष–दर–वर्ष 12.3 प्रतिशत रही, जो इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत की ऋण वृद्धि से अधिक रही।

- वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के अंत में कुल बचत जमा में वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कासा अनुपात 44.1 प्रतिशत रहा। कुल जमा में बचत जमा का हिस्सा 34.1 प्रतिशत है जबकि चालू जमा खाता 9.9 प्रतिशत है।

भविष्य की राह

- वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत से महामारी की अधिक व्यापकता और तीव्र दूसरी लहर, देश के आर्थिक सुधार के लिए एक झटका है। वित्तीय वर्ष 22 में आर्थिक वृद्धि पहले के अनुमान से कम रहने की उम्मीद है।

- प्रतिबंधों में धीरे–धीरे ढील दिए जाने की उम्मीद है साथ ही यह आशा है कि जनसंख्या के उच्च अनुपात के टीकाकरण के साथ, आर्थिक गतिविधियों में बदलाव हो सकता है जैसा कि अन्य देशों में देखा गया है।

- अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के आधार पर बैंक व्यवसाय का विकास, डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने और महामारी द्वारा संचालित नए मानदंडों को अपनाने पर भी निर्भर करेगा।

4. विस्तृत कारोबार समीक्षा

- वैश्विक कारोबार 928388 करोड़ रुपए (मार्च 2020 में 466116 करोड़ रुपए) हो गया। घरेलू कारोबार 908801 करोड़ रुपए (मार्च 2020* में 450273 करोड़ रुपए) था।

- जमाएं 538071 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020* को 260226 करोड़ रुपए) पर पहुँच गईं। घरेलू जमाएं 529264 करोड़ रुपए (मार्च 2020* में 252792 करोड़ रुपए) पर पहुँच गईं।

- कासा जमाएं 227595 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020* को 90158 करोड़) पर पहुँच गईं।

- सकल अग्रिम 390317 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020* को 205890 करोड़ रुपए) रहा। घरेलू ऋण 379537 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020* को 197481 करोड़ रुपए)पर पहुँच गए।

- घरेलू गैर खाद्य ऋण बढ़कर 376954 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020* को 196397 करोड़ रुपए) हो गए ।

- वैश्विक ऋण–जमा अनुपात 72.54 प्रतिशत (31 मार्च 2020* को 79.12 प्रतिशत) रहा।

* आंकड़े समामेलन पूर्व अवधि के लिए स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ इसकी तुलना नहीं किया जाए।

5. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

- बैंक ने वर्ष के दौरान 12 ग्राहक इंटरफेस शाखाओं, 7 प्रशासनिक कार्यालयों और 1 सीएपीसी (प्रसंस्करण केंद्र) द्वारा अपने बैंकिंग आउटलेट का विस्तार किया है। इसके अलावा बैंकिंग आउटलेट के समेकन की दिशा में, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 203शाखाओं का विलय/बंद कर दिया गया था।

- 31.03.2021 को 6004 शाखाओं का शाखा नेटवर्क था, जिसमें 1938 ग्रामीण, 1588 अर्ध शहरी, 1259 शहरी और 1219 महानगरीय शाखाएँ शामिल थीं। उपरोक्त के अलावा, सिंगापुर, कोलंबो, जाफना में बैंक की 3 विघरेलू शाखाएँ हैं और गिफ्ट सिटी गांधी नगर, अहमदाबाद में एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए 64 एलडब्ल्यूई जिलों में बैंक की 528 शाखाएं हैं और कम बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों (यूबीडीयूबीएस) के 290 कम बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में 2253 शाखाएं हैं। बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में 644 शाखाएं हैं।

6. बैंक के भविष्य की कारोबारी योजनाएं

बैंक ने 14 फरवरी, 2021 को एक बार में इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की दो कोर बैंकिंग प्रणालियों के बीच अंतिम ''बिग बैंग'' सीबीएस एकीकरण के साथ "प्रोजेक्ट संगम" समामेलन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। आने वाले वर्ष के दौरान व्यापार और उत्पादकता दोनों के संदर्भ में इस समामेलन प्रक्रिया से प्राप्त तालमेल को अधिकतम करने पर ध्यान दिया जाएगा।

व्यवसाय में सुधार के लिए लागत अनुकूलन और शुल्क आय में वृद्धि फोकस क्षेत्र होंगे। बैंक बेहतर ग्राहक सुविधा और पहुंच लाने के लिए डिजिटल क्षमता में सुधार, डिजिटल उत्पादों को विकसित करने और ऋण देने के लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान के लिए भी प्रयास करेगा।

बैंक बचत खाते की वृद्धि पर जोर देते हुए कासा की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान देना जारी रखेगा। गृह ऋण, बंधक ऋण, वाहन और वेतनभोगी वर्ग को व्यक्तिगत ऋण द्वारा संचालित रैम सेक्टर के साथ ऋण बही में विविध विकास का लक्ष्य होगा और उच्च रेटेड खातों में कॉर्पोरेट सेक्टर के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संग्रह बढ़ाने के लिए बैंक दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा और आस्ति गुणवत्ता को नियोजित स्तर पर रखने के लिए एनपीए की वसूली में सुधार लाएगा।

कुशल और त्वरित ग्राहक सेवा बैंक का मुख्य फोकस रहेगा।

7. परिवर्तन

अगले 2–3 वर्षों में बैंक के लिए एक "परिवर्तन रोडमैप" की पहचान की गई है। यह विभिन्न कार्यों में विभिन्न उच्च स्तरीय पहलों और अन्य पहलों को लागू करने की योजना है।

परिवर्तन यात्रा के भाग के रूप में फोकस क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन, ऑपरेटिंग मॉडल में परिवर्तन, नेतृत्व विकास योजना और प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली हैं।

1. डिजिटल परिवर्तन:

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चरणबद्ध तरीके से खुदरा, एमएसएमई और कृषि उत्पादों में डिजिटल लेंडिंग (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- लेन–देन और प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान देने के साथ अंतराल विश्लेषण करने के बाद जहां कहीं भी आवश्यक हो आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार।

- नए चौनलों और अनुप्रयोगों का विकास करना और ग्राहकों को आसान ऑन–बोर्डिंग प्रक्रिया और विभिन्न चौनलों के माध्यम से आसानी से डिजिटल लेनदेन करने के लिए मौजूदा चौनलों का उन्नयन करना।

2. ऑपरेटिंग मॉडल में परिवर्तन:

- बैंक काम करने के नए तरीकों, नई प्रक्रियाओं के विकास की संभावना तलाश रहा है। आगे सुधार के लिए नकद प्रबंधन सेवाओं, विपणन रणनीतियों, धन प्रबंधन और तीसरे पक्ष के उत्पाद व्यवसाय का विश्लेषण किया जाएगा।

- नियंत्रण तंत्र को प्रभावी ढंग से बढ़ाकर और मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करके नियंत्रण और अभिशासन मॉडल को नया रूप दिया जाएगा। (ऑफलाइन लेखापरीक्षा, निगरानी)।

3. नेतृत्व विकास योजना:

एक ऐसा कार्यक्रम जो उच्च प्रभाववाली भूमिकाएँ निभाने के लिए कार्यपालकों के विकास पर केंद्रित है।

- उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक संवर्ग के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

- नेतृत्व के आकलन के परिणाम के आधार पर अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत विकास योजना।
- पीयर कोचिंग, लाइव स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, इमर्सिव क्लासरूम लर्निंग वर्कशॉप आदि जैसे अनुकूलित शिक्षण और विकास सुविधाओं की श्रृंखला मुहैया करना।
- नेतृत्व विकास यात्रा को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी और आभासी शिक्षण प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।

4. प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली:

- सामान्य केपीआई की पहचान करना और सामान्य/साझा केपीआई में व्यक्तिगत कर्मी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- व्यापार आसूचना संचालित लक्ष्य निर्धारण जिसमें बाजार का अध्ययन, भौगोलिक स्थिति, सहकर्मी प्रदर्शन और भविष्य का पूर्वानुमान शामिल है।
- प्रदर्शन प्रतिक्रिया देने के लिए रीयल टाइम डैशबोर्ड का निर्माण।
- अन्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं (लाभ, पुरस्कार, रेटिंग, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण) के लिए परिणामों का प्रभावी जुड़ाव।

8. जमा

वित्त वर्ष 2021 में घरेलू जमाओं के तहत कार्यनिष्पादन

₹ करोड़ में

जमा	मार्च–20*	वास्तविक मार्च–21
चालू खाता	12850	31573
बचत बैंक	76525	195166
कासा	89375	226739
कुल जमा में कासा का प्रतिशत	35.35	42.84
टर्म कोर	151984	301049
कुल कोर जमा	241359	527788
अन्य जमा (आईबीडी, पीडी और सीडी)	11433	1476
घरेलू जमा	252792	529264

* आंकड़े समामेलन पूर्व अवधि के लिए स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ इसकी तुलना नहीं किया जाए।

01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान जोड़े गए नए ग्राहक

जमा	खातों की संख्या	₹ करोड़ में
चालू खाता	93626	1666.93
बचत बैंक	3858637	3098.37
कुल	**3952263**	**4765.30**
जिसमें से		
सरकारी खाते कासा	138925	1024.83

मार्च 21 तक कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

- बचत बैंक जमा में निरंतर वृद्धि हुई और मार्च 2021 में ₹195166 करोड़ तक पहुंच गया।
- बैंक ने सभी तिमाहियों में चालू खाता लक्ष्य हासिल किया और मार्च 2021 के बजट को ₹4573 करोड़ से पीछे छोड़ते हुए ₹ 27000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹31573 करोड़ का आँकड़ा हासिल किया।
- कासा से कुल जमा बढ़कर मार्च 2021 में 42.84 प्रतिशत रहा जो 42 प्रतिशत के आवंटित बजट की तुलना में अधिक है।
- सावधि जमा में वित्तीय वर्ष में तिमाही के लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए निरंतर वृद्धि हुई यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि सावधि जमा पर ब्याज दरों के कम रहने से ब्याज भुगतान लागत में कमी आई जिससे लाभ में वृद्धि हुई है।
- बैंक ने पीडी / सीडी को मार्च 2021 में ₹945 करोड़ कर दिया जिससे उच्च लागत जमा में कमी आई है।
- बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, बैंक ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ पीएम–स्वनिधि योजना के तहत प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी के वितरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- बैंक ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ पीएफएमएस सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ₹30 करोड़ की आय हुई और ₹1200 करोड़ की चालू जमा राशि भी जुटाई गई।

भविष्य की योजनाएं

कासा और सावधि जमा

- लायबिलिटी वर्टिकल के मूलभूत और औसत विकास पर ध्यान देना।
- नए उत्पादों / उत्पाद संशोधन पर ध्यान देना बीमा आदि सहित मूल्यवर्धित सेवाओं की पेश्कश करके विशिष्ट ग्राहक खंडों को लक्षित करना। वर्तमान में विभाग फ्री बीमा के साथ कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों के लिए विशेष एसबी उत्पाद डिजाइन करने की प्रक्रिया में है।
- वीडियो केवाईसी का लाभ उठाते हुए एक विशेष अभियान के माध्यम से डिजिटल खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित करना ।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नै के रणनीतिक स्थानों पर अंचलों हेतु उच्च मूल्य के लीड के लिए आर एंड जीआर सेल की सेवाओं का उपयोग करना और बैंक के लिए

सरकारी तथा संस्थागत कासा खातों को लक्षित करने के लिए शाखाओं और अंचलों हेतु पीएफएमएस, सीपीएमएस, ऑनलाइन भुगतान गेटवे आदि जैसे विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

- पीयर बैंकों के साथ बाजार हिस्सेदारी का निरंतर अध्ययन, बैंक के लिए सूक्ष्म स्तरीय देयता वर्टिकल रणनीतियां तैयार करने के लिए जिलेवार विश्लेषण

- बैंक के डिजिटल हैंडल – सोशल मीडिया – फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंड ओएसिस, नेट बैंकिंग, वेबसाइट पर बैंक के आस्ति एवं देयता उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

- विशेष रूप से अस्पताल इंडस्ट्री, शैक्षिक, धार्मिक, सरकारी विभागों के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय / एफजीएमओ / अंचल स्तर से लीड जनरेशन पर विशेष जोर।

- एलसीबी, एमसीबी को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों, एनबीएफसीएस की देयता व्यवसाय लीड को जुटाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

9. कृषि

- 31.03.2021 को कृषि ऋण के तहत कुल बकाया 78775 करोड़ रुपए था।

कृषि संवितरण:

- ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ़्लो फ़ॉर एग्रीकल्चर (जीएलएफ) के अंतर्गत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 35000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 67507 करोड़ रुपए के कृषि ऋणों का संवितरण किया।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने 25 लाख लघु / सीमांत किसानों को 33054 करोड़ रुपए वितरित किए ।

प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत कार्यनिष्पादन –

- 31.03.2020 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ₹ 130274 करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए तिमाही औसत समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 43.38 प्रतिशत था।

- 31.03.2021 को कृषि ऋण 60869 करोड़ रुपए था और 2020–21 के लिए त्रैमासिक औसत एएनबीसी का 18 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 19. 84 प्रतिशत था।

- 31.03.2021 को एसएफ / एमएफ को ऋण 31174 करोड़ रुपए रहा और वर्ष 2020–21 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित औसत बैंक ऋण (एएनबीसी) के अनिवार्य लक्ष्य 8 प्रतिशत के मुकाबले 9.76 प्रतिशत था ।

- 31.03.2021 को कमजोर वर्गों को उधार 43898 करोड़ था और 2020–21 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) के 10 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 12.94 प्रतिशत रहा।

- 31.03.2021 को एमएसई – माइक्रो उद्यमों को उधार 28304 करोड़ रुपए था और वर्ष 2020–21 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट बैंक ऋण(एएनबीसी) के 7.50 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 8.96 प्रतिशत रहा।

- 31.03.2021 को गैर–कॉरपोरेट किसानों को ऋण रु. 54454 करोड़ था और वर्ष 2020–21 के लिए तिमाही औसत आधार पर समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) के 12.11 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 17.11 प्रतिशत था।

पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को कवर करने के लिए केसीसी अभियान :

फसल उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में लगे किसानों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 01.06.2020 से केसीसी सेचुरेशन अभियान चरण II शुरू किया था। इंडियन बैंक ने फसल उत्पादन के साथ–साथ मत्स्य पालन, डेयरी और संबंधित गतिविधियों में लगे किसानों को केसीसी जारी करने के लिए द्वितीय चरण केसीसी सेचुरेशन अभियान के तहत विशेष अभियान शुरू किया है।

बैंक ने इस अभियान अवधि के दौरान 31.03.2021 तक कुल 1608 करोड़ की राशि के 1.84 लाख केसीसी को मंजूरी दी।

जेवर ऋण (कृषि) :

मार्च 2020 में 3084 शाखाओं के मुकाबले मार्च 2021 तक 3436 शाखाओं में जेवर ऋण लागू किया गया है। 31.03.2021 को कृषि के तहत जेवर ऋण में बकाया राशि 39776 करोड़ रुपए था।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह:

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का वाहक बन गए हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाशिए के समुदाय के जीवन को बदल रहे हैं और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों के क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास के नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने में इन समूहों का समर्थन करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ, इंडियन बैंक ने सक्रिय रूप से एसएचजी बैंक लिंकेज को बढ़ावा दिया है।

एसएचजी को बकाया ऋण मार्च 2021 तक 3.39 लाख एसएचजी को कवर करते हुए 7785 करोड़ रुपए था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 2.32 लाख स्व–सहायता समूहों को 5442 करोड़ रुपए का वितरण किया।

कोविड सहायता उपाय –

एसएचजी कोविड सहाय – इंडियन बैंक ने चुनौतीपूर्ण समय में कोविड से उत्पन्न वित्तीय दबाव से निपटने के लिए एक विशेष ऋण उत्पाद, सएचजी कोविड सहाय लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 0.40 लाख स्वयं सहायता समूहों को रियायती दरों पर ₹ 257 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

नए एसएचजी उत्पाद लॉन्च किए गए –

एसएचजी निर्मल – वर्तमान में जारी कोविड –19 महामारी के समय में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वस्थ स्थिति तक पहुंचने के महत्व पर विचार करते हुए, बैंक ने शौचालय निर्माण के लिए प्रति एसएचजी ₹ 3 लाख तक के अतिरिक्त ऋण के साथ

नई योजना, एसएचजी निर्मल शुरू की है। जल भंडारण– ओवरहेड टैंक, पेयजल सुविधाओं में सुधार, वाटर फिल्टर/प्यूरिफायर की स्थापना और सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु।

एसएचजी शक्ति – सफल उद्यम निर्माण में ग्रामीण महिलाओं की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से, बैंक ने एक समर्पित एसएचजी उत्पाद, एसएचजी शक्ति लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ₹ 10 लाख से अधिक से ₹ 20 लाख तक के संपार्श्विक जमानत मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

अन्य नवीन पहल :

माइक्रोसेट शाखाएं – शहरी स्थानों में एसएचजी के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 39 विशिष्ट एसएचजी फाइनेंसिंग शाखाएं "वन स्टॉप शॉप" के रूप में कार्यरत हैं – वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्रेडिट के साथ–साथ क्रेडिट प्लस सेवाएं प्रदान करते हुए, माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से ₹1076 करोड़ की क्रेडिट राशि 31567 एसएचजी में विस्तारित की गयी है। मार्च 2021 तक इन माइक्रोसेट शाखाओं की कुल बकाया राशि ₹1410 करोड़ थी जिसमें 45369 एसएचजी शामिल थे।

संयुक्त ऋण समूह – बैंक संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्त पोषण को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि उन श्रेणी के किसानों को ऋण सहायता प्रदान की जा सके जिनके पास उचित भूमि रिकॉर्ड नहीं है / जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। 31.03.2021 तक जेएलजी को बकाया क्रेडिट 12045 जेएलजी को कवर करते हुए ₹209 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एसएचजी सुविधा की झलकियां

कमजोर वर्ग को अग्रिम:

बैंक कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को पार कर रहा है जिसमें लघु और सीमांत किसान, कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- मार्च 2021 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों के लिए बकाया राशि 43898 करोड़ रुपए थी, जोकि तिमाही औसत एएनबीसी के लिए निर्धारित 10% मानदंड के मुक़ाबले 12.94% है।
- 31.03.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया ऋण 5484 करोड़ रुपए था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक क्रेडिट अभियानों का अवलोकन

- अल्पसंख्यक, अजा/अजजा को ऋण देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। मार्च 2021 तक अल्पसंख्यकों के लिए अग्रिम 15703 करोड़ रुपए थे, जो मार्च 2021 तक बैंक के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 12.05 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी) का मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु), सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, और पुदुवई भारथियार ग्राम बैंक का मुख्यालय पुदुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी) में है।

तीनों आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 898(मार्च 2020) से 11 बढ़कर 909 शाखाएँ(मार्च 2021) हो गया है। मार्च 2021 तक तीन आरआरबी का कुल कारोबार ₹ 47754 करोड़ था, जबकि मार्च 2020 तक यह ₹ 38917 करोड़ था (वर्ष–दर–वर्ष 22.71 प्रतिशत की वृद्धि)। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 को विवरण	शाखाओं की संख्या	जमाएँ	अग्रिम	कारोबार
तमिलनाडु ग्रामा बैंक	640	14859	15728	30587
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	225	8028	7408	15436
पुदुवै भारतियार ग्रामा बैंक	44	895	836	1731
कुल	**909**	**23782**	**23972**	**47754**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के तहत 1210 एसएसए गांवों को कवर कर रहे हैं और इस योजना के तहत 9.72 लाख खाते खोले गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2020–21 के दौरान पीएमएसबीवाई के तहत 8.14 लाख लाभार्थियों, पीएमजेजेबीवाई के तहत 3.78 लाख लाभार्थियों और एपीवाई के तहत 0.23 लाख लाभार्थियों को कवर किया है।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां:

- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान तमिलनाडु में स्व–सहायता समूह – बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए इंडियन बैंक को "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया।.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सुश्री पद्मजा चुन्डूरू ने दिनांक 23.12.2020 को माननीय मुख्य सचिव श्री के षण्मुगम से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

- पश्चिम बंगाल राज्य में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसएचजी ऋण देने में इंडियन बैंक के कार्यनिष्पादन को पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 23 दिसंबर 2020 को आयोजित 16वें सरस मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान मान्यता दी गई थी।

यह पुरस्कार श्री एच.एस. अहलूवालिया, क्षेत्र महाप्रबंधक, कोलकाता–I द्वारा प्राप्त किया गया

10. वित्तीय समावेशन

प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)

समाज के वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और समय पर तथा पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28.08.2014 को नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इस योजना को 28.08.2018 से ओपन एंडेड योजना के रूप में घोषित किया गया है।

बीएसबीडी के तहत पीएमजेडीवाई खाते खोलने में प्रगति

शाखाएं और बीसी चैनल डीएफएस के निर्देश के अनुसार 16.08.2014 से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स (बीएसबीडीए) श्रेणी के तहत पीएमजेडीवाई खाते खोल रहे हैं। 28.08.2018 से पीएमजेडीवाई श्रेणी का नाम बदलकर नया पीएमजेडीवाई कर दिया गया है। मार्च 2021 तक, बैंक ने 179.26 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनका बकाया ₹ 6778.74 करोड़ है। पीएमजेडीवाई के तहत 105.98 लाख (60 प्रतिशत से अधिक) खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। खाते के मामले में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 4.24 प्रतिशत है, जबकि बकाया राशि के मामले में 4.65 प्रतिशत है।

पीएमजेडीवाई एसबी खाते में ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति

पीएमजेडीवाई के तहत, बैंक ने 7.14 लाख पात्र खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया है, जिनमें से 2.42 लाख बीएसबीडी / पीएमजेडीवाई खाता धारकों ने ₹ 31.58 करोड़ की सीमा का लाभ उठाया है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित कर दिया है और एटीएम के माध्यम से पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को उपलब्ध कराया है।

वित्तीय समावेशन के तहत हमारे कार्यनिष्पादन पर विहंगम दृष्टि

- पीएमजेडीवाई में बैंकिंग जगत के ₹3499 की तुलना में प्रति खाता शेष ₹ 3786 है।
- पीएमजेडीवाई के क्षेत्र में हमारे बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। (खातों की संख्या में 4.24 प्रतिशत और जमा शेष के रूप में 4.65 प्रतिशत)
- डीएफएस / एसएलबीसी द्वारा आवंटित विभिन्न राज्यों के ग्रामों, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों, चाय बागानों/पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ब्रिक और मोर्टार शाखाओं के माध्यम से या कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंकिंग पहुंच प्राप्त करने की समय सीमा को पूरा करने वाले पीएसबी में बैंक पहले स्थान पर था।
- बीसी आउटलेट कुल बैंकिंग आउटलेट (शाखा बीसी एटीएम) का लगभग 46 प्रतिशत कवर करते हैं। 24 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में बीसी नेटवर्क की मौजूदगी है।
- सभी बैंक मित्रों को आईबीए मानक (1.5.1) के अनुसार इंटर–ऑपरेटेबल माइक्रो एटीएम / कियोस्क एग्रीगेटेड सॉल्यूशन (केएएस) उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- प्रति माह बीसी द्वारा किया गया औसत सफल वित्तीय लेनदेन 103.51 लाख तक पहुंच गया है।
- बैंक ने 60 एएपीबी (प्रति शाखा औसत एपीवाई) के लक्ष्य के मुकाबले 85 एएपीबी हासिल किया है और अटल पेंशन योजना में गेम चेंजर्स अवार्ड के लिए अर्हता प्राप्त की है। बैंक ने 55,000 के लक्ष्य के मुकाबले 83,698 एपीवाई भी प्राप्त किए हैं और एमडी और सीईओ महोदया को एक्सएम्पलरी गोल्ड अवॉर्ड(152.17 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है। बैंक पीएफआरडीए के 'राइज एवव रेस्ट' अभियान के तहत एक्सएम्पलरी अवॉर्ड श्रेणी में भी विजेता बन गया है (लक्ष्य 8 एएबीबी, उपलब्धि 8.4 एएबीबी)। एपीवाई के तहत, बैंक का दृढ़ता अनुपात 60 प्रतिशत है, जो बैंकिंग जगत में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
- 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंक का संचयी कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है।

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या (लाख में)
एपीवाई	19.23
पीएमजेजेबीवाई	26.58
पीएमएसबीवाई	72.97

- पीएमजेजेबीवाई के तहत, 11794 दावों को बीमाधारक के नामितियों के लिए ₹ 235.88 करोड़ और पीएमएसबीवाई के तहत 2241 दावों का निपटान बीमाधारक के नामितों को ₹ 44.40 करोड़ के लिए किया गया था।
- **तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान :**

  जुलाई 2012 से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक खातों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, वित्तीय समावेश के तहत कवर गांवों में, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में बैंक मित्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान 75.24 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई है।

11. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण प्रवाह

- विशेष ध्यान देने के लिए पृथक एमएसएमई विभाग है जो एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके विकास में तेजी लाने के लिए पूरे एमएसएमई पोर्टफोलियो की देखरेख करता है। बैंक के पास 79 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्र हैं, जो टीएटी और मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
- 31.03.2021 को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में बैंक का एक्सपोजर रु. 70180 करोड़ हो गया है।
- बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के उप लक्ष्य को पार कर लिया है। प्रधान मंत्री टास्क फोर्स समिति की सिफारिशों के तहत, बैंक ने सूक्ष्म उद्यम खातों में वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को पार कर लिया है।
- बैंक सक्रिय रूप से सभी तीन TReDS प्लेटफ़ॉर्म (आरएक्सआईएल, इन्वाइस मार्ट एवं मिक्सचेंज) में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹1221 करोड़ के 8813 बिलों में छूट दी गई और 31 03 2021 तक अतिदेय शून्य है। 31 03 2021 तक बकाया राशि ₹361 करोड़ है, चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्जित आय रू 19.38 करोड़ है।
- आंतरिक / बाह्य कारणों से एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण ब्याज / किस्त चुकाने में आने वाले दबाव को कम करने के लिए, एमएसएमई के लिए एक उदार पुनः संरचना नीति लागू की गई है। आरबीआई की दिनांक 01.01.2019, 11.02.2020 और 06.08.2020 की अधिसूचना के अनुसार, ₹ 5411 करोड़ की

राशि के 99829 एमएसएमई खातों का पुनः संरचना किया गया है, जो दबावग्रस्त थे।

प्रधानमंत्री के आत्म निर्भर पैकेज का कार्यान्वयन

बैंक ने कोविड राहत उपायों के रूप में घोषित सभी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेजों को लागू किया है।

विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे कार्यनिष्पादन के कुछ मुख्य अंश –

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 1.0 (31.03.2021 तक)

(₹करोड़ में)

पात्र उधारकर्ता	पात्र राशि	स्वीकृत		संवितरित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
305385	6033	288297 (94%)	5894 (98%)	187134	5203 (88%)

- यह योजना एमएसएमई, मुद्रा उधारकर्ताओं और अन्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए 29.02.2020 तक ₹ 50 करोड़ तक की बकाया राशि के लिए लागू है।
- यह योजना 30.09.2021 तक मान्य है।
- इस योजना के लिए 100 % गारंटी कवरेज उपलब्ध है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 (31.03.2021 तक)

(₹करोड़ में)

पात्र उधारकर्ता	पात्र राशि	स्वीकृत		संवितरित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	1059	87 (77%)	926 (87%)	53	561 (60%)

- समाधान योजना 1.0 के लिए कामथ समिति द्वारा पहचाने गए 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों में सभी व्यावसायिक उद्यमों के लिए लागू और 29.02.2020 को ₹ 50 करोड़ से ऊपर और ₹ 500 करोड़ तक का कुल फंड–आधारित एक्सपोजर हो और जो दिनांक 29.02.2020 तक एसएमए 1 या एसएमए 2 या एनपीए में नहीं हो।
- यह योजना 30.09.2021 तक मान्य है।
- इस योजना के लिए 100 % गारंटी कवरेज उपलब्ध है।

दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण

(₹करोड़ में)

पात्र उधारकर्ता		स्वीकृत		संवितरित	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
422	43	88	12.74	79	11.72

- दबावग्रस्त व्यावसायिक इकाइयों में प्रमोटर की हिस्सेदारी का 15% (भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन) प्रमोटर को पूंजी प्रदान करने के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है।
- सीजीएसएसडी योजना के तहत 90% गारंटी कवरेज उपलब्ध है और शेष 10% सावधि जमा के रूप में रखी गई मार्जिन मनी द्वारा कवर किया जाता है।
- यह योजना 30.09.2021 तक मान्य है।
- व्यवहार्य इकाइयों को उन पात्र उधारकर्ताओं में से वित्तपोषित किया जाता है जिन्होंने विकल्प चुना है।

पीएम स्वानिधि योजना – स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण

(₹करोड़ में)

प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत		संवितरित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
174765	150835 (प्राप्त आवेदनों का 86%)	151	122664 (संस्वीकृत आवेदनों का 81%)	124

- 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज (सीजीटीएमएसई) उपलब्ध है ।
- भारत सरकार शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है।
- बैंक शाखाओं में उधारकर्ता को दस्तावेजीकरण/संवितरण के लिए सशरीर उपस्थिति को दूर करने के लिए दस्तावेजीकरण को डिजिटल करने (एनईएसएल के माध्यम से) की प्रक्रिया में है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एनबीएफसी को ऋण प्रवाह

एमएसएमई को सीधे ऋण देने के अलावा, बैंक एमएसएमई को मध्यस्थ एजेंसियों (एनबीएफसी / एमएफआई) के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए सीधे असाइनमेंट के माध्यम से एनबीएफसी को उधार दे रहा है जो एमएसएमई आदि को उधार देता है।

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	स्वीकृत		संवितरित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
एमएसएमई को उधार देने के लिए एनबीएफसी को उधार	24	3865	24	3665
डायरेक्ट असाइनमेंट	12	4115	13	3953
भारत सरकार द्वारा घोषित आंशिक ऋण योजना	1	1000	2	710

एमएसएमई ऋण उत्पाद

इंडियन बैंक विशेष रूप से एमएसएमई के लिए ग्राहक केंद्रित ऋण उत्पादों को पेश करने में अग्रणी है। इनमें से कुछ नाम हैं

- **इंड एसएमई सीक्युर** – एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण उत्पाद।

- **आईबी ट्रेडवेल** – व्यापारियों के लिए एक विशेष ऋण उत्पाद।
- **आईबी डॉक्टर प्लस** – क्लीनिक/हॉस्पीट्ल स्थापित करने, चिकित्सा उपकरणों की खरीद आदि के लिए डॉक्टरों हेतु ऋण उत्पाद
- **आईबी माय ऑन शॉप** – एमएसएमई को दुकान/फैक्ट्री खरीदने/निर्माण करने के लिए ऋण उत्पाद।
- **आईबी शुद्ध जलधारा** – सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा आरओ कियोस्क की स्थापना के लिए ऋण उत्पाद
- **आईबी ठेकेदार** – ठेकेदारों के लिए विशेष ऋण उत्पाद।
- **इंड सूर्य शक्ति** – एमएसएमई द्वारा कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए ऋण उत्पाद
- **इंड एसएमई ईज**– जिसमें मूल्यांकन एमएसएमई द्वारा जीएसटीएन साइट में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर पर आधारित है और वित्तीय अनुमानों के लिए जोर दिए बिना एमएसएमई को ऋण
- **इंड एसएमई ई–वाहन** – व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए एमएसएमई को ऋण।
- **इंड एमएसएमई वाहन** – व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एमएसएमई को एलएमवी / एचएमवी क्रय करने के लिए ऋण उत्पाद

श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा नागपुर में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु आरओ संयंत्र के निर्माण के लिए संपार्श्विक जमानत मुक्त एमएसएमई उत्पाद ऋण आईबी शुद्ध जलधारा का शुभारंभ

इंड–एसएमई–वाहन ऋण उत्पाद का शुभारंभ – पर्यावरण संरक्षण के हित में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन

एमएसएमई क्लस्टर

बैंक ने इन क्लस्टरों में इकाइयों को उधार देने में पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से पूरे भारत में विभिन्न एमएसएमई समूहों को मंजूरी दी है। आकर्षक शर्तों के साथ क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं। 31.03.2021 तक, 34 एमएसएमई क्लस्टर कमाध्यम से एमएसएमई को ₹ 2740 करोड़ का वित्त पोषण किया गया है। इन क्लस्टरों में अदत्त बहुत कम लगभग 1 प्रतिशत है।

बैंक ने 30 और क्लस्टरों की पहचान की है और उनके लिए योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया में है।

मुद्रा योजना

- 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (टीएन ग्राम बैंक, पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक) के साथ बैंक ने भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत आवंटित ₹ 6800 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है। बैंक ने 104.57% की उपलब्धि दर्ज करते हुए ₹ 7111 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
- मुद्रा योजना के तहत, बैंक ने विभिन्न विनिर्माण, बुनाई, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय और कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन, पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि क्लीनिक, कृषि व्यापार केंद्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अन्य प्रमुख पहलें

एमएसएमई प्रेरणा

- मैसर्स पूर्णता एंड कंपनी के साथ मिलकर व्यापार सलाह कार्यक्रम – अखिल भारतीय कार्यक्रम (सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में)
- माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 06.10.2020 को लॉन्च किया गया
- एमएसएमई के लिए स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन कार्यशाला
- बुनियादी लेखा पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और / एमएसएमई के लिए सरकारी / बैंक की योजनाओं की जानकारी प्रदान करना

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 06.10.2020को एमएसएमई प्रेरणा का शुभारंभ

महिला/ एससी/ एसटी उद्यमियों पर विशेष फोकस

उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 2021 को एमएसएमई प्रेरणा का उद्घाटन

श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, श्री वी वी शेणॉय एवं श्री के रामचंद्रन, महाप्रबंधकों, अन्य कार्यपालकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया।

इंड स्प्रिंग बोर्ड

- स्टार्ट–अप के लिए वित्तपोषण
- डोमेन विशेषज्ञों, आईआईटी के प्रोफेसरों आदि से इनपुट लेने के बाद उत्पाद विकसित किया गया है।
- श्री के अनंत कृष्णन, एक्सीक्युटिव वीपी एवं सीटीओ, टीसीएस द्वारा 20.10.2020 को श्री देबाशीष पांडा सचिव (एफएस), भारत सरकार की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
- बैंक वित्त प्रदान करने के लिए पात्र स्टार्ट–अप की पहचान करने हेतु आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेशन सेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- बैंक ने मैसर्स चेन्नै एन्जिल्स और मैसर्स सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, भारतीय विज्ञान संस्थान की एक पहल, बेंगलुरु के साथ भी इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

आईआईटीएम–आईसी के साथ टाई–अप

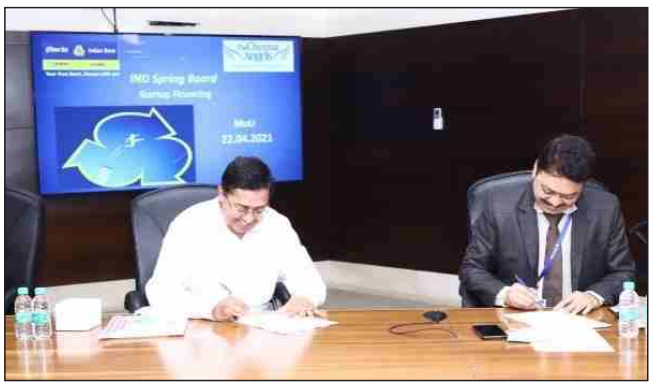

पात्र स्टार्ट–अप को वित्तपोषण के लिए मेसर्स द चेन्नै एंजल्स के साथ टाई–अप

ग्राहकों को वित्तपोषण

आईआईएससी–बैंगलोर के साथ टाई–अप

"पैसा पोर्टल" – ब्याज सब्सिडी वितरण

- सभी ऋणदाताओं को "पैसा पोर्टल" (इंडियन बैंक द्वारा प्रबंधित) के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के वितरण के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री की उपस्थिति में सीएलसीएसएस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक के रूप में एमएसएमई मंत्रालय के साथ दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए महाप्रबंधक (एमएसएमई)

12. कॉर्पोरेट ऋण

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण ₹160595 करोड़ (मार्च'21) रहा जो बैंक के समग्र ऋण का 42% है। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, बैंक ने कई नए ग्राहकों को जोड़ा, जैसे पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण, टोरेंट गैस लिमिटेड आदि, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कैनफिन होम्स लिमिटेड आदि।

मेसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, कोयंबटूर भारत के अग्रणी कपड़ा मशीनरी निर्माताओं में से एक है और वैश्विक तीन में से एक है जो 'दक्षिण भारत के मैनचेस्टर' – कोयंबटूर में कताई मशीनरी की पूरी श्रृंखला का उत्पादन करता है।

मिड कॉर्पोरेट ऋण वर्टिकल (एमसीवी)

₹25 करोड़ से ₹150 करोड़ के व्यक्तिगत एक्सपोजरवाले उधारकर्ताओं से व्यापार के लिए वित्तीय वर्ष 21 के दौरान मिड कॉर्पोरेट ऋण वर्टिकल का गठन किया गया था। कार्यक्षेत्र की शुरुआत 17 चिह्नित शाखाओं के साथ हुई, जिनका नाम मिड कॉर्पोरेट शाखा (एमसीबी) है और ये उच्च व्यावसायिक संभावनाओं वाले केंद्रों पर स्थित हैं। एमसीबी किसी भी क्षेत्र (कॉर्पोरेट/रैम) के मध्य कॉर्पोरेट ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशिष्ट ऋण शाखाएं हैं।

बैंक ने मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल के तहत कई नए कॉर्पोरेट क्लाइंट जोड़े हैं।

13. खुदरा संपत्ति

कोविड–19 के लिए बीमा कवरेज के साथ जेएल ओडी की शुरुआत

जेवर ऋण क्षेत्र में अधिकाधिक संभावनाओं पर पकड़ बनाने के लिए, बैंक ने बाजार के अनुकूल और आकर्षक लाभों के साथ एक नया उत्पाद – **"सोने के जेवर के सापेक्ष ओडी ऋण"** प्रस्तुत किया गया है।

उत्पाद को निम्न विशेषताओं के साथ लॉन्च किया गया है:

- महिलाओं और कोविड योद्धाओं के लिए 7.50% का आकर्षक ब्याज दर
- सरल दस्तावेजीकरण
- वैयक्तिकृत चेकबुक
- रु.2 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- रुपे कार्ड के माध्यम से भी निकासी की अनुमति है

ऋण ओरजिनेटिंग सिस्टम –एलओएस

- एक समान मूल्यांकन करने के लिए, हमारे टीएटी को बेहतर बनाने के लिए और हमारे बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए मेसर्स साईसार्क इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड के सहयोग से एंड–टु–एंड ऑटोमेशन–लोन ओरिजिनेशन सिस्टम का विकास और परीक्षण किया जा रहा है।

कारोबार इनेबलर्स

3023 खातों में 362.66 करोड़ रुपए की पुनः रचना की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

स्कीम	खातों की संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
गृह ऋण	1563	302.60
शिक्षा ऋण	1124	46.20
वाहन ऋण	336	13.86
कुल	**3023**	**362.66**

खुदरा क्षेत्र में ऋण प्रवाह

वित्त वर्ष 20–21 के दौरान 370526 खातों में कुल ₹18910 करोड़ संस्वीकृत किए गए हैं। मुख्य वृद्धि गृह ऋण, बंधक ऋण, पेंशन ऋण और लिक्विड कोलैटरल के सापेक्ष ऋण से हुई है।

(घरेलू)	मार्च'21
आईबीपीसी को छोड़कर गृह ऋण	41834
बंधक ऋण (अन्य)	5848
पेंशन ऋण	801
एलओडी/जेएल (एनपी) अन्य	21504
कुल खुदरा ऋण	**69987**

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान नये संस्वीकृत ऋण का विवरण:

(राशि रु. करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2020–21		
	नये संस्वीकृत		संवितरण
क्षेत्र	**खाता**	**राशि**	**राशि**
गृह ऋण	22100	7345	6073
बंधक ऋण	5047	1111	1024
वाहन ऋण	20776	1141	1049
पेंशन ऋण	32796	1163	1067
वेतन ऋण	25132	614	506
शिक्षा ऋण	3640	427	172
एलएडी/ जेएल अन्य	261035	7110	6641
कुल खुदरा ऋण	**370526**	**18910**	**16531**

बैंक ने एनबीएफसी/एचएफसी को वित्त वर्ष 21 के दौरान सोना और गृह क्षेत्र के तहत जमा संपत्ति की खरीद के लिए 2950 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	सीमा	बकाया राशि
जेवर	1200	988
गृह	1750	1395
कुल	**2950**	**2383**

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी)

भारत सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक वर्ष 2020–21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज के 12 इश्यू की घोषणा की।

वर्ष के दौरान संयुक्त इकाई द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत की गई बिक्री की राशि निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

अवधि	मात्रा (किलोग्राम में)	राशि	कमीशन
वित्त वर्ष 2020–21	330.88	164.92	1.64

सुकन्या समृद्धि :

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 17677 नये खाते खोले गए, संयुक्त इकाई के लिए उसकी कुल संख्या 81368 है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संचित राशि रुपए 181.11 करोड़ थी तथा कुल संचित राशि रुपए 477.93 करोड़ थी।

लोक भविष्य निधि :

संयुक्त इकाई के लिए 237559 खातों से पीपीएफ खाते में शेष रुपए 6400.27 करोड़ रही।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एससीएसएस खातों के तहत 26956 नए खातों से किया गया कुल संग्रह 1759.60 करोड़ रुपये है और यथास्थिति 31.03.2021 को एससीएसएस के तहत कुल 97552 खातों में संचयी शेष 5324.04 करोड़ रुपये है।

बैंकाश्योरेंस और म्युचुअल फंड वितरण व्यवसाय

बैंकश्योरेंस व्यवसाय के लिए बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 7 बीमा भागीदारों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है जो निम्नानुसार है

वर्टिकल	क्र.	भागीदार
जीवन बीमा	1	एलआईसी ऑफ इंडिया
	2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	3	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
सामान्य बीमा	1	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC)*
	2	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	3	युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
स्वास्थ्य बीमा*	1	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(*मैक्स बूपा के स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अलावा, बैंक 2 अन्य सामान्य बीमा भागीदारों यथा मेसर्स यूनाइटेड इंडिया और मेसर्स युनिवर्सल सोम्पो के स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का वितरण भी करता है)

उधारकर्ताओं को **ऋण जीवन बीमा** कवरेज प्रदान करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित व्यवस्था की है:

भागीदार	क्रेडिट लाइफ कवरेज के लिए पोर्टफोलियो
कोटक महिंद्रा लाइफ	गृह ऋण और शिक्षा ऋण
पीएनबी मेटलाइफ	शिक्षा ऋण
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	गृह ऋण और क्लीन ऋण

म्युचुअल फंड वितरण के लिए बैंक ने 9 आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के साथ स्वतंत्र रूप से टाई–अप किया है जो निम्नानुसार है:

मेसर्स यूटीआई एएमसी कंपनी लिमिटेड	रिलायंस निप्पॉन एएमसी	एसबीआई म्यूचुअल फंड
डीएसपी म्यूचुअल फंड	टाटा म्यूचुअल फंड	प्रिंसिपल पीएनबी एएमसी
कोटक महिंद्रा एएमसी	फ्रैंकलिन टेम्पलटन एएमसी	एस्सेल फाइनेंस एएमसी

मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरण के लिए बैंक ने **फिनटेक पार्टनर, मेसर्स फिजडम** के साथ टाई–अप किया है।

वित्त वर्ष 2021 की कार्यनिष्पादन – मुख्य विशिष्टताएं

- बैंक ने बैंकश्योरेंस और म्युचुअल फंड कारोबार में मार्च'21 को ₹63.97 करोड़ तक पहुंच गई।
- बैंक अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के वैकल्पिक डिजिटल चैनलों के माध्यम से बीमा और म्यूचुअल फंड उत्पादों को उपलब्ध करने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया में म्युचुअल फंड पहले ही मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडओएसिस के माध्यम से उपलब्ध किया जा चुका है।
- बैंक बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। वर्तमान में, बैंक 500 नए भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को आईआरडीए से लाइसेंस उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में है।
    - वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंकश्योरेंस के तहत प्रस्तुत किए गए प्रमुख उत्पाद निम्नानुसार हैं:
    - **"आईबी रक्षक"**, मेसर्स युनिवर्सल सोम्पो से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी।
    - विशेष रूप से कोविड–19 के लिए मेसर्स चोलामंडलम का **"चोला एमएस कोविड–19"** और मेसर्स युनिवर्सल सोम्पो का **"गो–कोविड"**।
    - **"मैक्स हेल्थ सुपर टॉप अप"**, बैंक के सभी वेतन खाताधारकों और मौजूदा स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों के लिए मैक्स बूपा के साथ रु.15.00 लाख की एक किफायती टॉप अप स्वास्थ्य बीमा योजना।
    - मेसर्स आदित्य बिड़ला सनलाइफ से **"आवास ऋण और क्लीन ऋण उधारकर्ताओं के लिए ऋण जीवन बीमा"**।
    - बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप, **"इंडओएसिस"** में **"म्यूचुअल फंड निवेश"** प्रस्तुत किया गया था।
    - सभी आवास और शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को **"आईबी कोटक गृह सुरक्षा"** और **"आईबी कोटक शिक्षा सुरक्षा"** उपलब्ध कराया गया है।

14. ऋण निगरानी कक्ष

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहल

आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखना लाभप्रदता की कुंजी है। बैंक ने आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निगरानी उपकरण लागू किए हैं। उन्हें मुख्य रूप से मंजूरी की संवीक्षा, खातों की सावधिक समीक्षा, ईडब्ल्यूएस (अर्ली वार्निंग सिग्नल) सॉफ्टवेयर से दैनिक सिग्नल के माध्यम से निगरानी, मासिक सीआरएम (क्रेडिट रिलेशनशिप मैनेजर) रिपोर्ट, एसएमए का अनुवर्तन (विशेष उल्लेखित खाता) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मंजूरियों की जांच

- उच्च मूल्य वाले मंजूरियों की जांच की प्रणाली । किसी भी त्रुटि या चूक को ऋण के प्रारंभिक चरण में ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य ऋणों की मंजूरी की जाँच अंचल / क्षे.म.प्र. कार्यालयों में की जाती है और उन पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रारंभिक अवस्था में ही परिसंपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

नियमित अंतराल पर खातों की समीक्षा

- ऋण समीक्षा प्रणाली के जरिए समीक्षा की जाती है।
- वित्तीय अनुपात के अलावा, खाते के संचालन, उद्योग स्तर पर बराबरी की तुलना, प्रबंधन में बदलाव, रेटिंग का संचार, शेयर की कीमत में उतार–चढ़ाव, बाजार की जानकारी आदि जैसे मापदंडों की भी समीक्षा की जाती है।
- ऐसे ऋण जो ऋण के दोषों को विकसित करते हैं, उनकी पहचान करने के लिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं।

ईडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर से प्राप्त दैनिक संकेतों के माध्यम से निगरानी

- एक मजबूत दैनिक निगरानी तंत्र
- उत्पन्न सभी अलर्ट का विश्लेषण बिना किसी विलंब के किया जाता है।
- सुधार / पुनर्प्राप्ति / बाहर निकलने के विकल्पों के तत्काल उपाय सुझाए गए हैं ।
- जो गंभीर प्रकृति के अलर्ट हैं उनका विश्लेषण रेड फ्लैगिंग और धोखाधड़ी परीक्षा के लिए किया जाता है।

सीआरएम रेपोर्ट

- सीआरएम रिपोर्ट ईडब्ल्यूएस अलर्ट के लिए संकेतों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- दबाव का जल्द पता लगाने में मदद करता है।
- मासिक सीआरएम रिपोर्ट का उपयोग मंजूरी की शर्तों के अनुपालन, वित्तीय मापदंडों का अध्ययन करने और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में किया जाता है।

एसएमए खातों का फॉलो–अप

नये एनपीए स्लिपेज को कम करने के लिए निम्नलिखित निगरानी उपायों को कार्यान्वित किया गया है।

- शाखा स्तर पर एसएमए–0 खातों का फॉलो–अप के लिए नोडल अधिकारी।
- सीओ/एफजीएमओ/जेडओ में फॉलो–अप के लिए गार्जियन अधिकारी
- सीआईएफ आधारित खातों और समूह खातों का फॉलो–अप
- क्षेत्र कार्याधिकारियों को सुलभ संदर्भ के लिए डेटा एनेबलर उपलब्ध करना
- एसएमए वसूली के लिए बीसी/एसएचजी/एनजीओ/स्थानीय नेताओं/सरकारी अधिकारियों आदि की सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करना
- क्लस्टर स्तर पर एसएमए खातों के लिए विशेष वसूली शिविर आयोजित करना।
- संभावित एनपीए स्लिपेज प्रतिशत की आवधिक समीक्षा (वार्षिक गिरावट को 2% से कम करने के लिए)
- 30.06.2021 से एनपीए के दैनिक फ्लैगिंग को ध्यान में रखते हुए एसएमए खातों का फॉलो–अप के लिए शाखा प्रबंधकों हेतु आवधिक जागरूकता कार्यक्रम।
- एसआई, ईसीएस, ईएससीआरओडब्ल्यू खाता आदि के माध्यम से एसएमए–0 खातों में समय पर वसूली के लिए क्षेत्र कार्याधिकारियों को एसओपी उपलब्ध करना।

उधारकर्ताओं के एबीसी विश्लेषण और विशिष्ट रणनीतियों को लागू कर तिमाही/वर्ष के अंत से पहले नए एनपीए को अपग्रेड किया जाना।

15. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली के सफलतापूर्वक अनुवर्तन के साथ आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लेगिंग की शुरुआत की गई थी।
- नए एनपीए खातों की वसूली/ उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए दबावग्रस्त खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।
- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने में वर्ष 2020–21 के दौरान अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। विभिन्न वसूली व्यवस्थाओं जैसे लोक अदालत, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के उपायों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचल/शाखाएँ स्वैछिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से पहले दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत याचिका दाखिल करने, बंधक शेयरों के हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रही हैं।
- सरफेसी अधिनियम के तहत, वर्ष के दौरान, रु.1915.50 करोड़ की आरक्षित मूल्य पर 3145 संपत्तियों को विक्रय के लिए लाया गया तथा 499 संपत्तियों को रु.196.65 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बेचा गया। निजी संधि प्रणाली के माध्यम से 11 संपत्तियों को रु.6.28 करोड़ के विक्रय मूल्य पर बेचा गया ।
- बैंक ने नालसा द्वारा आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन किया गया। रु.4536.34 करोड़ की राशि के कुल 283526 प्री लिटिगेशन खातों को लोक अदालत में पेश किया गया था। रु.166.36 करोड़ के 8198 खातों का निपटान किया गया। रु.24.41 करोड़ की स्पॉट वसूली की गई।
- बट्टे खातों एवं अशोध्य ऋणों (तकनीकी रूप से लिखा हुआ) के संबंध में, वर्ष के दौरान रु.603.66 करोड़ की वसूली की गई।
- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप, बैंक की वसूली पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है तथा वसूली निष्पादन में सुधार हेतु फ्रंटलाइन अधिकारियों को संवेदीकृत किया गया है। संपूर्ण ट्रैकिंग का पता लगाने तथा ओटीएस प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने की दृष्टि से, रु.1 करोड़ तक के प्रस्तावों को निपटाने के लिए आनलाइन ओटीएस साफ्टवेयर ऐप्लीकेशन का प्रवर्तन किया गया। इसके अलावा, वसूली विभाग से अंचलों को दौरा करते समय अधिकारियों द्वारा वसूली में बढ़ोत्तरी लाने की दृष्टि से प्रावधान पर घटौती लाने के लिए जोर दिया जाता है तथा नये एनपीए/संदिग्ध खातों में उन्नयन लाने के लिए जोर दिया जाता है।

16. जोखिम प्रबंधन :

बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं मापन प्रक्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह पूरे बैंक के, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (अल्को)
- जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

यह समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन नीति सहित) भी बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, चलनिधि प्रबंधन नीति, ऋण नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति (दबाव परीक्षण नीति सहित), संपार्श्विक प्रबन्धन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरुक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम प्रोफाइलों को संकलित करके तथा प्रत्येक जोखिम के लिए निर्धारित पैरामीटर की दिशा और मात्रा में भिन्नता का आकलन करके त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

ऋण जोखिम :

जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रारंभिक चरण में जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने के लिए होती है और ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के माध्यम से बदलते जोखिम वाले वातावरण का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय करने के अलावा विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण एवं निगरानी करके उन्हें प्रबंधित करती है, जिससे ऋण जोखिम को एक ही समय पर ट्रैक, प्रबंधित और कुशल तरीके से देखरेख किया जा सकता है ।

ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क

पीएसबी सुधार एजेंडा के तहत – ईएएसई – बैंक को ऋण जोखिम मूल्यांकन और हामीदारी पहलू में सुधार के लिए परिभाषित कार्रवाई बिंदुओं को निश्चित करना अनिवार्य है, जिससे अंततः सुधार सूचकांक स्कोर बेहतर हो सके।

तदनुसार, बैंक ने ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क को अपनाया है, जिसमें ऋण प्रस्तावों (पहले चरण में 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजरवाले कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और दूसरे चरण में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजरवाले एमएसएमई उधारकर्ताओं का नया और वर्धित प्रस्ताव) का ऋण जोखिम मूल्यांकन और उसका कम जोखिम/ मध्यम जोखिम/ उच्च जोखिम/ नो–गो के रूप में जोखिम वर्गीकरण शामिल है, जिसका आधार सात व्यापक मापदंड यथा उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/ उद्योग, सुरक्षा कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और अनुपालन की स्थिति के साथ–साथ व्यक्तिपरक जोखिम मापदंडों में अंतर्निहित जोखिम कारकों के विश्लेषण पर मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स है।

जोखिम स्कोर और जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ऋण वर्टिकल को जोखिम परामर्श जारी किया जाता है और इसे विभिन्न ऋण समितियों में जोखिम आधारित/सूचित ऋण निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नोट में कमियों के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां उपलब्ध कराने में मदद करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन :

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंक (बीआईएस) ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र की स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम :

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

परिचालन जोखिम की भी क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालन हानि की आवृत्ति और गंभीरता के विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएस) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंक आरसीएसए तथा केआरआई को सुदृढ़ करने के लिए परिचालनात्मक जोखिम के प्रबन्धन हेतु कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के जरिए कदम उठा रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन :

बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तावित बेसल III पूँजी विनियमन को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु 01 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी दर्शा रहा है।

17. मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति की स्थिति

31.03.2021 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार है :

संवर्ग	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	25203	6768	4965	2063	18366	6837
लिपिक	13222	3738	2877	664	8602	4620
सब स्टाफ	2816	565	1367	153	2421	395
पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी	316	34	242	15	236	80
कुल*	**41557**	**11105**	**9451**	**2895**	**29625**	**11932**

(अंशकालिक सफ़ाई कर्मचारी को छोड़कर – घरेलू)

भर्ती अभियान

वर्ष के दौरान, बैंक में भर्ती इस प्रकार है:

वेतनमान	संख्या
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 2	20
अधिकारी विशेषज्ञ वेतनमान 1	70
अधिकारी सामान्य वेतनमान 1	1042
लिपिक	1358
अधीनस्थ कर्मचारी	143

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्गों / शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ ज.जा कल्याण कक्ष/ आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.जजा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखभाल हेतु एक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में तथा दूसरे महाप्रबन्धक अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में कार्यरत हैं।

कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित नीतियों / योजनाओं की समीक्षा / प्रतिपादित की गई :

- कुल 14 नीतियों की समीक्षा ।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति की समीक्षा ।
- समामेलित इकाई के लिए 19 कर्मचारी लाभ योजनाओं की समीक्षा ।
- समामेलित इकाई के लिए पदोन्नति नीति का संशोधन ।

कर्मचारियों के कल्याण हेतु पहल

बैंक की केंद्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं की लगातार समीक्षा करती है तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर सुधार किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2019 - इंडियन बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में कार्यरत सुश्री सुधा श्रीनिवासन को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया गया है।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग इमेज, बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान और 9 अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।

- बैंक के लिए प्रशिक्षण नीति को नियमित आधार पर, व्यक्तिगत स्टाफ के साथ–साथ बैंक दोनों की प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन करने, अंतर की पहचान करने तथा ज्ञान एवं कौशल विकास के लिए कर्मचारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- कर्मचारियों के क्षमता निर्माण पर नीति को संशोधित किया गया है ताकि स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके और निरंतर आधार पर बेहतर कार्य–निष्पादन करने की उनकी क्षमता में सुधार किया जा सके।

- अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण का विवरण :

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागियों की सं.
1.	ई–पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षण	9490
2.	घर से ऑनलाइन प्रशिक्षण	10822
3.	कार्यस्थल से ऑनलाइन प्रशिक्षण	1991
	कुल	**22303**

- वर्ष 2020–21 के दौरान नए विषयों जैसे सीबीएस इंटीग्रेशन, प्रिवेंटिव विजिलेंस, ज्वेल लोन क्या करें और क्या न करें, केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देश आदि पर विश्लेषण और क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर कुल 222 प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यम से आयोजित किए गए तथा कुल 4691कर्मचारियों ने आयोजित वेबिनार में भाग लिया एवं लाभान्वित हुए।

- अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, 564 कार्यपालकों / अधिकारियों ने सीएबी, आईडीआरबीटी, सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, फेडाई, आईएसएसीए, आईआईएम और एसबीआईएल जैसे बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण / वेबिनार में भाग लिया है।

- हमारा बैंक, सीवीसी के निर्देश के अनुपालन में सभी पीएसबी के लिए यूनिफ़ॉर्म इंडक्शन ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पर 803 नए भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए यूनिफ़ॉर्म इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करने वाला पहला बैंक रहा ।

- मैसर्स डेलॉइट के सहयोग से साइकोमेट्रिक परीक्षणों, समूह चर्चा और मूल्यांकन मैट्रिक्स के एक सेट के माध्यम से 275 स्केल V और 98 स्केल VI के अधिकारियों का नेतृत्व मूल्यांकन किया गया ।

- नॉलेज पार्टनर के रूप में मैसर्स पूर्णता एंड कंपनी के सहयोग से उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष और नवोन्मेषी ऑनलाइन व्यापार परामर्श कार्यक्रम, **एमएसएमई प्रेरणा** की शुरूआत की गई तथा 486 एमएसएमई उद्यमियों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 10 आभासी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की गई है।

18. ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा किसी भी सेवा उद्योग का आधार है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में । छोटे भुगतान बैंकों और विभिन्न स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के कारण बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपने बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने एवं बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए काफी दबाव है। ग्राहक सेवा में सुधार से निश्चित रूप से बैंकों को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और उद्योग में अपने लिए एक जगह बनाने में सहायता मिलेगी।

शिकायत निवारण का माध्यम

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।

- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत सह सुझाव बॉक्स रखा गया है।

- टोल फ्री नंबर **180042500000** के साथ 24X7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।

- ग्राहक अपनी शिकायत नीचे दिये गए किसी भी ई–मेल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं –

  nodalofficer@indianbank.co.in;
  customercomplaints@indianbank.co.in

- समस्त माध्यमों से शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय को प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान यदि 24 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो यह ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) में पंजीकृत किया जाता है, यह कई विशेष सुविधाओं के साथ विकसित एक इन–हाउस सॉफ्टवेयर है।

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 17.02.2016 से आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने एवं ग्राहक के विश्वास को सशक्त करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शिकायतों का निपटान किया जा रहा है, एक आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया गया है ।

- सभी शिकायत जहॉ समाधान नगण्य है या आंशिक है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल तक आंतरिक रूप से पेश किया जाएगा ।

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु की गई पहलें

- पासबुक कियोस्क / बीएनए के अलावा शाखाओं में लेन–देन के समय / फुट फॉल को कम करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर ई लाउंज खोला गया जहां लेनदेन की मात्रा बहुत अधिक है।

- जहां पेंशन खातों की संख्या अधिक है, उन शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर खोला गया है।

- शाखाओं में आए बिना लेनदेन करने के लिए कई नए प्रौद्योगिकी उत्पादों की शुरुआत की गयी और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए चयनित केंद्रों पर प्रौद्योगिकी जागरूकता अभियान चलाये गए।.

- ग्राहकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु सभी शाखाओं में व्यापक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया गया है।

- ग्राहकों से प्राप्त सभी प्रकार के शिकायतों को दूर करने के लिए हर महीने स्टाफ बैठकें एवं संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं।

- ग्राहक सेवा में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।

- जिन अंचलों में शिकायतों की संख्या अधिक थी उनके साथ निरंतर समीक्षा की गई।

- 17-12-2020 से एकल बिंदु ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सीजीआरएस (ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली) की शुरुआत की गयी ।

- शाखाओं में आयोजित मासिक ग्राहक सेवा बैठक के कार्यवृत्त को अपलोड करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गयी ।

- ग्राहकों को उनके खाते में धोखाधड़ी से बचने के लिए व्यक्तिगत खाता विवरणों का खुलासा न करने के संबंध में जागरूक करने के लिए एसएमएस अलर्ट भेजा गया है ।

- चेन्नै में 150 एजेंटों की क्षमता के साथ एकीकृत कॉल सेंटर की शुरुआत की गयी।

विनियामक बैठकें / नोट्स:

- ग्राहक सेवा से संबन्धित विनियामक / अनिवार्य बैठकों का समय–सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।

- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विनियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- कुछ दिशानिर्देश जारी करने के अलावा बैंकिंग लोकपाल द्वारा कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपीलों / द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए ऑन–लाइन सुविधा भी उपलब्ध है (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस सुविधा का प्रवर्तन करनेवाला प्रथम बैंक इंडियन बैंक रहा।)

- सभी आवेदन निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाए जाते हैं ।

- वर्ष 2020-21 में बैंक के खिलाफ कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया ।

19. विदेशी मुद्रा कारोबार:

- वर्ष 2021 के दौरान बैंक ने रु. 40980.45 करोड़ के विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण रु.17184.33 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण रु. 23796.12 करोड़ के थे।

- वर्ष 2021 के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर रु. 1823026.30 करोड़ रहा।

- बैंक की 128 शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं। बैंक को दुनिया भर में संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध है।

- **एफसीएनआर / एनआरई जमाएँ** : 31.03.2021 को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाएं रु.12086.20 करोड़ रहा।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।

- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में ''एक्सप्रेस मनी'', ''मनीग्राम'', ''वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर'', ''रिया मनी ट्रान्सफर'' सुविधाएं हैं।

- एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबू धाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्युएलएल – कुवैत, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्युएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फॉर एक्सचेंज – कतर के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। दिसंबर, 2019 में, बैंक ने गुजरात के गांधी नगर में आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) में अपना परिचालन शुरू किया था। 31 मार्च 2021 तक विदेशी शाखाओं का कुल जमा और अग्रिम (आईबीयू सहित) क्रमशः रु. 8807 करोड़ एवं रु. 10780 करोड़ था ।

- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों – सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू) में कर रही है ।

- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।

- जाफना शाखा, जिसे वर्ष 2011 में पुनर्स्थापित किया गया, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में स्थित आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) ने दिसंबर 2019 में अपना परिचालन शुरू किया।

20. प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल

एटीएम एवं डेबिट कार्ड :

- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड एक्टिवेशन और पिन परिवर्तन सक्षम किया गया।
- 500 कैश रिसाईकलर्स (बीएनए) और 250 पासबुक कियोस्क (पीबीके) अतिरिक्त रूप से खोले किए गए ।
- रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड, रुपे आर्थिया कार्ड और एनसीएमसी के अनुरूप रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड की शुरुआत की गयी।
- जारीकर्ता द्वारा निरवर्तित लेन–देन के अस्वीकरण को सक्षम किया गया ।
- 2000 रुपए के नोटों का वितरण बंद कर दिया गया जबकि एटीएम/बीएनए से 200 रुपए के नोटों के वितरण की व्यवस्था की ।
- कार्ड द्वारा लेन–देन की सुरक्षा बढ़ाने पर आरबीआई के दिशानिर्देश अर्थात लेन–देन को चालू / बंद करने और डीसीएमएस, नेट बैंकिंग और इंडओएसिस के माध्यम से सीमा निर्धारित करने की सुविधा लागू की गई।
- सिंगल लेंथ पिन को डबल लेंथ ट्रिपल डीईएस पिन में बदला गया।
- एटीएम / बीएनए में टर्मिनल सुरक्षा समाधान और वॉयस गाइडेंस लागू किया गया।
- डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन और ईएफटी स्विच में कैश@पीओएस सीमा में प्रतिबंध को लागू किया गया । बेस 24 एटीएम ईएफ़टी स्विच एप्लिकेशन को अपग्रेड किया गया ।
- एटीएम और पीओएस लेन–देन पर एनपीसीआई लेन–देन के लिए प्रमाणीकरण कोड (मैकिंग) लागू किया गया।
- डेबिट कार्ड के ऑनलाइन लेन–देन को एनपीसीआई के भारत ईकामर्स पेमेंट गेटवे में माइग्रेट किया गया।
- एटीएम/बीएनए टर्मिनलों और डीसीएमएस/एसीएस सेवाओं को पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक में स्थानांतरित किया गया।
- डीआर सर्वर को हैदराबाद से मुंबई स्थानांतरित किया गया ।
- न्यू थेल्स 10 के एचएसएम (होस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल) खरीदा और स्थापित किया गया ।

ई–बैंकिंग

- इंडपे, आईबी स्मार्ट रिमोट, आईबी ग्राहक ऐप की कार्यक्षमता वाले एकीकृत मोबाइल ऐप (इंडओएसिस) की शुरुआत की गयी जो बायोमेट्रिक / फेस आईडी लॉगइन के साथ उपलब्ध है ।
- मोबाइल ऐप (इंडओएसिस) और एमपी साइबर ट्रेजरी में यूपीआई कार्यक्षमता का इंटरनेट बैंकिंग के साथ एकीकरण पूरा हो गया है।
- संयुक्त इकाई के लिए इंटरनेट बैंकिंग में डेटाबेस / मल्टी–ऐप सिस्टम के लिए आरएसी और मोबाइल ऐप के माध्यम से एनपीए ट्रैकर का कार्यान्वयन ।
- ऑनलाइन भुगतान और रिचार्ज के लिए नए मर्चेंट एग्रीगेटर सबपैसा की शुरुआत की गयी ।
- समामेलन के भाग के रूप में, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के सभी ई–बैंकिंग चैनलों (नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस और यूपीआई) को सफलतापूर्वक इंडियन बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया ।

वित्त वर्ष 21 के दौरान शुरू की गई नई कार्यप्रणालियां / विशेषताएं :

मोबाइल बैंकिंग	नेट बैंकिंग
• नए लाभार्थी को सक्रिय करने के लिए 24 घंटे की विराम अवधि • नॉमिनेशन के तहत नॉमिनी को व्यू– ऐड–डिलीट करना • पीपीएफ खाता खोलना • कार्ड प्रबंधन जैसे लिमिट सेटिंग, लॉक/अनलॉक, पिन सेटिंग, कार्ड एक्टिवेशन/पेमेंट चैनल सेटिंग • म्यूचुअल फंड, बीमा, ई–एनपीएस सबस्क्राइब करने की सुविधा	• 24*7 आरटीजीएस • पॉज़िटिव पे सिस्टम का कार्यान्वयन। • मोबाइल नंबर का अद्यतनीकरण। • अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एंटी–बॉट कैप्चा। • जमा कैलकुलेटर–सावधि जमा के परिपक्वता अवधि को सत्यापित करने के लिए • ई– अधिदेश पंजीकरण एवं सत्यापन • प्रत्येक लेन–देन के लिए तदनुकूल लेन–देन सीमा। • खाते का स्थानांतरण– होम ब्रांच को बदलने की सुविधा ।

क्रेडिट कार्ड

- बीएनए में क्रेडिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन समर्थित किया गया ।
- रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गयी । ग्राहक क्रेडिट कार्ड पोर्टल में कार्ड की सीमा में संशोधन और दैनिक सीमा तय करने का प्रावधान किया गया ।
- पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की शाखाओं में क्रेडिट कार्ड पोर्टल की उपलब्धता ।
- एमआईएस टीम ने एनपीए मॉड्यूल विकसित करने में सहयोग किया है ।
- ईएफ़आरएमएस – एनआरटी दृष्टिकोण के माध्यम से एफ़आईएस सेवा प्रदाता द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने वाला उपकरण ।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

- आईबीएबी एमआईएस डैशबोर्ड पोर्टल को समामेलित संस्था के लिए उपलब्ध कराया गया । संयुक्त इकाई के लिए एमआईएस पोर्टल / एडवांस शीट को नया रूप दिया गया । इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न डैशबोर्ड विकसित किए गए ।
- संयुक्त इकाई के एनपीए खातों की निगरानी के लिए अनुकूलित पार्थ पोर्टल तथा असाधारण लेन–देन पोर्टल की शुरुआत की गयी ।
- डेटा कैनवास परियोजना को प्रभावी रूप से कॉन्फ़िगर किए गए कॉलम के साथ सक्रिय रिपोर्ट निर्माण के लिए लागू किया गया । संयुक्त इकाई के लिए लागू 25 रिटर्न में से 11 रिटर्न (यूएटी के तहत 10) के लिए सीआईएमएस कार्यान्वयन पूरा किया गया ।
- डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन के लिए एनईएसएल को समामेलित किया गया ।

डेटा विश्लेषण / पावर बीआई

- डेटा विश्लेषण (डीए) मॉडल विकसित किए गए और कई चरणों में उपयोग में लाए गए । चरण I, II और III में क्रमशः 6, 13 और 9 मॉडल पूरे किए गए और उपयोगकर्ता विभाग को प्रदान किए गए। किराए की वसूली, लागत अनुकूलन के लिए शाखा/अंका/एफजीएमओ को स्वचालित ईमेल प्रतिक्रिया भेजे जाने हेतु डीए मॉडल को लागू किया गया ।
- पावर बीआई प्रीमियम सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदा गया एवं इन्स्टाल किया गया । एफ़जीएमओ / अंका / शाखाओं द्वारा पावर बीआई का उपयोग करने हेतु डैशबोर्ड हमारे आईबीएबी संगम मिड कॉरपोरेट, ब्रांच की लाभप्रदत्ता, वर्टिकल बिजनेस, एनपीए मूवमेंट, सिंगल व्यू– एफ़जीएम प्रोफाइल के साथ बिजनेस ट्रेंड में विकसित और शामिल किए गए हैं। समामेलित कार्यकारी डैशबोर्ड प्रीमियम स्पेस में प्रदर्शित होता है। कैश ऑप्टिमाइजेशन और एटीएम लाभप्रदत्ता के संबंध में नया बीआई डैशबोर्ड विकसित किया गया।
- ईज 3.0 (एपी2)– खुदरा आस्ति विभाग के लिए पावर बीआई का उपयोग करते हुए 4 मॉडल क्रियान्वित किया गया

मर्चेन्ट अधिग्रहण और फास्टैग

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.08.2020 से 31.12.2020 तक आयोजित डिजिटल अपनाएं अभियान के तहत प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम 100 अतिरिक्त ग्राहकों के ऑन–बोर्डिंग के लिए डिजिटल भुगतान मोड पर 100% का लक्ष्य हासिल किया गया ।
- बाजार विस्तार के लिए पीओएस में एकमुश्त लागत मॉडल और घटाए गए प्रभार का मॉडल प्रस्तुत किया गया।
- पीओएस टर्मिनलों पर सोडेक्सो कार्ड और अमेज़न–पे की सुविधा सक्रिय की गयी ।
- पीएम स्वानिधि के ग्राहकों के लिए यूपीआईक्यूआर (UPIQR) और वसई विरार नगर निगम सहित विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए एकीकृत पीओएस टर्मिनल बनाए गए / प्रदान किए गए।
- पीओएस आवेदन करने की प्रक्रिया को सक्रिय और छोटे / कॉर्पोरेट व्यापारियों के लिए यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए तथा इसे शाखा / अंचल स्तर पर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एडमिन पोर्टल की शुरुआत की गयी । अतिदेय पीओएस प्रभार की निगरानी / वसूली के लिए पोर्टल शुरू किया गया ।
- एनएफसी / एनसीएमसी स्वीकृति को लागू किया गया ।
- यूपीआई (क्यूआर) द्वारा जुड़ने वाले छोटे / कॉर्पोरेट व्यापारियों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन ।
- शाखा मॉड्यूल के माध्यम से ऑफलाइन फास्टैग (FASTag) को जारी करना / नवीनीकरण करना सक्रिय किया गया ।
- जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट पार्किंग में भारत का पहला 'फास्टैग कार पार्क' के साथ टाइ–अप किया गया।

अन्य

- पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संबंध में डोरस्टेप बैंकिंग और व्यवसाय प्रतिनिधियों को वेब सेवा प्रदान के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की गयी ।
- संयुक्त संस्था के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से एकीकृत जीईएम (सरकारी ई–मार्केट प्लेस) चालान संग्रह, ऑनलाइन ओटीएस और एनपीए ट्रैकर की शुरुआत की गयी ।

21. सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाओं को आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वस्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च कोटि की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईआसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी ज़ोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां आईएसओ 27001–2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।
- आईएसओ 27001 प्रमाणन के लिए पुनर्मूल्यांकन लेखा परीक्षा फरवरी 2018 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । इसमें प्रमाणित सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की जांच की गई एवं इसे फरवरी 2021 तक के लिए पुनर्प्रमाणीकृत किया गया । इसके अलावा, आईएसओ 27001 मानकों के साथ बैंक के आईएसएमएस के निरंतर अनुपालन का पता लगाने के लिए वर्ष 2020 तक निगरानी ऑडिट भी पूरा कर लिया गया है।

बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

- बैंकों में साइबर सुरक्षा कार्य पद्धति से संबंधित आरबीआई द्वारा दिनांक 2 जून 2016 को जारी परिपत्र के अनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति बनाई है जिसमें व्यापार की जटिलता के स्तर और जोखिम के स्वीकार्य स्तरों को देखते हुए साइबर खतरों से निपटने के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण वाली रणनीति को स्पष्ट करना है।

- नीति का मुख्य उद्देश्य साइबर जोखिमों को संबोधित करने में मौजूदा सुरक्षा में सुधार करके बैंक का विकास करना और निरंतर आधार पर पर्याप्त साइबर सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करना, साइबर खतरों से निपटने के लिए बैंक को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना है तथा व्यवसाय की जटिलता और जोखिमों के स्वीकार्य स्तर और कर्मचारियों, विक्रेताओं, ठेकेदारों और अन्य हितधारकों को जागरूक बनाना और सूचना संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

- एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) भी तैयार की गई है और मुख्य रूप से साइबर संबंधी घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे लागू किया गया है। सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को शामिल करने के बाद साइबर सुरक्षा नीति और सीसीएमपी दोनों की समीक्षा और नवीनीकरण किया गया है।

ग्राहक सूचना को सुरक्षित रखने के लिए सूचना सुरक्षा समाधान

- बैंक ने एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी–एसओसी) स्थापित किया है जिसमें विभिन्न प्रमुख सुरक्षा समाधान शामिल हैं और सी–एसओसी की 24*7 निगरानी की जाती है।

- पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न समाधानों को एकीकृत करके पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के साथ समामेलन के भाग के रूप में साइबर सुरक्षा समाधानों को और अधिक मजबूत किया गया है।

- बैंक के पास मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के अधीन एक समर्पित टीम है जो सुरक्षा कार्यों की 24/7 निगरानी करती है।

- विभिन्न साइबर सुरक्षा समाधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले की निगरानी के लिए सूचना प्रबंधन विभाग के तहत एक समर्पित आईटी टीम भी बनाई गई है। समाधान एक सक्रिय तरीके से डेटा, नेटवर्क और सर्वर की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- बैंक नेटवर्क में किसी भी अनधिकृत पहुंच/प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा संरचना में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए बैंक ने कुछ उन्नत समाधान / प्रौद्योगिकियां लागू की हैं।

- कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें हाल ही में हुई साइबर हमले की रणनीतियों से अवगत कराया जा सके और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

- बैंक ने कोविड–19 महामारी के दौरान एक व्यवसाय निरंतरता योजना विकसित की है । योजना के भाग के रूप में, बैंक ने अपने कर्मचारियों / विक्रेताओं को अपने घर से काम करने में सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित दूरस्थ संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान की है।

22. परिसर

- बैंक की भारत में 254 और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं।

- बैंक ने परिसर–व्यय, खरीद अनुबंध, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग के लिए एक समान नीतियां बनाई हैं और सभी शाखाओं/अंचलों ने इसे अपनाया है।

- हरित पहल के एक भाग के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों अर्थात प्रत्यक्ष क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल असाधारण परिस्थितियों में, चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है) के माध्यम से किए जाते हैं ।

हरित पहल :

सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग :

- कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। बैंक ने इमेज ऑडिटोरियम के लिए 55 KWP सोलर पावर प्लांट, प्रधान कार्यालय / क्रेस्ट बिल्डिंग / कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 106 KWP सोलर पावर प्लांट और चेन्नै शहर में 11 शाखाओं के लिए 115 KWP सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया है।

- बैंक के अपने निजी मकानों में सौर्य ऊर्जा प्लांट संस्थापन नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहां कहीं तकनीक रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ सम्पूर्ण वार्षिक व्यय में ऊर्जा खपत में 4–5 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा है।

- आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाया गया है।

- नई शाखाओं में केवल एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। मौजूदा शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

अन्य पहलें

- शाखाओं और कार्यालयों के लिए समय–समय पर ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

- शाखाओं और कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनर के ऑटो कट–ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टर की स्थापना और स्टार रेट वाले बिजली के उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में काफी कमी आई है।

23. इंड एएस कार्यान्वयन की स्थिति:

- इंड एएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए बैंक ने सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलाइट हास्किंस एंड सेल एलएलपी नियुक्त किया है। बैंक ईसीएल/ईआईआर कम्प्यूटेशंस इत्यादि के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 11.02.2016 के पत्र डीबीआर.बीपी.76/21.07.001/2015–16 के जरिए, बैंक 1 अप्रैल 2018 से शुरु होनेवाली लेखा अवधि के लिए स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाली पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़े के साथ इंड एएस का अनुपालन करेगा।

- पूर्व में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30.09.2016 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरणियों का प्रोफार्मा, 01.04.2016 को परिवर्तन तारीख हेतु तैयार करने के लिए सूचित किया है तथा उसे तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एस के वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।

- जैसा कि आरबीआई द्वारा सलाह दी गई है, बैंक ने 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया हैं। बैंक उपरोक्त का अनुपालन कर रहा है।

- दिनांक 22.03.2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी. बीसी सं.29 / 21.07.001 / 2018–19 के जरिये जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, इंड एएस कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक टाल दिया गया है।

24. निरीक्षण (आंतरिक नियंत्रण) :

- जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा 01.04.2013 से प्रचलन में है।

- वित्तीय वर्ष 20–21 के लिए 4224 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) की गई।

- 970 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत कवर किया गया है जिसमें 31.03.2021 को कुल घरेलू जमा का 41.25 प्रतिशत और घरेलू अग्रिम का 70.01 प्रतिशत शामिल है।

- आरबीआईए और समवर्ती लेखा परीक्षा के अलावा, आय क्षरण, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए 5940 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा की गई थी, जिसमें रुपए10 करोड़ और उससे अधिक का व्यापार जोखिम था।

- वित्तीय वर्ष 21 के दौरान समीक्षा के अधीन 47 अंचल कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

- हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एप्लिकेशन (एस), नेटवर्क, सुरक्षा उपकरण, सहित बैंक के संपूर्ण सीबीएस और संबद्ध बुनियादी ढांचे की सूचना प्रणाली ऑडिट, भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण तथा प्रक्रिया समीक्षा की अवधि के दौरान एक बाहरी ऑडिट फर्म द्वारा किया गया ।

- निर्धारित निषेधों के आधार पर शाखाओं को चेतावनी देने के लिए ऑफसाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया गया है। ये चेतावनियां पोर्टल के माध्यम से शाखाओं को विधिवत रूप से प्राप्त हुईं तथा इन्हें संबंधित अंचल कार्यालयों को प्रस्तुत किया गया । प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, इन चेतावनियों का निपटान संबंधित अंचल कार्यालयों / क्षेत्र महाप्रबंधक के कार्यालयों / कॉर्पोरेट कार्यालय के अंतर्गत कार्यात्मक विभागों में होता है ।

- निरीक्षकों को नवीनतम घटनाओं से परिचित कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल में सुधार करने के लिए, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

25. अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा:

- विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन–शोधन निवारण अधिनियम आदि।

- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।

- भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड और,

- परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

26. सतर्कता

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उत्तरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)/डीएफ़एस एवं आरबीआई द्वारा निदेशित किया जाता है। यह सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है। विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई/सीबीआई/सीवीसी/सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अवार्ड – स्टाफ कर्मचारिया तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करता है।

सीवीसी स्केल V एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के तथा ऐसे समग्र मामलों में चरणबद्ध सलाह (सतर्कता मामलों) देता है। सीवीओ सतर्कता मामलों के संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है। सीवीओ, स्केल IV तक के अधिकारियों से संबन्धित सतर्कता मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सलाह देता है।

बैंक में सतर्कता विभाग निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है–

- सुरक्षात्मक सतर्कता पहल,
- बैंक के प्रशासन में प्रणालीगत सुधार हेतु सुझाव देना,
- संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों के साथ मिलकर सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों के संचालन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी करना,
- वित्तीय वर्ष के लिए चयनित शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण करना और
- जोनल सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से सतर्कता संबंधी मामलों के अधिकता और धोखाधड़ी वाली शिकायतों की जांच का संचालन करना।

वर्ष के दौरान सुरक्षात्मक सतर्कता पहल

- बैंक ने देश भर में केवल चुनिंदा शाखाओं द्वारा थोक सरकारी / संस्थागत जमाओं की स्वीकृति की प्रणाली शुरू की थी और बड़े मूल्य की जमाराशियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक एसओपी जारी किया गया था।
- क्रेडिट प्रशासन में अनुशासन लागू करने के लिए बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी खातों और अस्थायी ओवरड्राफ्ट में बढ़ाए जाने की अनुमति के लिए शाखाओं द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन लेने हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है।

इंडियन बैंक में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के समामेलन के पश्चात सतर्कता तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाना

01-04-2020 से समामेलित संस्था के अस्तित्व में आने के पश्चात, सतर्कता कार्यों में और अधिक मजबूती लाने के उद्देश्य से दोनों बैंकों की सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाया गया और मैनुअल में शामिल किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020

सीवीसी द्वारा निर्धारित थीम **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत"** के आधार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू 2020) 27/10/2019 से 02/11/2020 तक मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अनुपालन के भाग के रूप में, सीवीसी वेबपेज को खोलने के लिए इंटरनेट और इंट्रानेट पर बैंक के होम पेज में हाइपरलिंक प्रदान किया गया था ताकि नागरिकों को ईमानदारी की ई–प्रतिज्ञा लेने में सक्षम बनाया जा सके।

'अखंडता और सत्यनिष्ठा' के मूल्यों को उजागर करने के लिए, एफएम स्टेशनों पर हिंदी और अंग्रेजी में 3 केंद्रों यथा चेन्नै, कोलकाता और दिल्ली में 'जिंगल्स' प्रसारित किए गए।

जीवन के सभी क्षेत्रों में अखंडता और सत्यनिष्ठा के गुणों को अपनाने पर बल देते हुए लगभग 40000 कर्मचारियों और लगभग 1.50 लाख ग्राहकों को एसएमएस भेजा गया था।

सप्ताह के दौरान बैंक के वेबसाइट के होमपेज पर एक सतर्कता जागरूकता संदेश प्रदर्शित किया गया।

बैंक ने सभी एफ़जीएम केंद्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम पर निबंध लेखन, स्लोगन और कार्टून प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के पहले दिन, यानी 27 अक्टूबर 2020 को, सुरक्षात्मक सतर्कता उपायों पर विभिन्न इनपुट / अंतर्दृष्टि को कवर करते हुए बैंक के न्यूज़लेटर 'इंडविजिल' का एक विशेष संस्करण जारी किया गया। इसे सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए बैंक के हेल्पडेस्क पर पोर्ट किया गया था।

ऑनलाइन सतर्कता निरीक्षण पोर्टल को श्री सुरेश एन. पटेल, सतर्कता आयुक्त, सीवीसी द्वारा आभासी रूप से लॉन्च किया गया । इसकी शुरूआत के बाद से अब तक 527 शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण किया जा चुका है।

कॉर्पोरेट कार्यालय में एमडी और सीईओ द्वारा और विभिन्न एफजीएमओ, अंचल कार्यालयों और निरीक्षण केंद्रों पर संबंधित प्रमुखों द्वारा अखंडता की शपथ दिलाई गई ।

बैंक ने ई–लर्निंग पोर्टल (ई–पाठशाला) के माध्यम से "निवारक सतर्कता" पर कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें लगभग 300 शाखा प्रबंधक/क्रेडिट अधिकारियों ने भाग लिया।

27. सुरक्षा

नकदी समृद्ध उद्योग होने के नाते बैंकिंग हमेशा उन हमलावरों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है जो अपने घातक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नई और जटिल तकनीकों को अपनाते हैं। उनकी हरकतें मध्यरात्रि में किए गए प्रयासों से भिन्न और भी अधिक प्रबल होती है जैसे ट्रेन डकैती, दिन के उजाले में की गई सशस्त्र डकैती आदि। यह निष्क्रिय सुरक्षा उपायों के बदले एक गतिशील सक्रिय सुरक्षा समाधान की मांग करता है ।

- सुरक्षा प्रबंधन का उद्देश्य कर्मचारियों और ग्राहकों को एक समान रूप से सुरक्षा एवं कार्य करने हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है तथा संगठन की संपत्ति को अन्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखना है। उन्नत सुरक्षा नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए इस उद्देश्य को मानव विश्लेषिकी के साथ प्रौद्योगिकी के एकीकरण द्वारा संवर्धित किया गया है । भौतिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी

प्रगति का समावेश सुरक्षा के पारंपरिक साधनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, कुशल और कम लागत का साबित हुआ है।

- हमारी आस्तियों को सुरक्षित रखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य सभी हितधारकों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है । यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं कि हमारी शाखा सुरक्षा प्रणालियों को बाजार में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ लगातार उन्नत किया जाए । हमारी शाखाओं में अब स्टेट ऑफ द आर्ट बर्गलर एंड फायर अलार्म सिस्टम, एचडी डीवीआर / एनवीआर आधारित सीसीटीवी संसाधनों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नामित अधिकारियों से आपातकालीन संचार लिंकेज की व्यवस्था उपलब्ध है ।

- बैंकिंग उद्योग में तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ, आग अब हमारी शाखाओं/कार्यालयों के लिए अंतर्निहित और शक्तिशाली खतरा में से एक बन गई है । आग के खतरों को रोकने / कम करने के लिए सर्वर जैसे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन को स्वचालित (मॉड्यूलर) क्लीन एजेंट आधारित अग्नि रोधक के साथ उपलब्ध कराया जाता है । अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बैंक के स्वामित्व वाली सभी ऊंची इमारतों में वर्ष में एक बार तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मुद्रा तिजीरियों में दो वर्ष में एक बार अग्निशमन अभ्यास और मॉक निकासी ड्रिल (Fire fighting practice and Mock evacuation drill) का आयोजन किया जा रहा है।

- मार्गस्थ नकदी सबसे अधिक असुरक्षित है क्योंकि यह बैंक परिसर के सुरक्षित आश्रय के बाहर है । इसलिए, भौतिक सुरक्षा के अलावा, हमारे सभी कैश वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग उपकरण लगाए गए हैं। कैश वैन की आवाजाही को संबन्धित मुद्रा तिजोरी, शाखा तथा अंचल कार्यालय से कई स्तरों पर वास्तविक समय में ट्रैक किया जाता है।

- एटीएम केंद्रों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में हमारे बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम में 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ई–निगरानी) की व्यवस्था की गयी है।

- यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा विश्वसनीय और प्रभावी है, फिर भी यह आवश्यक है कि इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाए ताकि इसकी सेवा क्षमता और कार्य क्षमता सुनिश्चित की जा सके। अनावश्यक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले सुरक्षा उपकरणों के अतिरेक एवं अप्रचलन को दूर करने के लिए समय–समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। बाजार में उपलब्ध नवीनतम सुरक्षा प्रणालियों, उपकरणों और तंत्रों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, कार्यनिष्पादन के लिए मूल्यांकन किया जाता है तथा शीर्ष प्रबंधन की मंजूरी से व्यवहार्यता के अनुसार उन्नत / प्रतिस्थापित / स्थापित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, बैंकों / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जब कभी भी आईबीए और आरबीआई द्वारा सिफारिशें एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए जाते हैं, इन्हें लागू किया जाता है।

- सुरक्षा प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन का एक हिस्सा है। 'वित्तीय जोखिमों' के विपरीत, बैंक की आस्तियों के भौतिक जोखिम को प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। सुरक्षा प्रबंधन को लागू करने के लिए गतिशील होना आवश्यक है और उभरती हुई चुनौतियों के साथ विकसित होना चाहिए । जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है और इसका संशोधन असंभावी है। इसलिए, खतरे की अवधारणा और प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर, तीन वर्ष में एक बार व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर अपनाए गए सुरक्षा जोखिम और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के आधार पर शाखाओं को वर्गीकृत किया गया है।

- संबंधित अंचलों में क्षेत्र स्तर पर कार्यरत सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभाग को विधिवत समर्थन दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि बैंक के दिशानिर्देशों / निर्देशों / नीतियों को शाखाओं, एटीएम एवं मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वित किए जाते हैं । अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों / खामियों की जांच शाखा / एटीएम के सुरक्षा पहलुओं को मजबूत करने एवं सुधार करने के लिए की जाती है ।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है तथा कर्मचारी, सुरक्षा सावधानियों के बारे में जानते हैं, अंचल कार्यालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी वर्ष में एक बार सभी शाखाओं / एटीएम का सुरक्षा निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट को ऑनलाइन – इन हाउस मॉड्यूल में विभिन्न स्तरों – शाखा, अंचल कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय पर अपलोड करते हैं। मुद्रा तिजोरी एक उच्च जोखिम वाली इकाई है, इसका निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है और समय–समय पर किए गए निरीक्षण में पाई गयी कमियों में सुधार को सुनिश्चित किया जाता है।

- सभी शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की विद्युत लेखापरीक्षा और ऊर्जा लेखापरीक्षा तीन वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। रिपोर्ट में टिप्पणियों को संबंधित अंचल कार्यालयों की सहमति के साथ शाखा स्तर पर सुधारा जाता है। इन हाउस मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है जिससे अनुपालन के स्तर को समझने के लिए सभी स्तरों से संपर्क किया जा सकता है ।

- सुरक्षा अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी की प्रगति से अवगत कराने के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधी जनकारियों एवं पूर्ववर्ती अवधि के दौरान निष्पादन की समीक्षा करने के लिए, सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कराये गए सर्वोत्तम अभ्यासों से संबंधित अंचलों में कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। प्रति वर्ष सशस्त्र गार्ड के लिए लाइव फायरिंग अभ्यास आयोजित किया जाता है।

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं स्थायी सुरक्षा समिति के बैठकों के दौरान मुख्य रूप से चर्चा किए गए सुरक्षा पहलुओं को संबन्धित अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

- **निर्मिति, एहतियात एवं रोकथाम** – वह पहलू है जिसके चारों ओर हमारा सुरक्षा विभाग स्थापित है। बैंक ने परिसंपत्ति संरक्षण के उपायों का पालन किया है और बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नकद प्रेषण के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा सावधानियों का पालन किया गया है।

- बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसकी आस्ति – कर्मियों और संपत्ति दोनों को अंतर्निहित जोखिमों और खतरों से सर्वोत्तम संभव सुरक्षा दी जाए। इस कार्य को उन अधिकारियों द्वारा संभाला जाता है जो उत्कृष्ट भारतीय सशस्त्र बलों के दिग्गज हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने के बाद बैंक की सुरक्षा के लिए खुद को फिर से समर्पित किया है ।

28. इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का समामेलन

1. प्रथम दिन के प्रमुख परिचालन

दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के समामेलन के बाद कोषागार परिचालन पूरी तरह से एकीकृत किया गया था और प्रथम दिन से समेकित रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू की गई थीं। सुसंगत उत्पादों को देश भर में समामेलित इकाई के ग्राहकों को सुसंगत सेवा शुल्क और ब्याज दरों के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2. सीबीएस एकीकरण :

समामेलन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरणों में से एक, दोनों बैंकों के सीबीएस प्रणालियों का एकीकरण दिनांक 14.02.2021 को पूरा किया गया था और दिनांक 15.02.2021 को बैंकिंग कारोबार समय प्रारंभ होने तक शाखाओं द्वारा उपयोग के लिए सिस्टम तैयार था। पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की सभी 3000 + शाखाओं को "बिग बैंग" दृष्टिकोण का उपयोग करके एक बार में इंडियन बैंक के सीबीएस प्लेटफॉर्म पर मूल रूप से एकीकृत किया गया था।

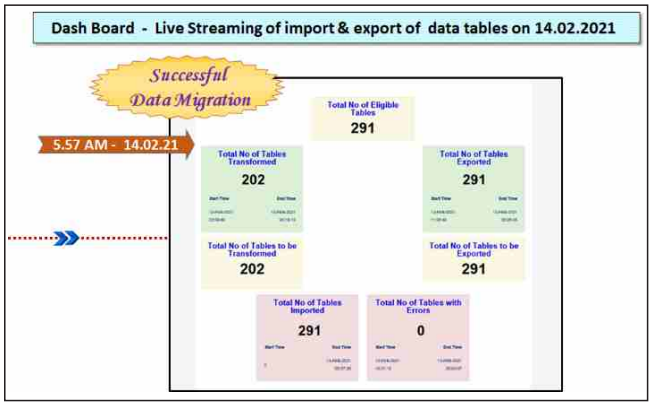

सुचारू रूप से परिवर्तन प्रक्रिया और न्यूनतम ग्राहक व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे।

- बड्डी शाखाओं की अवधारणा शुरू की गई थी। सीबीएस कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन देने के लिए सभी अंचलों में इंडियन बैंक शाखाओं (बड्डी शाखाओं) को पूर्ववर्ती–इलाहाबाद बैंक शाखाओं से मैप किया गया था ।
- ग्राहकों को 13 और 14 फरवरी, 2021 को सीबीएस एकीकरण और बैंकिंग सेवाओं के व्यवधान और परिचालन में परिवर्तन के बारे में सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से पहले से सूचित किया गया था। इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों को एसएमएस भेजे गए।

प्रिंट मीडिया में ग्राहकों को संचार

- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में ग्राहकों के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया था। साथ ही ग्राहकों को प्रश्नों के लिए पोर्टल भी उपलब्ध किया गया जिसका उत्तर संबंधित विभाग द्वारा दिया गया। ग्राहकों के प्रश्नों के समाधान के लिए कॉल सेंटर में अलग सेल की स्थापना की गई थी।

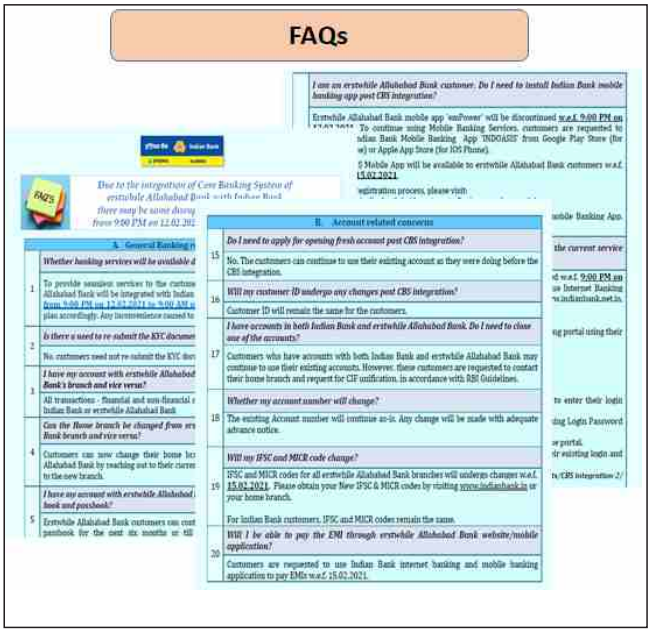

- आईएफएससी कोड, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में बदलाव पर एनिमेटेड वीडियो ग्राहकों और कर्मचारियों के फायदे के लिए बैंक के सोशल मीडिया पर हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में पोर्ट किए गए थे । ग्राहकों को अपना नया आईएफएससी कोड जानने के लिए एसएमएस की सुविधा दी गई।

- 1 फरवरी और 10 फरवरी 2021 को वीसी के माध्यम से सभी जोनल मैनेजरों, एफजीएमएस को एकीकरण के प्रति जागरूक किया गया और 11 फरवरी 2021 को वेबकास्ट के माध्यम से बैंक के सभी कर्मचारियों को सीबीएस माइग्रेशन के बाद सुचारू रूप में ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए एकीकरण के प्रति जागरूक किया गया।

- शाखाओं का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक अंचल में नियंत्रण केंद्र और प्रधान कार्यालय में कमांड सेंटर स्थापित किए गए थे। सीबीएस एकीकरण से संबंधित उनके प्रश्नों के समाधान के लिए कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल (ऑनलाइन सहायता और निवारण प्रणाली) स्थापित किया गया था।

इस प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ, समामेलन से संबंधित प्रमुख गतिविधियां पूरी हो गई हैं।

3. पुनर्गठन:

- सेवा शाखाओं, एसएएम शाखाओं, कॉर्पोरेट शाखाओं और सामान्य शाखाओं के अलावा एफजीएम, अंचल कार्यालयों, निरीक्षण केंद्रों जैसे प्रशासनिक कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया था ।
- पहले वर्ष में 100 शाखाओं के नियोजित पुनर्गठन की तुलना में बैंक ने 31 मार्च 2021 तक 203 शाखाओं का पुनर्गठन पूरा किया गया है।
- 25 अंचल कार्यालयों का पुनर्गठन पूरा किया गया है।
- चेन्नै, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और लखनऊ में सेवा शाखाओं का पुनर्गठन पूरा किया गया है।
- 12 मुद्रा तिजोरियों का विलय पूरा हो चुका है और 4 मुद्रा तिजोरियों का विलय प्रगति पर है।
- दिसम्बर 2020 को पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के कोलकाता मुख्य कार्यालय को बंद किया गया।
- कोलकाता, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, चेन्नै और हैदराबाद में 6 एसटीसी को पुनर्गठित /बंद किया गया है।
- चेन्नै, मुंबई और नई दिल्ली में बड़े कॉर्पोरेट शाखाओं को पुनर्गठित किया गया।
- अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नै, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 6 एसएएम शाखाओं का विलय पूरा हो चुका है।
- बैंक ने समामेलन के कारण सहक्रियात्मक लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा।

समामेलित इकाई की सेवा शाखा, मुंबई के नए परिसर का एमडी एवं सीईओ द्वारा उद्घाटन

पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की अड्यार शाखा का इंडियन बैंक की अड्यार शाखा में विलय

पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की गोधरा शाखा का इंडियन बैंक की गोधरा शाखा में विलय

पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक की तिरुवानमियूर शाखा का इंडियन बैंक की एलबी रोड शाखा में विलय

साथ ही साथ, बैंक ने समामेलन से उत्पन्न सहक्रियात्मक लाभों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न रणनीतिक / डिजिटल पहल और ब्रांड निर्माण पर भी काम करना शुरू कर दिया है।

4. विजन और मिशन वक्तव्यों का शुभारंभ

बैंक का नया विजन, मिशन, टैगलाइन और एचआर विजन स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था।

5. डिजिटल पहल:

ए. आईबी स्मार्ट ऑफिस

- बीपीआर और हरित पहल के हिस्से के रूप में, भौतिक नोट के स्थान पर डिजिटल मॉड्यूल द्वारा नोट प्रस्तुत करने **(आईबी ई–नोट)** की व्यवस्था शुरू की गई है।

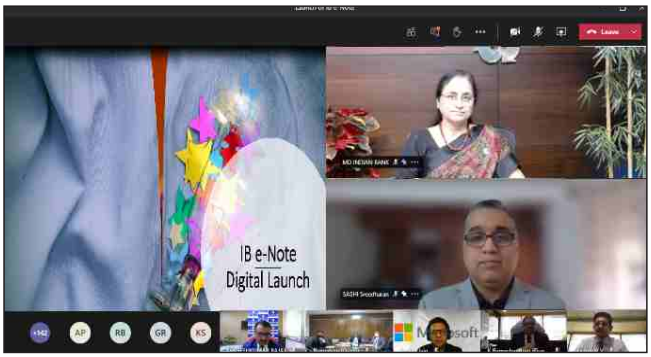

- **आईबी ई–डाक**, एक ऑनलाइन पत्र प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है जो लागत में बचत के अलावा संचार प्रक्रिया, बेहतर नियंत्रण, अनुपालन, डेटा की पुनर्प्राप्ति, समय और श्रमशक्ति की बचत में मदद करेगी।

बी. चैटबॉट:

ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने "आद्या" (आपकी सहायता के लिए स्वचालित दोस्त) चैटबॉट लॉन्च किया है। आद्या निम्न संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकती है

1. बैंक के उत्पाद और सेवाएं
2. बैंक का संगठन – प्रबंधन, संरचना, कार्यालय और शाखाएं
3. बैंक से संबंधित समाचार और सूचना

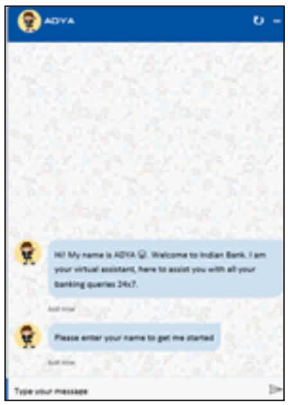

6. परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय का गठन:

नवंबर 2020 में आयोजित रणनीति बैठक में बोर्ड द्वारा अगले 2–3 वर्षों के लिए ''रूपान्तरण रोडमैप'' को मंजूरी दी गई थी। रूपान्तरण रोडमैप को पूरा करने के लिए 24 उच्च स्तरीय पहलों और 150 अन्य पहलों की पहचान की गई है। इन सभी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल 2021 से एक विशेष विभाग परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय का गठन किया गया है।

बैंक ने विभिन्न परिवर्तनकारी पहलों को लागू करना शुरू कर दिया है जैसे कि डिजिटल परिवर्तन, ऑपरेटिंग मॉडल में परिवर्तन, नेतृत्व विकास योजना और कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली।

इन पहलों के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल माध्यम से ऋण प्रक्रिया, आईटी और डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल में सुधार, मौजूदा चैनला की कार्यक्षमता को बढ़ाने और नए एप्लिकेशन / चैनल विकसित करने, काम करने के नए तरीके, प्रभावशीलता में वृद्धि कर नियंत्रण और अभिशासन में सुधार को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।

नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत बैंक कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रक्रिया के निर्माण, अनुकूलन और कार्यान्वयन के अलावा स्केल IV और उससे ऊपर के ग्रेड के कार्यपालकों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि वे उच्च प्रभाव वाली भूमिका निभा सकें।

29. विपणन

सोशल मीडिया पर ब्रांड निर्माण गतिविधियां

- इंडियन बैंक के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन चैनलों का प्रबंधन किया गया तथा सोशल मीडीया चैनलों पर उत्पाद का प्रचार और सूचना प्रसार किया गया। क्षेत्र स्तर की गतिविधियों, बैंक के स्मारक दिवसों, अवसरों और उपलब्धियों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को हमारे सामाजिक मीडिया चैनलों पर प्रसारित किया गया । इंस्टाग्राम/फेसबुक स्टोरी पोस्ट और त्योहारों के अवसर पर बधाइयाँ देने के लिए संवादात्मक जीआईएफ़ (Gif) और वीडियो पोस्ट तैयार किए गए ।
- वित्त वर्ष 21 के दौरान बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज, जिसका नाम '@MyIndianBank' है, पर 1773 से अधिक पोस्ट किए गए तथा 3.80 लाख से अधिक लाइक्स प्राप्त हुए ।
- बैंक के आधिकारिक ट्विटर चैनल '@MyIndianBank' पर वित्त वर्ष 21 के दौरान 1632 से अधिक ट्वीट किए गए ।
- बैंक का आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'इंडियन बैंक' पर इस वर्ष 74 वीडियो अपलोड किए गए । इसके कुल 38,787 सब्सक्राइबर हैं और 64 लाख बार देखे गए हैं।
- बैंक के आधिकारिक इंस्टाग्राम चैनल '@MyIndianBank' पर 2080 पोस्ट अपलोड किए गए तथा लगभग 44,100 उपयोगकर्ता हमारे बैंक का अनुसरण करते हैं ।
- बैंक के आधिकारिक लिंक्डइन चैनल "इंडियन बैंक" पर 312 पोस्ट अपलोड किए गए एवं 18,251 उपयोगकर्ता इसका अनुसरण करते हैं ।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजों पर एंगेजमेंट प्रतियोगिताएं

इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य इंडियन बैंक के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना एवं इसका प्रसार करना तथा हमारे सोशल मीडिया पेजों पर अधिक लोगों को शामिल करना है। बड़े पैमाने पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज इस्तेमाल किए गए थे । विश्व पुस्तक दिवस, मातृ दिवस, इंड एडवांटेज, दीवाली, क्रिसमस, इंड ओएसिस फेस्टिवल बोनांजा आदि लॉच करने के दौरान 10 अभियान / प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। इन प्रचारों के दौरान 35 लाख से अधिक इंप्रेशन देखे गए।

वेबसाइट पर सूचना और प्रचार

कॉरपोरेट कार्यालय के संबंधित विभागों के समन्वय से, इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट को लगातार नई रचनात्मक सामग्री के साथ अद्यतन किया गया। वर्ष के दौरान, अंग्रेजी और हिंदी में 100 से अधिक क्रिएटिव तैयार किए गए।

इंडियन बैंक के आधिकारिक न्यूज़लेटर की शुरुआत– "इंड नव्या"

इंड नव्या एक मासिक ई–न्यूज़लेटर है, जिसे हमारी वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी में पोर्ट किया जाता है और हर महीने के पहले सप्ताह में लगभग 25 लाख ग्राहक जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत है, उनको ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। यह बैंक के ग्राहक–केंद्रित पहलों और नए उत्पादों और सेवाओं, सुविधाओं, उपलब्ध ऑफर, अभियानों की शुरुआत, उपलब्धियों, नेटवर्क विस्तार, घटनाओं, सरकार के निर्देश, आदि जैसे घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करता है।

आईबी ब्रांड मैनुअल का शुभारंभ

ब्रांड मैनुअल, एक ऐसा दस्तावेज जो पूरा संगठन में समान रूप से ब्रांड बनाने में मदद करता है, का अनावरण दिनांक 03.06.2020 को किया गया। लोगो, रंग पैलेट, छवि शैली, प्लेसमेंट और अन्य टाइपोग्राफ़िकल सौंदर्यशास्त्र के तत्वों का डिज़ाइन किया गया, मैनुअल बताता है कि हमारे ब्रांड को आंतरिक और बाहरी रूप से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रतिष्ठा, प्रचार और दृश्यता में सुधार

शाखाओं, अंचल कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में कार्यरत क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के लिए डैग्लर, बैनर, पोस्टर आदि की सॉफ्ट कॉपी तैयार की गयी और अपलोड की गयी ।

हमारे उत्पादों, ऑफर और अन्य विकास जैसे आर्क, बैनर, डैंगलर्स और स्टैंडीज़ आदि के लिए रचनात्मक सामग्री की सॉफ्ट कॉपी तैयार की गई और शाखाओं और अंचल कार्यालयों द्वारा मुद्रण और उपयोग के लिए मार्केटिंग साइट पर अपलोड किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान बनाए गए क्रिएटिव की एक सांकेतिक सूची –

- वरिष्ठ नागरिक: अतिरिक्त ब्याज, मीयादी जमा, आईबी गोल्डन एजर (सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मीयादी जमा)
- खुदरा ऋण: गृह ऋण/वाहन ऋण और ओवरड्राफ्ट जेवर ऋण के लिए फेस्टिवल बोनांजा
- कृषि: नई कृषि अवसंरचना योजनाएं
- एमएसएमई: एसएमई ईज और आईबी स्टैंडबाय सुविधा, एमएसएमई खुदरा ऋण का पुनर्गठन और एमएसएमई प्रेरणा ब्रोशर
- सामान्य: कोविड आपातकालीन ऋण, पॉजिटिव पे सिस्टम और समामेलन
- डिजिटल: डिजिटल अपनाएं अभियान, डिजिटल कार्निवल अभियान

टीवी और डिजिटल चैनलों में उपयोग के लिए वीडियो सामग्री का उत्पादन

वित्तीय वर्ष के दौरान 53 वीडियो (संबंधित विभागों की मांग पर 34 और विपणन विभाग द्वारा किए गए शेष 19) तैयार किए गए थे जिसमें ट्यूटोरियल (सेवा का उपयोग कैसे करें), प्रचार (उत्पादों और सेवाओं का परिचय और प्रचार) और सूचनात्मक (बैंक में विकास जैसे परिणाम, साक्षात्कार, सीएसआर, आदि) को कवर किया गया।

बैंक का लोयल्टी कार्यक्रम – " इंड एडवांटेज" :

बैंक के लोयल्टी प्रोग्राम ने ग्राहकों के लिए पॉइंट्स और ब्राउज़िंग कैटलॉग को बेहतर ढंग से देखने/रिडीम करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। समर्पित वेब पोर्टल की तुलना में ऐप अधिक सुविधा और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। फिलहाल यह ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बैंक हमारे मोबाइल ऐप (इंड ओएसिस) के माध्यम से सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ) सत्र लाने के लिए लाइव आईओएस प्लेटफॉर्म प्रदान करने की प्रक्रिया में है ताकि उपयोगकर्ता पोर्टल में लॉगइन करने के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल के एक सेट का उपयोग कर सके।

डिजिटल साइनेज का कार्यान्वयन

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा पहचानी गई शाखाओं में ग्राहकों को बैंक के उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल साइनेज सलूशन अपनाया गया है। डिस्प्ले बैंक नेटवर्क से जुड़ा होगा और केंद्रीय स्थान कॉर्पोरेट कार्यालय से बैंकों के उत्पादों और उपलब्ध प्रस्तावों आदि पर सामग्री प्राप्त करेगा। डिजिटल साइनेज का लाभ बैंक में हो रहे परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना है। स्केल IV और उससे ऊपर की शाखाओं और एफ़जीएमओ / अंचल कार्यालयों /प्रशासनिक कार्यालयों में पूरे भारत में 1000 साइनेज स्थापित किया गया है।

एआई– चैटबॉट

आद्या (ADYA) एक वेब आधारित चैटबॉट है जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अतिरिक्त मोबाइल–अनुकूल ग्राहक इंटरफ़ेस के रूप में इंडियन बैंक की वेबसाइट में एकीकृत है। अब ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट खोजने और ब्राउज़ करने में समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वे सीधे आद्या (ADYA) को क्वेरी कर सकते हैं। चैटबॉट को आधिकारिक तौर पर दिनांक 01.04.2021 को लॉन्च किया गया था।

आद्या (ADYA) ग्राहक द्वारा सामान्य संवाद की भाषा (वर्तमान में अंग्रेजी) में पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है।

यह बैंक के उत्पादों और सेवाओं, बैंक के संगठन – प्रबंधन, संरचना, कार्यालयों, शाखाओं और बैंक से संबंधित समाचार/सूचना से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है।

ग्राहक/ वेबसाइट विज़िटर और बैंक की सेल्स / एडमिन टीम आद्या (ADYA) के उपयोगकर्ता हैं।

कार्यक्रमों का प्रबंधन

114 वां स्थापना दिवस: पहली बार 14 अगस्त 2020 को 114वां स्थापना दिवस समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। बैंक की विरासत और समामेलन पर एवी फिल्में, सीएसआर गतिविधियां, कोविड से जान गंवाने वाले सहयोगियों के लिए एकजुटता, इंड ओएसिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ, देश भर के कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया चैनलों पर, एक स्मारक विज्ञापन भी तैयार किया गया और जनता के लिए पोस्ट किया गया।

आईबी ई–नोट सिस्टम का शुभारंभ: 28 सितंबर 2020 को, 'आईबी–ई–नोट', एक ऐसा उपकरण जो आंतरिक नोटों के प्रसंस्करण का डिजिटलीकरण करता है, का शुभारंभ किया गया।

कार ऋण मेला: 24 और 25 सितंबर, 2020 को 4 अंचलों यथा चेन्नै उत्तर, चेन्नै दक्षिण, पूनमल्ली और कांचीपुरम की 7 शाखाओं द्वारा कार ऋण मेला आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.84 करोड़ की 88 लीड तैयार हुई।

एसएमएस अभियान: प्रचार अभियान के भाग के रूप में, वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही के दौरान, उन ग्राहकों को 7 लाख एसएमएस भेजे गए जिन्होंने अभी तक हमारे बैंक से कोई उत्पाद नहीं लिया है। तीसरी तिमाही के दौरान, रुपे डेबिट कार्डधारक लगभग 15 लाख ग्राहकों को एसएमएस भेजे गए जो पीओएस में सक्रिय थे, लेकिन ई–कॉम में निष्क्रिय थे।

ई–मेल अभियान: वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही के दौरान, नए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप 'इंड ओएसिस' को बढ़ावा देने के लिए, लगभग 17.85 लाख संदेश ग्राहकों को ऐप डाउनलोड करने के अनुरोध के साथ भेजे गए थे।

30. कॉर्पोरेट संचार पहलें:

बाहरी संचार

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों के साथ ग्राहकों तक पहुंचने, सरकार की विभिन्न योजनाओं, बैंक की उपलब्धियों और आम जनता के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया।
- बैंक ने विभिन्न अवसरों पर वर्चुअल मोड के माध्यम से 60 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बैठकें और शीर्ष प्रबंधन के विशेष साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिसमें नई प्रौद्योगिकी उत्पादों का शुभारंभ, वित्तीय परिणाम जारी करना, मेला और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छ भारत ड्राइव आदि शामिल हैं।
- बैंक का ईटी नाऊ, सीएनबीसी टीवी 18 ग्रूप, थांथी टीवी, सन टीवी, पुथियाथलाईमुरई टीवी, न्यूज 7, न्यूज 18, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस लाइन, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेली थांथी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दीनमणि, आदि द्वारा विभिन्न अवसरों जैसे वित्तीय परिणामों की घोषणा, प्रेस मीट, प्रौद्योगिकी उत्पादों का शुभारंभ, ऋण मेला, स्वच्छ भारत पखवाड़ा, अखिल– भारतीय रक्त/अंगदान शिविर, 114वां स्थापना दिवस समारोह आदि अवसरों पर व्यापक रूप से कवरेज किया गया।
- होर्डिंग्स और बस शेल्टर विज्ञापनों के माध्यम से चेन्नै और पुडुचेरी में आऊट–ऑफ–होम (ओओएच) अभियानों को आगे बढाया गया। चेन्नै और बैंगलोर के बीच चलनेवाली 'लालबाग एक्सप्रेस' ट्रेन में पूर्ण प्रदर्शित विज्ञापन (फूल ट्रेन रैप एडवटाइजमेंट), लखनऊ हवाई अड्डे और केजीएमयू, लखनऊ में भी शुरूआत की गई।
- चेन्नै में हमारे बैंक की 8 शाखाओं में ट्राइ–विजन विज्ञापन अभियान चलाए जा रहे हैं।
- हमारे बैंक के समामेलन के अलावा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और त्योहारों यथा होली, दीपावली, पोंगल आदि के अवसर पर अखिल भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए ।
- तिरुमाला, तिरुपति देवस्थानम के एसवीबीसी चैनल और अन्य स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर विभिन्न अवसरों के दौरान बैंक के विज्ञापन कई भाषाओं में जारी किए गए थे।

आंतरिक संवाद

- बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सीएसआर कार्यक्रम, संसदीय समिति के दौरे आदि को हेल्पडेस्क के माध्यम से कर्मचारियों के बीच प्रचारित किया गया।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे महिला दिवस, मई दिवस, मातृ दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, रक्तदाता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैनर भी प्रदर्शित किए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

- बैंकिंग से परे बैंक ने सीएसआर पहल की और नैतिक मूल्यों का सम्मान करने और लोगों, समुदायों और प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान करने के लिए आगे बढी।
- एक मजबूत जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में बैंक, भारत के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ समाज के लाभ के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है और सीएसआर के अपने स्तंभों के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित वर्ग की आबादी तक पहुंचने के लिए निम्नानुसार कार्य कर रहा है:
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
- समावेशी विकास
- हरित पहल और पर्यावरणीय स्थिरता
- वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि
- वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताएं
- अपनी मानवीय सेवाओं पर गर्व करते हुए, बैंक ने हाल ही के दिनों में कई लोगों के जीवन तक पहुंचने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई पुरस्कार हासिल किए हैं।

सीएसआर हाइलाइट्स:

कोविड–19 राहत उपायों और अन्य महत्वपूर्ण सीएसआर प्रयासों का उद्देश्य कोविड–19 से होने वाले नुकसान को कम करना है।

(ए) कोविड–19 से संबंधित सीएसआर गतिविधियां

मुख्यमंत्री राहत कोष : एमडी और सीईओ सुश्री पद्मजा चुन्डूरू ने श्री के. षणमुगम, आईएएस, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को एक चेक सौंपा।

एमडी और सीईओ सुश्री पद्मजा चुन्डूरू ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 26.01.2021 को तिरुवल्लूर जिले के गरीब जनजातियों को तिरपाल की चादरें सौंपीं।

श्री के. रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक ने डॉ. गिरीश शिवा राव, चिकित्सा निदेशक (प्रशासन), शंकरा नेत्रालय अस्पताल, चेन्नई को कोविड–19 सुरक्षा संबंधी आवश्यक वस्तुएं सौंपीं।

चेन्नई के किलपौक मेडिकल कॉलेज को सेनेटाइजर और मास्क प्रदान किये गए।

बैंक ने अडयार कैंसर संस्थान, चेन्नई को फेस मास्क और पीपीई प्रदान किए – सुश्री शांता, अध्यक्ष, अड्यार कैंसर संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बैंक ने विश्रांती ओल्ड एज होम, चेन्नई को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित किए।

बैंक ने गिल्ड ऑफ सर्विसेज, बाला विहार, चेन्नई में विशेष बच्चों को ऑडियो–विजुअल उपकरण, कलर–पुस्तकें और क्रेयॉन प्रदान किए।

श्री भक्तुला सूरीबाबू क्षेत्र महाप्रबंधक, भुवनेश्वर ने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, कटक में दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किए।

श्री रोहित ऋषि, एफजीएम, बेंगलुरू द्वारा बोरिंग एंड लेडी कर्ज़न हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को कोविड सुरक्षा किट का विवरण

एफजीएम कार्यालय, दिल्ली ने राष्ट्रीय वृज नंद अंध कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर में कंबल वितरित किया

श्री बी के सारंगी, क्षेत्र महाप्रबंधक, पटना ने वेद आश्रम को कंबल वितरित किए

श्री संदीप कुमार गुप्ता, क्षेत्र महाप्रबंधक, मुंबई के साथ श्री श्याम शंकर, अंचल प्रबंधक, नागपुर ने स्नेहंगन अपंग मुलाची, नागपुर के दिव्यांग बच्चों को कंबल वितरित किए

श्री शशि भूषण दास, क्षेत्र महाप्रबंधक, कोलकाता II के साथ श्री एफ आर बोखारी, अंचल प्रबंधक, सिलीगुड़ी ''अपना घर'' ओल्ड एज केयर होम में वृक्षारोपण करते हुए।

श्रीमती ज़फिया फरीद, क्षेत्र महाप्रबंधक, कोयंबत्तूर द्वारा श्री के राजामणि, आईएएस – जिला कलेक्टर, कोयंबत्तूर को 225 पीपीई किट का दान।

श्री एम.बी. सुरेश कुमार, अंचल प्रबंधक ने दिनांक 17.04.20 को चौतुप्पल गांव में अम्मा नन्ना आनंदा आश्रम के 400 मानसिक रूप से मंद / निराश्रित अनाथों को भोजन वितरित किया।

अंचल कार्यालय, नागपुर ने कोविड–19 के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरीबों को भोजन के पैकेट वितरित किए।

अंचल कार्यालय, विजयवाड़ा ने विजया मैरी इंटीग्रेटेड स्कूल के दिव्यांग छात्रों को कंबल और खाद्य सामग्री वितरित किए।

अंचल कार्यालय पटना ने बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पटना में दिव्यांगजनों को वॉकर वितरित किए।

अंचल कार्यालय, सूरत ने सूरत शहर में विभिन्न स्थानों पर गरीब लोगों को दैनिक राशन वितरित किया।

अंचल कार्यालय, बंगलौर ने कोविड–19 के कारण असहाय प्रवासी कामगारों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित किया।

अंचल कार्यालय, रांची ने कोविड –19 महामारी के दौरान झारखंड राज्य के गरीब ग्रामीणों को भोजन के पैकेट और मास्क वितरित किए।

अंचल कार्यालय, गुवाहाटी ने मिशन ऑफ चैरिटी, शांति दान में रहने वाले दिव्यांगों को कंबल वितरित किए।

राजकीय राजाजी अस्पताल, मदुरै में अंचल कार्यालय, मदुरै द्वारा प्रायोजित इन्सिनरेटर मशीन का उद्घाटन।

कोविड लॉकडाउन के दौरान भीषण गर्मी से बचने के लिए बैंक द्वारा चेन्नई में पुलिस कर्मियों को छतरियां वितरित की गई।

अंचल कार्यालय हैदराबाद ने दिव्यांग गृह, बंसीलालपेट, सिकंदराबाद में, 120 लोगों को उपयोगिता वस्तुएं वितरित करके अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया।

कोरोना प्रकोप के दौरान अंचल कार्यालय, सेलम ने सेलम नगर निगम को स्वचालित थर्मल स्कैनर प्रदान किया।

अंचल कार्यालय, कांचीपुरम ने लॉकडाउन के दौरान 100 पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को तीन सप्ताह तक नाश्ता वितरित किया।

श्री के.जी.एम. फैज़ानी, अंचल प्रबंधक, करीम नगर अंचल, कोविड –19 के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हुए।

तिरुवल्लूर बाजार शाखा ने तिरुवल्लूर जिला कलेक्टर को मास्क और सैनिटाइज़र टैंक सौंपे

लुधियाना अंचल के अंतर्गत शाखाओं द्वारा मास्क वितरण

अंचल कार्यालय, वेल्लोर ने वेल्लोर कलेक्ट्रेट को एन–95 मास्क प्रदान किए।

बैंक ने अपने सीएसआर के तहत लिटिल ड्रॉप्स ओल्ड एज होम को 4 फूड सर्विंग ट्रॉलियां दान में दीं।

31. खेल

वित्त वर्ष 21 में बैंक के स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने कोविड–19 महामारी के कारण सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सीमित खेल गतिविधियां / टूर्नामेंट आयोजित किए।

एक्सिक्युटिव क्रिकेट मैचः 29.11.2020 को चेन्नै में आयोजित एमकेबी कप के लिए इंडियन बैंक के एक्सिक्युटिव क्रिकेट मैच के दौरान बैंक की एमडी और सीईओ सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक को प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए।

वॉलीबॉलः इंडियन बैंक की वॉलीबॉल टीम ने 13 और 14 फरवरी, 2021 को तिरुनलवेली जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा तिरुनेलवेली में आयोजित राज्य स्तरीय इन्विटेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीता। इंडियन बैंक ने फाइनल में तमिलनाडु राज्य की पुलिस टीम को हराया

पैरा शूटिंगः सुश्री पूजा अग्रवाल, (सहायक प्रबंधक, पंजाबी बाग शाखा) ने भारतीय पैरा शूटिंग दस्ते का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 15 से 26 मार्च 2021 तक आयोजित विश्व कप में भाग लिया। वह 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं की प्रतियोगिता में विश्व रैंकिंग में क्रमशः 15वें और 14वें स्थान पर रही।

क्रिकेटः इंडियन बैंक की क्रिकेट टीम ने कडप्पा जिला क्रिकेट संघ, आंध्र प्रदेश द्वारा 16 से 19 मार्च 2021 तक कडप्पा में आयोजित डॉ. वाईएसआर कप–टी 20 इन्विटेशन क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में जीत हासिल की।

32. राजभाषा कार्यान्वयन

- बैंक द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा अंचल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है। राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित एक मास्टर परिपत्र प्रति वर्ष जारी किया जाता है।
- बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा हिन्दी पत्रिका 'इंड–छवि' का प्रकाशन किया जा रहा है। लगभग सभी अंचल कार्यालयों से भी त्रै–मासिक/छमाही हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन सुनिश्चित किया गया है। हमारी सभी पत्रिकाओं में अन्य आवश्यक विषयों के साथ बैंकिंग विषयों पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। स्टाफ सदस्यों को लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी लेखकों को पुस्तकें भेंट की गईं।
- यह वर्ष राजभाषा के लिए अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस वर्ष के दौरान इंडियन बैंक की गृह पत्रिका 'इंड छवि' को भारत सरकार द्वारा 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार के लिए चुना गया। इस प्रकार समामेलित संस्था को दो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुए।
- हिन्दी माह 2020 के अवसर पर कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय ने दिनांक 18.08.2020 से 24.08.2020 तक स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया जिनमें स्टाफ सदस्यों एवं उनके बच्चों द्वारा सोत्साह प्रतिभागिता की गई। अंचल कार्यालयों द्वारा भी हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह इत्यादि का आयोजन किया गया।

- हिन्दी दिवस – 14 सितंबर 2020 के शुभ अवसर पर, बैंक द्वारा मनाए जा रहे "हिंदी माह 2020" के समापन समारोह के दौरान, हमारी एमडी एवं सीईओ महोदया द्वारा 'राजभाषा – एक परिचय' वीडियो का डिजिटल उद्घाटन किया गया। बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा इसे स्टाफ सदस्यों के सहायतार्थ द्विभाषी रूप में बनाया गया है। इसे बैंक के प्रशिक्षण पोर्टल 'ई–पाठशाला' पर उपलब्ध कराया गया है।

- नववर्ष 2021 के अवसर पर बैंक के अधिकारियों एवं कार्यपालकों के सहायतार्थ राजभाषा विभाग ने "दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सरल हिंदी टिप्पण" पत्रक का प्रकाशन किया।

- वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा 'कोविड–19 जागरूकता स्टिकर' बनवाए गए हैं जिन्हें विभाग से प्रेषित पत्रों–परिपत्रों पर लगाया जाता है।

- हेल्पडेस्क पर हिन्दी शब्द प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो कर्मचारियों को हिन्दी सीखने में उपयोगी हैं।

- स्टाफ सदस्यों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 04 फरवरी 2021 से हेल्पडेस्क>इंट्रानेट पर महापुरुषों के प्रेरणादायक वचन हिंदी में प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

- बैंक की वेबसाइट द्विभाषी है। समय–समय पर इसे अद्यतित किया जा रहा है। बैंक की मोबाइल एप्प इंड–ओएसिस 13 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, कोंकड़ी और असमिया) में उपलब्ध है।

- बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'वार्षिक योजना' के अनुसार विभिन्न अंचल कार्यालयों का ऑनलाइन राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए अंचल कार्यालयों का सहयोग किया गया।

- हिंदी माह समापन समारोह के दौरान एमडी एवं सीईओ महोदया द्वारा हिंदी माह–2020 के दौरान आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

- समामेलन से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, निविदाएं, बैनर, प्रचार सामग्रियां इत्यादि हिंदी में भी जारी किए गए।
- ग्राहकों के लिए उपयोगी सभी आवश्यक प्रपत्र व प्रारूप द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। बैनर, पोस्टर एवं पैम्फलेट इत्यादि द्विभाषी/त्रिभाषी बनाए जाते हैं।
- बैंक के मासिक ई–समाचार पत्र 'इंड नव्या' को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।
- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग संबंधी 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)' को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया है।
- राजभाषा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से शाखाओं के राजभाषा विषयक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों को डेस्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
- बैंक में कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
- बैंक, स्टाफ सदस्यों को हिन्दी कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दे रहा है। कोविड–19 महामारी के कारण कॉर्पोरेट कार्यालय:राजभाषा विभाग एवं विभिन्न अंचल कार्यालयों ने हिन्दी कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन किया है जिनमें स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- बैंक अनेक स्थानों पर 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' के समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा समय पर 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' (बैंक एवं वित्तीय संगठन) चेन्नै की छमाही बैठकों एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वमयन के लिए विजयवाड़ा, कोलकाता–1 एवं हैदराबाद अंचल कार्यालयों को संबंधित नराकासों द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट –2020–21

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 34

खण्ड एः कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	**इंडियन बैंक**
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै– 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	ibinvestorrelations@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2020-21
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 प्रमुख उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। **स्थानों की कुल संख्या** I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 31.03.2021 तक 6004 शाखाएँ 3 (सिंगापुर, कोलंबो और जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएँ है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बीरू कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 1129 करोड़
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹ 45,185 करोड़
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹ 3005 करोड़
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने रुपए 202.54/–लाख खर्च किया है।

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।

क्रम सं	सीएसआर गतिविधियाँ	राशि (रुपए लाख में)
1.	समावेशी प्रगति	188.43
2.	यावसायिक कौशल और वित्तीय कौशल बढाना	4.76
3.	हरित पहल और पर्यावरण धारणीयता	7.61
4.	लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण	1.56
5.	वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताएं	0.18
	कुल	**202.54**

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है	हाँ **1. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड** **2. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।**
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	**नहीं,** **बैंक की दोनों अनुषंगियां सूचीबद्ध संस्थाएं हैं।**
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाते हैं? यदि हाँ, तो यह दर्षाएँ कि ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	**नहीं**

खंड डी: बीआर जानकारी

1. निदेशकों के विवरण/बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	07561455
नाम	**श्री वी वी शेणॉय**
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	**श्री सुधाकर राव के एस**
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 – 28134566
5	ईमेल आईडी	sudhakar.rao@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की नियुक्ति	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में) बताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ / उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक/ अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें ?	**www.indianbank.in**								
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति/ नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों के पते "शिकायत निवारण" पते उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।						लागू नहीं			
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाएं जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते है।	▪ **चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।**
▪ क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ **कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है और इसे बैंक की www.indianbank.in पर उपलब्ध कराया गया है।** ▪ **यह वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।**

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● **ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की एक स्वतंत्र स्वायिक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की।** ● **बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2018'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2015'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली के न्यूनतम मानकों और ग्राहक सेवा के बेंचमार्क को निर्दिष्ट करता है ।** ● **बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है।** ● **बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अंगिकृत किए जाने हेतु रखा गया है।** ● **संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।**

	• "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओ में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं। • सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?

   यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।

विवरण	ग्राहक	शेयरधारक
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	16804	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	321876	55
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	326846	55
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	11834	शून्य
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	96.5%	100 %

सिद्धांत–2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या सुअवसर को शामिल किया है।	इंडियन बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएँ प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मलित करती है। ➢ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ➢ वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ➢ इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) **बैंक का मानना है कि सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इस दिशा में, बैंक ने हमेशा उन पहलों पर जोर दिया है जो पर्यावरण की प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान करती हैं जैसे :** **I एनर्जी एफिशियंट कुशल एलईडी फिक्चर्स का प्रावधान** **ii. बैंक के अपने निजी भवन के छत पर सौर पैनलों का प्रावधान** **iii. कॉर्पोरेट कार्यालय में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदा पानी प्रक्रिया संयंत्र**

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत / उत्पाद / वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	• कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। • ऊर्जा खपत पर वार्षिक कुल व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए, बैंक अपने भवन में जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने हेतु नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। • आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना • नई शाखाएं केवल एलईडी लाइटिंग से प्रकाशित हैं। • मौजूदा शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। वर्तमान में 1317 शाखाओं / 24 कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था है। • एसटीपी के माध्यम से, गंदे पानी को सर्कुलेट किया गया तथा प्रतिदिन लगभग 17,000 लीटर पानी को रीसाईकिल किया जाता है, इस प्रकार पानी पर होने वाले खर्च से रु. 5. 60 लाख की बचत हुई।
3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं लागू नहीं सभी वित्तीय उत्पाद हैं जिनका लक्ष्य पूरे परिचालन क्षेत्र तक पहुंच बनाना है।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं को रीसाइकिल करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में <5% से कम • कॉर्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संयत्र उपलब्ध कराया गया है जोकि प्रतिदिन 17,000 लीटर पानी का आऊटपुट देता है।

सिद्धांत–3 : कारोबार से सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होनी चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	42601(41557*)
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक / अनौपचारिक आधार पर काम परलगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	-
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	12131 (11932*)
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	1058
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ
6. आपके कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?	अधिकारी : 77.40 % अवार्ड स्टाफ : 70.22 %

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों एवं वित्तीय वर्ष के समापन पर लंबित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	

शिकायतें	बाल मज़दूर	बंधुआ मज़दूर	अनिच्छा मज़दूर	यौन उत्पीडन
प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	1
लंबित शिकायतों	शून्य	शून्य	शून्य	0

8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	

क्रं. सं.	प्रशिक्षण के प्रकार	प्रतिभागियों की सं.
1.	ई–पाठशाला के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण	9490
2.	घर से ऑनलाइन प्रशिक्षण	10822
3.	कार्यस्थल से ऑनलाइन प्रशिक्षण	1991
	कुल	**22303**

* –31.03.2021 को अल्पकालिक घरेलू सफाई कर्मियों से भिन्न

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	**हाँ** ● शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थातः सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	**हाँ** ● इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मुद्रा ऋण आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	● **बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय सहायता से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।** ● **बैंक ने मार्च 2021 तक 6.49 लाख व्यक्तियों को 42 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय परामर्श प्रदान किया है।** ● **बैंक ने इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) के नाम पर 37 केन्द्रों में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2021 तक 2997 बैचों के माध्यम से 82781 व्यक्तियों को स्व–रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।**

सिद्धांत 5 : कारोबार को मानव अधिकार का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता / संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	**हाँ** ● बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	

विवरण	ग्राहक	शेयरधारक
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	16804	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	321876	55
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	326846	55
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	11834	शून्य
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	96.5%	100 %

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	**हाँ**
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में रणनीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	• प्रमुख क्षेत्रों में बगीचे/ग्रीन स्पोट्स बनाए गए हैं। • बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में पौधा रोपण किया है।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	**हाँ**
4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	जैसा कि कारोबार की प्रकृति के बारे में बताया जा चुका है, बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	**हाँ** **परिसर** • हरित पहल के रूप में, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल असाधारण परिस्थितियों में चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है) • बैंक के अपने निजी परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटों का उपयोग • बैंक, भारत में 252 संपत्तियों और सिंगापुर में 2 संपत्तियों का मालिक है। • बैंक ने परिसर के व्यय, खरीद अनुबंध, मुद्रण एवं स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग, दूरभाष/सेल फोन के लिए एक रूप ऑटोमोबाइल्स नीतियों को अपनाया है और सभी शाखाओं/अंचलों में भी इसे समान रूप से अपनाया गया है। **हरित पहल :** **ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग** • कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग, यह पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (स्वर्ण रेटिंग स्तर) के तहत उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बैंक ने ग्रीन इंडिया बनाने के लिए अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर सहयोग दिया है। • ऊर्जा की खपत में, वार्षिक समग्र व्यय को लगभग 4 से 5 प्रतिशत कम करने हेतु बैंक के अपने निजी भवनों में, जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव हो, वहाँ सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। • आंतरिक लाइटिंग प्रणालियों में एलईडी लैंप का उपयोग करके लाइटिंग प्रणालियों में नए तकनीकी उत्पादों को अपनाना • नई शाखाओं में केवल एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। • मौजूदा शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। वर्तमान में 1317 शाखाओं / 24 कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था है। **अन्य हरित पहल** • शाखाओं और कार्यालयों में समय–समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा करना । • शाखाओं एवं कार्यालयों में स्थापित एयर कंडीशनर के ऑटो कट–ऑफ के लिए टाइमर का प्रावधान, हार्मोनिक फिल्टरों को लगाने और स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग से बिजली की खपत में काफी कमी आयी है।
6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	**लागू नहीं**
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	**शून्य**

सिद्धांत 7 : जब कारोबार जनता और नियामक नीति को प्रभावित करते हैं वे इन्हें जिम्मेदारीपूर्वक निभाएँ।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	**हाँ** **आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस**
2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों का समर्थन किया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	**बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।**

सिद्धांत 8 : कारोबार को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए	इंडियन बैंक ने देश भर में फैले कुल 42 केंद्रों यथा – तमिलनाडु (15 केंद्र), उत्तर प्रदेश (13 केंद्र), केरल (3 केंद्र), हरियाणा (3 केंद्र), आंध्र प्रदेश (2 केंद्र) झारखंड (2 केंद्र), मध्य प्रदेश (1 केंद्र), पुदुच्चेरी (1 केंद्र), महाराष्ट्र (1 केंद्र) और पश्चिम बंगाल (1 केंद्र), पर वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल की है । चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोपड़पट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 42 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 6.49 लाख व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। इंडियन बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 37 केन्द्रों यथा – तमिलनाडु (14 केंद्र), उत्तर प्रदेश (15 केंद्र), झारखंड (3 केंद्र), पश्चिम बंगाल (2 केंद्र), आंध्र प्रदेश (1 केंद्र), मध्य प्रदेश (1 केंद्र), और पुदुच्चेरी (1 केंद्र) पर आरएसईटीआई की स्थापना की है। अब तक, इन इंडसेटियों द्वारा 2997 सत्रों में 82781 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। 2020–21 के दौरान, 555 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 15155 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बैंक देशभर में समाज की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आने वाले गांवों में 179.26 लाख ग्राहकों के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाते / पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं और खाताधारकों को 28.83 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी गई है।
2. क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान /बाह्य एनजीओ/ सरकारी सरंचनाओं/ अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाएं शुरू की गई हैं?	बैंक ने गरीब एवं दलित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया एवं इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?	इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके। वर्ष 2019–20 के दौरान जिन 33 आरएसईटीआई के लिए ग्रेडिंग की गई थी, उनमें से 31 संस्थानों ने एए ग्रेड, एक एबी ग्रेड और एक बीए ग्रेड प्राप्त किया है। 2020–21 के लिए अभी ग्रेडिंग की जानी बाकी है।
4. आपकी कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। भारतीय मुद्रा में राशि और चलाई जा रही परियोजनाओ के विवरण दें।	वर्ष 2020–21 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 2.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्व–रोजगार गतिविधियाँ अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक की इंडसेटियों द्वारा व्यवस्थित फॉलो–अप एवं काउन्सेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए पास की बैंक शाखाओं के साथ प्रशिक्षुओं की ऋण सहबद्धता हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं।

6. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों का सहयोग करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।	स्थापना के बाद से 42 एफएलसी के माध्यम से 6.49 लाख लोगों को परामर्श दिया गया है। 2020–21 के दौरान 1.36 लाख लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है। स्थापना के बाद से अब तक 37 इंडसेटियों द्वारा 2997 सत्रों में 82781 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2020–21 के दौरान, 555 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 15155 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अनुषंगियाँ

- **बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड है।**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, तमिलनाडु ग्रामा बैंक जिसका मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु) में है और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र) में है।
- वर्ष के दौरान 11 शाखाओं के खोले जाने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा तंत्र मार्च 2020 की 898 शाखाओं के सापेक्ष मार्च 2021 में बढ़कर 909 हो गया।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2020 को रु. 38943.27 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2021 को रु. 47754.41 करोड़ रहा।
- 225 शाखाओं के साथ सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार रु. 15436.45 करोड़ रहा। (जमाएँ रु. 8028.04 करोड़ और अग्रिम रु. 7408.41 करोड)।
- 640 शाखाओं के साथ तमिलनाडु ग्रामा बैंक का कुल कारोबार रु. 30586.59 करोड़ रहा। (जमाएँ रु. 14858.82 करोड़ और अग्रिम रु. 15727.77 करोड)।
- 44 शाखाओं के साथ पुदुवै भारतियार ग्रामा बैंक का कुल कारोबार रु. 1731.37 करोड़ रहा। (जमाएँ रु. 895.28 करोड़ और अग्रिम रु. 836.09 करोड)।
- तमिलनाडु ग्रामा बैंक के पास 12.34 सीआरएआर, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के पास 13.55 सीआरएआर और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक के पास 12.06 सीआरएआर है ।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाभ कमा रहे हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय रूप से भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहें हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 1210 एसएसए गाँवों को कवर कर रहे हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 9.72 लाख खाते खोले हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 8.14 लाख लाभार्थियों को, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 3.78 लाख लाभार्थियों को और एपीवाई के अंतर्गत 23283 लाभार्थियों को कवर किया है।

सिद्धांत 9 : कारोबारों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्वक मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें/ ग्राहक मामलों का प्रतिशत कितना है?	3.5 प्रतिशत
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. गत पांच वर्षों में अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है जोकि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है! यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	वर्ष के दौरान किसी भी शेयरधारक ने बैंक के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है।
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

कॉर्पोरेट अभिशासन 2020–21 पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में शामिल करने हेतु आवश्यक विवरण

1. कॉर्पोरेट अभिशासनः

कॉर्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त कि उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभकर संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1. निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं तीन कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मण्डल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार निदेशक, शेयरधारक निदेशक (जिसका 1 मामला हमारे बैंक में भी है) के इतर, को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2. बोर्ड की समितियाँ :

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो कि बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश कारगर मानिटरिंग और नियंत्रण हेतु बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेंस प्रदान करती हैं :

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- आईटी रणनीति समिति (आईटीसमिति)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- निदेशकों की समिति सतर्कता (सीओडी/विज)
- विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) (एससीएमएलवीएफ)
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- स्टेकधारक संपर्क समिति (एसआरसी)
- एचआर समिति (एचआर समिति)
- वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति (सीएमआर)
- अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति (बीएसीडीसी)
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूयूडी)
- गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति

2.3. बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट रणनीति, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4. बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5. 31.03.2021 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है ::

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/ नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	अन्य बोर्ड व समितियों में सदस्यता	धारित शेयर की संख्या
1	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	21.09.2018	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 10. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति	भारतीय जीवन बीमा निगम बोर्ड के सदस्य यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड में नामित निदेशक/ गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के शासी मण्डल में कमर्शियल बैंक के प्रतिनिधि सदस्य	5000
2	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	01.12.2018	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 7. आईटी रणनीति समिति 8. स्टेकधारक संपर्क समिति 9. शेयर अंतरण समिति (अध्यक्ष) 10. एचआर समिति 11. वसूली निगरानी की समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड में निदेशक	5000
3	श्री के रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति(आमंत्रित) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 7. आईटी रणनीति समिति 8. स्टेकधारक संपर्क समिति 9. शेयर अंतरण समिति 10. एचआर समिति 11. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड एवं इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लिमिटेड के निदेशक	शून्य

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/ नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	अन्य बोर्ड व समितियों में सदस्यता	धारित शेयर की संख्या
4	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रित) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 7. आईटी रणनीति समिति 8. स्टेकधारक संपर्क समिति 9. शेयर अंतरण समिति 10. एचआर समिति 11. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बोर्ड हेतु नामांकित	695
5	श्री संजीव कौशिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.01.2020	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 3. एचआर समिति 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. आईटी रणनीति समिति 6. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 9. अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति		शून्य
6	श्री एस के पाणिग्राही	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	26.04.2019	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता)		शून्य
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	07.02.2021	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. एचआर समिति 3. आईटी रणनीति समिति(अध्यक्ष) 4. शेयर अंतरण समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति (अध्यक्ष) 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8. स्टेकधारक संपर्क समिति(अध्यक्ष) 10. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 9. जोखिम प्रबंधन समिति 10. ग्राहक सेवा समिति 11. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 12. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति	अपराजिता कॉपोरेट सर्विसेज प्रा. लि. के अध्यक्ष 1. दिनराम होल्डिंग्स प्रा. लि. 2. दासा कन्सल्टिंग प्रा.लि. 3. अपराजिता डायनमिक सिनर्जीज प्रा. लि. 4. अपराजिता प्रॉपर्टी शेल्टर प्रा. लि. 5. अपराजिता पार्टनरिंग प्राग्रेज प्रा. लि. 6. अपराजिता टोटल सोल्यूशन प्रा. लि. 7. अपराजिता साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. 8. एडसिक्स ब्रेनलैब प्रा. लि. 9. जोखिम प्रबंधन समिति 10. ग्राहक सेवा समिति 11. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 12. गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति	300

नोट :

(I) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

(II) निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(III) निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2020–21 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी और सूचीबद्ध संस्था की औपचारिक और अनौपचारिक रिर्पोटिंग संरचना इसके अनुरूप ही है।

(IV) बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(V) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने के मामले नहीं हैं।

(VI) डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक का प्रथम कार्यकाल दिनांक 20.12.2020 को समाप्त हुआ एवं शेयरधारक निदेशक के तौर पर उनका पुनःचयन दिनांक 07.02.2021 को किया गया।

2.6 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पद ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नलिखित है :–

2.6.1 के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक :

इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन के बाद, श्री के रामचन्द्रन ने 1 अप्रैल, 2020 को इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने 26 दिसंबर 2018 से इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वे कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वे मई 1985 में कॉर्पोरेशन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल हुए और उन्होंने शाखाओं, कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य नियंत्रण कार्यालयों में काम किया। वे कॉर्पोरेशन बैंक की संपूर्ण शाखा स्वचालन, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में शामिल कोर टीम के सदस्य थे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वॉयस इनेबल्ड प्वाइंट ऑफ ट्रांजेक्शन, हैंड हेल्ड टर्मिनलों को लागू किया था। श्री रामचन्द्रन ने वैकल्पिक चैनलों, क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल का स्वतंत्र प्रभार संभाला और कॉर्पोरेशन बैंक के ठाणे क्षेत्र का नेतृत्व किया। महाप्रबंधक संवर्ग के रूप में पदोन्नत होने पर, वे अप्रैल 2016 से कॉर्पोरेशन बैंक के चेन्नै सर्कल के प्रमुख थे।

2.6.2 डॉ भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक

डॉ. भरत कृष्ण शंकर, 21 दिसंबर, 2017 से 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए। वे वाणिज्य में पोस्ट ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (इंटर और फाइनल दोनों में टॉपर) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट हैं। उनकी डॉक्टरेट थीसिस ''उद्यमिता के निर्धारक और मदुरै जिले में एमएसएमई क्षेत्र की स्थिरता पर इसके प्रभाव'' पर है। उन्हें व्यवसाय प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और प्रशिक्षण में समृद्ध अनुभव है। डॉ. भरत कृष्ण शंकर की नियुक्ति का कार्यकाल 20 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया था। उन्हें 07 फरवरी, 2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में फिर से चुना गया है।

2.6.3 श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक

श्री इमरान अमीन सिद्दीकी एचबीटीयू, कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयोगी हैं। उन्होंने 28 दिसंबर, 1987 को एक एसएसआई फील्ड ऑफिसर के रूप में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के साथ अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में 33 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। उन्होंने ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्र शाखाओं के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यालयों में भी काम किया है। उन्होंने ई–इलाहाबाद बैंक के कोलकाता अर्बन, बारासात जैसे विभिन्न अंचलों में अंचल प्रबंधक के रूप में काम किया है और क्षेत्र महाप्रबंधक के रूप में पूरे पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्यों का नेतृत्व किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय/ प्रधान कार्यालय में ऋण विभाग, ऋण निगरानी विभाग और संसाधन और सरकारी संबंध विभाग आदि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों का भी नेतृत्व किया है।

2.7 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	वर्ग	कार्य समापन की तिथि	कारण
1.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	30.06.2020	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक	30.11.2020	सेवानिवृत्ति
3.	श्री सलिल कुमार झा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	26.12.2020	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति
4.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	20.12.2020	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति

3. निदेशक मंडल के सदस्यों की साख :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक का वर्ग	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	मूल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताएं
1	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	एम डी एवं सीईओ	कार्यपालक	एम.कॉम, सीएआईआईबी	बैंकिंग
2	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.कॉम, सीएआईआईबी	बैंकिंग
3	श्री के रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एम. एससी	बैंकिंग
4	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी, बी टेक, सीएआईआईबी	बैंकिंग
5	श्री संजीव कौशिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर कार्यपालक नामिती	लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए एवं बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग	प्रशासन और वित्त
6	श्री एस के पाणिग्राही	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर कार्यपालक नामिती	एम. एससी (भौतिकी) पीजीडीएम (वित्त) सीएआईआईबी	बैंकिंग पर्यवेक्षण
7	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम., एम.कॉम, कॉमर्स में पीएचडी, एफसीए, एसीएमए	व्यवसाय प्रबंधन, वित्त और मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

3.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड समिति की बैठक के विवरण :

वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक) :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	सी ओ डी (सतर्कता)	एस आर सी	आइ टी कंप्यूटर	एस सी एम एल वी एफ	सी एस सी	मा संसाधन समिति	एस टी सी	सी ए सी	सी एफ एम आर	बी ए सी डी सी	आर सी एन सी बी	एन आर सी	आर सी डबल्यूडी	बी सी पी ई
1	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	18	22	–	9	4	–	8	4	4	5	–	24	4	–	–	–	1	–
2	श्री एम के भट्टाचार्य*	12	15	10	5	2	2	5	3	3	3	–	11	2	–	–	–	–	–
3	श्री वी वी शेणॉय	19	23	15	9	4	3	8	4	4	5	1	24	4	–	–	–	–	–
4	श्री के रामचन्द्रन	19	23	15	9	4	–	8	4	4	5	1	24	4	–	–	–	–	–
5	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	
6	श्री संजीव कौशिक	12	–	9	–	3	–	6	–	–	4	–	–	2	–	–	–	–	2
7	श्री एस के पाणिग्राही	18	20	13	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	श्री सलिल कुमार झा **	13	17	–	6	–	2	6	4	3	4	–	–	3	–	–	–	1	–
11	श्री विनोद कुमार नागर ***	3	–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
12	डॉ भरत कृष्ण शंकर ****	17	–	14	3	–	3	8	3	1	5	1	–	–	–	–	–	–	2

* दिनांक 30.11.2020 तक ईडी
** दिनांक 26.12.2020 तक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
*** दिनांक 30.06.2020 तक शेयरधारक निदेशक
**** दिनांक 20.12.2020 तक शेयरधारक निदेशक । दिनांक 07.02.2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनःचयनित।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की न्यूनतम 19 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। इसके विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	12-05-2020	9	9
2	23-06-2020	9	9
3	29-06-2020	9	7
4	17-07-2020	8	8
5	30-07-2020	8	8
6	14-08-2020	8	7
7	29-08-2020	8	7
8	29-08-2020 आनुक्रमिक	8	7
9	14-10-2020	8	8
10	22-10-2020	8	7
11	26-11-2020	8	8
12	27@28-11-2020	8	7
13	18-12-2020	7	6
14	22-01-2021	5	5
15	06-02-2021	5	5
16	05-03-2021	6	6
17	05-03-2021 आनुक्रमिक	6	6
18	11-03-2021	7	7
19	25-03-2021	7	6

4. बोर्ड की समितियाँ

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए बोर्ड अधिकारों का प्रयोग करती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त) ;
- ऋण समझौता बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
- दान और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	सुश्री पद्मजा चन्दूरू, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री एस के पाणिग्राही, भारि बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 की अवधि के दौरान समिति की 23 बैठकें हुई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27-04-2020	6	6
2	14-05-2020	6	6
3	29-05-2020	6	6
4	18-06-2020	6	6
5	30-06-2020	6	5
6	16-07-2020	6	6
7	31-07-2020	6	6
8	21-08-2020	6	6
9	04-09-2020	6	6
10	18-09-2020	6	6
11	28-09-2020	6	6
12	16-10-2020	6	6
13	29-10-2020	6	5
14	13-11-2020	6	6
15	30-11-2020	6	6
16	11-12-2020	5	4
17	24-12-2020	5	4
18	11-01-2021	4	4
19	30-01-2021	4	4
20	12-02-2021	4	4
21	05-03-2021	4	4
22	19-03-2021	5	5
23	30-03-2021	5	5

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी)

- लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय–समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं :
  - बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
  - अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
  - बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
  - लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
  - लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा
  - प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा
  - खातों, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की सामान्य पुनरीक्षा
  - प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखा परीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
  - लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप में क्वालिफिकेशन
  - लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
  - किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा

- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	श्री एस के पाणिग्राही, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
5.	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	आमंत्रित
6.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	आमंत्रित

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 15 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11-05-2020	5	5
2.	23-06-2020	5	5
3.	29-06-2020	5	4
4.	17-07-2020	4	4
5.	29-07-2020	4	3
6.	14-08-2020	4	3
7.	16-09-2020	4	4
8.	13-10-2020	6*	6*
9.	22-10-2020	6*	6*
10.	16-11-2020	5*	5*
11.	17-12-2020	4*	4*
12.	22-01-2021	6*	4*
13.	22-02-2021	6*	4*
14.	10-03-2021	6*	5*
15.	25-03-2021	6*	5*

*आमंत्रित भी शामिल हैं।

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय–समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता रहा है । जोखिम प्रबंधन समिति की कार्यविधि/उत्तरदायित्व निम्नवत हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल है, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

- बाजार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
- ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्र.नि. एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

समिति की बैठक में डोमेन विशेषज्ञ श्री राजेश महाजन विशेष रूप से आमंत्रित थे

4.3.2. बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में 9 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	12-05-2020	6	6
2.	18-07-2020	5	5
3.	27-08-2020	5	5
4.	16-09-2020	5	5
5.	09-11-2020	6*	6*
6.	16-12-2020	5*	5*
7.	23-02-2021	4*	4*
8.	11-03-2021	5*	5*
9.	24-03-2021	5*	5*

*आमंत्रित भी शामिल हैं।

4.4 निदेशकों की समिति सतर्कता (सीओडी/विज) :

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.4.1 निदेशकों की समिति सतर्कता (सीओडी/विज) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को निदेशकों की समिति सतर्कता (सीओडी/विज) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्र.नि. एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	श्री एस के पाणिग्राही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सतर्कता) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	18-06-2020	6	6
2	27-08-2020	6	6
3	17-12-2020	5	4
4	25-03-2021	6	5

4.5 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति :

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को स्टेकधारक संपर्क समिति का प्रारूप निम्नवत है :–

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.5.2 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति की कार्यविधि :

समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल हैं :

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनियों के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायो और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक समिति की 3 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है

क्र.सं.	बैठक की तिथि	स्टेकधारकों संपर्क समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29-08-2020	5	5
2	14-10-2020	5	5
3	10-03-2021	3	3

4.6 आईटी रणनीति समिति :

आईटी रणनीति समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.6.1 आईटी रणनीति समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को आईटी रणनीति समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्र.नि. एवं मु.का.अ.	सदस्य
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

समिति की बैठकों में डोमेन विशेषज्ञ श्री रामनाथ चिंतगुंटा रूप से आमंत्रित थे।

4.6.2. बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान समिति की 8 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	11-05-2020	7	7
2	29-07-2020	7	7
3	27-08-2020	7	7
4	14-10-2020	7	7
5	09-11-2020	7	6
6	16-12-2020	6	6
7	22-02-2021	5	5
8	10-03-2021	5	4

4.7. विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) :

4.7.1 विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्र.नि. एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) की 4 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.05.2020	6	6
2	18.07.2020	6	6
3	17.10.2020	6	6
4	17.12.2020	5	5

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया

जाता है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्र.नि. एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी. वी. शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के. रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.8.2. बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	18-06-2020	6	6
2	27-08-2020	5	5
3	14-10-2020	5	5
4	23-02-2021	4	4

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की ''उपयुक्त और उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय–समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया.

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

इस समिति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र (KRA) तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र (KRA) को अनुमोदित करने के लिए दिनांक 27.11.2019 को गठित किया गया था। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2021 को यथास्थिति कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना निम्नवत है :

1	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण :

01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति की दो बैठकें संपन्न हुई जिनका विवरण निम्नवत है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादिन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	16-12-2020	2	2
2	05-03-2021	2	2

4.11 शेयर अंतरण समिति

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2, के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति की संरचना

दिनांक 31.03.2021 को यथास्थिति बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

1	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र सं	बैठक की तिथि	शेयर अंतरण समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	23-02-2021	1	1

4.12. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 की बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह अनुमोदन बॉडी है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बट्टा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की संरचना :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)
- महाप्रबंधक (मिडकार्प/एमएसएमई)

- महाप्रबंधक (वित्त / लेखा)
- महाप्रबंधक (व्यय एवं ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतकर्ता)
- महाप्रबंधक (सीआरओ) एवं सीसीओ भी उपस्थित रहते हैं।

चूँकि ऋण एवं व्यय प्रस्तावों को भिन्न महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष संभाल रहे हैं अतः संबंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष अपने प्रस्तावों से संबंधित समिति के सदस्य होंगे।

4.12.2. बैठक का विवरण :

01.02.2020 से 31.03.2021 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 24 बैठकें संपन्न हुई, विवरण निम्नवत है :

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	18-04-2020	4	4
2	16-05-2020	4	4
3	03-06-2020	4	4
4	14-07-2020	4	4
5	05-08-2020	4	4
6	28-08-2020	4	4
7	11-09-2020	4	4
8	25-09-2020	4	4
9	09-10-2020	4	4
10	23-10-2020	4	3
11	06-11-2020	4	4
12	21-11-2020	4	4
13	04-12-2020	3	3
14	07-12-2020	3	3
15	19-12-2020	3	3
16	29-12-2020	3	3
17	13-01-2021	3	3
18	30-01-2021	3	3
19	22-02-2021	3	3
20	06-03-2021	3	3
21	19-03-2021	4	4
22	25-03-2021	4	4
23	29-03-2021	4	4
24	30-03-2021	4	4

4.13 गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं को गैर–सहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने वाली गैर–सहयोगी उधारकर्ता अनुवीक्षण समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने / पुष्टि करने के लिए गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का गठन दिनांक 23.01.2015 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.13.1 गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2021 को यथास्थिति गैर–सहयोगी उधारकर्तओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना निम्नवत है :

1	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
2	डॉ. भारत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.13.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी:

4.14 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति:

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपील समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2021 को बोर्ड की चयन समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार नामिती निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी:

4.15 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 एचआर समिति की संरचना :

यथास्थिति 31.03.2021 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
6.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

एचआर समिति के बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं।

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	18-06-2020	7	7
2.	29-07-2020	7	7
3.	14-10-2020	7	7
4.	16-12-2020	6	6
5.	10-03-2021	5	4

4.16 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 30.03.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.16.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2021 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	18-06-2020	3	3

4.17 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति:

दिसंबर 18, 2012 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.17.1 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2021 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे :

1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री संजीव कौशिक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	बैठक की तिथि	वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	29-07-2020	6	5
2.	16-11-2020	6	5
3.	17-12-2020	5	5
4.	22-02-2021	4	4

4. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर–कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक के भूतपूर्व एवं वर्तमान पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए वेतन एवं प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	नाम	मूल वेतन (रु.)	मंहगाई भत्ता (रु.)	बकाया (रु.)	प्रोत्साहन / अन्य भत्ता (रु.)	प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 दिन का अवकाश नकदीकरण राशि (रु.)	कुल (रु.)
1.	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	2595900.00	441303.00	-	-	8534.53	3045737.53
2.	श्री वी वी शेणॉय, कार्यपालक निदेशक	2234700.00	379899.00	-	-	7344.70	2621943.70
3.	श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक	2234700.00	379899.00	-	-	6872.81	2621471.81
4.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 10–03–2021 से)	125470.97	21330.06	-	-		146801.03
5.	श्री एम के भट्टाचार्य, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (दिनांक 30–11–2020 तक)	1545600.00	262752.00	-	-	7792.40	1816144.40

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टाक आप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 18.01.2019 से गैर–कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु रु.40,000/- और समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु रु.20,000/-, बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त रु.10000/- तथा समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु अतिरिक्त रु.5000/- का भुगतान (रु.15 लाख प्रतिवर्ष के अधीन) किया जा रहा है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों और सरकार तथा आरबीआई द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

6. फेमिलियराइजेशन कार्यक्रम:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

7. आम बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
बारहवीं वार्षिक आम बैठक	बृहस्पतिवार, 28 जून 2018, पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नै 600028	यथास्थिति 31 मार्च, 2018 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण
तेरहवीं वार्षिक आम बैठक	बृहस्पतिवार, 27 जून 2019, पूर्वाह्न 10.30 बजे	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नै 600028	यथास्थिति 31 मार्च, 2019 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 07 अगस्त 2020, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से	यथास्थिति 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण

7.2 उपरोक्त तीनों वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.3 दिनांक 07.08.2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

(क)	सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अध्यक्ष)
(ख)	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक
(ग)	श्री वी वी शेणॉय	कार्यपालक निदेशक
(घ)	श्री के रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक
(ङ)	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष
(च)	श्री सलिल कुमार झा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एवं बोर्ड के स्टेकधारक संपर्क समिति के अध्यक्ष

7.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि बैंक के शेयरधारकों ने निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए :

7.5 दिनांक 30.11.2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में:

01, अप्रैल 2020 को "शेयर प्रीमियम खाता" की जमा राशि रु19,833,14,85,004.17 (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ चौदह लाख पचासी हजार चार और सत्रह पैसे) की कुल राशि में से रु.18,975,52,95,417.96 (रुपए अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख पंचानवे हजार चार सौ सत्रह और छियानबे पैसे) को 01 अप्रैल, 2020 को केवल रु18,975,52,95,417.96 (रुपए अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख पंचानवे हजार चार सौ सत्रह और छियानबे पैसे) के नामे शेष (संचित हानि) के समायोजन के लिए इंडियन बैंक (समामेलित बैंक) के आरक्षित और अधिशेष के तहत संचित हानि के खाते में अंतरण करके तदनुसार और लाभ और हानि खाते में नामे शेष को कम करना और चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान इसे हिसाब में लेना।

7.6 दिनांक 02.03.2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में:

(क्यूआईपी), एफपीओ, राइट इश्यू या इनके संयोग के रूप में चाहे बाजार मूल्य या उसमें छूट पर, एक या अधिक शृंखलाओं में, कुल 4000 करोड़ (रुपये चार हजार करोड़ मात्र) तक रु.10.00 प्रति के अंकित मूल्य के उस संख्या में इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन।

8. व्हिसल ब्लोअर नीति/ सतर्कता तंत्र:

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है 'व्हिसल ब्लोअर पालिसी' जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

9. प्रकटीकरण:

(क) बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

(ख) बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

(घ) बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

(ङ) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों ''भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ'' नहीं हैं। दो अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।

(च) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1 शिकायत प्राप्त हुई थी और इसका समाधान किया गया था।

(छ) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ज) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों का एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(झ) वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि 2.64 करोड़ है।

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

(ट) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में, बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर अपलोड किए गए।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमतः सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकती है।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध अभिमत है
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत कया जाता है।

10. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) में तथा एक चेन्नै स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात ''फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), दिनामणि (तमिल) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेन्टेशन बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर दिए गए हैं।

11. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

11.1 15वीं वार्षिक आम सभा का विवरण :

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021
समय	पूरावह्न 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसी/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी एवं इसका स्थान बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रोयापेट्टा, चेन्नै – 600 014 रखा जाएगा।

11.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलैंडर (अनंतिम) :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2021	–	जुलाई–अगस्त 2021
30 सितम्बर 2021	–	अक्तूबर–नवम्बर 2021
31 दिसम्बर 2021	–	जनवरी–फरवरी 2021
31 मार्च 2022	–	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा : अप्रैल–मई 2022

11.3 लाभांश भुगतान हेतु अभिलिखित दिनांक

शुक्रवार, 9 जुलाई, 2021

11.4 वार्षिक आम बैठक हेतु वार्षिक बुक क्लोजर की दिनांक एवं लाभांश भुगतान :

बुक–क्लोजर –शनिवार, 10 जुलाई 2021 सं शुक्रवार, 16 जुलाई 2021 तक (दोनों दिन शामिल हैं)

11.5 लाभांश :

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति इक्विटी 2 रुपए के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 20.00 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

11.6 लिस्टिंग :

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :–

स्टाक एक्सचेंज	स्टाक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी– ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	INDIANB	01-03-2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	INDIANB/532814	01-03-2007

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

11.7 अनुपालन अधिकारी :

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार, श्री बिमल शाह, कंपनी सचिव, दिनांक 30.06.2020 तक अनुपालन अधिकारी थे। तत्पश्चात, श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक और कंपनी सचिव को 01.07.2020 से बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

11.8 बाजार मूल्य आंकड़े :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि.(एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	परिमाण (नं. लाखों में)
अप्रैल 2020	55.55	42.70	454.79	55.65	42.65	27.62	482.41
मई 2020	50.90	43.20	265.49	51.45	43.25	22.30	287.79
जून 2020	72.95	44.05	1,553.97	72.90	44.30	1,16.23	1670.20
जुलाई 2020	69.00	57.05	541.21	68.95	55.15	39.67	580.88
अगस्त 2020	71.85	57.05	661.88	71.75	57.85	41.63	703.51
सितंबर 2020	65.70	53.10	193.74	66.70	53.20	15.23	208.97
अक्टूबर 2020	63.45	56.20	184.65	63.30	56.30	13.00	197.65
नवंबर 2020	68.80	57.55	335.94	68.70	56.55	22.75	358.69
दिसंबर 2020	97.75	66.85	1,460.75	97.75	66.90	93.33	1554.08
जनवरी 2021	98.80	85.35	1,069.80	98.65	85.10	59.87	1129.67
फरवरी 2021	157.00	87.50	2,007.35	156.90	87.55	119.46	2126.81
मार्च 2021	143.95	112.00	449.28	143.95	112.10	38.83	488.11

11.9 इन्डेक्स (निफ्टी–50 एवं एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (रु.)	निफ्टी–50 (अंतिम)	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
01 अप्रैल 2020	43.95	8253.80	28265.31
04 मई 2020	47.05	9293.50	31715.35
01 जून 2020	46.5	9826.15	33303.52
01 जुलाई 2020	65.75	10430.05	35414.45
03 अगस्त 2020	58.1	10891.60	36939.6
01 सितंबर 2020	64.75	11470.25	38900.8
01 अक्टूबर 2020	57.2	11416.95	38697.05
02 नवंबर 2020	58.45	11669.15	39757.58
01 दिसंबर 2020	69.15	13109.05	44655.44
01 जनवरी 2021	88.35	14018.5	47868.98
01 फरवरी 2021	94.7	14281.2	48600.61
01 मार्च 2021	137.5	14761.55	49849.84

11.10 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै–600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

11.11 शेयर अंतरण प्रणाली :

1. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) यथासंशोधित के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण या स्थानान्तरण के मामले को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास अभौतिक रूप में नहीं रखा जाता है। यह प्रणाली 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। हालांकि निवेशकों को 01 अप्रैल, 2019 के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखने की मनाही नहीं है।

2. जो निवेशक शेयरों का अंतरण करने के इच्छुक हैं (जो भौतिक रूप में उपलब्ध हैं) 1 अप्रैल, 2019 के बाद ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे डीमेटिरियलाइज्ड फार्म में हों।

3. भौतिक शेयरों का अंतरण या स्थानान्तरण बैंक की शेयर अंतरण समिति के अनुमोदन से किया जाता है

11.12 31.03.2021 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1 – 500	314772	93.04	253679360	2.25
501 – 1000	13219	3.91	103601250	0.92
1001 – 2000	6278	1.86	92668730	0.82
2001 – 3000	1585	0.47	40168230	0.35
3001 – 4000	715	0.21	25621430	0.23
4001 – 5000	572	0.17	27129500	0.24
5001 – 10000	645	0.19	46643200	0.41
10000 एवं उससे अधिक	535	0.16	10704154000	94.78
कुल	**338321**	**100.00**	**11293665700**	**100.00**

11.13 शेयरों का डिमेटिरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमेट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE562A01011 है।

31.03.2021 को यथास्थिति बैंक के 1127869328 इक्विटी शेयर, डिमेटिरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.87 प्रतिशत है।

31.03.2021 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारण		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का :	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का :
भौतिक रूप		42968	12.70	1497242	0.13
डीमैट रूप	एनएसडीएल	180382	53.32	107586493	9.53
	सीडीएसएल	114971	33.98	1020282835	90.34

31.03.2021 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/– के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 994549600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 88.06 प्रतिशत है।

11.14 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

11.15 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संदर्भ में बैंक ने अपनी देयताओं का आकलन उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर किया है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे ही उपलब्ध करवाया गया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं जहां कहीं भी उधारकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं, इन सभी के आधार पर बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी. सं.बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013–14 दिनांकित 15 जनवरी, 2014 एवं परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 116/21.06.200/2013–14 दिनांकित 3 जून, 2014 के द्वारा तत्पश्चात स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को अपने घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में देयताएँ कुल 9.48 करोड़ रुपए (गत वर्ष 8.82 करोड़ रुपए)बताई। संपूर्ण अनुमानित राशि के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

11.16 लाभांश वितरण नीति :

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

11.7 अतिरिक्त टीयर 1 (एटी 1) ईवीएएम टीयर 2 बॉन्ड्स जारी कर प्राप्त हुई निधि का उपयोग

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुपालित एटी 1 बॉन्ड्स का निजी तौर पर शेयर आबंटन कर 3 ट्रेंच में कुल 2000 करोड़ रुपए की एटी 1 पूंजी एवं बेसल III टीयर 2 बॉन्ड्स का निजी तौर पर शेयर आबंटन कर 3 ट्रेंच में कुल 2000 करोड़ रुपए की टीयर 2 पूंजी प्राप्त की।

सशक्त पूजी पर्याप्तता एवं दीर्घ कालीन अवधि के संसाधनों को बढ़ाने के लिए इस निधि का उपयोग नियमित व्यापार गतिविधियों हेतु किया गया।

12. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैंडेट (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई : इंडियन बैंक) पी सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै– 600 002 टेलीफोन : (9144) 28460718 फैक्स : (9144) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	सेवा में, कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवा कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस 254–260, अव्वै षणमुगम सालै रॉयपेट्टा, चेन्नै – 600014 टेलीफोन : 044–28134076 फैक्स : 044–28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

12.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2021 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :

	यथास्थिति 01.04.2020 को लंबित	2020–21 के दौरान प्राप्त	2020–21 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2021 को लंबित
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	शून्य	55	55	शून्य

13 डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमैट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात 01.04.2020 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक – 33 शेयर – 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के अंत में अर्थात 31.03.2021 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक – 33 शेयर – 3862

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमेट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

14. शेयरधारिता संरचना (31.03.2021 को यथास्थिति) :

सं.	श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता :
1	भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) – प्रमोटर	1	994549600	88.06
2	म्युचुअल फंड	10	28992185	2.57
3	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	62	11468331	1.02
4	बीमा कंपनियाँ	8	20273490	1.80
5	वित्तीय संस्थाएं बैंक	5	22926	0.00
6	निवासी व्यक्ति	290828	50798903	4.50
7	निगमित निकाय	836	3333685	0.30
8	निदेशक एवं उनके संबंधी	5	11295	0.00
9	कर्मचारी	33451	15433325	1.37
10	क्लियरिंग सदस्य	183	1143219	0.10
11	हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	3421	1710151	0.15
12	अनिवासी भारतीय	2397	1472320	0.13
13	न्यास	20	149257	0.01
14	केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं)/ भारत के राष्ट्रपति नॉन प्रमोटर	1	4021	0.00
15	अदावी डीमेट उचंत खाता	2	3862	0.00
	कुल	**331230**	**1129366570**	**100.00%**

15. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान :

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रही है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

16. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

17. 31.03.2021 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बांड/ऋण लिखतों का विवरण और बकाया :

31.03.2021 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बकाया बांडों का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	आईएसआईएन	राशि (रु. करोड़ में)	31.03.2021 को यथास्थिति शानदार रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बांड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08057	1048	केयर एए/स्थिर क्रिसिल एए/स्थिर	केयर रेटिंग लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज III	INE562A08065	560			
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज IV	INE562A08073	392			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज I	INE562A08016	600	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर		
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच ए	INE562A08024	290			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच बी	INE562A08032	110			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड ट्रेंच सी	INE562A08040	600			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज I	INE428A08028	500	क्रिसिल एएए/स्थिर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर	क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड एवं ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड मुंबई – 400 001
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज II	INE428A08044	1000			एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयर एएए/स्थिर इंडआर एएए/स्थिर	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड एवं केयर रेटिंग लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज IV	INE428A08101	1500	क्रिसिल एएए/स्थिर इंडआर एए/स्थिर	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज V	INE562A08081	2000	केयर एए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर	केयर रेटिंग लिमिटेड एवं क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	
कुल		**9600**			

18. **आचार संहिता**

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य ''आचार संहिता'' तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

19. **कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र**

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तो के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 28.05.2021
स्थान : चेन्नै

(पद्मजा चुन्डूरू)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तो के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in. पर उपलब्ध है

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28 मई 2021

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक** द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन (**इसके पश्चात बैंक कहा गया है**) की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमने अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन एवं जांच की। कोविड के कारण बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी।

इंडियन बैंक की बही खातों, कागजात, कार्यवृत की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमें दिए गए व्याख्या और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम द्वारा कोविड–19 (COVID-19) महामारी के फैलाव के कारण दी गई छूटों पर विचार करके, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंडियन बैंक ("बैंक") द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; – आईईपीएफ़ संबंधित प्रावधान लागू हैं।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; **(लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं :–

(एं) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 2018 में संशोधित **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश ,1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2008;

(एफ) कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; **(लागू नहीं)**

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू है, वह निम्नानुसार है :

(vi) बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

मेरे द्वारा निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की जांच भी की गई है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक **(लागू सीमा तक)**;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 15(2) के अनुसार अन्य संविधियों के तहत विनियमनों की शर्तों के अधीन के अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए, जो कंपनियां नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट निकाय है, कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान में दिए गए विनियमन 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी एवं ई इस हद तक लागू होगा कि यह संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी संबंधित संविधियों और दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और कंपनी अधिनियम, 1953/2013 के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं तथा विनियम 15 से 27 के प्रावधान कुछ हद तक अनुपालनीय/लागू नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध संस्था ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है।

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम,1980 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली अस्तित्व में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के दौरान

I बैंक ने 31.12.2020 को समाप्त तिमाही में बेसल III अनुपालित एटी 1 बेमीयादी बॉन्ड्स का निजी तौर पर शेयर आबंटन कर 3 ट्रेंच में कुल 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एटी 1 पूंजी एवं जनवरी 2021 में बेसल III टीयर 2 बॉन्ड्स का निजी तौर पर शेयर आबंटन कर 3 ट्रेंच में कुल 2000 करोड़ रुपए की टीयर 2 पूंजी प्राप्त की।

ii. भारत सरकार ने अपनी गजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर.156(ई) दिनांकित 04.03.2020 के द्वारा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन योजना, 2020 (योजना) को अधिसूचित किया।

इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी हुआ।

योजना के प्रारम्भ में, अर्थात 01.04.2020 को, अंतरणकर्ता बैंक (इलाहाबाद बैंक) के उपक्रमों का स्थानांतरण अंतरिती बैंक (इंडियन बैंक) में हुआ एवं वे उसमें निहित हो गए।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ सहयोगी
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं 6032
समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: एफ़002969सी000406020

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 01.06.2021

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,
सदस्यगण
इंडियन बैंक
चेन्नै – 600014

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन जांच के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और समुचितता की जांच नहीं की है।

4. जहां कभी भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ सहयोगी
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं 6032
समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: F002969C000406020

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 01.06.2021

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2020–21 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(i) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो ।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(अरुण कुमार बंसल)
महाप्रबंधक–सीएफओ

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28 मई 2021

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी से आई) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **इंडियन बैंक,** के कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टेकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मे. के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 106237W

चिराग बक्शी
पार्टनर
सदस्यता सं.047164
यूडीआईएन : 21047164AAAAEM9291

कृते मे. श्री राममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 003032S

डोंदेती तेजा सागर
पार्टनर
सदस्यता सं. 227878
यूडीआईएन : 21227878AAAAEP3128

कृते मे. रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 009073N/N500320

जयंत ए
पार्टनर
सदस्यता सं. 231549
यूडीआईएन : 21231549AAAACT4199

कृते मे. पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 003990S/S200018

वी कोदंडरामन
पार्टनर
सदस्यता सं. 25973
यूडीआईएन : 21025973AAAABB7598

कृते मे. जी. नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सः 002424S

के मुरली
पार्टनर
सदस्यता सं. 024842
यूडीआईएन : 21024842AAAABZ8572

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28.05.2021

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ हजार में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2021 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2020* को (लेखापरीक्षित)
पूँजी व देयताएं			
पूंजी	1	1129 36 66	608 80 06
आरक्षितियां और अधिशेष	2	37282 57 83	21480 46 80
जमाएं	3	538071 11 49	260225 89 70
उधार	4	26174 59 82	20830 30 96
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	23347 36 19	6322 69 92
कुल		**626005 01 99**	**309468 17 44**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष	6	27545 08 17	5736 12 43
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	26514 79 55	8188 55 97
निवेश	8	176536 96 62	81241 68 80
अग्रिम	9	364010 24 06	197887 01 15
अचल आस्तियां	10	7376 31 14	3895 74 42
अन्य आस्तियां	11	24021 62 45	12519 04 67
कुल		**626005 01 99**	**309468 17 44**
आकस्मिक देयताएं	12	293533 46 10	42576 86 28
वसूली के लिए बिल	-	12620 72 77	5994 96 94

* 31.03.2020 के आंकड़े समामेलन पूर्व इंडियन बैंक स्टैंडआलोन वित्त से संबंधित है, अतः इसकी तुलना समामेलन पश्चात के 31.03.2021 के आंकड़ों से न की जाए।

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

के रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस के पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मैसर्स के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 106237डब्ल्यू

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम. संख्या 047164)

डोंदेती तेजा सागर
साझेदार
(एम. संख्या 227878)

जयंत ए
साझेदार
(एम. संख्या 231549)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस/एस200018

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वी कोदंडरामन
साझेदार
(एम. संख्या 25973)

के मुरली
साझेदार
(एम. संख्या 024842)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28.05.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ हजार में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	39105 78 65	21404 96 92
अन्य आय	14	6079 25 38	3312 46 43
कुल		**45185 04 03**	**24717 43 35**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	23439 83 90	13798 55 31
परिचालनगत व्यय	16	10349 55 28	4420 83 92
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	8390 97 08	5744 68 30
कुल		**42180 36 26**	**23964 07 53**
III. लाभ /हानि			
तिमाही के लिए निवल लाभ /हानि (–)		3004 67 77	753 35 82
अग्रानीत लाभ / हानि (–)		99 16 27	99 15 45
शोयर प्रीमियम के सापेक्ष सेट ऑफ/अन्य समायोजन घटाकर		-101 67 04	-
कुल		**3002 17 00**	**852 51 27**
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षितियां		751 17 00	188 34 00
पूँजी आरक्षितियां		47 71 00	152 15 00
राजस्व आरक्षितियां		1387 34 39	-
स्टाफ कल्याण निधि		25 00 00	15 00 00
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षितियां		464 91 00	389 99 00
निवेश आरक्षितियां		-	7 87 00
ईक्विटी लाभांश		225 87 33	-
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है		100 16 28	99 16 27
कुल		**3002 17 00**	**852 51 27**
प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (आधारभूत और कम किया गया)		26.61	14.33

* '31.03.2020 के आंकड़े समामेलन पूर्व इंडियन बैंक स्टैंडआलोन वित्त से संबंधित है, अतः इसकी तुलना समामेलन पश्चात के 31.03.2021 के आंकड़ों से न की जाए।

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

के रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस के पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मैसर्स के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 106237डब्ल्यू

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम. संख्या 047164)

डोंदेती तेजा सागर
साझेदार
(एम. संख्या 227878)

जयंत ए
साझेदार
(एम. संख्या 231549)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस/एस200018

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वी कोदंडरामन
साझेदार
(एम. संख्या 25973)

के मुरली
साझेदार
(एम. संख्या 024842)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28.05.2021

अनुसूची 1 – पूँजी

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 10/– रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी		
ईक्विटी शेयर		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 50,80,80,023 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	508 08 00
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 13,48,16,970 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 10,07,20,557 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	134 81 70	100 72 06
कुल	**1129 36 66**	**608 80 06**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजार में)

	विवरण	31.03.2021 को लेखापरीक्षित	31.03.2020 को लेखापरीक्षित
I.	**सांवधिक आरक्षितियां**		
	ए) अथशेष	4694 19 81	4505 85 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ (*)	3955 55 70	188 34 00
	कुल I	**8649 75 51**	**4694 19 81**
II.	**पूँजीगत आरक्षितियां**		
ए)	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व		
	ए) अथशेष	2987 84 42	3095 03 91
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ (*)	2909 98 72	0
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां	142 86 51	107 19 49
	कुल (ए)	**5754 96 63**	**2987 84 42**
बी)	अन्य		
	ए) अथशेष	388 55 24	236 40 24
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ (*)	524 45 50	152 15 00
	कुल (बी)	**913 00 74**	**388 55 24**
	कुल II (ए+ बी)	**6667 97 37**	**3376 39 66**
III.	**शेयर प्रीमियम**		
	अथशेष	4026 65 23	1325 67 33
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	15806 49 62	2700 97 90
	वर्ष के दौरान कटौती	18975 52 95	0
	कुल III	**857 61 90**	**4026 65 23**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षितियां**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां:		
	अथशेष	7448 29 29	8265 03 80
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	5533 16 14	0
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अंतरित	142 86 51	107 19 49
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	923 94 00
	कुल (ए)	**13124 31 94**	**7448 29 29**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
	अथशेष	725 52 00	725 52 00
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	1450 00 00	0
	कुल (बी)	**2175 52 00**	**725 52 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (Viii ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
	अथशेष	58 20 00	58 20 00
	वर्ष के दौरान जोड़	0	0
	कुल (सी)	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश / उतार–चढ़ाव आरक्षितियां		
	अथशेष	566 99 00	177 00 00
	वर्ष के दौरान जोड़	464 91 00	389 99 00
	कुल (डी)	**1031 90 00**	**566 99 00**
	ई) निवेश आरक्षितियां		
	अथशेष	47 79 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	138 58 55	7 87 00
	कुल (ई)	**186 37 77**	**47 79 22**
	एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियां		
	अथशेष	437 26 31	380 59 24
	वर्ष के दौरान जोड़		56 67 07
	वर्ष के दौरान कटौतियां	15 33 43	0
	कुल (एफ)	**421 92 88**	**437 26 31**

	जी) आईआरएस आरक्षितियां		
	अथशेष	0	0
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	1 90 63	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	कुल (जी)	**1 90 63**	**0**
	कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	**17000 15 22**	**9284 05 82**
V.	**समामेलन आरक्षितियां**		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान जोड़	4006 91 55	0
	कुल V	**4006 91 55**	**0**
VI.	**लाभ एवं हानि खाता**		
	अथशेष	99 16 27	99 15 45
	वर्ष के दौरान जोड़ (*)	102 67 05	82
	वर्ष के दौरान कटौतियां	19077 19 99	0
	शेयर प्रीमियम से समायोजन	18975 52 95	0
	कुल VI	**100 16 28**	**99 16 27**
	कुल (I+II+III+IV+V+VI)	**37282 57 83**	**21480 46 80**

(*) ई–एबी आरक्षितियों सहित जोड़ / घटाव

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
ए. I. मांग जमाराशियां		
I) बैंकों से	289 29 18	211 10 71
ii) अन्य से	32055 27 51	13337 91 83
कुल	**32344 56 69**	**13549 02 54**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**195250 29 37**	**76609 10 59**
III. सावधि जमाराशियां		
I) बैंकों से	5323 09 87	4111 94 38
ii) अन्यों से	305153 15 56	165955 82 19
कुल	**310476 25 43**	**170067 76 57**
कुल (I+II+III)	**538071 11 49**	**260225 89 70**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं	529264 23 30	252792 25 88
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	8806 88 19	7433 63 82
कुल	**538071 11 49**	**260225 89 70**

अनुसूची 4 – उधार

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5032 04 04	11529 90 30
ii) अन्य बैंक	13 72	10 88
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण *	14935 73 74	6418 86 00
कुल	**19967 91 50**	**17948 87 18**
II. भारत के बाहर उधार **	6206 68 32	2881 43 78
कुल (I+II)	**26174 59 82**	**20830 30 96**
ऊपर के मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	5032 04 04	11529 90 30

* एटी–1 पूँजी – स्थायी ऋण लिखत रु.2000 00 00 (पिछले वर्ष रु.500 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु.7600 00 00 (पिछले वर्ष रु.2600 00 00) को शामिल किया गया है।

**नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. संदेय बिल	2822 90 69	494 00 20
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	6228 15 32	-
III. उपचित ब्याज	1041 86 06	845 32 77
IV. अन्य (प्रावधान सहित) *	13254 44 12	4983 36 95
कुल	**23347 36 19**	**6322 69 92**

* रु.28268255 (पिछले वर्ष रु.9610829) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	1658 27 76	1006 08 85
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	25886 80 41	4730 03 58
कुल (I+II)	**27545 08 17**	**5736 12 43**

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में		
i) बैंकों में अधिशेष		
ए. चालू खाते में	95 08 44	5 35 06
बी. अन्य जमा खातों में	2046 43 44	713 36 57
कुल (I)	**2141 51 88**	**718 71 63**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि (बैंकों के साथ)	8900 00 01	2100 00 01
कुल (ii)	**8900 00 01**	**2100 00 01**
कुल (i + ii)	**11041 51 89**	**2818 71 64**
II. भारत के बाहर		
I) चालू खातों में	1577 67 70	530 92 57
ii) अन्य जमा खातों में	13866 22 54	4830 26 44
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	29 37 42	8 65 32
कुल (i + ii + iii)	**15473 27 66**	**5369 84 33**
कुल योग (I +II)	**26514 79 55**	**8188 55 97**

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	179570 44 81	81665 09 41
मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान घटाकर	3437 58 50	1282 86 31
प्रतिभूति रसीद पर प्रावधान घटाकर	1922 31 20	1311 53 07
निवल निवेश	**174210 55 11**	**79070 70 03**
I) सरकारी प्रतिभूतियां	157550 39 28	67537 87 44
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5 22 76	2 98 83
iii) शेयर	986 58 19	351 87 70
iv) डिबेंचर और बॉंड	13359 15 13	6715 54 67
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ)	216 16 81	101 15 25
vi) अन्य	2093 02 94	4361 26 14
कुल	**174210 55 11**	**79070 70 03**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	**2420 89 82**	**2268 26 80**
मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान घटाकर	94 48 31	97 28 03
निवल निवेश	**2326 41 51**	**2170 98 77**
I) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	2304 10 19	2149 36 57
ii) अन्य निवेश		
ए) शेयर	59 71	43 53
बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	21 71 61	21 18 67
कुल	**2326 41 51**	**2170 98 77**
निवल कुल योग (ए + बी)	**176536 96 62**	**81241 68 80**

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2131 68 93	1453 59 19
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	221263 43 24	99136 74 77
iii) मियादी ऋण	140615 11 89	97296 67 19
कुल	**364010 24 06**	**197887 01 15**
I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	320789 57 49	161337 53 81
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	22887 65 72	4056 48 84
iii) अरक्षित	20333 00 85	32492 98 50
कुल	**364010 24 06**	**197887 01 15**
I. भारत में अग्रिम		
I) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	157623 42 54	90415 78 93
ii) सरकारी क्षेत्र	64398 77 88	17991 68 34
iii) बैंक	169 24 06	772 90 59
iv) अन्य	131534 30 98	80515 67 81
कुल	**353725 75 46**	**189696 05 67**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ	4475 58 45	2254 59 78
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल	771 50 63	970 27 17
ख) सामूहिक ऋण	3526 55 17	3355 58 88
ग) अन्य	1510 84 35	1610 49 65
कुल	**10284 48 60**	**8190 95 48**
कुल योग (I+II)	**364010 24 06**	**197887 01 15**

आरआईडीएफ और पीएसएलसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से काटा या जोड़ा नहीं गया था

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर (*)	6853 35 76	3762 94 58
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	3 99 76	3 63 15
	पूर्ण योग	6857 35 52	3766 57 73
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	पूर्ण योग	6857 35 52	3766 57 73
	अद्यतन मूल्य ह्रास (*)	1243 94 40	832 07 90
	कुल	**5613 41 12**	**2934 49 83**
II.	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर (*)	530 52 79	244 97 37
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	0	0
	पूर्ण योग	530 52 79	244 97 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	पूर्ण योग	530 52 79	244 97 37
	अद्यतन मूल्य ह्रास (*)	42 92 70	4 52 05
	कुल	**487 60 09**	**240 45 32**
III.	**निर्माणाधीन भवन**	**1 06 54**	**78 25**
IV.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर (*)	4121 12 83	2056 01 96
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	554 37 72	255 42 34
	पूर्ण योग	4675 50 55	2311 44 30
	वर्ष के दौरान कटौतियां	47 34 82	51 56 44
	पूर्ण योग	4628 15 73	2259 87 86
	अब तक मूल्य ह्रास (*)	3353 92 34	1539 86 84
	कुल	**1274 23 39**	**720 01 02**
	कुल (I+II+III+IV)	**7376 31 14**	**3895 74 42**

(*) समामेलन के परिणामस्वरूप ग्रहण की गई आस्तियों सहित लागत / पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यह्रास का अद्यतन प्रारम्भिक शेष

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	2044 28 71
II. उपचित ब्याज	2766 81 86	1283 47 23
III. प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	6625 26 70	4356 23 89
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	46 37 53	17 56 30
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां	51 38 26	20 26 11
VI. अन्य*	14531 78 10	4797 22 43
कुल	**24021 62 45**	**12519 04 67**
* जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/एनएचबी जमाएं शामिल है।	1304 51 23	284 72 93

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'*	953 36 91	651 26 63
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	373 81 66	400 32 98
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	254856 84 39	20382 57 13
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां'*		
क. भारत में	17792 78 38	8930 01 79
ख. भारत के बाहर	379 99 49	382 63 47
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं*	9394 28 29	6401 33 66
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9782 36 98	5428 70 62
कुल	**293533 46 10**	**42576 86 28**

* आकस्मिक देयताओं को मार्जिन का निवल माना गया है ।

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को लेखापरीक्षित	31.03.2020 को लेखापरीक्षित
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि	27454 63 11	15933 04 15
II. निवेशों पर आय	11166 89 38	5278 82 36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	425 45 97	177 42 66
IV. अन्य	58 80 19	15 67 75
कुल	**39105 78 65**	**21404 96 92**

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	753 08 93	338 66 77
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	2259 91 38	934 93 94
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि	135 67 19	55 20 58
निवल	2124 24 19	879 73 36
III. निवेशों के पुनर्मूल्याँकन पर लाभ	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
निवल	0	0
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *	2 83 09	3 13 61
घटाएँ : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि *	3 22 28	2 40 22
निवल	- 39 19	73 39
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	405 92 51	202 05 96
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	12 45 06	12 69 28
VII. विविध आय	2783 93 88	1878 57 67
कुल	**6079 25 38**	**3312 46 43**

* यह राशि सेफ, फ़र्निचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है

अनुसूची 15 – खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	22220 79 49	12996 10 31
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1048 64 54	757 94 57
III.अन्य	170 39 87	44 50 43
कुल	**23439 83 90**	**13798 55 31**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6378 23 81	2472 96 30
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	602 83 47	317 91 89
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	57 65 50	30 54 18
IV. विज्ञापन और प्रचार	11 66 17	8 83 46
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	632 87 20	313 63 06
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	39 60	89 93
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)	63 01 86	34 18 00
VIII विधि प्रभार	20 19 41	8 58 34
IX. डाक, तार और टेलीफोन	117 18 86	51 66 96
X. मरम्मत और अनुरक्षण	197 09 98	93 72 73
XI. बीमा	682 46 34	286 90 24
XII. अन्य व्यय	1585 93 08	800 98 83
कुल	**10349 55 28**	**4420 83 92**

अनुसूची–17 – मुख्य लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रहे प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1. भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

3.2. गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

- आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1. बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2. एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

4.3. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

ए) **''एचटीएम''** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों /संयुक्त उद्यमों/ एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) **''एएफस''** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद

वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) **''एचएफटी''** प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) **''एएफएस'' एवं ''एचएफटी''** प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है:

i. प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीएआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii. राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई / एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii. कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv. कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता हैय अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v. अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi. राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii. कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता हैय अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) /वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

ix. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है:

- प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।
- इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/– होता है।

4.5. प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6. व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7. एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

4.8. एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9. निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति

में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिषोधित कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण

- भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि प्रचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो /रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।
- रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1. प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

5.2. आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल औरध्या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान नियामक आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार किए गए हैं :

ए) अवमानक :

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान

ii) प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

  आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

  तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समयए उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।
- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ /मूल्यह्रास

7.1. अचल संपत्तियों को लागत / पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यह्रास / परिशोधन किया जाता है।

7.2. लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल है। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

7.3. भारत में इमारतों का मूल्यह्रास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य / अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय–सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्रं. सं.	अचल आस्तियाँ का मूल्यह्रास	मूल्यह्रास की दर / उपयोग की गयी समय–सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय–सीमा निम्नानुसार है: परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां/ लॉकर/ दरवाजे (स्ओील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष

7.4. वर्ष के दौरान बेची गई / अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से / संपत्ति के उपयोग की गयी समय–सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा।

7.5. रुपए 5000/– तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

7.6. पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय–सीमा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यह्रास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

7.7. उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

7.8. पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.9. विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.10. गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1. आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2. गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्ययए डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.3. अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) **पेंशन**

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ**

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) **अन्य कर्मचारी सुविधाएँ**

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम होए के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1. आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां:

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2. ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिम, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

(i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

(ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर

15.1. वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3. समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
I) सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.27	11.78
ii) टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.93	12.08
iii) टियर II पूँजी अनुपात (%)	3.78	2.04
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	15.71	14.12
v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	88.06	83.46
vi) संग्रह की गई ईक्विटी पूँजी की राशि	# 520.57	128.51
vii) संग्रह की गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि, जिसमें से शाश्वत गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) शाश्वत ऋण की लिखतें (पीडीआई)	2000	NIL
viii) संग्रह की गई अतिरिक्त टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से ऋण पूँजी लिखत अधिमान्य शेयर पूँजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	2000	NIL

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पूंजी में हुई वृद्धि पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के समामेलन के कारण है

2. निवेश

2.1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2021 तक के आंकडे नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31/03/2021		31/03/2020	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता तक रखे गए – एच टी एम *	127975.51	72.04	46772.80	58.21
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	49672.64	27.96	33580.76	41.79
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	177648.14	100.00	80353.56	100.00

* निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 22.50 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के सापेक्ष 19.50 प्रतिशत हैं। (पिछले वर्ष के लिए 19.50 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के सापेक्ष यह 17.08 प्रतिशत रहा।)

2.2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य $		
(ए) भारत में	177648.14	80353.56
(बी) भारत के बाहर	2420.90	2268.27
(ii) मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	3437.58	1282.86
(बी) भारत के बाहर	94.48	97.28

(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(ए) भारत में (बी) भारत के बाहर	174210.56 2326.41	79070.70 2170.99
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
(I) प्रारंभिक शेष	3075.64**	1035.06
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	967.12	821.55
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते में डालना	605.17	573.75
(iv) अंतिम शेष	3437.58#	1282.86#

चूंकि बैंक ने एफआईटीएल के एवज में जारी शेयरों पर कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए इस पर कोई आय बुक नहीं की है और समतुल्य राशि पर प्रत्यक्ष होल्ड रखता है।

** प्रारंभिक शेष संयुक्त इकाई (इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) के प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार है।

$ सुरक्षा प्राप्तियों के प्रावधान पर विचार करने के बाद, भारत में निवेश का सकल मूल्य ₹ 1922.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1311.53 करोड़) है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2021 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	12227.00	6164.01	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	18900.00	5284.41	8900.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना रू

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	दर निर्धारण नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	22659.18	20507.29	0.00	175.36	19085.92
2	वित्तीय संस्थाएं	7290.60	5116.48	332.19		167.04
3	बैंक	907.22	307.50	0.00		191.08
4	निजी कॉर्पोरेटरु	6633.03	6293.16	1121.39	3.50	4337.84
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	211.50	211.50	0.00	0.00	132.83
6	अन्य	293.90	213.17	0.00	0.00	213.17
7	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	-3413.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**34581.93**	**32649.10**	**1453.58**	**178.86**	**24127.67**

यह आंकड़ा ₹1922.31 करोड़ के अलग रखे गए प्रावधान का निवल है

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेशरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष	1623.51*	412.77
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	93.07	363.40
उक्त अवधि के दौरान घटौती	17.85	4.86
अंतिम शेष	1698.73	771.32
धारित कुल प्रावधान	797.45	425.08

* प्रारंभिक शेष राशि संयुक्त इकाई के प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार है

2.2.3 एचटीएम संवर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम वर्ग में/से प्रतिभूतियों के विक्रय एवं हस्तांतरण, का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम संवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

- एचटीएम श्रेणी से ₹ 85.00 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 271.10 करोड़), जोकि एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ था, को लाभ और हानि लेखे में लिया गया है और उसके बाद ₹ 47.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹152.15 करोड़) की राशि को आरक्षित पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधियां में हस्तांरित करने के लिए अपेक्षित राशि)।

- **प्रतिभूतियों का हस्तांतरणरू**

  (i) वर्ष की शुरुआत में, बैंक ने निम्नलिखित का हस्तांतरण किया

  - चटीएम से एएफ़एस में ₹17581.47 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ जिसके परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं हुआ है। जिसमें एसएलआर अंतरण ₹17548.95 करोड़ है और ₹ 32.52 करोड़ के बही मूल्य की गैर–एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियाँ, जिनपर एचटीएम संवर्ग से एएफ़एस संवर्ग का मूल्यह्रास का प्रावधान शून्य है और

  - एएफएस संवर्ग से एचटीएम संवर्ग में ₹1358.97 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ, जिसके परिणामस्वरूप बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए मूल्यह्रास के विरुद्ध धारित प्रावधान को ₹2.32 करोड के लिए समायोजित करना पडा। जिसमें एसएलआर अंतरण ₹1347.97 करोड़ है और एनएसएलआर अंतरण रुपये ₹11 करोड़ है।

  ii) वर्ष के दौरान, बैंक ने

  - एचटीएम श्रेणी से रुपये ₹ 2942.92 करोड़ के बुक वैल्यू की एनएसएलआर प्रतिभूतियों को परिपक्वता से पहले टीएलट्रो/टीएलट्रो 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि के पुनर्भुगतान के कारण एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया

  - ₹ 325.00 करोड़ रुपये के बुक मूल्य की एनएसएएलआर प्रतिभूतियों को विस्तारित पीसीजीएस योजना के अनुसार एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया।

  (ii) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियाँ, यदि अधिग्रहण मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम शेष परिपक्वता अवधि तक परिशोधित हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल रुपये ₹ 261.43 करोड़ (गतवर्ष ₹ 90.58 करोड़) परिशोधित किया गया है तथा यही 'निवेश पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

3. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
I) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न :

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
I)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	225
ii)	31 मार्च 2020 को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा ''अधिक प्रभावात्मक'' न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (प) व्यापार (डीलिंग) (पप) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (पपप) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जानेवाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपस (ओआईएस)
- मुद्रा फ़्यूचर्स

31 मार्च, 2021 को बकाया ओआईएस ₹ शून्य रहा (पिछले वर्ष –₹ शून्य रहा)

31.03.2021 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति ₹ शून्य है और पिछले वर्ष ₹ शून्य थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
I)	युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	0.00	0.00	0.00	0.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए				
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00	0.00	25.00
ii)	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित (1)				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	ऋण जोखिम (2)	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी' 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	2.47
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	1.23

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	3.37	3.13
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	* 41997.71	13353.45
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	9429.55	5320.50
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	12971.91	4523.11
(डी) अंतिम शेष	38455.35	14150.84
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	* 14272.33	6793.11
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	7196.53	3778.48
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	9197.73	4387.35
(डी) अंतिम शेष	12271.13	6184.24
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) प्रारंभिक शेष	*27274.26	6131.86
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6663.77	4254.77
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन करना	8297.85	2871.16
(डी) अंतिम शेष	25640.18	7515.47

* प्रारंभिक शेष राशि संयुक्त इकाई के प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार है

4.1.2 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र नं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018–19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय विवरणियों में अपने लेखों पर टिप्पणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलनों का खुलासा करें, जहां भी निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होंरू (ए) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक है और (बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हैं। चूंकि विचलन ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। हालांकि, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपनी आरएआर रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए विचलन के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया है।

4.1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र संख्या डीबीआर सं बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018–19 के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के दौरान लागू की गई संकल्प योजनाओं का विवरण :

हमारे एनपीए खाते मेसर्स जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 31.12.2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018–19 दिनांक 7 जून 2019 के संदर्भ में संकल्प योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। – ₹ 90.81 करोड़।

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर संख्या डीपी.बीसी.62/21.04.48/2019–20 दिनांक 17.04.2020 के पैरा 3 और 4 में दिए गए अनुसार किसी भी खाते में बढ़ाई गई संकल्प अवधि रू शून्य

4.2.1 31-3-2021 को पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

	Type of Restructuring			सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	पुनर्रचना का प्रकार			मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
क्रम सं.	आस्ति वर्गीकरण विवरण																						
1	वित्तीय वर्ष 2020 के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	4	1	6	40414	5786	731	8	46939	20341	941	2180	40	23502	60756	6727	2915	49	70447
		2	बकाया राशि	0.00	0.00	387.37	77.65	465.02	2099.67	262.95	173.41	1.44	2537.47	1485.88	202.62	1668.53	143.29	3500.32	3585.55	465.57	2229.31	222.38	6502.81
		3	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	23.07	2.80	0.16	0.00	26.03	9.27	0.02	12.14	0.00	21.43	32.34	2.82	13.15	0.00	48.31
2	अप्रैल से मार्च 2021 के दौरान की गई नई पुनर्रचना	4	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	19457	1314	333	4	21108	7098	642	812	2	8554	26555	1956	1145	6	29662
		5	बकाया राशि	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62	2501.18	158.98	113.22	0.77	2774.15	1485.95	66.64	886.77	44.38	2483.74	3987.13	225.62	1004.61	45.15	5262.51
		6	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	1.18	-3.87	-0.01	-3.52	19.38	0.01	-2.80	0.00	16.59	18.56	1.19	-6.67	-0.01	13.07
3	अप्रैल–मार्च 2021 के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में अपग्रेडेशन	7	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	291	-281	-10	0	0	39	-23	-16	0	0	330	-304	-26	0	0
		8	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70	-14.07	-40.63	0.00	0.00	152.42	-151.25	-1.17	0.00	0.00	207.12	-165.32	-41.80	0.00	0.00
		9	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.00
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और / या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्रचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-5390				-5390	-8593				-8593	-13983				-13983
		11	बकाया राशि	0.00				0.00	-238.65				-238.65	-321.63				-321.63	-560.28				-560.28
		12	उस पर प्रावधान	0.00				0.00	-1.25				-1.25	-5.19				-5.19	-6.44				-6.444
5	अप्रैल–मार्च 2021 के दौरान अवनत किए गए पुनर्रचित खाते	13	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	-5705	-4597	10215	7	-80	-2648	-557	3277	8	80	-8353	-5154	13492	15	0
		14	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-521.69	-162.94	668.86	3.44	-12.33	-185.68	-37.66	200.75	34.92	12.33	-707.37	-200.60	869.60	38.37	0.00
		15	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.40	-2.25	8.06	0.01	-1.58	-2.48	0.05	2.74	1.27	1.58	-9.88	-2.20	10.80	1.28	0.00
6	अप्रैल–मार्च 2021 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचित खाते	16	उधारकर्ताओं की संख्या	-1 0	0	0	-1	-5118	-777	-108	-1	-6004	-3163	-190	-321	-9	-3683	-8282	-967	-429	-10	-9688	
		17	बकाया राशिह	0.00	0.00	-9.58	0.00	-9.58	-195.95	-12.55	-30.86	-0.56	-239.92	-352.71	-8.34	-115.78	-1.85	-478.68	-548.66	-20.89	-156.22	-2.41	-728.18
		18	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-0.86	0.00	-0.86	-3.43	-0.01	-3.47	0.00	-6.92	26.73	0.00	-11.62	-1.27	13.84	23.30	-0.01	-15.96	-1.27	6.06
7	वित्तीय वर्ष मार्च 31 2021 को पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े)	19	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	4	1	5	43949	1445	11161	18	56573	13074	813	5932	41	19860	57023	2258	17097	60	76438
		20	बकाया राशि	0.00	0.00	382.41	77.65	460.06	3699.26	232.37	884.00	5.09	4820.72	2264.23	72.01	2639.10	220.74	5196.08	5963.49	304.38	3905.50	303.49	10476.86
		21	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	1.71	0.86	0.00	12.75	47.72	0.08	0.45	0.00	48.25	57.91	1.79	1.30	0.00	61.00

'मानक पुनः संरचित अग्रिम के आंकड़ों में जिन्हें उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भारिता की आवश्कता नहीं है (अगर लागू हों)
प्रारंभिक शेष राशि संयुक्त इकाई के प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार है

क्रम सं.2 में नई पुनःसंरचित राशि ₹ 3710.95 करोड़ तथा दि.31.3.2021 को वर्तमान पुन संरचित खाते में आगे नामे /संवितरण की राशि रुपए 1551.56 करोड़ शामिल है।
क्रम सं.6 में बट्टे खाते में डाली गई राशि ₹ 0.01 करोड़ तथा एओरसी को बिकी ₹ 204.90 करोड शेष में कमी – ₹ 523.27 करोड़

4.2.2 एमएसएमई प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी 18/21.04.048/2018–19 एवं दिनांक 11.02.2020 के बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019–20 के आधार पर बैंक ने एमएसएमई खातों को पुनर्रचित किया है जिनका विवरण निम्नलिखित हैरू

	खातों की संख्या	इन खातों में 31.03.2021 को बकाया धनराशि (₹ करोड़ में)
पुनर्रचित खाते	95862	4414.93
जिनमें से खाते जो एनपीए हो गए	15963	839.10
निवल मानक अग्रिम		3575.83

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार इन खातों के लिए आवश्यक मानक आस्ति प्रावधान 0.25 प्रतिशत + 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान = 5.25 प्रतिशत है यानी ₹ 3575.83* + 5.25% प्रतिशत = रुपये ₹ 187.73 करोड़

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

4.3.1. बिक्री के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
(I) खातों की संख्या	709	शून्य
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	11.35	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	48.84	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	1.96	शून्य
(v) निवल बही मूल्य से अधिक होनेवाला कुल लाभ/हानि	39.45	शून्य

4.3.2 प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(I) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	3854.53	2336.73
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	**3854.53**	**2336.73**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों के अन्दर जारी एसआर	8 वर्षों के पहले जारी एसआर
(i)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं को बही मूल्य	1086.55	2708.01	59.97
	ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	230.62	819.94	59.06
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	**1086.55**	**2708.01**	**59.97**

4.3.3 खरीदी /बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. बेचे गए खातों की संख्या	709	शून्य
2. बकाया कुल शेष	128.96	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	48.84	शून्य

4.3.4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2826.83	961.08

4.4 कोविड–19 के संबंध में उपाय

4.4.1 दुनिया भर में कोविड–19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन को सुविचारित रूप से धीरे–धीरे खत्म करने से आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया, कोविड–19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया गया है। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उनका चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है तथा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। कोविड –19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। नियामक कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक सुधारों हेतु किये जाने वाले सरकारी प्रयासों से, बैंक को उम्मीद है कि संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.4.2 कोविड –19 नियामक पैकेज से संबंधित 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई 2020 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय बैंक संघ के माध्यम से आरबीआई द्वारा दिनांक 6 मई, 2020 को जारी स्पष्टीकरण द्वारा बैंक ने मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 (श्स्थगन अवधिश) के बीच देय किश्तों और / या ब्याज, जैसा लागू हो, के भुगतान पर स्थगन प्रदान किया है, भले ही वे खाते 29 फरवरी, 2020 को पुनर्गठन किये बिना अतिदेय हो। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिस्थगन अवधि, जहां भी अनुमत है, को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पिछले दिनों की संख्या से बाहर रखा गया है। एक निश्चित समय तक उपलब्ध सूचना के आधार पर बैंक ने कोविड–19 के संभावित प्रभाव से बचने के लिए 31 मार्च 2021 तक प्रावधान रखे हैं। ऐसे खातों और बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित हैरू

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में बकाया अग्रिम, जहां कोविड–19 नियामक पैकेज (कुल बकाया) के अनुसार स्थगन/ स्थगन अवधि को बढ़ाया गया था	शून्य
2	बकाया अग्रिम, जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है (कुल बकाया)	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए प्रावधान	1517.53
4	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समायोजित प्रावधान	1517.53
5	31.03.2021 तक धारित कुल प्रावधान	शून्य

4.4.3 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ व एएनआर के जनहित याचिका मामले में 3 सितंबर, 2020 के अपने अंतरिम आदेश में बैंकों को निदेश दिये है कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इसे वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ने किसी भी घरेलू उधार खातों जो कि 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं थे, को 31 अगस्त, 2020 के बाद भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि, बैंक ने विवेकानुसार 31.12.2020 तक ₹1517.53 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, और सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च, 2021 के अंतिम आदेश के अनुसार और इस संबंध में आरबीआई द्वारा दिनांक 07.04.2021 को जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने इन उधारकर्ताओं के खातों को मौजूदा 01.09.2020 से लागू आईरेक मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है एवं इन खातों पर प्रावधान करने के लिए उपरोक्त प्रावधानों का उपयोग किया है।

4. ''कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण'' पर दिनांक 07.04.2021 के आरबीआई परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, अधिस्थगन अवधि अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं सहित, सभी उधारकर्ताओं पर प्रभारित श्ब्याज पर ब्याजश को बैंक वापस / समायोजित करेंगें, भले ही उपरोक्त ने अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया हो या नहीं। इन निदेशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली / समायोजित की जाने वाली राशि की गणना करने की कार्यप्रणाली, आरबीआई की अधिसूचना की अपेक्षा के अनुसार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित की गई है। तदनुसार बैंक ने ब्याज राहत के लिए ₹ 230 करोड़ की अनुमानित देयता सृजित की है। बैंक ने इसे ब्याज आय से वापस कर दिया है।

5. व्यापार अनुपात

विवरण	2020-21	2019-20
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.56	7.26
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	1.02	1.12
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.91	2.20
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.50	0.26
(v) ठकारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (₹ करोड़ में)	22.17	24.62
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	0.07	0.04

6. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 -30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से अधिक तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाए	4649.65	11479.41	7776.47	11310.75	16085.01	15716.12	33232.35	54155.98	68082.80	25241.73	290340.83	538071.12
उधार	1291.41	5180.22	97.35	80.48	452.39	781.95	2255.33	3434.67	4600.80	5500.00	2500.00	26174.60
निवेश*	54012.41	2857.14	1230.50	3400.33	1281.89	1457.08	7206.61	13026.40	15800.44	5848.82	69980.92	176102.54
अग्रिम	6334.18	5102.45	15768.16	5860.84	12746.00	9365.18	24866.05	40684.33	137366.03	54342.68	51574.33	364010.24
* ₹ 434.43 करोड़ के सूचीबद्ध ईक्विटी के 50 प्रतिशत को छोड़ते हुए जिसमें से												
विदेशी मुद्रा देयताएं	1311.60	619.23	134.27	1009.26	1580.47	1985.09	2551.50	3143.35	3088.18	777.00	679.44	16879.39
विदेशी मुद्रा आस्तियां	301.53	590.40	281.70	1945.51	1665.49	1743.19	3167.52	1506.50	2181.39	567.69	184.51	14135.43

7. एक्सपोजर:

7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ग	31.03.2021	31.03.2020
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(I) आवासीय बंधक	39600.06	21438.09
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने योग्य है	17181.98	9051.73
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	7932.84	3822.07
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश	शून्य	शून्य
ए) आवासीय	शून्य	शून्य
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक एक्सपोजर	23729.22	11842.40
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	**71262.12**	**37102.56**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
(I) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयरों में	997.88	448.41
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	977.59	68.71
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका आधारभूत निधि मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	शून्य	शून्य
(ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण	54.93	NIL
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	15.16	18.03
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	शून्य	शून्य
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	121.50	20.25
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरूद्ध कंपनियों को पूरक ऋण ।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्पोजर।	82.23	20.05
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**2249.29**	**575.45**

7.3 जोखिम संवर्गवार देश–विशेष संबंधी एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्गवार**	31.03.2021 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2021 तक धारित प्रावधान	31.03.2020 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2020 तक धारित प्रावधान
नगण्य	10888.46	शून्य	5333.55	3.18
न्यून	4706.67	शून्य	4290.33	शून्य
मध्यम	3085.07	शून्य	117.79	शून्य
उच्च	0	शून्य	0.11	शून्य
सर्वोच्च	0	शून्य	0	शून्य
प्रतिबंधित	0	शून्य	0	शून्य
ऑफ क्रेडिट	0	शून्य	0	शून्य
कुल	**18680.20**	शून्य	**9741.78**	**3.18**

*दिनांक 31.12.2021 को इस तिमाही में रुपये 7.27 करोड़ के प्रावधान की पुनर्प्राप्ति हुई है
**दिनांक 31.03.2021 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

देश जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2021 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। (गत वर्ष सिंगापुर के संबंध में, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा 'गैर महत्वपूर्ण' जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया गया था, ₹3.18 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध किया गया था।)

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण (₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
----------	----------	शून्य	----------	----------

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में से, अधिकार, लाइसेन्स, अथारिटी आदि अगोचर प्रतिभूतियों से रक्षित अग्रिम जहाँ परियोजनाओं के संबंध में इन्हें बैंक के पक्ष में संपार्श्विक के रूप में प्रभारित किया गया है, शून्य है। ऐसी संपार्श्विक अगोचर प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 'शून्य' है।

7.6 वर्ष के दौरान आय कर के लिए प्रावधान : (₹ करोड़ में)

	2020-21	2019-20
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आय कर)	-99.10	619.37

दिनांक 31.03.2021 को अदा की गई विवादित आयकर मांग ₹ 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4129.14 करोड़) थी। दिनांक 31.03.2021 तक आयकर से संबंधित आकस्मिक देयाताओं की राशि ₹ 7584.17 करोड़ में भी विवादित आयकर मामलों से संबंधित उक्त राशि को शामिल किया गया है (विगत वर्ष में ₹4396.00 करोड़)। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

a) वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोटों की कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा–निर्देशों का अननुपालन के लिए ₹ 12.01 लाख (142 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2019–20 को समाप्त वर्ष के लिए ₹16.82 लाख 155 प्रविष्टियाँ) की राशि का दंड लगाया गया।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

सरकारी लेनदेन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया /भुगतान नहीं किया गया है।

आयकर द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

आयकर विभाग ने ग्राहक को वित्त वर्ष 2018–19 का फॉर्म 16ए समय पर नहीं देने पर अलीपुर शाखा पर ₹.0.24 लाख का जुर्माना लगाया है।

8.1 अचल आस्तियाँ

8.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹ 983.38 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 114.43 करोड़ का मूल्यह्रास (विगत वर्ष में ₹ 114.92 करोड़) व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया और ''पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते' में पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास ₹ 142.87 करोड (विगत वर्ष में ₹ 139.22 करोड़) का समायोजन ''पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि'' खाते से किया गया है।

एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2019–20 के लिए व्यय के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 139.22 करोड़ की राशि प्रभारित की गई। इसका समायोजन पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों के साथ राजस्व आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया।

अचल आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के कारण 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास में वृद्धि और निवल लाभ में ₹ 82.38 करोड़ की कमी का प्रभाव पड़ा है।

8.1.2 निम्नलिखित आस्तियों के लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं:

इंडियन बैंक के परिसर

परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 45.59 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – 48.04 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास 1.17 करोड़ रुपये (विगत साल 1.17 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के परिसर

परिसर में ₹ 4.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4.79 करोड़ मूल्य की 5 (3+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 5 (3+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू ₹14.15 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – ₹14.32 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास ₹0.23 करोड़ रुपये (विगत वर्ष ₹0.23 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

*'रुपये ₹ 1.61 करोड़ की लागत की हैदराबाद में संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में रुपये ₹2.32 करोड़ रुपये की लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

संयुक्त इकाई

परिसर में ₹ 8.38 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू ₹ 59.74 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – ₹ 62.36 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास ₹ 1.40 करोड़ रुपये (विगत साल ₹ 1.40 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण		
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**30046777**	**7533582**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	73184606	43358373
निवेश के लिए प्रावधान	4276778	3913030
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4694004	1429444
कर के लिए प्रावधान	(990977)	6193684
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	2745298	2552298
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	6328720	3136306
पूंजी लिखत पर ब्याज	6439760	2776814
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	3919	(7339)
आयकर का भुगतान	0	(7900000)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**126728885**	**62986192**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(150563787)	(166408167)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(302528578)	(209131864)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(29155843)	(18996441)
	(482248208)	**(394536472)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि /(कमी)	495212542	181499502
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूंजीगत लिखत के अलावा)	(72784108)	86927667
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	103715023	(20885612)
	526143457	**247541557**
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	**170624134**	**(84008723)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(5586490)	(2590730)
अचल आस्तियों की बिक्री	154985	118368
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(5431505)**	**(2472362)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	0	0
वितरण कर का भुगतान	0	0
एटी–1 बांड जारी करना	20000000	0
टियर – 2 बांड जारी करना	20000000	0
एटी 1 बांड का मोचन	(5000000)	0
टियर 2 बांडों का मोचन	(10000000)	0
पूंजी लिखत पर ब्याज	(6319416)	(2770750)
शेयर की ओर प्राप्त पूंजी	0	28294878
ई–एबी शेयरधारक को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए)	(25076)	0

वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**18655508**	**25524128**
समामेलन के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समकरण/तुल्य (डी)	**217503795**	**0**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	**401351932**	**(60956957)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	10060885	10307547
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	47300358	106711096
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	53506	28027
(बी) अन्य जमा खातों में	7133657	7114575
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	21000001	22000000
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	5309257	2036553
(बी) अन्य जमा खातों में	48302644	51684718
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	86532	321281
	139246840	**200203797**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	16582776	10060885
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	258868041	47300358
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	950844	53506
(बी) अन्य जमा खातों में	20464344	7133657
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	89000001	21000001
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	15776770	5309257
(बी) अन्य जमा खातों में	138662254	48302644
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	293742	86532
	540598772	**139246840**
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	401351932	(60956957)

टिप्पण :-

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है।
2. दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में समामेलन के प्रभाव के बाद, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष पद्धति द्वारा तैयार किया गया है

9.2 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (एएस – 10)

लेखा मानक (एएस–10) में हुए परिवर्तन के अनुपालन में वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है जबकि विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में रुपए 142.87 करोड़ की वृद्धि हुई और निवल लाभ में रुपए 142.87 करोड़ की घटौती हुई।

9.3 इंडियन बैंक के साथ पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक का समामेलन

9.3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (जीओआई) ने समामेलन की योजना अधिसूचित की है। 4 मार्च, 2020 के भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2020 को लागू हुई। योजना के प्रारंभ होने पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक के उपक्रमों को हस्तांतरिती बैंक में हस्तांतरित और अधिकृत किया जाएगा।

9.3.2 अंतरणकर्ता बैंक के उपक्रम को हस्तांतरित और अधिकृत करने के क्रम में, प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर (हर प्रकार से समान होंगे और इसे इस योजना के शुरू होने पर या उसके बाद अंतरिती बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान अधिकार हैं, जिसमें लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जिसे अंतरिती बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है) हस्तांतरिती बैंक में उन शेयरधारकों को जारी किया गया था जिनके नाम अंतरिती बैंक द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित अभिलेख तिथि को हस्तांतरणकर्ता बैंक की सदस्य पंजिका में दर्ज था।

अंतरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात
इलाहाबाद बैंक	प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इलाहाबाद बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इंडियन बैंक के 115 इक्विटी शेयर।

इसके अलावा, अंतरिती बैंक ने निर्धारित किए गए इक्विटी शेयरों के अंश के लिए हकदारी के संबंध में नकद भुगतान किया है।

9.3.3 एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण – 'समामेलन के लिए लेखांकन' निम्नानुसार है:

i) समामेलित होनेवाली कंपनी यानी इलाहाबाद बैंक के कारोबार की सामान्य प्रकृति इंडियन बैंक के बैंकिंग कारोबार के समान है।

ii) समामेलन का लेखा 'ब्याज आपूरण' पद्धति के तहत किया जाता है जैसा कि एएस –14 'समामेलन के लिए लेखांकन' में निर्धारित है। अंतरणकर्ता बैंक की सभी आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित), कर्तव्यों और दायित्वों को एएस–14 के तहत अपेक्षित लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए अंतरिती बैंक के लेखा बहियों में समायोजन को छोड़कर उनकी मौजूदा वहन राशि और यथास्थिति 01 अप्रैल, 2020 को उसी रूप में दर्ज करने का प्रस्ताव है। योजना के लागू होने की तारीख के बाद देयताओं/आस्तियों (लेखा मानकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहित) में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों को अंतरिती बैंक की लेखा बहियों में दर्शाया गया है।

iii) अंतरिती बैंक द्वारा जारी शेयर पूंजी की राशि ₹520.57 करोड़ (प्रत्येक सममूल्य पर जारी किए गए अंकित मूल्य ₹10 के 52,05,65,990 इक्विटी शेयर) को अंतरणकर्ता बैंक की संबंधित शेयर पूंजी के सापेक्ष समायोजित किया गया है और ₹4006.91 करोड़ शेष राशि को समामेलन रिजर्व में समायोजित किया गया है। शेयरों की आंशिक हकदारी के सापेक्ष नकद ₹2.51 करोड़ का भुगतान किया गया।

iv) योजना की शर्तों के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के मूल्य का सार निम्नानुसार हैं :

विवरण	पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक
संपत्ति का अधिग्रहण	
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	7366.61
बैंकों तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	14383.82
निवेश	80666.58
अग्रिम	142964.78
अचल परिसंपत्तियां	3510.42
अन्य परिसंपत्तियां	9109.91
कुल आस्तियां (ए)	258002.12
देयताओं का अधिग्रहण	
आरक्षित और अधिशेष	8135.29
जमाएं	228608.51
उधार	9102.57
अन्य देयताएं और प्रावधान	7628.27
कुल देयताएं (बी)	253474.64
निवल आस्ति सी=(ए–बी)	4527.48

वर्ष के दौरान इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का समामेलन हुआ है। हालांकि इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के पास समान आईटी अवसंरचना थी लेकिन नीतियों और मानदंड में भिन्नता के कारण एकीकरण के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष के अंत के दौरान एकीकरण की परिचालन कठिनाइयों और आंकड़ों में अंतर का सामना भी करना पड़ा। प्रबंधन माइग्रेशन लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया में है। यदि कोई त्रुटि है तो एकीकरण पूरा होने के बाद उसे ठीक किया जाएगा। प्रबंधन के आंकलन अनुसार वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव प्रदर्शित होने की संभावना नहीं है।

9.4 स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

9.4.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक ने ₹1.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.56 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने ₹153.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.41 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.4.2 परिभाषित लाभ योजनाएं :

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

मूल बीमांकक अनुमान [भारित औसतों के रूप में व्यक्त]	31/03/2021	31/03/2020
बट्टे की दर -जी –सेक रेट	पेंशन के लिए 6.87% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.44% – 10 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 6.89% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.82% – 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	6.89% पेंशन के लिए और 6.86% उपदान के लिए	8.05% पेंशन के लिए और 7.74% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

मृत्यु दर तालिका : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012–14) अंतिम

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होती हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान :	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**13995.78**	**6520.32**	**1868.46**	**923.85**	**826.09**	**188.20**
ब्याज लागत	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
वर्तमान सेवा लागत	229.80	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-69.4	-17.77
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1542.88	-449.26	-23.06	61.23	-7.62	-5.90
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**15319.48**	**6801.95**	**1848.22**	**928.98**	**977.42**	**210.29**

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13918.80	6418.93	1929.03	923.85	0	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1104.42	508.32	126.42	65.44	0	0.00
अंशदान	1495.93	446.42	50.7	69.64	215.94	17.77
प्रदत्त लाभ	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-215.94	-17.77
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	-193.89	13.33	14.15	2.71	0	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**14961.61**	**6697.41**	**1897.26**	**896.40**	**0**	**0.00**

*आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-193.39	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	910.53	521.65	140.57	68.15	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-1542.88	-449.25	+23.06	-24.74	7.62	5.90
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0	0.00	0	-36.48	0	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	-193.89	13.32	+14.15	2.71	0	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1736.77**	**-435.92**	**+37.21**	**-58.51**	**7.62**	**5.90**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15319.48	6801.96	1848.22	928.98	977.42	210.29
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14961.61	6697.41	1897.26	896.40	0	0
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-357.87	-104.55	49.04	-32.58	977.42	-210.29
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**210.29**

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्तमान सेवा लागत	229.79	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
ब्याज लागत	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.90
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1104.42	-508.32	-126.42	-65.44	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	1736.77	435.92	-37.21	58.51	7.62	5.90
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**1776.82**	**449.57**	**62.23**	**102.22**	**220.73**	**39.86**

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
निवल देयता का आरंभिक शेष	-76.98	-101.39	60.57	-13.19	-826.09	-188.21
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1776.82	-449.58	-62.23	-89.02	-220.73	-39.86
प्रदत्त अंशदान	1495.93	446.42	50.7	69.64	69.4	17.77
निवल देयता का अंत शेष	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**-210.30**

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2016–21 – पेंशन	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48
योजना आस्तियां	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61
अधिशेष (घाटा)	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	357.87
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	1542.88
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32	193.89

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2016–21 – पेंशन	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	831.94	900.9	964.99	923.85	928.98	1848.22
योजना आस्तियां	831.94	900.9	964.99	923.85	928.98	1848.22
अधिशेष (घाटा)	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-24.2	-87.34	-36.2	-2.11	-61.22	23.06
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	2.71	14.15

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों / देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2016–21 छुट्टी भुनाई	को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	977.42
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2020-2021		2019-2020	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	36.76%	28.00%	55.00%	0.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड / पीएसयू बांड	15.64%	12.98%	40.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.00%	1.00%	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	47.21%	58.60%	4.00%	100.00%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.33%	0.42%	-	-
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान**	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगलेवर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	1400	50	240

9.4.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए 50.12 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 3.71 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2021	31/03/2020
1.	बीमारी छुट्टी	15.28	1.44
2.	आकस्मिक छुट्टी	0.16	0.12
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	34.68	2.15
	कुल	**50.12**	**3.71**

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2020–21 का व्यय	2020–21 में वृद्धि	31.03.2021 को अंतिम शेष
1	बीमारी छुट्टी	7.38	0	15.28	22.66
2	आकस्मिक छुट्टी	0.71	0	0.16	0.87
3	छुट्टी यात्रा रियायत	53.80	18.56	34.68	69.62
कुल		**14.87**	**18.56**	**50.12**	**93.45**

नोटः

शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

9.5 लेखा मानक – 17 "खंड परिणाम"

1. खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं : -

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग–अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई हैरू

I. राजकोष-

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर–कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग–

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय—

उपरोक्त (I) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

I. देशी परिचालन – भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन – भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्त्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्त्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	14002.34	6360.25	17708.42	8257.78	13021.62	9532.64	452.66	271.11	45185.04	24421.78
परिणाम	6204.56	2092.05	2843.03	1824.77	2084.26	2072.26	263.80	216.16	11395.65	6205.24
अनाबंटित व्यय									8490.07	5128.16
परिचालनगत लाभ									2905.58	1372.73
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	295.65
आयकर									-99.10	(619.37)
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									3004.68	753.36
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	216026.72	91370.17	248990.98	104502.35	182696.29	117426.74	0 .00	0.00	647713.99	313299.26
अनाबंटित आस्तियां									(21708.97)	(3831.09)
कुल आस्तियां									**626005.02**	**309468.17**
खण्डीय देयताएं	182491.24	82590.87	229897.04	91493.87	168782.65	103057.81	0.00	0 .00	581170.93	277142.55
अनाबंटित देयताएं									6422.14	10236.35
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									38411.95	22089.27
कुल देयताएं									**626005.02**	**309468.17**

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व	44857.79	24269.13	327.25	448.30	45185.04	24717.43
vkfLr;ka	611587.18	299875.18	14417.84	9592.99	626005.02	309468.17

जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

9.6 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध :

ए) अनुषंगियां :

I. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

I) तमिलनाडू ग्राम बैंक

ii) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii) पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी) संयुक्त उद्यम:

I) यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.09.2018 के प्रभाव से)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से 30.11.2020 तक)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)
श्री के रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 के प्रभाव से)
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 के प्रभाव से)

डी) गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :

क्रमांक.	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री भरत कृष्ण शंकर	300
	कुल	**300**

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

a) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये ₹ 102.52 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष ₹ 98.16 लाख)

	2020-2021	2019-20
श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 03.04.2017)	-	₹ 6.00 लाख
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	₹ 30.46 लाख	₹ 31.70 लाख
श्री सुब्रमण्य कुमार प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक	-	₹ 2.00 लाख
श्री ए एस राजीव, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 30.11.2018)	-	₹ 2.66 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 30.11.2020)	₹ 18.16 लाख	₹ 28.52 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	₹ 26.22 लाख	₹ 27.28 लाख
श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	₹ 26.21 लाख	-
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (10.03.2021 से 31.03.2021)	₹ 1.47 लाख	-

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन दर्ज किए गए थे

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य–नियंत्रित उद्यम'' हैं। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में, लेन–देन बैंकर–ग्राहक संबंध का प्रकटीकरण न तो प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ और न ही उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया है।

9.7 पट्टे (एएस 19)

ए) पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी) बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया ₹ 441.04 करोड़ हैं। (विगत वर्ष – ₹ 225.85 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि और भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं :

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

9.8 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2020-21	2019-20
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	3004.68	753.36
ईक्विटी शेयरों की संख्या	1129366570	608800580
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1129366570	525852645
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में)	26.61	14.33
कम की गई आय प्रति शेयर आय (₹ में)	26.61	14.33
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

9.9 आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

ए) वर्तमान कर - चालू वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचित घाटे को देखते हुए, बैंक ने देशी परिचालन के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में रुपये 10.56 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) आस्थगित कर - बैंक के पास ₹2844.49 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹744.20 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति), जिसमें श्अन्य देयताओं और प्रावधानोंश के तहत शामिल ₹949.89 करोड़ की आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹584.06 करोड़) शामिल हैं और आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹3794.38 करोड़ (विगत वर्ष ₹1328.26 करोड़) के तहत शामिल है।

डीटीए (अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं (₹ करोड़ में)

	संघटक	31.03.2021	31.03.2020
	आस्थगित कर आस्तियाँ		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	208.53	67.70
2	एफ़सीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	105.29	109.15
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.09	0.12
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3076.11	1006.58
5	पुनर्संरचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	328.67	70.66
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	**75.69**	**73.87**
7	प्रधान कार्यालय व्यय के लिए प्रावधान	**0.00**	**0.18**
	कुल–डीटीए	**3794.38**	**1328.26**
	आस्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.41	38.51
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	538.22	178.29
	कुल – डीटीएल	**949.89**	**584.07**
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	**2844.49**	**744.20**

9.10 संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस–27)

लेखा मानक – 27 ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग''

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है :

संस्था का नाम	देश / निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जेनरल इंश्योरेंस कं.लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (इंडिया)लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

एएस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

विवरण	31 मार्च 2021 तक
देयताएं	
पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	349.28
जमा	-
उधार	28.44
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1032.28
कुल	**1410.00**
आस्तियां	
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.09
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	22.72
निवेश	1109.29
अग्रिम	-
अचल आस्तियां	12.88
अन्य आस्तियां	264.99
कुल	**1410.00**
पूंजी प्रतिबद्धताएं	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	48.58
आय	
अर्जित ब्याज	3.73
अन्य आय	452.68
कुल	**456.41**
व्यय	
व्यय किया गया ब्याज	1.36
परिचालन व्यय	434.74
प्रावधान और आकस्मिकताएं	5.28
कुल	**441.38**
लाभ	**15.03**

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इंडियन बैंक का कोई संयुक्त उद्यम नहीं था, इसलिए विगत वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं

9.11 आस्तियों का ह्रास (एएस – 28)

बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष, जहां लेखा मानक 28–'आस्तियों का ह्रास' लागू होता है, के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है।

10.1 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप			2020-21	2019-20
I) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान			429.06	391.30
ii) एनपीए के लिए प्रावधान			7318.46	4335.84
iii) आयकर के लिए प्रावधान			-99.10	619.37
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय विवरण सहित			742.55	398.17
विवरण	**2020-21**	**2019-20**		
1. मानक आस्तियां	469.40	142.94		
2. पुनः संरचित अग्रिम	-1.68	-47.75		
3. अन्य	274.83	302.98		
कुल			**8390.97**	**5744.68**

10.2 चल प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

चल प्रावधान खाता	2020-21	2020-21
(ए) चल प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	46.76	46.76
(बी) लेखांकन वर्ष के दौरान किये गये चल प्रावधान	0.00	0.00
(सी) लेखांकन वर्ष के दौरान इसमें की गयी कमी	0.00	0.00
(डी) समामेलन के कारण परिवर्धन	24.00	
(ई) चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	70.76	46.76

10.3 आरक्षितियों में कमी :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन	2020-21	2019-20	
	रिजर्व	142.87	107.20	परिसर के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास *

* वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एएस–10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिज़र्व खाते में जमा किया गया।

10.4 ग्राहक शिकायतें

कम सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष (संयुक्त इकाई) 2020–21	विगत वर्ष 2019–20
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या *	16804*	5493
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	321876	429068
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	326846	418385
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	351	409
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	11834	16176
5.		ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	4896	4766
	5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	4795	4380
	5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	466	215
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या।	0	0
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

* पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में लंबित शिकायतें शामिल हैं

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार :

जिन आधारों पर शिकायतें की गई (अर्थात ....से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	विगत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष					
एटीएम डेबिट कार्ड	2341	139288	-55	4815	350
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13637	124969	+26	6150	2649
ऋण और अग्रिम	1	4084	+ 440	113	31
खाता खोलना / खाते के संचालन में कठिनाई	12	1605	+ 915	63	9
क्रेडिट कार्ड	3	1137	+19	0	0
अन्य	810	51183		693	209
कुल	**16804***	**321876**		**11834**	**3248**
विगत वर्ष					
एटीएम डेबिट कार्ड	4540	311591	+ 13	2341	0
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	859	99032	+257	13637	0
क्रेडिट कार्ड	7	949	-26	3	0
ऋण और अग्रिम	5	756	+18	1	0
खाता खोलना / खाते के संचालन में कठिनाई	0	158	-82	12	0
अन्य	82	16582		182	
कुल	**5493**	**429068**		**16176**	

* पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में लंबित शिकायतें शामिल हैं

10.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, भारत में स्थित शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। 31.03.2021 को बकाया शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापूर और कोलंबो) द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा 31.03.2021 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी को दिये गये उत्तरदायित्व पत्र को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपनी सिंगापुर शाखा के साथ यूएसडी 43.00 एमआईओ (आईएनआर 314.37 करोड़ के समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करना जारी रखा है ताकि शाखा की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

हमने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार श्रीलंका स्थित शाखाओं के लिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक (सीबीएसएल) के पक्ष में एलओयू जारी किया है। हमें एलओयू जारी होने के कारण निकट भविष्य में किसी भी वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं है।

10.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 82.12 प्रतिशत (पिछले वर्ष 73.05 प्रतिशत) रहा।

10.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

बैंक एश्योरेंस उत्पादों पर प्राप्त कमीशन का लेखांकन अब तक उगाही के आधार पर किया जाता था और इस वित्तीय वर्ष 2020–21 से यह लेखांकन उपचय आधार पर किया गया।

बैंक द्वारा विभिन्न बैंक एश्युरेंस/म्युच्युअल एंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष प्राप्त रुपए 20.44 करोड़ की आय के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में अनर्जित कमीशन आय रुपए 63.97 करोड़ है।

लेखांकन नीति में बदलाव के कारण कमीशन की आय रुपये ₹ 5.69 करोड़ अधिक है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2020-21	2019-20
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	38.43	8.88
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	18.53	11.43
3	स्वास्थय बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	6.33	
4	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.98	0.15
	कुल	**63.97**	**20.44**

10.8 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और इसी उद्देश्य से पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास न्यास (एबीडीआरटी) की स्थापना हुई थी।

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को 01.04.2020 के प्रभाव से इंडियन बैंक के साथ समामेलित गया है।

आईबीटीआरडी और एबीडीआरटी दोनों के न्यास खातों की विधिवत लेखापरीक्षा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है । इंडियन बैंक ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट (आईबीटीआरडी) और इलाहाबाद बैंक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (एबीआरडीटी) के समामेलन की प्रक्रिया चल रही है और एबीटीआरडी की सभी आस्तियों और देयताओं को आईबीटीआरडी को हस्तांतरित किया जाएगा ।

वर्तमान में आईबीटीआरडी अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ कुल 37 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), 42 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और 5 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) चला रहा है।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा की जाती है और यह लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से करने हेतु ट्रस्ट द्वारा को सनदी लेखाकार को किया जाता है।

वर्ष 2020–21' के लिए आईबीटीआरडी की अनंतिम आय व व्यय (₹ करोड़ में)

प्राप्तियों के विवरण	राशि रुपये में
बैंक से प्राप्त अंशदान	20000000
बैंक से प्राप्त बिल्डिंग निधि	0
ट्रस्ट खाते में प्रारंभिक शेष राशि (एबीआरडीटी सहित)	18699277
अर्जित बैंक ब्याज	1948647
विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति	65218824
मार्च 2020 में अग्रिम भुगतान के लिए आरसेटी द्वारा ली गए राशि की अव्ययित राशि को पुनः जमा किया गया	1235686
कुल आय	**106102434**
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	74438406
भुगतान की तुलना में प्राप्तियों की अधिकता	31664028
अंतिम शेष	
31.03.2021 को बैंक शेष (एबीआरडीटी सहित)	31664478
मियादी जमाएँ	143132005
जिसमें से	
मूल निधि	86000000
बिल्डिंग निधि	57132005
* ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं	

10.9 जमाओं, अग्रिम, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समेकित)

10.9.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

मदें	2020-21	2019-20
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	33601.39	21720.38
बैंक के कुल जमा में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	6.35 %	8.60 %

10.9.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

मदें	2020-21	2019-20
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	52342.04	27031.80
बैंक की कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	13.41%	13.13%

10.9.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

मदें	2020-21	2019-20
बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर	68813.87	34923.40
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर में बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्स्पोजर का प्रतिशत	12.51%	11.96%

10.9.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

मदें	2020-21	2019-20
सबसे बडे चार एनपीए खातों को कुल एक्स्पोजर	4021.90	2869.17

10.10 सेक्टर वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सेक्टर	2020-21			2019-20		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	78529.9	8735.80	11.12	44869.06	1083.67	2.42
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण श्रेणी के पात्र हैं	20662.08	3511.92	17.00	11805.4	1368.11	11.59
3.	सेवाएँ	49519.11	4959	10.01	25570.39	1186.75	4.64
4.	वैयक्तिक ऋण	21147.36	1608.61	7.61	13203.29	691.22	5.24
	उप–कुल (ए)	**169858.45**	**18815.33**	**11.08**	**95448.14**	**4329.75**	**4.54**
बी	**गैर–प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	203.00	1.93	0.95	0.00	0.00	0.00
2.	उद्योग क्षेत्र	109110.62	15851.22	12.50	97945.82	9597.84	9.80
3.	सेवाएँ	47889.06	2910.30	6.07	0	0	
4.	वैयक्तिक ऋण	48945.52	1299.84	2.65	12495.77	223.25	1.79
	उप–कुल (बी)	**220458.50**	**19640.01**	**8.91**	**110441.59**	**9821.09**	**8.89**
	कुल (ए+बी)	**390316.96**	**38455.35**	**9.85**	**205889.73**	**14150.84**	**6.87**

10.11 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

10.11.1 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
01 अप्रैल 2020 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	41997.71	13353.45
वर्ष के दोरान जोड़ (नए एनपीए)	9429.55	5320.50
उप–कुल (ए)	51427.26	18673.95
घटाएँ :		
(i) उन्नयन	686.18	308.82
(ii) आरसी को आंबटित राशि	0.00	0.00
(iii) वसूलियां (उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर	3859.56	1182.68
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	7531.18	2572.71
(v) उपर्युक्त के अलावा बट्टा खाते में डाले गए	894.99	458.90
उप–कुल (बी)	12971.91	4523.11
31 मार्च 2021 को सकल एनपीए (अंतशेष ए–बी)	38455.35	14150.84

10.11.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2020-21	2019-20
अप्रैल 01, 2020 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	23370.02	6463.84
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	7531.18	2572.71
उप–कुल (ए)	30901.20	9036.35
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	731.15	238.77
31 मार्च, 2021 को अंत शेष (ए–बी)	30170.05	8797.58

10.11.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है : शून्य

10.11.4 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
कुल आस्तियां	14417.84	9592.99
कुल एनपीए	1240.56	1039.99
सकल एनपीए	798.47	586.41
निवल एनपीए	302.73	352.57
कुल राजस्व	327.25	448.30

10.12 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकित किया है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**ओवरसीज़**
शून्य	शून्य

10.13 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

10.14 ऋण डिफ़ाल्ट स्वैप : शून्य

10.15 इक्विटी

10.16 इंट्रा समूह प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	1030.85	985.25
सर्वोच्च 20 इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	1030.85	985.25
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों में से इंट्रा समूह ऋणों का प्रतिशत	0.19%	0.34%
इंट्रा समूह ऋणों में उच्चतम सीमा के अतिक्रमण और उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि हो।	शून्य	शून्य

10.17 आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है, सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा करने की सशर्त हेतु अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए है। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। संक्षिप्त वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

बैंक के विरुद्ध बीसीसीआई द्वारा किए गए इस दावे के लिए बैंक ने 31.03.2021 को प्रतिभूति के रूप में धारित रुपए 80.22 करोड़ की मार्जिन राशि को लिहाज में लेने के बाद ''अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत 32.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

10.18 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-2020
01.04.2020 को डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	1386.90	762.84
जोड़ें : वर्ष 2020–21 के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	596.89	130.46
घटाएं : वर्ष 2020–21 के दौरान डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	10.52	9.15
31.03.2021 तक डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष	1973.27	884.15

*प्रारंभिक शेष संयुक्त इकाई के प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार है

10.19 विदेशी मुद्रा ऋण

अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए बैंक ने एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने जनवरी 15, 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार अपने संघटकों को प्रदत्त अरक्षित विदेशी मुद्रा के ऋण के लिए रुपए 9.49 करोड़ का प्रावधान किया है और रुपए 39.45 करोड़ की पूंजी की व्यवस्था की है।

10.20 वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ :

बैंक ने वर्ष 2020–21 के दौरान धोखाधडी के 219 मामले, जिनकी राशि 3759.68 करोड़ रुपए है, की रिपोर्ट की है, जो निम्नप्रकार हैं ।

धोखाधड़ी के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि करोड़ में
अग्रिम संबंधित	61	3691.77
गैर–अग्रिम संबंधित	158	67.91
कुल	219	3759.68

बैंक ने वर्ष 2020–21 के दौरान गैर–अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी के 158 मामले दर्ज किए जिनकी कुल राशि 67.91 करोड़ रुपये हैं।

31.03.2021 तक गैर–अग्रिम से संबंधित 1473 धोखाधडी के मामले ;समेकितद्ध लंबित हैं, जिनकी राशि ₹ 324.39 करोड है तथा इनमें की गयी वसूलियों के बाद बैंक ने इनके विरुद्ध ₹ 148.72 करोड़ का प्रावधान किया है।

तरलता कवरेज अनुपात पर गुणात्माक नोट (एलसीआर) : अनंतिम मार्च 2021

		Current Year								इंडियन बैंक	
	(₹ करोड़ में)	जून तिमाही 1*	2020-21	सितंबर तिमाही 2*	2020-21	दिसंबर तिमाही 3*	2020-21	मार्च तिमाही 4**	2020-21	मार्च तिमाही 4*	2019-20
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		129009.32		133143.15		144298.04		148782.78	0.00	61929.24
नकद का बहिर्प्रवाह											
2	खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से	313969.96	30146.26	314857.16	30372.32	318607.14	30706.01	297094.80	28344.60	109093.05	10449.53
(I)	स्थायी जमाएं	25014.66	1250.73	22267.94	1113.40	23094.13	1154.71	27297.59	1364.88	9195.57	459.78
(ii)	कम स्थायी जमाएं	288955.30	28895.53	292589.22	29258.92	295513.01	29551.30	269797.21	26979.72	99897.48	9989.75
3	**अरक्षित थोक निधीयन**	117705.14	52225.16	115948.40	51536.75	129275.49	57563.15	150677.73	69095.30	83760.87	37031.83
(I)	परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	117302.38	51822.40	115948.40	51536.75	129275.49	57563.15	150319.01	68736.60	83488.30	36759.26
(iii)	अरक्षित ऋण	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	358.70	358.70	272.57	272.57
4	जमानती थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	48320.78	5281.05	48695.92	5579.93	49544.17	5896.58	68887.22	23946.87	33306.51	3302.79
(I)	व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	290.87	290.87	409.25	409.25	636.55	636.55	17804.24	17804.24	42.82	42.82
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	48029.91	4990.18	48286.67	5170.68	48907.62	5260.03	51082.98	6142.63	33263.69	3259.98
6	अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	2545.50	2545.50	2835.11	2835.11	2119.21	2119.21	3135.48	3135.48	1803.98	1803.98
7	अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं	66551.48	2625.45	64143.20	2538.58	57837.80	2253.36	56555.49	2182.93	19916.59	597.50
8	कुल नकदी बहिर्प्रवाह		92823.42		92862.59		38538.31		126705.18		53185.64
नकदी आवक प्रवाह											
			कुल समायोजित मूल्य (3)		कुल समायोजित मूल्य (3)		कुल समायोजित मूल्य (3)		कुल समायोजित मूल्य (3)		कुल समायोजित मूल्य (3)
9	जमानती ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	9829.85	0.00	5150.00	0.00	1829.85	0.00	3669.11	0.00	804.36	0.00
10	पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	11543.69	6170.09	15079.95	8183.50	17950.59	9564.93	21537.54	11521.98	11395.30	6208.36
11	अन्य आवक नकदी प्रवाह	7177.65	5667.07	10201.36	8389.80	13500.36	10682.05	28777.66	27356.30	5043.28	5043.28
12	कुल आवक नकदी प्रवाह	28551.18	11837.15	30431.31	16573.30	33280.80	20246.98	53984.30	38878.28	17242.94	11251.64
21	कुल एचक्यूएलए		129009.32		133143.15		144298.04		148782.78		61929.24
22	कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		80986.02		76289.40		78291.33		87826.90		41934.00
23	तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		159.30%		174.52%		184.31%		169.40%		147.68%

* एलसीआर दैनिक औसता पर आधारित है

तरलता कवरेज अनुपात

एलसीआर इस प्रकार रचित किया गया है ताकि वह बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि समुत्थान शक्ति को सुदृढ बनाये तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि 30 दिन तक रह सकनेवाली तीव्र तनाव की स्थिति से बैंक उभर सके। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 को एलसीआर की न्यूनतम अपेक्षा दैनिक आधार पर 80 प्रतिशत (01/04/2020 से प्रभावी) और 90 प्रतिशत (01/02/2020 से प्रभावी) है। एलसीआर के आकलन की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर है।

30 दिन के तनावग्रस्त कैलण्डर अवधि के दौरान अनुमानित निवल बहिर्प्रवाह से उच्च गुणवत्ता वाली भारमुक्त आस्तियों की राशि का भाजन करते हुए एलसीआर का परिकलन किया जाता है। विभिन्न संवर्गों की देयताओं (जमाएं, अरक्षित एवं रक्षित थोक उधार) पर और अनाहरित वचनबद्धताओं और व्युत्पन्न से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बहिर्प्रवाह के करकों को लागू करते हुए और 30 दिनों के अंतर्गत परिपक्व होनेवाली आस्तियों से प्राप्त होनेवाले अंतर्प्रवाहों को आंशिक रूप से समायोजित करने के बाद निवल नकदी बहिर्प्रवाह का परिकलन किया जाता है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने रुपए 148782.78 करोड़ का औसत एचक्युएलए (हेयरकट के बाद) अनुरक्षित किया। प्राथमिक रूप से एचक्युएलए में न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक होनेवाली सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुमत सीमा और एलसीआर हेतु तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक और ओवरसीज़ केन्द्रीय बैंकों के साथ अनुरक्षित नकद प्रारक्षितियों की आवश्यकता से अधिक पडनेवाले नकदी और शेषराशियां, भाग 1 एचक्युएलए का अंश बनेंगी। मार्च 31, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 169.40 प्रतिशत रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य आधार, पर्याप्त उच्च गुणवत्तावाली तरल आस्तियां (एचक्युएलए) हैं जिससे सभी समयों में बैंक की तरलता की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। भारित नकदी बहिर्प्रवाह मुख्य रूप से अरक्षित थोक निधीयन पर आधारित हैं, जिसने कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का 54.53 प्रतिशत अंश था। लघु व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्त जमाएं सहित खुदरा जमाएं, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह के 27.37 प्रतिशत रहे। अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताओं में प्राथमिक रूप से बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटियां (बीजी) और साख पत्र शामिल हैं।

31.03.2021 तक की जमाओं में बैंक की एक प्रमुख काउंटर पार्टी हैं। सबसे बडे जमाकर्ता ने कुल जमाओं का 1.16 प्रतिशत का अंशदान किया। सर्वोच्च 20 बडे देशी जमाकर्ताओं का कुल अंशदान, 31.03.2021 को कुल जमाओं का 6.24 प्रतिशत रहा। प्रमुख उत्पाद / लिखतों में बचत जमाएं, चालू जमाएं और सावधि जमाएं शामिल हैं, जो क्रमशः बैंक की कुल देयता का 31 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बनती हैं। इनसे प्राप्त किये जानेवाला निधीयन व्यापक रूप से फैला है और बैंक को इससे संकेन्द्रण का जोखिम नहीं होगा।

बैंक की तरलता का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) द्वारा किया जाता है और तिमाही तनाव जांच के परिणामों के आधार पर आकस्मिकता निधीयन योजना निर्धारित की गयी है।

12. विविध

12.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

12.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2021 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 01.03.2009 से पहले की अवधि से संबंधित रुपए 4.86 करोड़ की कुल मूल्य की 5747 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

12.1.2 दिनांक 31.03.2021 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

12.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

12.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

12.1.5 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के परिणामों में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचालन शामिल हैं। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक परिणाम, आस्तियां, देयताएँ और नकदी प्रवाह पिछले वित्तीय वर्ष के संगत आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

12.1.6 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि और / या उस पर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में रिपोर्ट किये गये कोई मामला नहीं हैं।

13. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का तुलन–पत्र, इसी वर्ष की समाप्ति पर लाभ और हानि लेखे के विवरण व नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार व निम्नलिखित की तारीख पर समाप्त वर्ष के रिटर्न्स को समाहित की हुई अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है :

i. हमारे द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के मामले में केंद्रीय कार्यालय, 78 अंचल, राजकोष शाखा, शीर्ष 20 शाखाएं;

ii. संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 3108 भारतीय शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई और

iii. संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई।

हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखों, नकदी प्रवाह में ऐसी 3003 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक का 6.86 प्रतिशत अग्रिम, 25.35 प्रतिशत जमाएँ, 8.36 प्रतिशत ब्याज आय एवं 30.36 प्रतिशत ब्याज व्यय है।

2. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, बैंक के लिए आवश्यक तरीके से एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रदान करते हैं एवं

क) तुलन पत्र, टिप्पणियों सहित पठित संपूर्ण एवं सभी आवश्यक विवरणों को शामिल करता हुआ एक निष्पक्ष तुलन पत्र है, 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

ख) हानि व लाभ विवरण, टिप्पणियों सहित पठित, सही हानि शेष दर्शाते हैं और

ग) नकदी प्रवाह विवरण इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाएं जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं

4. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम की नोट सं. 4.4 जिसमें भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों पर कोविड–19 (COVID19) की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभाव तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन, मौजूदा अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में प्रबंधन इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

5. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम की नोट सं. 12.1.5 जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में बैंक के साथ समामेलित इलाहाबाद बैंक के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व–समामेलन इंडियन बैंक के आंकड़े हैं इसलिए वह तुलनीय नहीं हैं।

6. संख्या 9.3.3 जोकि वर्ष के दौरान किए गए इंडियन बैंक और तत्कालीन इलाहाबाद बैंक के बीच डेटा के विलय से संबन्धित है तथा डेटा माइग्रेशन ऑडिट प्रगति पर है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

7. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान** बैंक का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 58.15% है, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ("आरबीआई") दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करती है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन–देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	**नियंत्रण के परीक्षण** ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। **वस्तुपरक परीक्षण** ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवंटित शीर्ष शाखाओं से नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की: • आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। • चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। • इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। • आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। • आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। • आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। • एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। • अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान** • निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। • निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 28.20 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर–मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, 1) हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा। 2) हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतू विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। 3) निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	• पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/ सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन–देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियाँ (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं। 4) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; 5) हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं । तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; 6) उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निदेशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ़्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।
3.	**लेखापरीक्षा करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** जब अप्रैल 2021 और मई 2021 के महीने में कोविड–19 महामारी चरम पर थी, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, दूरस्थ रूप से लेखापरीक्षा करने की सुविधा के लिए, हमने दूरस्थ स्थान से वैकल्पिक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करके बैंक की शाखाओं, अंचल कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय की लेखापरीक्षा की, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें सभी जानकारी ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराई गई थी। चूंकि बैंक की लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की गई थीं, लेखापरीक्षा जोखिम को स्वीकार्य निम्न स्तर तक सुनिश्चित करने और कम करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने का रूप भी अलग प्रकार से बनाया गया था तथा इस प्रकार हम उचित निष्कर्ष निकालने और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय बनाने में सक्षम हुए हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रयोग को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य मानते हैं।	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों और कोविड 19 पर विभिन्न लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों की आवश्यकतों के अनुरूप विभिन्न लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था। नियंत्रण परीक्षण और मूल परीक्षण के लिए संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं : • जहां कहीं भी लेखा परीक्षकों की भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं, क्षेत्रों व कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालयों के संबंध में रिमोट एक्सेस और ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेज / सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन • बैंक के संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, विलेखों, प्रमाण पत्रों और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन ईमेल के माध्यम से और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से किया गया। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज सही, पूर्ण, विश्वसनीय और सीधे बैंक के लेखा सिस्टम से निकाले गए हैं एवं इनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। • फोन पर बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–मेल, कॉन्फ्रेंस कॉल आदि के माध्यम से पूछताछ करना और पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। • औपचारिक चैनलों के माध्यम से हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान अर्थात संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों द्वारा समर्थित मेल।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

8. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

9. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और बैंक में नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रेकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें,कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

10. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

हमने अभिशासकों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

11. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल उन 3112 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2021 को रु. 2,67,211.78 करोड़ की कुल संपत्ति एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 18,607.38 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो हमारी राय पूरी तरह से ऐसी शाखाओ की लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

12. 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

13. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

14. उपरोक्त 8 से 11 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

(बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं, बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और

(सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

15. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

(बी) 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने के आधार पर, 31 मार्च, 2021 तक किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।.

(सी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

16. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते है कि,

(ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है ; और

(डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

साझेदार चिराग बख्शी
(एम.नं. 047164)
यूडीआईएन : 21047164AAAAEM9291

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

साझेदार डोंदेती तेजा सागर
(एम.नं. 227878)
यूडीआईएन : 21227878AAAADO6339

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N/N500320

साझेदार जयंत ए.
(एम.नं. 231549)
यूडीआईएन : 21231549AAAACP5550

मेसर्स पी.के.एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
एफआर सं. 003990S/S200018

साझेदार वी.कोदंडरमन
(एम.नं. 25973)
यूडीआईएन : 21025973AAAAAZ4107

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
एफआर सं. 002424S

साझेदार के. मुरली
(एम.नं. 024842)
यूडीआईएन : 21024842AAAABJ5112

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तारीख : 28 मई, 2021

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 15 (ए) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (संशोधित) ("आरबीआई द्वारा सूचित")

हमने, 31 मार्च, 2021 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक के प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित, व लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुपालन में लेखा परीक्षा की है । उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की अपे{ा होती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य–निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया था ।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जोकि 3112 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

साझेदार चिराग बख्शी
(एम.नं. 047164)
यूडीआईएन : 21047164AAAAEM9291

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

साझेदार डोंदेती तेजा सागर
(एम.नं. 227878)
यूडीआईएन : 21227878AAAADO6339

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N/N500320

साझेदार जयंत ए.
(एम.नं. 231549)
यूडीआईएन : 21231549AAAACP5550

मेसर्स पी.के.एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
एफआर सं. 003990S/S200018

साझेदार वी.कोदंडरमन
(एम.नं. 25973)
यूडीआईएन : 21025973AAAAAZ4107

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
एफआर सं. 002424S

साझेदार के. मुरली
(एम.नं. 024842)
यूडीआईएन : 21024842AAAABJ5112

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तारीख : 28 मई, 2021

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

यथास्थिति 31.03.2021 को समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2021 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2020* को (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1129.37	608.80
आरक्षितियां और अधिशेष	2	38328.70	22158.78
अल्पसंख्यक हित	2A	22.60	21.17
जमाएं	3	538029.80	260184.40
उधार	4	26203.04	20830.31
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	24400.02	6337.50
कुल		**628113.53**	**310140.96**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	27545.18	5736.12
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	26554.38	8200.35
निवेश	8	178292.44	81871.16
अग्रिम	9	364010.24	197887.01
अचल आस्तियां	10	7392.56	3899.08
अन्य आस्तियां	11	24318.73	12547.24
कुल		**628113.53**	**310140.96**
आकस्मिक देयताएं	12	**293606.77**	**42601.71**
वसूली के लिए बिल	-	**12620.73**	**5994.97**

*31.03.2020 के आंकड़े समामेलन से पूर्व इंडियन बैंक के वित्त से संबंधित है, अतः इसकी तुलना समामेलन पश्चात के 31.03.2021 के आंकड़ों से न किया जाए।

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

के रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस के पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मैसर्स के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 106237डब्ल्यू

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम. संख्या 047164)

डोंदेती तेजा सागर
साझेदार
(एम. संख्या 227878)

जयंत ए
साझेदार
(एम. संख्या 231549)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस/एस200018

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वी कोदंडरामन
साझेदार
(एम. संख्या 25973)

के मुरली
साझेदार
(एम. संख्या 024842)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28.05.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय :			
अर्जित ब्याज	13	39108.07	21401.28
अन्य आय	14	6540.47	3325.50
कुल		**45648.54**	**24726.78**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	23438.80	13797.51
परिचालनगत व्यय	16	10789.28	4432.70
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें		8404.74	5738.49
कुल		42632.82	23968.70
III. समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/ (हानि)		**3015.72**	**758.08**
सहयोगियों से आय का अंश		134.86	103.95
अल्प संख्यक ब्याज घटाने से पूर्व अवधि के लिए समेकित लाभ/ (हानि)		3150.58	862.03
घटाएं : अल्प संख्यक ब्याज		1.43	0.69
समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/ (हानि)		3149.15	861.34
अग्रानीत लाभ/(हानि)		556.71	448.73
जोड़ें: शेयर प्रीमियम के सापेक्ष समायोजन / सेट ऑफ		41.30	0.00
तुलनपत्र में अग्रानीत शेष		3747.16	1310.07
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित निधि		751.17	188.34
पूँजी रिज़र्व – अन्य		47.71	152.16
निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व		464.91	389.99
राजस्व रिज़र्व		1387.34	0.00
स्टाफ़ कल्याण निधि		25.00	15.00
निवेश रिज़र्व		0.00	7.87
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश		225.87	0.00
समेकित तुलनपत्र में अग्रानीत शेष		845.15	556.71
कुल विनियोजन		**3747.16**	**1310.07**
''प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) वार्षिक नहीं''	**18**	**27.88**	**16.38**

*31.03.2020 के आंकड़े समामेलन से पूर्व इंडियन बैंक के वित्त से संबंधित है, अतः इसकी तुलना समामेलन पश्चात के 31.03.2021 के आंकड़ों से न किया जाए।

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक

के रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

संजीव कौशिक
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भरत कृष्ण शंकर
शेयरधारक निदेशक

एस के पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मैसर्स के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 106237डब्ल्यू

कृते मैसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 003032एस

कृते मैसर्स रवि राजन एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर संख्या 009073एन / एन500320

चिराग बक्शी
साझेदार
(एम. संख्या 047164)

डोंदेती तेजा सागर
साझेदार
(एम. संख्या 227878)

जयंत ए
साझेदार
(एम. संख्या 231549)

कृते मैसर्स पी के एफ श्रीधर एण्ड संथानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 003990एस/एस200018

कृते मैसर्स जी नटेसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 002424एस

वी कोदंडरामन
साझेदार
(एम. संख्या 25973)

के मुरली
साझेदार
(एम. संख्या 024842)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 28.05.2021

अनुसूची 1 – पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 10/– रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 50,80,80,023 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55	508.08
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 13,48,16,970 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 10,07,20,557 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	134.82	100.72
कुल	**1,129.37**	**608.80**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सांविधिक आरक्षित निधियां	8649.75	4694.20
पूँजीगत आरक्षित निधियां – पुनर्मूल्यांकन	5754.97	2987.84
पूँजीगत आरक्षित निधियां – अन्य	962.79	388.55
शेयर प्रीमियम	857.62	4026.65
निवेश उतार–चढ़ाव रिज़र्व	1031.90	566.99
निवेश रिज़र्व	186.38	47.80
राजस्व और अन्य आरक्षितियां	13369.84	7669.06
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	2181.35	725.52
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) (ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	421.93	437.26
आईआरएस रिजर्व	1.91	0.00
समामेलन रिजर्व	4006.91	0.00
लाभ एवं हानि खाता	845.15	556.71
कुल	**38328.70**	**22158.78**

अनुसूची 2ए – अल्पांश ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्पांश ब्याज	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव	19.33	17.90
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश ब्याज	22.60	21.17

अनुसूची 3 – जमाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(ए) I. मांग जमाराशियां		
(i) बैंकों से	289.29	211.11
(ii) अन्यों से	32053.15	13334.92
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	195250.29	76609.11
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	5323.10	4111.94
(ii) अन्य से	305113.97	165917.32
कुल ए (I,II & III)	**538029.80**	**260184.40**
(i) भारत में शाखाओं की जमाएं	529222.92	252750.76
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	8806.88	7433.64
कुल बी (i & ii)	**538029.80**	**260184.40**

अनुसूची 4 – उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5032.04	11529.90
(ii) अन्य बैंक	4.95	0.11
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	14948.82	6418.86
II.भारत के बाहर उधार	6217.23	2881.44
कुल (I & II)	**26203.04**	**20830.31**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार	**5032.04**	**11529.90**

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. देय बिल	2822.91	494.00
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	6228.15	0.00
III. उपचित ब्याज	1041.93	845.33
IV. अन्य (प्रावधान सहित)	14307.03	4998.17
कुल	**24400.02**	**6337.50**

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1658.38	1006.08
II.भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष –		
(i) चालू खाते में	25886.80	4730.04
(ii) अन्य खातों में	0.00	0.00
कुल (I & II)	**27545.18**	**5736.12**

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	116.03	8.86
(बी) अन्य जमा खातों में	2065.07	721.65
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(ए) बैंकों में	8900.00	2100.00
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
कुल I (i & ii)	**11081.10**	**2830.51**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	1577.68	530.93
(ii) अन्य जमा खातों में	13866.23	4830.26
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	29.37	8.65
कुल II (i, ii & iii)	**15473.28**	**5369.84**
कुल योग (I & II)	**26554.38**	**8200.35**

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	181348.95	80991.01
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	5382.93	1290.84
निवल निवेश	**175966.02**	**79700.17**
i) सरकारी प्रतिभूतियां	157952.46	67537.87
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	9.14	2.99
iii) शेयर	996.38	352.07
iv) डिबेंचर और बाँड	13653.87	6715.55
v) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	861.55	730.43
vi) अन्य	2492.62	4361.26
कुल	**175966.02**	**79700.17**
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश		
सकल निवेश	2420.90	2268.27
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	94.48	97.28
निवल निवेश	**2326.42**	**2170.99**
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2304.10	2149.37
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है)	0.00	0.00
(ए) शेयर	0.60	0.44
(बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	21.72	21.18
कुल	**2326.42**	**2170.99**
कुल योग (I & II)	**178292.44**	**81871.16**

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
ए.(I) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल	2131.69	1453.59
(ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	221263.43	99136.75
(iii) सावधि ऋण	140615.12	97296.67
(iv) अन्य	0.00	0.00
कुल (ए)	**364010.24**	**197887.01**
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	320789.57	161337.54
(ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	22887.66	4056.49
(iii) अरक्षित	20333.01	32492.98
कुल (बी)	**364010.24**	**197887.01**
सी. I. भारत में अग्रिम		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र	157623.43	90415.79
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	64398.78	17991.68
(iii) बैंक	169.24	772.91
(iv) अन्य	131534.31	80515.68
कुल (सी – I)	**353725.76**	**189696.06**
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(I) बैंकों से देय	4475.58	2254.60
(ii) अन्यों से देय		
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	771.51	970.27
(ख) सामूहिक ऋण	3526.55	3355.59
(ग) अन्य	1510.84	1610.49
कुल (सी – II)	**10284.48**	**8190.95**
कुल योग (सी I + सी II)	**364010.24**	**197887.01**

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. परिसर		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर (*)	6862.57	3767.79
वर्ष के दौरान जोड/समायोजन	4.00	3.63
वर्ष के दौरान घटाव	0.00	0.06
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास (*)	1246.78	834.04
निवल मूल्य	**5619.79**	**2937.38**
Iए.निर्माणाधीन परिसर	1.07	0.78
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर / फ़िक्सचर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर (*)	4158.17	2060.62
वर्ष के दौरान जोड़	556.66	255.51
वर्ष के दौरान घटाव	47.87	51.78
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास (*)	3383.29	1543.89
निवल मूल्य	**1283.67**	**720.46**
IIए. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर (*)	552.43	262.37
वर्ष के दौरान जोड	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव	0.33	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास (*)	64.50	21.91
निवल मूल्य	**487.60**	**240.46**
III. पूंजी – निर्माणाधीन कार्य (पट्टाकृत आस्तियाँ)– प्रावधानों का निवल	0.43	0.00
कुल (I,Iए,II व IIए)	**7392.56**	**3899.08**

(*) समामेलन के परिणामस्वरूप ग्रहण की गई आस्तियों सहित लागत / पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यह्रास का अद्यतन प्रारम्भिक शेष

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	2044.29
II. उपचित ब्याज	2801.64	1284.83
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर	6655.17	4374.34
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	46.44	17.62
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ	51.38	20.26
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	2851.41	748.07
VII.अन्य	11912.69	4057.83
कुल	**24318.73**	**12547.24**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल)	953.37	651.27
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	373.82	400.33
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	254856.84	20382.57
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
क. भारत में	17792.78	8930.02
ख. भारत के बाहर	379.99	382.63
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	9394.29	6401.34
VI.अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9855.68	5453.55
कुल	**293606.77**	**42601.71**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा	27454.67	15933.12
II. निवेशों पर आय	11170.34	5275.06
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज	425.71	177.43
IV. अन्य	57.35	15.67
कुल	**39108.07**	**21401.28**

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1117.90	338.67
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	2125.53	879.73
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ(निवल)	-0.42	0.73
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	406.22	202.06
VI. (ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय	0.04	0.07
(बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय	12.45	12.69
VII. विविध आय	2878.75	1891.55
कुल	**6540.47**	**3325.50**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. जमाओं पर ब्याज	22218.39	12993.56
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1048.65	757.95
III. अन्य	171.76	46.00
कुल	**23438.80**	**13797.51**

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6411.62	2478.34
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	611.77	318.12
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	58.53	30.62
IV. विज्ञापन और प्रचार	13.03	8.88
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	633.17	313.94
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	3.73	0.07
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	0.77	0.94
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	63.29	34.29
VIII. विधि प्रभार	23.66	8.62
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	118.93	51.78
X. मरम्मत और अनुरक्षण	201.76	93.96
XI. बीमा	682.42	286.91
XII. अन्य व्यय	1966.60	806.23
कुल	**10789.28**	**4432.70**

अनुसूची –17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ

(समेकित लेखे–2020)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रहे प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. समेकन की प्रक्रिया :

ए. बैंक की (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां, इसके संयुक्त उद्यम) समेकित वित्तीय विवरणियाँ, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, इसके संयुक्त उद्यमों यथा (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस को. लि. (2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर तैयार की गई जोकि अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके जहां भी अन्यथा उल्लिखित न हो आईसीएआई द्वारा जारी लेख मानक 27 ''फाइनेंशियल रेपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जाइंट वैंचर'' के अनुरूप है। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ भी बनाई गई हैं।

बी. अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेटस में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

बी) विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।

ई) बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

4.3 गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. **निवेश**

मूल संस्था

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

5.1.2. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) **''एचटीएम''** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों /संयुक्त उद्यमों/ एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) **''एएफस''** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) **''एचएफटी''** प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है:

i. प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीएआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii. राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई / एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii. कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv. कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v. अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi. राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii. कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) / वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

5.1.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है:

ए) प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/– होता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि प्रचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था :

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी।

(i) एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

6.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक :

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान

ii) प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित/बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समयए उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

7.1.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां/ मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यह्रास/परिशोधन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल है। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में इमारतों का मूल्यह्रास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय–सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्रं. सं.	अचल आस्तियाँ का मूल्यह्रास	मूल्यह्रास की दर / उपयोग की गयी समय–सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं ।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय–सीमा निम्नानुसार है: परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां/ लॉकर/दरवाजे (स्टील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष

8.1.4 वर्ष के दौरान बेची गई / अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से / संपत्ति के उपयोग की गयी समय–सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा।

8.1.5 रुपए 5000/– तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय–सीमा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यह्रास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

8.1.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

8.1.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

8.1.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

8.1.10 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2 **इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :**

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है । साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

8.3 अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9- राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूँकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपाजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

11 निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेषी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा /और अन्य आवश्यक प्रावधान

12. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का

बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

12.3. भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम होए के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान : विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

14.1 आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त, जहाँ

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(i) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

17. परिचालनों को बन्द करना : अनुषंगियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

अनुसूची–18
समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां(2020–21)

1. अनुषंगियां :

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी:

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्वहित	शेयरधारिता की राशि (रु. करोड़ में))
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2021 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा आईबीजीए में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार 5747 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ कुल रू 4.86 करोड राशि की हैं जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित हैं।

31.03.2021 तक अंतर शाखा लेखों में 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

4.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पूनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदति बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में रु.983.38 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में जमा किया गया। वर्ष 2020–21 के लिए व्यय के तहत ₹114.43 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष –₹110.49 करोड़) मूल्यह्रास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹142.87 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹107.20 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया।

एएस10 मानक के अनुसार, वर्ष 2020–21 के लिए व्यय के तहत ₹142.87 करोड़ रुपये की पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु भी प्रभार लगाया गया। इसे राजस्व आरक्षित खाते में क्रेडिट कर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के विरुद्ध समायोजित किया गया।

अचल परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुमानित समय–सीमा में परिवर्तन आया है। परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि हुयी है और 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ में ₹ 82.38 करोड़ की कमी आयी है।

4.2 आईबी परिसर :

परिसर में ₹3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल/पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 45.59 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – 48.04 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास 1.17 करोड़ रुपये (विगत साल 1.17 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

ई– एबी परिसर :

परिसर में ₹ 4.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4.79 करोड़ मूल्य की 5 (3+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 5 (3+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 14.15 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – 14.32 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास 0.23 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 0.23 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

*रुपये 1.61 करोड़ की लागत की हैदराबाद में संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में रुपये 2.32 करोड़ रुपये की लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

संयुक्त इकाई:

परिसर में ₹ 8.38 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ) मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल/पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 59.74 करोड़ रुपये (विगत वर्ष – 62.36 करोड़ रुपये), निवल मूल्यह्रास 1.40 करोड़ रुपये (विगत साल 1.40 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

4.3 आरक्षितियों में कमी : (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां	2020-21	2019-20	
		142.87	107.20	परिसर के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास*

* वित्तीय वर्ष **2019–20** के लिए एएस–10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिज़र्व खाते में जमा किया गया।

5. कोविड–9 उपाय

5.1. दुनिया भर में कोविड–19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन को सुविचारित रूप से धीरे–धीरे खत्म करने से आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया, कोविड–19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया गया है। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उनका चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है तथा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। कोविड –19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। नियामक कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक सुधारों हेतु किये जाने वाले सरकारी प्रयासों से, बैंक को उम्मीद है कि संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.2 कोविड –19 नियामक पैकेज से संबंधित 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई 2020 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय बैंक संघ के माध्यम से आरबीआई द्वारा दिनांक 6 मई, 2020 को जारी स्पष्टीकरण द्वारा बैंक ने मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 ('स्थगन अवधि') के बीच देय किश्तों और / या ब्याज, जैसा लागू हो, के भुगतान पर स्थगन प्रदान किया है, भले ही वे खाते 29 फरवरी, 2020 को पुनर्गठन किये बिना अतिदेय हो। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिस्थगन अवधि, जहां भी अनुमत है, को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पिछले दिनों की संख्या से बाहर रखा गया है। एक निश्चित समय तक उपलब्ध सूचना के आधार पर बैंक ने कोविड–19 के संभावित प्रभाव से बचने के लिए 31 मार्च 2021 तक प्रावधान रखे हैं। ऐसे खातों और बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में बकाया अग्रिम, जहां कोविड–19 नियामक पैकेज (कुल बकाया) के अनुसार स्थगन/ स्थगन अवधि को बढ़ाया गया था	शून्य
2	बकाया अग्रिम, जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है (कुल बकाया)	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए प्रावधान	1517.53
4	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समायोजित प्रावधान	1517.53
5	31.03.2021 तक धारित कुल प्रावधान	शून्य

5.3 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ व एएनआर के जनहित याचिका मामले में 3 सितंबर, 2020 के अपने अंतरिम आदेश में बैंकों को निदेश दिये है कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इसे वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ने किसी भी घरेलू उधार खातों जो कि 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं थे, को 31 अगस्त, 2020 के बाद भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि, बैंक ने विवेकानुसार 31.12.2020 तक ₹1517.53 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, और सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च, 2021 के अंतिम आदेश के अनुसार और इस संबंध में आरबीआई द्वारा दिनांक 07.04.2021 को जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने इन उधारकर्ताओं के खातों को मौजूदा 01.09.2020 से लागू आईरेक मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है एवं इन खातों पर प्रावधान करने के लिए उपरोक्त प्रावधानों का उपयोग किया है।

5.4 'कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण" पर दिनांक 07.04.2021 के आरबीआई परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, अधिस्थगन अवधि अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं सहित, सभी उधारकर्ताओं पर प्रभारित 'ब्याज पर ब्याज' को बैंक वापस / समायोजित करेंगें, भले ही उपरोक्त ने अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया हो या नहीं। इन निदेशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली / समायोजित की जाने वाली राशि की गणना करने की कार्यप्रणाली, आरबीआई की अधिसूचना की अपेक्षा के अनुसार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित की गई है। तदनुसार बैंक ने ब्याज राहत के लिए ₹ 230 करोड़ की अनुमानित देयता सृजित की है। बैंक ने इसे ब्याज आय से वापस कर दिया है।

6. कराधान

6.1 मूल संस्था :

वर्ष के दौरान आयकर हेतु प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2019-20
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थिगत कर सहित आयकर)	-99.10	619.37

31.03.2021 को विवादित आयकर मांग रू 3953.36 करोड़ (पिछले वर्ष रू 4129.14 करोड़) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2021 तक विवादित आयकर का भुगतान रू 7584.17 करोड़ (पिछले वर्ष रू 4396.00 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों स्वयं के मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

6.2 अनुषंगी कंपनियां :

6.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि

ए. इस वर्ष में कर के लिए रु. 12.54 लाख का प्रावधान किया गया है।

बी. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी. इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु रु. 70.49 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष– रु. 34.15 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी. पूर्व अवधि के कर : शून्य

6.2.2 इंडबैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावीकर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगलेलाभ से घाटा–पूर्ति को आस्थगितकर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–2000 के लिए ब्याज सहित रू 4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजा है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की है जहाँ यह मामला अभी लंबित है।

7. लेखा मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

	समाप्त वर्ष	
	31.03.2021 (रू करोड़ में)	**31.03.2020** (रू करोड़ में)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**3150.58**	**862.02**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	7318.39	4335.84
निवेश के लिए प्रावधान	427.68	391.30
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	469.40	142.94
कर के लिए प्रावधान	(90.38)	620.22
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	279.65	248.18
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	636.90	314.00
पूंजी लिखत पर ब्याज	643.98	277.68
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	0.42	(0.73)
आयकर का भुगतान	(19.72)	(790.00)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**12816.90**	**6401.45**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(15380.42)	(16640.54)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(30252.79)	(20913.19)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2994.25)	(1895.00)
	(48627.46)	**(39448.73)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि /(कमी)	49525.72	18143.60
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूंजीगत लिखत के अलावा)	(7267.38)	8692.77
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	10616.77	(2185.26)
	52875.11	**24651.11**
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	**17064.55**	**(8396.17)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(560.44)	(259.16)
अचल आस्तियों की बिक्री	15.56	11.79
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(544.88)**	**(247.37)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	-	-
वितरण कर का भुगतान	-	-
एटी–1 बांड जारी करना	2000.00	-
टियर – 2 बांड जारी करना	2000.00	-

	समाप्त वर्ष	
	31.03.2021 (रू करोड़ में)	**31.03.2020** (रू करोड़ में)
एटी 1 बांड का मोचन	(500.00)	-
टियर 2 बांडों का मोचन	(1000.00)	-
पूंजी लिखत पर ब्याज	(631.94)	(277.07)
शेयर की ओर प्राप्त पूंजी	-	2829.49
ई–एबी शेयरधारक को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए)	(2.51)	-
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**1865.55**	**2552.42**
समामेलन के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समकरण/तुल्य (डी)	**21777.86**	**-**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	**40163.08**	**(6091.12)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1006.09	1030.76
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	4730.04	10671.11
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	8.86	4.34
(बी) अन्य जमा खातों में	721.65	717.14
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	2100.00	2200.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	530.93	203.66
(बी) अन्य जमा खातों में	4830.26	5168.47
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	8.65	32.12
	13936.48	**20027.60**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1658.38	1006.09
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	25886.80	4730.04
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	116.03	8.86
(बी) अन्य जमा खातों में	2065.07	721.65
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	8900.00	2100.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1577.68	530.93
(बी) अन्य जमा खातों में	13866.23	4830.26
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	29.37	8.65
	54099.56	**13936.48**
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	40163.08	(6091.12)

टिप्पणः

- पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है।
- दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में समामेलन के प्रभाव के बाद, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष पद्धति द्वारा तैयार किया गया है

8. परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (एएस – 10)

लेखा मानक (एएस–10) में हुए परिवर्तन के अनुपालन में वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है जबकि विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में रुपए 142.87 करोड़ की वृद्धि हुई और निवल लाभ में रुपए 142.87 करोड़ की कमी आई है।

9. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

9.1. मूल संस्था

9.1.1 **परिभाषित अंशदान योजनाएँ :**

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक ने ₹1.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.56 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने ₹153.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.41 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.1.2 **परिभाषित लाभ योजनाएं :**

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31/03/2021**	**31/03/2020**
बट्टे की दर –जी –सेक रेट	पेंशन के लिए 6.87% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.44%– 10 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 6.89% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 6.82%– 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	6.89% पेंशन के लिए और 6.86% उपदान के लिए	8.05%पेंशन के लिए और 7.74% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

मृत्यु दर तालिका : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012–14) अंतिम

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होती हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**		**उपदान निधि**		**छुट्टी भुनाई**	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**13995.78**	**6520.32**	**1868.46**	**923.85**	**826.09**	**188.20**
याज लागत	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
वर्तमान सेवा लागत	229.80	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-69.4	-17.77
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1542.88	-449.26	-23.06	61.23	-7.62	-5.90
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**15319.48**	**6801.95**	**1848.22**	**928.98**	**977.42**	**210.29**

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13918.80	6418.93	1929.03	923.85	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
अंशदान	1495.93	446.42	50.7	69.64	215.94	17.77
प्रदत्त लाभ	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-215.94	-17.77
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	-193.89	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**14961.61**	**6697.41**	**1897.26**	**896.40**	**0.00**	**0.00**

*आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
योजना आस्तियों पर अपेक्षित **प्रतिफल**	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-193.39	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	910.53	521.65	140.57	68.15	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	-1542.88	-449.25	+23.06	-24.74	7.62	5.90
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0	0.00	0	-36.48	0	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	-193.89	13.33	+14.15	2.71	0	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-1736.77**	**-435.92**	**+37.21**	**-58.51**	**7.62**	**5.90**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15319.48	6801.96	1848.22	928.98	977.42	210.29
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14961.61	6697.41	1897.26	896.40	0	0
अन्तर- निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-357.87	-104.55	49.04	-32.58	977.42	-210.29
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**210.29**

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्तमान सेवा लागत	229.79	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
ब्याज लागत	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1104.42	-508.32	-126.42	-65.44	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	1736.77	435.93	-37.21	58.51	7.62	5.90
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**1776.82**	**449.57**	**62.23**	**102.22**	**220.73**	**39.86**

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		आईबी		आईबी		आईबी
निवल देयता का आरंभिक शेष	-76.98	-101.39	60.57	-13.19	-826.09	-188.21
उपर्युक्तानुसार व्यय	-1776.82	-449.58	-62.23	-89.02	-220.73	-39.86
प्रदत्त अंशदान	1495.93	446.42	50.7	69.64	69.4	17.77
निवल देयता का अंत शेष	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**-210.30**

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2016–21 पेंशन	.....को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48
योजना आस्तियां	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61
अधिशेष (घाटा)	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	357.87
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	1542.88
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32	193.89

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2016–21 – उपदान	.....को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98	1848.22
योजना आस्तियां	829.38	876.81	932.55	910.66	896.4	1897.26
अधिशेष (घाटा)	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-24.2	-87.34	-36.2	-2.11	-61.22	23.06
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	2.71	14.15

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2016–21 छुट्टी भुनाई	.....को समाप्त वर्ष					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	977.42
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2020-2021		2019-2020	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	36.76%	28.00%	55.00%	0.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	15.64%	12.98%	40.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.06%	0.00%	1.00%	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	47.21%	58.60%	4.00%	100.00%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.33%	0.42%	-	-
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान**	पेंशन निधि	उपदान निधि	अर्जित छुट्टी
अगलेवर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	1400	50	240

9.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹50.12 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 3.71 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2021	31/03/2020
1	बीमारी छुट्टी	15.28	1.44
2	आकस्मिक छुट्टी	0.16	0.12
3	छुट्टी यात्रा रियायत	34.68	2.15
	कुल	**50.12**	**3.71**

क्रम सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	01.04.2020* को प्रारंभिक शेष	2020-21 का व्यय	2020-21 में वृद्धि	31.03.2021 को अंतिम शेष
1	बीमारी छुट्टी	7.38	0	15.28	22.66
2	आकस्मिक छुट्टी	0.71	0	0.16	0.87
3	छुट्टी यात्रा रियायत	53.80	18.56	34.68	69.62
कुल		**61.89**	**18.56**	**50.12**	**93.45**

नोटः शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

9.2 अनुषंगी कंपनियां

(अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित विवरणों के अनुसार पुनर्निमित)

9.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

₹

विवरण	2020-21	2019-20
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	4503279	3956245

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	14477169	10424236	9175621	7487157
वर्तमान सेवा लागत	1245412	875494	418454	346222
ब्याज लागत	915972	781818	588067	535448
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(104445)	1161862	(64441)	1559387
प्रदत्त लाभ	(1239594)	(702125)	(557996)	(752593)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	15294514	12541285	9559705	9175621

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचितमूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2020-21	**2019-20**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचितमूल्य	11607029	11550311
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	867210	758843
अंशदान	4264874	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	98528	-
प्रदत्त लाभ	(1239594)	(702125)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	15598048	11607029
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	(202973)	1161862

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
योजना आस्तियों का उचितमूल्य	15598048	11607029	-	-
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15294514	12541285	9559705	9175621
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	303534	(934256)	(9559705)	(9175621)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
वर्तमान सेवा लागत	1245412	875494	418454	346222
ब्याज लागत	915972	781818	588067	535448
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	867210	758843	-	-
बीमांकक**(लाभ)** /**हानि**	(202973)	1161862	(64441)	1559387
निवल लागत	1091201	2060331	9559705	2441057

V) बीमांकक अनुमान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	2012-14 (अंतिम)	1994- 96 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	1994-96 (अंतिम)
बट्टादर (प्रतिवर्ष)	6.83%	7.25%	6.83%	6.61%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	6.61%	8.00%	-	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	1% to 3%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2020–21 में उपदान देयता की ओर रू 23.53 लाख (पिछले वर्ष 20.36 लाख) का अंशदान दिया है।

9.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे:

₹

		2020-21	2019-20
1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य	664113
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	शून्य	686909
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य	670525
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य	16384
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य	शून्य
6	शेष देय	शून्य	16752
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य	368
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	**अप्रयोज्य**	7.25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 7.50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

10. सेगमेंट रिपोर्टिंग(समेकित) (एएस 17)

1. सेगमेंट की पहचान

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :–

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग–अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष –

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर–कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

i. देशी परिचालन – भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन – भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्त्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्त्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्त्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेजरी		कार्पोरेट/ थोकबैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	14002.34	6360.25	17708.42	8257.78	13021.62	9532.64	916.16	280.46	45648.54	24431.13
परिणाम	6204.56	2092.05	2843.03	1824.77	2084.26	2072.26	288.61	211.83	11420.46	6200.91
अनाबंटित व्यय									8495.13	5118.27
परिचालनगत लाभ									2925.33	1082.64
अल्पसंख्यक हित									1.43	0.69
अन्य अनाबंटनीय आय									134.86	399.60
आय कर									-90.38	620.22
अपवाद स्वरूप मद									0.00	0.00
निवल लाभ									3149.14	861.33
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	216026.72	91370.17	248990.98	104502.35	182696.29	117426.74	2071.69	650.81	649785.68	305018.55
अनाबंटित आस्तियां									-21672.15	5122.41
कुल आस्तियां									628113.53	310140.96
खण्डीय देयताएं	182491.24	82590.87	229897.04	91493.87	168782.65	103057.81	1062.39	-5.53	582233.32	277137.02
अनाबंटित देयताएं									6422.14	10236.36
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									39458.07	22767.58
कुल देयताएं									628113.53	310140.96

भाग बी–भौगोलिक खण्ड						
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	45321.29	24278.48	327.25	448.30	45648.54	24726.78
आस्तिया	613695.69	300546.96	14417.84	9594.00	628113.53	310140.96

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

11.1 मूलसंस्था

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

सुश्री पद्मजा चुन्डूरू	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.09.2018 के प्रभाव से)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से 30.11.2020 तक)
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी	कार्यपालक निदेशक (01.12.2018 के प्रभाव से)
श्री के रामचंद्रन	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 के प्रभाव से)
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 के प्रभाव से)

गैर–कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता :

क्रं.सं.	गैर–कार्यकारी निदेशक का नाम	धारित शेयर की संख्या
1	श्री भरत कृष्ण शंकर	300
	कुल	**300**

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नानुसार हैं :

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 102.52 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रुपए 98.16 लाख)

	2020-2021	2019-20
श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 03.04.2017)	-	6.00 लाख
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	30.46 लाख	31.70 लाख
श्री सुब्रमण्य कुमार प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक	-	2.00 लाख
श्री ए एस राजीव, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2018 से 30.11.2018)	-	2.66 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 30.11.2020)	18.16 लाख	28.52 लाख
श्री शेणॉय विश्वनाथ वी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	26.22 लाख	27.28 लाख
श्री के रामचन्द्रन, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2020 से 31.03.2021)	26.21 लाख	-
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (10.03.2021 से 31.03.2021)	1.47 लाख	

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन दर्ज किए गए थे

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य–नियंत्रित उद्यम'' हैं। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में, लेन–देन बैंकर–ग्राहक संबंध का प्रकटीकरण न तो प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ और न ही उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया है।

11.2 अनुषंगी कंपनी:

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंधकीय पारिश्रमिक :

(राशि लाख में)

नाम	पदनाम		2020-21	2019-20
श्री शेषसाई पी एल वी के	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (27.06.2020 तक)	वेतन	3.96	16.72
		भविष्य निधि को अंशदान	0.20	0.83
श्री ए राजारामन	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (03.09.2020 तक)	वेतन	10.60	
		भविष्य निधि को अंशदान	0.73	
श्री यू राजकुमार	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक	वेतन	10.40	3.82
		भविष्य निधि को अंशदान	0.79	0.30
श्री वी बालामुरुगन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी का वेतन	वेतन	6.62	7.32
		भविष्य निधि को अंशदान	0.81	0.76
गैर–पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया			2.74	2.20

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ''पूर्णकालिक निदेशक'' के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

11.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से प्राप्त करते है। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

11.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

12. पट्टे (एएस 19)

12.1 मूलसंस्था

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 441.04 करोड़ हैं। (विगत वर्ष – 225.85 करोड़ रुपए)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि और भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर–रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम : भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण		2020-21	2019-20
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)		3149.15	861.34
ईक्विटी शेयरों की संख्या		1129366570	608800580
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या		1129366570	525852645
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹	27.88	16.38
कम की गई आय प्रति शेयर आय	₹	27.88	16.38
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹	10.00	10.00

14. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और ''समेकित वित्तीय विवरण'' को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूलसंस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2021 को समेकित आंकड़ों में तीन सहयोगियों यथा मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारतियार ग्रामबैंक के 134.86 करोड़ रुपये का अलेखापरीक्षित लाभ शामिल है और रु. 7.15 करोड़ दो संयुक्त उद्यमों अर्थात 1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखा परीक्षित लाभ में हिस्सा है।

15. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

15.1 मूलसंस्था

15.1.1 वर्तमान कर-

चालू वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचित घाटे को देखते हुए, बैंक ने देशी परिचालन के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में रुपये 10.56 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

15.1.2 आस्थगित कर

बैंक के पास ₹2844.49 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹744.20 करोड़ का निवल आस्थगित कर आस्ति), जिसमें 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के तहत शामिल ₹949.89 करोड़ की आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹584.06 करोड़) शामिल हैं और आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹3794.38 करोड़ (विगत वर्ष 1328.26 करोड़) के तहत शामिल है।

डीटीए (अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं : (राशि ₹ करोड़ में)

		31.03.2021	31.03.2020
आस्थगित कर आस्तियां			
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	208.53	67.70
2	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व (एफ़सीटीआर)	105.29	109.15
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.09	0.12
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3076.11	1006.58
5	पुनर्रचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	328.67	70.66
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	75.69	73.87
7	कार्यालय व्यय के लिए प्रावधान	0.00	0.18
	कुल–डीटीए	**3794.38**	**1328.26**
आस्थगितकर देयताएं			
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.41	38.51
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	538.22	178.29
	कुल – डीटीएल	**949.89**	**584.07**
	निवल डीटीए /(डीटीएल)	**2844.49**	**744.20**

15.2 अनुषंगी कंपनियां :

15.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं। (राशि ₹ करोड़ में)

	आस्थगित कर			
	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		1.48		2.60
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	4.40		6.16	
iii) अन्य	0.24		0.31	
कुल	**4.64**	**1.48**	**6.47**	**2.60**
निवल डीटीए / (डीटीएल)	**3.16**		**3.87**	

16. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं– परिचालन बंद

16.1 अनुषंगी कंपनियां:

16.1.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्स्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं को आईईपीएफ़ में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम –निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। इसलिए, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्स्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं को आईईपीएफ़ में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

17. अनुषंगी कंपनियां:

17.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

इंडियन बैंक, मूल बैंक ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही ₹ 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार मूलसंस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2021 का समाप्त अर्धवर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 675 लाख चुकौती की है।

18. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

बैंक एश्योरेंस उत्पादों पर प्राप्त कमीशन का लेखांकन अब तक उगाही के आधार पर किया जाता था और इस वित्तीय वर्ष 2020–21 से यह लेखांकन उपचय आधार पर किया गया।

बैंक द्वारा विभिन्न बैंक एश्युरेंस/म्युच्युअल फंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष प्राप्त ₹ 20.44 करोड़ की आय के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में अनर्जित कमीशन आय ₹ 63.97 करोड़ है।

लेखांकन नीति में बदलाव के कारण कमीशन की आय ₹ 5.69 करोड़ अधिक है।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2020-21	2019-20
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	38.43	8.88
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	18.53	11.43
3	स्वास्थय बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	6.33	0.00
4	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.98	0.15
	कुल	**63.97**	**20.44**

19. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूलसंस्था :

19.1 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूलराशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उन पर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

19.2 समूह संस्थाओं के बीच अंतर–बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

19.3 इंडियन बैंक के साथ पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक का समामेलन

19.3.1. भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (जीओआई) ने समामेलन की योजना अधिसूचित की है। 4 मार्च, 2020 के भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2020 को लागू हुई। योजना के प्रारंभ होने पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक के उपक्रमों को हस्तांतरिती बैंक में हस्तांतरित और अधिकृत किया जाएगा।

19.3.2 अंतरणकर्ता बैंक के उपक्रम को हस्तांतरित और अधिकृत करने के क्रम में, प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर (हर प्रकार से समान होंगे और इसे इस योजना के शुरू होने पर या उसके बाद अंतरिती बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान अधिकार हैं, जिसमें लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जिसे अंतरिती बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है) हस्तांतरिती बैंक में उन शेयरधारकों को जारी किया गया था जिनके नाम अंतरिती बैंक द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित अभिलेख तिथि को हस्तांतरणकर्ता बैंक की सदस्य पंजिका में दर्ज था।

अंतरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात
इलाहाबाद बैंक	प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इलाहाबाद बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक पूरी तरह से चुकता ₹10 के अंकित मूल्य के इंडियन बैंक के 115 इक्विटी शेयर।

इसके अलावा, अंतरिती बैंक ने निर्धारित किए गए इक्विटी शेयरों के अंश के लिए हकदारी के संबंध में नकद भुगतान किया है।

19.3.3. एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण – ''समामेलन के लिए लेखांकन'' निम्नानुसार है:

i) समामेलित होनेवाली कंपनी यानी इलाहाबाद बैंक के कारोबार की सामान्य प्रकृति इंडियन बैंक के बैंकिंग कारोबार के समान है।

ii) समामेलन का लेखा 'ब्याज आपूरण' पद्धति के तहत किया जाता है जैसा कि एएस –14 ''समामेलन के लिए लेखांकन'' में निर्धारित है। अंतरणकर्ता बैंक की सभी आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित), कर्तव्यों और दायित्वों को एएस–14 के तहत अपेक्षित लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए अंतरिती बैंक के लेखा बहियों में समायोजन को छोड़कर उनकी मौजूदा वहन राशि और यथास्थिति 01 अप्रैल, 2020 को उसी रूप में दर्ज करने का प्रस्ताव है। योजना के लागू होने की तारीख के बाद देयताओं/आस्तियों (लेखा मानकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहित) में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों को अंतरिती बैंक की लेखा बहियों में दर्षाया गया है।

iii) अंतरिती बैंक द्वारा जारी शेयर पूंजी की राशि रु.520.57 करोड़ (प्रत्येक सममूल्य पर जारी किए गए अंकित मूल्य ₹10 के 52,05,65,990 इक्विटी शेयर) को अंतरणकर्ता बैंक की संबंधित शेयर पूंजी के सापेक्ष समायोजित किया गया है और ₹4006.91 करोड़ शेष राशि को समामेलन रिजर्व में समायोजित किया गया है। शेयरों की आंशिक हकदारी के सापेक्ष नकद ₹2.51 करोड़ का भुगतान किया गया।

iv) योजना की शर्तों के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के मूल्य का सार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक
संपत्ति का अधिग्रहण	
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	7366.61
बैंकों तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	14383.82
निवेश	80666.58
अग्रिम	142964.78
अचल परिसंपत्तियां	3510.42
अन्य परिसंपत्तियां	9109.91
कुल आस्तियां (ए)	258002.12
देयताओं का अधिग्रहण	
आरक्षित और अधिशेष	8135.29
जमाएं	228608.51
उधार	9102.57
अन्य देयताएं और प्रावधान	7628.27
कुल देयताएं (बी)	253474.64
निवल आस्ति सी=(ए–बी)	4527.48

वर्ष के दौरान इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का समामेलन हुआ है। हालांकि इंडियन बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के पास समान आईटी अवसंरचना थी लेकिन नीतियों और मानदंड में भिन्नता के कारण एकीकरण के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष के अंत के दौरान एकीकरण की परिचालन कठिनाइयों और आंकड़ों में अंतर का सामना भी करना पड़ा। प्रबंधन माइग्रेशन लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया में है। यदि कोई त्रुटि है तो एकीकरण पूरा होने के बाद उसे ठीक किया जाएगा। प्रबंधन के आंकलन अनुसार वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव प्रदर्शित होने की संभावना नहीं है।

19.4. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।

19.5 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के परिणामों में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के संचालन शामिल हैं। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक परिणाम, आस्तियां, देयताएँ और नकदी प्रवाह पिछले वित्तीय वर्ष के संगत आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

20. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडियन बैंक के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने **इंडियन बैंक ("मूल संस्था/बैंक" के रूप में संदर्भित)** एवं 31 मार्च, 2021 के समेकित तुलन–पत्र में समाहित इसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगियों, इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

   ए) हमारे द्वारा समीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित विवरण ;

   बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2 अनुषंगियों के लेखापरीक्षित विवरण ; एवं

   सी) 2 संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित विवरण ;

   डी) 3 सहयोगियों के अलेखापरीक्षित विवरण ;

   उपरोक्त ए), बी) व सी) संस्थाओं को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है, का लेखा–जोखा किया है।

   हमारी राय में एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के अलेखापरीक्षित अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण :

   क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष एवं समेकित तुलन पत्र, संलग्न टिप्पणियों सहित पठित, एक पूर्ण और निष्पक्ष समेकित तुलन पत्र हैं जिसमें सभी आवश्यक विवरण होते हैं जो 31 मार्च, 2021 को बैंक और अनुषंगियों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दर्शाने हेतु उचित रूप से तैयार किए गए हैं

   ख) समेकित हानि व लाभ विवरण, टिप्पणियों सहित पठित, सही हानि शेष दर्शाते हैं और

   ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाएं जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं

3. समेकित वित्तीय परिणाम की नोट सं. 5 जिसमें भविष्य के व्यापार और वित्तीय परिणामों पर कोविड–19 (COVID19) की वजह से उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रभाव तथा मौजूदा स्थिति में उसके प्रबंधन के मूल्यांकन, मौजूदा अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में प्रबंधन इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

4. समेकित वित्तीय परिणाम की नोट सं. 19.5 जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में बैंक के साथ समामेलित इलाहाबाद बैंक के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व–समामेलन इंडियन बैंक के आंकड़े हैं इसलिए वह तुलनीय नहीं हैं।

5. संख्या 19.3.3 जोकि वर्ष के दौरान किए गए इंडियन बैंक और तत्कालीन इलाहाबाद बैंक के बीच डेटा के विलय से संबन्धित है तथा डेटा माइग्रेशन ऑडिट प्रगति पर है।

   उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

6. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	बैंक के संदर्भ में	
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान** समूह एवं इसके सहयोगियों का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 57.95% है, जो समेकित वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ("आरबीआई") दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करती है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन–देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	**नियंत्रण के परीक्षण** ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। **वस्तुपरक परीक्षण** ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवंटित शीर्ष शाखाओं से नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की: • आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। • चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। • इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। • आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। • आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। • आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। • एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। • अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान** • निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 28.39 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, 1) हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
	आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर–मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। • पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/ सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन–देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	2) हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतू विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। 3) निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियाँ (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं। 4) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; 5) हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं । तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; 6) उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निदेशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ़्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।
3.	**लेखापरीक्षा करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** जब अप्रैल 2021 और मई 2021 के महीने में कोविड–19 महामारी चरम पर थी, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, दूरस्थ रूप से लेखापरीक्षा करने की सुविधा के लिए, हमने दूरस्थ स्थान से वैकल्पिक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करके बैंक की शाखाओं, अंचल कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय की लेखापरीक्षा की, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें सभी जानकारी ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराई गई थी। चूंकि बैंक की लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की गई थीं, लेखापरीक्षा जोखिम को स्वीकार्य निम्न स्तर तक सुनिश्चित करने और कम करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने का रूप भी अलग प्रकार से बनाया गया था तथा इस प्रकार हम उचित निष्कर्ष निकालने और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय बनाने में सक्षम हुए हैं।	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों और कोविड 19 पर विभिन्न लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों की आवश्यकतों के अनुरूप विभिन्न लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था। नियंत्रण परीक्षण और मूल परीक्षण के लिए संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं : • जहां कहीं भी लेखा परीक्षकों की भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं, क्षेत्रों व कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालयों के संबंध में रिमोट एक्सेस और ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेज / सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन • बैंक के संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, विलेखों, प्रमाण पत्रों और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन ईमेल के माध्यम से और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से किया गया। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज सही, पूर्ण, विश्वसनीय और सीधे बैंक के लेखा सिस्टम से निकाले गए हैं एवं इनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

7. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिल्लर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

8. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन और सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों के समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा सामूहिक संस्था के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

सामूहिक संस्थाओं व सहयोगियों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

9. हमारा लक्ष्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से पूर्णतः मुक्त हो चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो सामूहिक संस्था तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ सामूहिक संस्था तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती है।

समूह और सहयोगियों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हमने बैंक अभिशासकों को तथा समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित उन संस्थाओं को जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

10. हमने उन दो (2) अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2021 को रु. 94.87 करोड़ की कुल संपत्ति एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 15.47 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं उक्त अनुषंगियों के संबंध में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

11. हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को रु. 4844.64 करोड़ की कुल संपत्ति, रु. 1584.32 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 7.15 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। 31मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उन तीन अनुषंगियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, से संबंधित समूह के रु. 134.86 करोड़ के निवल लाभ, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, की हिस्सेदारी को भी समेकित वित्तीय विवरणों में जोड़ा गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह से उक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

    उपरोक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

12. 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

13. समेकित तुलन–पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।

14. उपरोक्त 7 से 9 तक पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

    (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

    (बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं, बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और

    (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

15. आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित), की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

    (ए) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 बैंकों पर लागू नहीं होती है। अनुषंगियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2021 तक किसी भी अनुषंगी के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(सी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(डी) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

16. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते है कि,

(ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र तथा समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है ; और

(डी) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते के सी मेहता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 106237W

साझेदार चिराग बख्शी
(एम.नं. 047164)
यूडीआईएन : 21047164AAAAEN5045

कृते श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003032S

साझेदार डोंदेती तेजा सागर
(एम.नं. 227878)
यूडीआईएन : 21227878AAAADP6730

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 009073N/N500320

साझेदार जयंत ए.
(एम.नं. 231549)
यूडीआईएन : 21231549AAAACQ9519

मेसर्स पी.के.एफ. श्रीधर एंड संथानम एलएलपी
एफआर सं. 003990S/S200018

साझेदार वी.कोदंडरमन
(एम.नं. 25973)
यूडीआईएन : 21025973AAAABA7815

मेसर्स जी. नटेसन एंड कंपनी
एफआर सं. 002424S

साझेदार के. मुरली
(एम.नं. 024842)
यूडीआईएन : 21024842AAAABK8607

हस्ताक्षर का स्थान : चेन्नै
रिपोर्ट की तारीख : 28 मई, 2021

बेसल III-पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2021

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से किसी एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. (अनुषंगी)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
एएसआरईसी (इंडिया) लि. (संयुक्त उद्यम)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 27 – संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन के अनुरूप आनुपातिक समेकन विधि के अनुसार समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (संयुक्त उद्यम)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 27 – संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग	**नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**विनियामक दिशानिर्देश**
तमिलनाडु ग्रामा बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23–समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	**नहीं**	**लागू नहीं**	**एसोसिएट्स माना गया है**	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23– समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिट्स में किए गए निवेश हेतु लेखांकन के अंतर्गत समेकित	**नहीं**	**लागू नहीं**	**एसोसिएट्स माना गया है**	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23– समेकित वित्तीय विवरण में	**नहीं**	**लागू नहीं**	**एसोसिएट्स माना गया है**	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

बी. ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकर के अधीन समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है :

(₹ मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं	443.78	841.86
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	105.31
एएसआरईसी (इंडिया) लि. (भारत)	आस्ति वसूली कंपनी	980.00	2902.61
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (भारत)	सामान्य बीमा कंपनी	3681.81	45543.98

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन प्त्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
शून्य				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 7.375 प्रतिशत (जिसमें 1.875 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर– I (सीईटी I) तथा न्यूनतम 10.875 प्रतिशत सीआरएआर रखना है। बैंक 11.27 प्रतिशत (एकल), 11.59 प्रतिशत (समेकित) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) और 15.71 प्रतिशत (एकल), 16.02 प्रतिशत (समेकित) सीआरएआर रख रहा है।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंकक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- **ऋण जोखिम** : माननीकृत दृष्टिकोण
- **बाज़ार जोखिम** : माननीकृत अवधि दृष्टिकोण
- **परिचालन जोखिम** : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले पाँच वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर प के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित जोखिम पर विचार करता है :

➢ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम	➢ मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन
➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम	➢ पेंशन बाध्यता जोखिम
➢ तरलता जोखिम	➢ तुलन पत्र से बाहर एक्सपोजर जोखिम
➢ निपटान जोखिम	➢ प्रौद्योगिकी जोखिम
➢ अनुपालन जोखिम	➢ आउटसोर्सिंग जोखिम
➢ साख जोखिम	➢ मानव संसाधन जोखिम
➢ मॉडल जोखिम	➢ अवशिष्ट जोखिम
➢ देश विशेष जोखिम	➢ रणनीतिगत जोखिम
➢ मुआवजा जोखिम	➢ अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जोखिम
➢ विधिक जोखिम	
➢ समूह जोखिम	

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणवत्ता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर त्रैमासिक अवधि तनाव परीक्षण में करता हैं। महामारी के दौरान बैंक के तुलन पत्र पर संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए बैंक ने कोविड 19 महामारी के तहत भी तनाव परीक्षण किया है। उसी का परिणाम ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)/जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) / बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	2,75,278.55	2,75,350.42
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	--	--

बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	8,700.50	8,700.50
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	90.00	90.00
ईक्विटी जोखिम	3,464.95	3,598.44
कुल	**12,255.45**	**12,388.94**

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक दृष्टिकोण	23,718.06	23,771.48

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार :

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	11.27%	11.59%
टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.93%	12.25%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	15.71%	16.02%

संगठन की संरचना :

जोखिम प्रबंधन संरचना :

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग प्रभावोत्पादक उद्यम–वार जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यरत एवं पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक के सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(i) आस्ति देयता समिति (आलको)

(ii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–वार जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति (प्रकटीकरण, प्रतिष्ठा और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन सहित) भी बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का एक भाग), आस्ति देयता प्रबन्धन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन पर नीति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति शामिल है।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की जाती है तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम :

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने एवं जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित कर व जांच कर उनका प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा ढांचा :

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए सीमा ढाँचा रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्सपोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- देश–वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एक्सपोज़र
- उद्योग–वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडल रू ऋण संबंधी निर्णयों के समर्थन और ऋण संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण व जोखिम आधारित पूंजी मापन हेतु जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए यह बाहरी अभिकरण द्वारा प्रदत्त वैधता के अधीन हैं।

स्कोरिंग मॉडलःरू बैंक में संरचित ऋण उत्पादों और अन्य ऋणों, जो रेटिंग मॉडल के अधीन नहीं हैं, के तहत आने वाली सभी नई मंजूरियों के लिए प्रवेश स्तर के स्कोरिंग मॉडल हैं ।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा–परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सके। इसके अलावा मानक आस्ति

अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज़्म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर, उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यमों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

उत्तम जोखिम प्रबन्धन प्रथाओं को अपनाते हुए, कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) को जोखिम ऋण प्रबन्धन विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन ढांचा, बैंक को अपने तुलनपत्र में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के माप, मानिटर और नियंत्रण हेतु सुविधा प्रदान करता है। यह आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करवाता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं :

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल ।।। तरलता अुनपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की हैः–

अल्पावधि उद्देश्यः–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

दीर्घावधि उद्देश्यः

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड और/या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, एमसीएलआर और आधार दर की समीक्षा, चलनिधि स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइलों, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

चलनिधि जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर /प्रुडेंशियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने विविधिकरण के माध्यम से अपनी तरलता का प्रबंधन किया है जोकि धारणीय सीमाओं के अंतर्गत है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर का आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन का असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरिक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, हाल ही में जारी किए गए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का दैनिक आधार पर परिकलन कर रहा है तथा चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है ।

बाजार जोखिम प्रबंधनः–

बाजार में प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली हानि की संभावना, को बाजार जोखिम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्यों , विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को जोखिम एक्सपोज़र, एवं तुलनीय बेंचमार्क की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर, संविभाग निष्पादन के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता हैः–

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार हैः–

ए) जोखिम की पहचान : बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं : बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एमडी), पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंग : ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेट स्कैन, लेनदेन मौजूदा बाजार दरों पर किया जा रहा है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा दैनंदिन तौर पर ट्रेशरी परिचालनों का मानीटर किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनंदिन रिपोर्ट व साप्ताहिक सार नोट और आल्को को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और तनाव परीक्षण नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय

रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिमः–

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का केन्द्र बन गया है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और मूल्यांकन और परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) बनाया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है।

सारणी डीएफ –3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थत अभिशासन संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। यह ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंकक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप–समिति की स्थापना की है जिसे ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामना किये जानेवाले संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा यह जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायक प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है और इसे बोर्ड अनुमोदन, स्पष्ट नीति, रणनीति, जोखिम वहन क्षमता एवं ऋण मानदण्डों हेतु संस्तुति करती है।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामना किये जानेवाले प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम वहन क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रण्नीति का अनुमोदन करती है एवं इसकी आवधिक समीक्षा करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर समग्र रूप उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा बैंकव्यापी आधार पर ऋण जोखिम का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.काः की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समितियों द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त की परिभाषा (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, आस्ति वर्गीकरण हेतु शामिल की गई है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर–निष्पादित आस्ति (एनपीए) : गैर–निष्पादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मियादी ऋण के संदर्भ में मूलधन पर ब्याज और /या किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- जब खाता ''ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में ''नियमित नहीं है''
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को तब ''अनियमित'' माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र की तारीख पर लगातार 90 दिनों के दौरान कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त पहीं है तो इन खातों को ''अनियमित'' माने जाएँगे।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

➢ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति वह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रही हो।

➢ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत तब किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➢ **हानिकारक आस्ति**

हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति : बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) बनायी है और इसे बैंक के इंट्रानेट पर पोर्ट किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक/विधिक अनुपालन पर विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड/आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, समिति ऋण जोखिम की निगरानी बैंक व्यापक आधार पर करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग अलग से : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	39,03,169.56	39,03,169.56
निवेश	12,87,933.17	12,87,941.21
अन्य आस्तियां	8,54,578.13	8,55,254.49
कुल निधि आधारित	**60,45,680.86**	**60,46,365.27**
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	39,66,299.72	39,66,547.02
कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र	**1,00,11,980.58**	**1,00,12,912.29**

*इसमें व्युत्पन्न एक्सपोज़र की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित निधि सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) ऋण जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित (एकल) का पृथक का भौगोलिक वितरण : (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	1,34,049.73	55,060.29	1,89,110.02
देशी	59,11,631.13	39,1 1,239.43	98,22,870.56
कुल	**60,45,680.86**	**39,66,299.72**	**1,00,11,980.58**

(डी) 31 03 2021 तक एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण (एकल)

(₹ मिलियन में)

क्र.सं	प्रमुख उद्योग /क्षेत्र	निधि आधारित शेष	निधि आधारित शेष	वैश्विक प्रतिबद्ध एक्सपोज़र
1	**रसायन एवं रसायन उत्पाद**			
1.1	औषधि एवं औषधीय	13868.91	2374.75	16243.66
1.2	उर्वरक	12154.24	927.90	13082.14
1.3	अन्य रसायन एवं रसायन उत्पाद	17853.25	7589.06	25442.31
2	**इंजीनियरिंग**			
2.1	सामान्य इंजीनियरिंग मशीनरी और माल	43722.04	72805.70	116527.74
2.2	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और माल	10210.92	9725.92	19936.84
2.3	इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, माल और सॉफ्टवेयर	14657.59	7094.59	21752.19
3	**खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन**			
3.1	खाद्य तेल एवं वनस्पति	9648.65	15581.96	25230.60
3.2	राइस मिल्स, आटा मिल्स और दाल मिल्स	27986.85	4917.33	32904.18
3.3	चीनी	18762.86	129.58	18892.44
3.4	चाय एवं काफी	5062.36	32.31	5094.67
3.5	अन्य खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संसाधन	51116.29	6061.79	57178.08
4	**आधारिक संरचना**			
4.1	**बिजली**			
4.1.1	विद्युत उत्पादन	155852.81	27577.44	183430.25
4.1.2	विद्युत प्रसारण एवं वितरण	91175.08	6114.03	97289.10
4.1.3	नवीकरणीय ऊर्जा	4378.78	385.99	4764.77
4.2	**परिवहन**			
4.2.1	पोर्ट एवं सडक	135676.77	990.75	136667.52
4.2.2	शिपिंग	6094.78	8395.93	14490.71
4.2.3	लाजिस्टीक्स	18077.74	6028.76	24106.50
4.3	दूरसंचार	6553.50	54129.47	60682.97
4.4	शैक्षिक संस्था	47688.08	5641.47	53329.56
4.5	अस्पताल	22969.50	1109.99	24079.49
4.6	होटल (तीन स्टार एवं उससे अधिक)	11867.61	177.07	12044.68
4.7	अन्य आधारिक संरचना	282330.07	7709.00	290039.06
5	**वस्त्र**			
5.1	सूती वस्त्र	28538.24	2281.69	30819.93
5.2	प्राकृतिक फाइबर वस्त्र	2109.14	122.83	2231.97
5.3	हथकरघा वस्त्र और खादी	3426.69	87.40	3514.10
5.4	अन्य वस्त्र	57572.52	3743.50	61316.02
6	**एनबीएफसी / एचएफसी /एमएफआई**			
6.1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	314001.57	1074.62	315076.18
6.2	सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफ़आई)	30941.33	0.00	30941.33
6.3	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	237292.17	0.00	237292.17
7	**धातु और धातु उत्पाद**			
7.1	लोहा और इस्पात	110140.81	36945.40	147086.22
7.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	31042.82	16208.16	47250.98
8	**व्यापार**			
8.1	थोक व्यापार	349572.34	35832.73	385405.06

(₹ मिलियन में)

क्र.सं	प्रमुख उद्योग /क्षेत्र	निधि आधारित शेष	निधि आधारित शेष	वैश्विक प्रतिबद्ध एक्सपोज़र
8.2	खुदरा व्यापार	177849.00	6324.69	184173.69
9	ऑटोमोबाइल	20838.81	1607.73	22446.55
10	विमानन	2253.62	3.67	2257.29
11	पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	8016.95	202.16	8219.11
12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	31790.83	5683.96	37474.80
13	कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (सीएमई)	21277.75	1215.00	22492.75
14	वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई)	76317.64	3010.79	79328.43
15	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	90609.83	156130.74	246740.57
16	रत्न और जेवर	7217.41	2335.76	9553.17
17	ग्लास और ग्लास वेयर	3689.74	3065.82	6755.56
18	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	3482.28	231.26	3713.55
19	मीडिया और मनोरंजन	5691.12	4125.52	9816.64
20	खनन और उत्खनन	26804.11	815.82	27619.93
21	कागज और कागज उत्पाद	19589.10	4553.48	24142.58
22	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	137247.76	38293.10	175540.86
23	मुद्रण और प्रकाशन	8107.58	2350.46	10458.04
24	रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	29840.78	12090.46	41931.24
25	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	6310.78	1960.91	8271.69
26	अन्य उद्योग	223745.90	15726.71	239472.61

31 मार्च 2021 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्सपोज़र के कुल सकल ऋण एक्सपोज़र के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्स्पोजर का प्रतिशत
1	आधारिक संरचना	16.38%
2	एनबीएफसी / एचएफसी /एमएफआई	10.61%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे

(₹ मिलियन में)

	निवेश*	अग्रिम
1 दिन	540124.10	63341.80
2-7 दिन	28571.40	51024.49
8 -14 दिन	12305.00	157681.61
15 - 30 दिन	34003.30	58608.40
31 दिन – 2 माह	12818.90	127460.00
2 माह से 3 माह तक	14570.80	93651.80
3 माह से अधिक 6 माह तक	72066.10	248660.49
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	130264.00	406843.34
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	158004.40	1373660.35
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	58488.20	543426.84
5 वर्ष से अधिक	699809.17	515743.29
कुल	**1761025.37**	**3640102.41**

* इसमें ₹4344.29 मिलियन की सूचीबद्ध इक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	
	➢ अवमानक	73699.53
	➢ संदिग्ध 1	66789.93
	➢ संदिग्ध 2	103756.07
	➢ संदिग्ध 3	76033.31
	➢ हानि	64274.63
	सकल एनपीए (एकल सार्वभौमिक)	384553.46
(जी)	निवल एनपीए	**122711.26**
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	9.85%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	3.37%
(I)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2020)	419977.07
	➢ जोड	94295.48
	➢ घटाव	129719.09
	➢ **अंतशेष (31.03.2021)**	**384553.46**
(j)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2020)	272742.64
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	66637.70
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि ध्अधिक प्रावधानों का प्रतिलेख	82978.50
	➢ **अंतशेष (31.03.2021)**	**256401.84**
(k)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	16987.31
(l)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	7974.54
(m)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ प्रारंभिक शेष (01.04.2020)	18508.44
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9171.91
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1279.05
	➢ **अंतशेष (31.03.2021)**	**26401.30**

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ: (₹ मिलियन में)

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियां	6036.50
ब्याज ज्ञापन विधिक प्रभार ध्बट्टाकृत खातों में वसूलियां	163.10

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि (₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	35981.98	26799.36	9182.62
बिजली को सम्मिलित कर मूलभूत संरचना	61014.80	46718.66	14296.14
वस्त्र	13587.40	7383.92	6203.48
सभी इंजीनियरिंग	9829.01	6869.41	2959.60
कोयला एवं खनन	631.10	263.45	367.65

31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि – सार्वभौमिक : ₹ 25008.80 मिलियन

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए (₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➢ अव–मानक	70954.43	2745.10	73699.53
➢ संदिग्ध 1	63584.20	3205.73	66789.93
➢ संदिग्ध 2	103684.39	71.68	103756.07
➢ संदिग्ध 3	75473.38	559.93	76033.31
➢ हानि	62872.36	1402.27	64274.63
कुल	**376568.75**	**7984.71**	**384553.46**

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण (₹ मिलियन में)

विवरण	सकल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	73699.53
1 से 2 वर्ष (डी 1)	66789.93
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	74217.39
3 से 4 वर्ष (डी 2 दूसरे वर्ष)	29538.68
4 वर्ष से अधिक	140307.94

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्सपोज़रों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम, और पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र इत्यादि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सात दर निर्धारण अभिकरणों यथा ए) क्रिसिल बी) इक्रा सी) केयर और डी) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एफ) एक्यूट एवं जी) इन्फोमेरिक्स द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। ओवरसीज़ ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिच – मूडीज़ की रेटिंग को स्वीकार करता है।

सभी पात्र एक्सपोज़र, तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर दोनों ही, चाहे वह अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए बैंक उपरोक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोधित रेटिंग का उपयोग करता है, जैसा कि बेसल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों में अनुमत है।

बैंक के संविभाग में आनेवाली आस्तियों, जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम है, को चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दी गई लघु कालीन रेटिंग प्रासंगिक मानी जाती है। बैंक के संविभाग में आनेवाली आस्तियों, जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है, को चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दी गई दीर्घकालीन रेटिंग प्रासंगिक मानी जाती है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग बेसल III पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप की गई है।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध की जाती हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दी जाती हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लागू किया जाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार।

मात्रात्मक प्रकटीकरणरू

बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र एकल (सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत/मूल्य
100% से कम जोखिम भार	57,57,347.67	11,03,349.89
100% जोखिम भार	32,95,870.64	5,35,343.90
100% से अधिक जोखिम भार	9,58,762.26	8,92,603.24
कुल	**1,00,11,980.58**	**25,31,297.03**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत/मूल्य
100% से कम जोखिम भार	57,57,762.51	11,03,394.79
100% जोखिम भार	32,96,321.43	5,35,794.69
100% से अधिक जोखिम भार	9,58,828.34	8,92,768.45
कुल	**1,00,12,912.29**	**25,31,957.93**

सारणी डीएफ–5 : ऋण जोखिम निवारण–मानकीकृत दृष्टिकोणों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल ।।।/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल।।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ऋण नीति का भाग) में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन के लिए सीआरएम लाभ की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

I) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जिन पर काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोनाः सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 शुद्धता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिनमें कोई अवरुद्धता अवधि क्रियाशील नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

vi) कम से कम बीबीबी(–)/पीआर3/पी3/एफ़3/ए3 रेटिंग वाली कर्ज प्रतिभूतियां

vii) म्यूचुअल फंड की इकाइयां

गारंटर काऊंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित गारंटियों के संबंध में बैंक ऋण सुरक्षा पर विचार करता है। पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान बैंक इन सभी ऋण सुरक्षाओं को ध्यान में रखता है।

काऊंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काऊंटरपार्टी एक्सपोज़रका सुरक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसमें शामिल काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काऊंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है :

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी, एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई सहित)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पूँजी मूल्यांकन में बैंक व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए संपार्श्विक के असर को समयोजित करते हुए काउंटर पार्टी को समयोजित एक्सपोज़र की गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल–सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	5,31,186.32	4,75,555.84
निवेश	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	**5,31,186.32**	**4,75,555.84**
गैर निधि आधारित जिसमें आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	44,517.84	0.00
कुल	**5,75,704.16**	**4,75,555.84**

सारणी डीएफ–6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ – 7

व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोजर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोज़र की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है :

ए) जोखिम की पहचानः– बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ताकि प्रत्येक कारोबार क्रियाकलाप में जोखिम पहचान व मान्यता के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएंः– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। रेट स्कैन, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर हो ।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट और साप्ताहिक सार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है । बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार को परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट मासिक आधार पर आल्को को और तिमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न शीर्ष स्तर की समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	8,700.50	8,700.50
विदेशी विनिमय जोखिम	90.00	90.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3,464.95	3,598.44
कुल	**12,255.45**	**12,388.94**

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोज़र की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोज़र को कैप्चर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी रुपए 23771.48 मिलियन (समेकित) है।

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

(I) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण) : इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण) : आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व मानकर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन करता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है। आशोधित अवधि के परिकलन में बाजार से जुडे प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है ।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा । अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाश वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कैप्चर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। इसे मासिक आधार पर विश्लेषण नोट आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ब्याज आधार पर रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य पर प्रभाव नीचे दिए गए हैं।

i) एक वर्ष की समय परिधि के लिए ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम रुपए (–) ₹ 2099 मिलियन हैं।

ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से बैंकिंग बुक के ब्याज दर पर असर ₹ 732140 मिलियन (आईआरआरबीबी) हैं ।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम वह है जो लेनदेन की नकद प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले व्युत्पन्न लेनदेन के प्रतिपक्षकार द्वारा की जानेवाली चूक है । बैंक ब्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोज़र के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है । कार्पोरेटों के लिए व्युत्पन्नों का मूल्यांकन किया जाता है तथा नियमित मूल्यांकन के एक अंश के रूप में नियमित ऋण सीमा के साथ मंजूरी की जाती है ।के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोज़र हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी व्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोज़र की वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31.03.2021 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान ऋण एक्सपोजर (सकारात्मक एमटीएम)	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	25,48,568.44	15,665.65	63,788.53
ब्याज दर अदला बदली	0.00	0.00	0.00

	डी एफ–11 : पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	19,869.86	**ए1+बी1**
2	प्रतिधारित आय	7,084.94	बी 6
3	संचित अन्य व्यापक आय तथा (अन्य आरक्षितियाँ)	3,20,872.30	बी2+बी3+बी4+बी5+ बी7+बी8(i)+बी10(i)
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	**0.00**	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	3,47,827.10	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	892.00	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	1,050.00	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर आस्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	

	डी एफ–11 : पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय कंपनियों में कुल इक्विटी निवेश	0.00	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**1,942.90**	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**3,45,884.20**	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	20,000.00	
31	जिसमें से :लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	20,000.00	D8
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**20,000.00**	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	200.00	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	

	डी एफ–11 : पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, (पात्र शॉर्ट पोजिशन का निवल)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर–समेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है, की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी ।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से :एटीआई से फेस आउट किये गये	0.00	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है	0.00	
	जिसमें से : डीटीए	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**2,00.00**	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	**19,800.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**19,800.00**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**3,65,684.20**	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	76,000.00	डी7
47	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	डी+डी6
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
50	प्रावधान (आईएफआर सहित)	40,558.71	B9+E1
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी**	**1,16,558.71**	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, (पात्र शॉर्ट पोजिशन का निवल)	0.00	

	डी एफ–11 : पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ़–12 के संबंध में, चरण 2)
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56क	जिसमें से : गैर–समेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया, की टियर 2 पूंजी में कमी	0.00	
	बेसल ष्ष् पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	4,000.00	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**4,000.00**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	1,12,558.71	
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	**1,12,558.71**	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0.00	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	1,12,558.71	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**4,78,242.91**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**29,83,963.17**	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	25,31,957.93	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,54,861.75	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	2,97,143.50	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.59%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.25%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.02%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता व पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.09%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल ।।। से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। न्यूनतम से अलग है)	7.38%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है) सीसीबी सहित	8.88%	

	डी एफ–11 : पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या। (डीएफ–12 के संबंध में, चरण 2)
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है)	10.88%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	273.79	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	28,510.95	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	28,375.94	ई 1
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25:) पर कैप	31,649.47	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं	
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	4,000.00	

	टेम्पलेट के लिए टिप्पण	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	28,510.95
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर अनुषंगियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	0.00
	(I) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	0.00
	जिसमें सेः अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान (आईएफआर सहित)	40,558.71
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	40,558.71

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना . मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (समेकित) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2021 को	31.03.2021 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
I	प्रदत्त पूंजी	11,293.67	11,293.67
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	3,83,286.99	3,81,442.41
	कुल पूंजी	**3,94,580.66**	**3,92,736.08**
	अल्पसंख्यक के हित	226.01	226.01
ii	**जमाराशियां**	**53,80,298.04**	**53,80,298.04**
	जिसमें से: बैंकों से जमा	56,123.91	56,123.91
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	53,24,174.13	53,24,174.13
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**2,62,030.43**	**2,62,030.43**
	भारतीय रिजर्व बैंक से	50,320.40	50,320.40
	बैंकों से	49.53	49.53
	भारत के बाहर से उधार	62,172.31	62,172.31
	अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	1,49,488.19	1,49,488.19
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	96,000.00	96,000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**2,44,000.18**	**2,33,905.68**
	कुल देयताएँ	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**
बी	**आस्तियां**		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	**2,75,451.78**	**2,75,450.86**
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर प्रतिदेय धनराशि	**2,65,543.77**	**2,65,372.46**
ii	निवेश :	**17,82,924.43**	**17,73,839.34**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	16,02,565.71	15,98,545.00
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	91.41	52.28
	जिसमें से: शेयरों में	9,969.82	9,879.78
	जिसमें से: ऋणपत्र और बांड में	1,36,538.68	1,33,591.51
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	8,615.47	9,665.53
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	25,143.34	22,105.24
iii	ऋण और अग्रिम	**36,40,102.41**	**36,40,102.41**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	46,448.25	46,448.25
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	35,93,654.16	35,93,654.16
iv	**अचल आस्तियाँ**	**73,925.60**	**73,835.96**
v	**अन्य आस्तियां**	**2,43,187.35**	**2,40,595.21**
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	28,514.07	28,510.95
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**

	डीएफ – 12 पूंजी की संरचना – मिलान आवश्यकताएं –चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र (समेकित)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
		31.03.2021 को	31.03.2021 को	
ए	**पूँजी तथा देयताएँ**			
I	प्रदत्त पूँजी	11,293.67	11,293.67	ए
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	11,293.67	11,293.67	ए1
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**3,83,286.99**	**3,81,442.41**	**बी**
	जिनमें से			
	1. शेयर प्रिमियम	8,576.19	8,576.19	बी1
	2.सांविधिक आरक्षितियां	86,497.55	86,497.55	बी2
	3.आरक्षित पूंजी	9,627.94	9,149.89	बी3
	4.विशेष आरक्षितियां	22,395.52	22,395.52	बी4
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	582.00	582.00	बी4(i)
	5.राजस्व आरक्षितियां	1,33,698.37	1,33,698.37	बी5
	6.लाभ एवं हानि खाता	8,451.48	7,084.94	बी6
	7.समामेलन आरक्षित	40,069.16	40,069.16	बी7
	8.पुनर्मूल्यन आरक्षित	57,549.66	57,549.66	बी8
	पुनर्मूल्यन आरक्षित (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% छूट)	25,897.35	25,897.35	बी8(i)
	9.आरक्षित निवेश	12,182.78	12,182.78	बी9
	10.फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफसीटीआर)	4,219.29	4,219.29	बी10
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया	3,164.47	3,164.47	बी10(i)
	11.आईआरएस आरक्षित	19.06	19.06	
	अल्प संख्यक के हित	226.01	226.01	बी11
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए लिया गया	0.00	0.00	बी11(i)
	कुल पूंजी	**3,94,806.67**	**3,92,962.09**	
ii	**जमा राशियां**	**53,80,298.04**	**53,80,298.04**	**सी**
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	56,123.91	56,123.91	सी(i)
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	53,24,174.13	53,24,174.13	सी(ii)
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	सी(iii)
iii	**उधार**	**2,62,030.43**	**2,62,030.43**	**डी**
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	50,320.40	50,320.40	डी1
	बैंकों से	49.53	49.53	डी2
	भारत के बाहर से उधार	62,172.31	62,172.31	डी3
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	1,49,488.19	1,49,488.19	डी4
	जिनमें से : पूंजी लिखत	96,000.00	96,000.00	डी4(i)
	अपर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	0.00	0.00	डी5
	लोवर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	0.00	0.00	डी6
	टियर II लिखत (बेसल III अनुपालक)	76,000.00	76,000.00	डी7
	एटी1 के लिए अर्ह स्थायी ऋण लिखत	20,000.00	20,000.00	डी8
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**2,44,000.18**	**2,33,905.68**	**ई**
	सामान्य प्रावधान	28,375.94	28,375.94	ई1
	कुल	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**	

	डीएफ – 12 पूंजी की संरचना – मिलान आवश्यकताएं–चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र (समेकित)	समेकन के विनियामक दायरें के अंतर्गत तुलनपत्र	संदर्भ संख्या
		31.03.2021 को	31.03.2021 को	
B	आस्तियां			
I.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष**	**2,75,451.78**	**2,75,450.86**	
	बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**2,65,543.77**	**2,65,372.46**	
ii	**निवेश**	17,82,924.43	17,73,839.34	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	16,02,565.71	15,98,545.00	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	91.41	52.28	
	जिनमें से : शेयर	9,969.82	9,879.78	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	1,36,538.68	1,33,591.51	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	8,615.47	9,665.53	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	25,143.34	22,105.24	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**36,40,102.41**	**36,40,102.41**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	46,448.25	46,448.25	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	35,93,654.16	35,93,654.16	
iv	**अचल आस्तियां**	**73,925.60**	**73,835.96**	
v	**अन्य आस्तियां**	**2,43,187.35**	**2,40,595.21**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	जिनमें से			
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	28,514.07	28,510.95	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण – तालिका डीएफ़ – 11 चरण 3

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन प्त्र के संदर्भ संख्या/पत्रों के आधार पर स्रोत
1	सीधे जारी अर्हक सामान्य शेयर (और गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष	19,869.86	ए1+बी1
2	प्रतिधारित उपार्जन	7,084.94	बी6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	3,20,872.30	बी2+बी3+बी4+बी5+बी7+बी8(i)+बी10(i)
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से सीधे जारी पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0.00	
6	नियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	3,47,827.10	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल(संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए08057
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	लागू भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताएं पर	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	पात्र	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (₹ मिलियन में)	11293.67	10480
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	10480
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	08.12.2020
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	लागू नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः 08/12/2025 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/ लाभांश	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	8.44% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधीन	अर्ध विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतरू	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट–अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बॉण्ड धारकों के दावे होंगे: (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से बेहतर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में अर्हक अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता के अधीनस्थ ऋण के अधीन (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य अधीनस्थ ऋण (iv) जारीकर्ता की या संबंधित इकाई की या अन्य व्यवस्था की गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित और न ही कवर किया गया जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक लेनदारों के संबंध में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाता है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08065	आईएनई562ए08073
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड	अतिरिक्त टियर 1 बाण्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड	बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	5600	3920
9	लिखत का सममूल्य	5600	3920
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	14/12/2020.	30/12/2020.
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	बेमियादी	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 14/12/2025 मोचन राशिः सममूल्य पर	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 30/12/2025 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/ लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.44% प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.44% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	हाँ	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अर्ध विवेकाधीन	अर्ध विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतरू	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से ऊपर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और जारीकर्ता के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (जैसा कि बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के रूप में अर्हता प्राप्त अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता का अधीनस्थ ऋण (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अन्य अधीनस्थ ऋण बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत (iv) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों और शाश्वत गैर–संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, में निवेशकों के दावों से ऊपर (ii) सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन और जारीकर्ता के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (जैसा कि बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के रूप में अर्हता प्राप्त अधीनस्थ ऋण के अलावा जारीकर्ता का अधीनस्थ ऋण (iii) आपस में गैर– अधिमान समगति और अन्य अधीनस्थ ऋण बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकृत (iv) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08016	आईएनई562ए08024
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	6000	2900
9	लिखत का सममूल्य	6000	2900
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28/07/2016	30/10/2018.
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	28/07/2026	30/10/2028
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 28/07/2021 मोचन राशि: सममूल्य पर	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 30/10/2023 मोचन राशि: सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/ लाभांश	कूपन	कूपन

17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.10% प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.90% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतरू	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नही
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।	बॉण्डधारकों के दावे होंगेरू (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08032	आईएनई562ए08040
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	1100	6000
9	लिखत का सममूल्य	1100	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	06/11/2018	22/01/2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	06/11/2028	22/01/2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कालें दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 06/11/2023 मोचन राशिः सममूल्य पर	वैकल्पिक कॉल दिनांकः 22/01/2024 मोचन राशिः सममूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि	पहली कॉल देय तिथि के बाद कोई भी कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/ लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.85% प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.53% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतरू	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नही

35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगेरू (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।	बॉण्डधारकों के दावे होंगेरू (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बांड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसे बाद के बांड धारकों के दावे वरिष्ठ हैं या इस सूचना ज्ञापन के तहत जारी बांडों के अधीनस्थ या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, बांड धारकों के दावे ऐसे बाद के डिबेंचर / बांड जारी करने वाले धारकों के दावों के समान रहेंगे; और बैंक द्वारा जारी अन्य टियर 2 लिखतों के धारकों के साथ समान रैंकिंग पर होगा।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08028	आईएनई428ए08044
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	5000	10000
9	लिखत का सममूल्य	5000	10000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	20/01/2015	21/12/2015
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	20/01/2025	20/12/2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	लागू नहीं
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/ लाभांश	कूपन	कूपन

17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.78% प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.64% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतरू	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नही
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगेः (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।	बॉण्डधारकों के दावे होंगेरू (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई428ए08051	आईएनई428ए08101
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर–2 बॉन्ड	टीयर–2 बॉन्ड
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड	बेसल III कार्यान्वित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	10000	15000
9	लिखत का सममूल्य	10000	15000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	25/01/2017	27/12/2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	25/01/2027	27/12/2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	उपलब्ध नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कालें दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कॉल दिनांक : 27/12/2024 मोचन राशि : सम मूल्य पर
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो कूपन/ लाभांश	लागू नहीं कूपन	लागू नहीं कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.15% प्रतिशत प्रतिवर्ष	9.53% प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशत :	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नही

35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉण्डधारकों के दावे होंगे: (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (ii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।	बॉण्डधारकों के दावे होंगेरू (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है।
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

क्रं. सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज V
1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए08081
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टियर 2 बॉन्ड
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टियर 2 बॉन्ड
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (रुपए मिलियन में)	20000
9	लिखत का सम मूल्य	20000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	13/01/2021
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	13/01/2031
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक : 13/01/2026 मोचन राशि : सममूल्य पर
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	पहली कॉल देय तिथि के पश्चात कोई भी अन्य कूपन भुगतान तिथि
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंधित सूचकांक	6.18% प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह से विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं

22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन पूर्णतः या अंशतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पीओएनवी नामक ट्रिगर घटना के घटित होने पर स्थायी बट्टे खाते के अधीन
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बॉन्डधारकों के दावे – (i) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो बैंक या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी, जो कानूनी या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती हो, द्वारा सुरक्षित और कवर किया गया है। (iv) जब तक बैंक द्वारा बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने की शर्तें,कि ऐसे बाद के बॉन्ड धारकों के दावे इस प्रकटीकरण दस्तावेज के तहत जारी बॉन्डों के अधिक या कम हैं या जब तक कि आरबीआई अपने दिशानिर्देशों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं तब तक बॉन्डधारकों के ऐसे दावे, बाद के धारकों के दावों के समान होंगे बैंक के डिबेंचर/बॉन्ड को जारी करना; और (v) उनके बीच वरीयता के बिना समान रैंक
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

सारणी डीएफ – 14 : विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्रं.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज II
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1048 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	07/12/2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	07/12/2020
6	सीरीज	सीरीज II
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08057
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000

9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹ 1048 करोड़
11	आवंटन की तिथि	08/12/2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखतें
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44% प्रति वर्ष
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 08 दिसंबर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहली ब्याज के भुगतान की तिथि	08/12/2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज III
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 560 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	11/12/2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	11/12/2020
6	सीरीज	सीरीज III
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08065
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹560 करोड़
11	आवंटन की तिथि	14/12/2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखत
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	14/12/2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड – सीरीज IV
1	प्रतिभूति का विवरण	8.44% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 392 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	29/12/2020
5	निर्गम बंद होने की तिथि	29/12/2020
6	सीरीज	सीरीज IV
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08073
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹392 करोड़
11	आवंटन की तिथि	30/12/2020
12	परिपक्वता की तारीख	शाश्वत लिखत
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	लागू नहीं
15	कूपन दर (स्थायी)	8.44 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 30 दिसंबर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	30/12/2021

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड – सीरीज I
1	प्रतिभूति का विवरण	8.10% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 600 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	28/07/2016
5	निर्गम बंद होने की तिथि	28/07/2016
6	सीरीज	सीरीज I
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08016
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹600 करोड़
11	आवंटन की तिथि	28/07/2016
12	परिपक्वता की तारीख	28/07/2026
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 600 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.10 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 28 जुलाई तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	28/07/2017

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रेंच ए
1	प्रतिभूति का विवरण	8.90% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 290 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	26/10/2018
5	निर्गम बंद होने की तिथि	26/10/2018
6	सीरीज	ट्रेंच ए
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08024
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹290 करोड़
11	आवंटन की तिथि	30/10/2018
12	परिपक्वता की तारीख	30/10/2028
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 290 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.90 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	30/10/2019

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रेंच बी
1	प्रतिभूति का विवरण	8.85% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 110 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	02/11/2018
5	निर्गम बंद होने की तिथि	02/11/2018
6	सीरीज	ट्रेंच बी
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08032
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹110 करोड़
11	आवंटन की तिथि	06/11/2018
12	परिपक्वता की तारीख	06/11/2028
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉल : यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 110 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.85 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 6 नवम्बर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	06/11/2019

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – ट्रैन्च सी
1	प्रतिभूति का विवरण	8.53% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 600 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	18/01/2019
5	निर्गम बंद होने की तिथि	18/01/2019
6	सीरीज	ट्रैन्च सी
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08040
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹600 करोड़
11	आवंटन की तिथि	22/01/2019
12	परिपक्वता की तारीख	22/01/2029
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 600 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.53 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 22 जनवरी तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	22/01/2020

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–I
1	प्रतिभूति का विवरण	8.78% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 500 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	14/01/2015
5	निर्गम बंद होने की तिथि	14/01/2015
6	सीरीज	सीरीज–I
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08040
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹500 करोड़
11	आवंटन की तिथि	20/01/2015
12	परिपक्वता की तारीख	20/01/2025
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 500 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.78 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 20 जनवरी
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	20/01/2016

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–II
1	प्रतिभूति का विवरण	8.64% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	18/12/2015
5	निर्गम बंद होने की तिथि	18/01/2015
6	सीरीज	सीरीज–II
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08044
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹1000 करोड़
11	आवंटन की तिथि	22/12/2015
12	परिपक्वता की तारीख	20/12/2025
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 1000 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.64 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 21 दिसंबर
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	21/12/2016

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्रं.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–III
1	प्रतिभूति का विवरण	8.15% सूचीबद्ध, असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत, कर योग्य, स्थायी, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थान्न
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	25/01/2017
5	निर्गम बंद होने की तिथि	25/01/2017
6	सीरीज	सीरीज–III
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08051
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹1000 करोड़
11	आवंटन की तिथि	25/01/2017
12	परिपक्वता की तारीख	25/01/2027
13	कॉल ऑप्शन	अनुपलब्ध
14	परिपक्व होने वाली राशि	रु. 1000 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	8.15 %
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 25 जनवरी
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	25/01/2018

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्रं.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–IV
1	प्रतिभूति का विवरण	9.53% असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 1500 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	26 / 12 / 2019
5	निर्गम बंद होने की तिथि	26 / 12 / 2019
6	सीरीज	सीरीज–IV
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई428ए08101
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	रु.10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	रु.10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	रु. 1500 करोड
11	आवंटन की तिथि	27 / 12 / 2019
12	परिपक्वता की तारीख	27 / 12 / 2029
13	कॉल ऑप्शन	(i) जारीकर्ता कॉलः आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉलः यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान

		या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों, विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	₹1500 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	9.53%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 27 दिसंबर तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	27/12/2020

बेसल III अनुपालित बॉन्ड के लिए नियम और शर्तें

क्र.सं.	विवरण	टियर 2 बॉन्ड – सीरीज–V
1	प्रतिभूति का विवरण	6.18: असुरक्षित, पूर्णतः प्रदत, गैर–परिवर्तनीय, मोचनीयए अधीनस्थ, बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड रु. 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक का कुल रु. 2000 करोड़
2	प्रतिभूति प्रदान करने का माध्यम	निजी स्थानन
3	कर की स्थिति	कर योग्य
4	निर्गम खुलने की तिथि	12/01/2021
5	निर्गम बंद होने की तिथि	12/01/2021
6	सीरीज	सीरीज– V
7	आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08081
8	प्रति लिखत अंकित मूल्य	₹10,00,000
9	प्रति लिखत प्रदत्त मूल्य	₹10,00,000
10	निर्गम का मूल्य	₹ 2000 करोड
11	आवंटन की तिथि	13/01/2021
12	परिपक्वता की तारीख	13/01/2031
13	कॉल ऑप्शन	(I) जारीकर्ता कॉल : आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता अपने विवेकाधिकार पर ट्रस्टी को ऐसे जारीकर्ता कॉल के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन (जिसे नोटिस में जारीकर्ता कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''जारीकर्ता कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) पहले सूचित कर शेष बॉन्डों के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है। जारीकर्ता कॉल, जो विवेकाधीन है, आवंटन की डीम्ड तिथि यानी पांचवीं कूपन भुगतान तिथि या उसके बाद किसी कूपन भुगतान तिथि से पांचवीं वर्षगांठ पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। (ii) टैक्स कॉल : यदि कोई टैक्स इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे टैक्स कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में टैक्स कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''टैक्स कॉल तिथि''के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है या बॉन्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि भारत में कराधान या विनियमों या नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन अथवा ऐसे कानूनों,

		विनियमों या नियमों के आधिकारिक प्रयोग में कोई बदलाव के परिणामस्वरूप कोई टैक्स इवेंट हुआ है तो जारीकर्ता बॉन्ड पर कूपन के संबंध में अपनी कराधान देनदारियों की गणना के संबंध में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जारीकर्ता द्वारा टैक्स कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को टैक्स कॉल का प्रयोग करने की अनुमति तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय टैक्स इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था। (iii) विनियामक कॉलः यदि कोई विनियामक इवेंट (जैसा कि नीचे वर्णित है) हुआ है और जारी है तो जारीकर्ता, ऐसे विनियामक कॉल या वेरिएशन (जिसे नोटिस में विनियामक कॉल के प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि या ''विनियामक कॉल तिथि'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के प्रयोग की तारीख से कम से कम 21 कैलेंडर दिन पहले ट्रस्टी को सूचित कर बॉन्ड के लिए कॉल का प्रयोग कर सकता है और बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से समान विनियामक वर्गीकरण के साथ कूपन को कम या प्रतिस्थापित कर सकता है या बॉन्ड की शर्तों को बदल सकता है ताकि बॉन्ड का बेहतर वर्गीकरण किया जा सके। यदि विनियामक वर्गीकरण में बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो यह माना जाएगा कि विनियामक घटना हुई है, उदाहरण स्वरूप जारीकर्ता की विनियामक टियर 1 पूंजी से बॉन्ड को हटा देना। जारीकर्ता द्वारा विनियामक कॉल का प्रयोग आरबीआई द्वारा लागू दिशानिर्देशों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन है। आरबीआई जारीकर्ता को विनियामक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तभी देगा जब आरबीआई आश्वस्त हो जाएगा कि जारीकर्ता बॉन्ड जारी करने के समय विनियामक इवेंट का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।
14	परिपक्व होने वाली राशि	₹2000 करोड़
15	कूपन दर (स्थायी)	6.18%
16	ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक और गैर संचयी
17	ब्याज देय की तिथियां	अवकाश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 13 जनवरी तक मोचन/कॉल ऑप्शन का प्रयोग
18	पहले ब्याज के भुगतान की तिथि	13/01/2022

सारणी डीएफ –15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकयताएं

----- लागू नहीं -----

बेसल III पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन हेतु विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2021 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रुपए 2521.02 मिलियन हैं।

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज अनुपात एक्स्पोजर कदमों की तुलना का सारांश(रुपए मिलियन में)

(₹ मिलियन में)

	मद	
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	62,69,196.23
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	1,050.00)
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	63,788.53
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	1,254.41
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्सपोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	3,89,028.77
7	अन्य समायोजन	(1,092.90)
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	**67,21,125.04**

डीएफ 18 – लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

	मद	
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्सपोज़र	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	61,80,196.23
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में घटायी गयी आस्ति राशियां।	(2,142.90)
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	61,78,053.33
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	15,665.65
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	48,122.88
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0.00
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्सपोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0.00
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0.00
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	63,788.53
	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्सपोज़र	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	90,254.41
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (ऊपर 12 से 15 का योग)	90,254.41
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	13,10,373.89
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	(9,21,345.12)
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	3,89,028.77
	पूंजी और कुल एक्सपोज़र	
20	टियर I पूंजी	3,25,615.04
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	67,21,125.04
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.84%**

DIRECTORS' REPORT 2020-21

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2021.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY21 are as follows:

Resource mobilization & Advances: (₹ in Cr)

Particulars	31.03.20*	31.03.21
Domestic Deposits	252792	529264
Of which Current	13059	31861
Savings	76525	195166
CASA	89584	227027
CASA Mix (%)	35.4	42.89
Overseas Deposits	7434	8807
Global Deposits	260226	538071
Domestic Advances (Net)	189696	353726
Overseas Advances (Net)	8191	10284
Total Advances (Net)	197887	364010
Total Business	458113	902081
Total Assets	310052	626005

**Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.*

- Domestic CASA increased to ₹ 2,27,027 Cr. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilised 18,94,191 new CASA accounts during FY21.
- Domestic Core Term Deposits increased to ₹ 3,01,049 Cr in FY21. Reliance on high cost deposits (PDs and CDs) has declined significantly and their share to total deposits was at 0.18%.
- Priority Sector Advances were at ₹1,30,274 Cr as on March 31, 2021. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY21 stood at 43.38% as against the mandatory target of 40.00%.
- Agriculture Credit (Priority Sector) was at ₹ 60,869 Cr and the percentage to quarterly average ANBC stood at 19.84 % as against the mandatory target of 18.00%.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) was at 15.71% as at March 31, 2021.
- Gross NPA and Net NPA stood at 9.85% and 3.37% respectively as on March 31, 2021.
- Total recovery of NPAs during FY21 amounted to ₹ 4,477 Cr.
- Total domestic branch network of the Bank increased to 6,004 as on March 31, 2021. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 6,007.
- Total number of ATMs & BNAs increased to 5,428 as on March 31, 2021 which includes 686 offsite ATMs/BNAs and 6 mobile ATMs.
- As on March 31, 2021 the Bank has installed Passbook Kiosks at 1231 locations.

INCOME AND EXPENDITURE (₹ in Cr)

Particulars	31.03.20*	31.03.21
Interest Earned	21405	39106
Interest Expended	13799	23440
Net Interest Income (NII)	7606	15666
Other Income	3313	6079
Of which – Fee Income	1357	2368
Profit on sale of Investments	880	2124
Recovery of bad debts	261	618
Operating Revenue (NII + Other income)	10919	21745
Operating Expenses	4421	10349
Of which Employee Expenses	2473	6378
Other operating Expenses	1948	3971
Operating Profit	6498	11396
Provisions	5745	8391
Of which Provisions for NPA	4336	7317
Provision for Standard advances	143	469
Provision for Tax	619	(99)
Net profit	753	3005

**Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.*

As on March 31, 2021,

- Total income of the Bank stood at ₹ 45,185 Cr, with Interest Income at ₹ 39,106 Cr and other Income at ₹ 6,079 Cr.
- Bank's total expenditure stood at ₹33,789 Cr with Interest Expenditure at ₹ 23,440 Cr and Operating expenses at ₹ 10349 Cr.
- Bank registered an Operating Profit of ₹ 11,396 Cr and Net Profit ₹ 3,005 Cr

Key Ratios for Mar'21 are as under: (in %)

Parameters	Mar'20*	Mar'21
Yield on Advances	8.46	7.45
Cost of Deposits	5.34	4.44
Return on Assets	0.26	0.50
Cost Income ratio	40.49	47.59
Average Business per employee (₹ in lakh)	2287	2077
Profit per employee (₹ in lakh)	4.02	7.22

**Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.*

NETWORTH AND CRAR:

- Networth of the Bank stood at ₹ 29,812 Cr as on March 31, 2021.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 15.71% as on March 31, 2021, as against the regulatory requirement of 10.875%. The CET-I ratio was 11.27% as against the minimum requirement of 7.375%. The CRAR of Tier I capital was at 11.93% as of March 31, 2021.

(in %)

BASEL III	As on	
	Mar'20*	Mar'21
CET- I	11.78	11.27
Tier- I Capital	12.08	11.93
Tier-II Capital	2.04	3.78
Total	**14.12**	**15.71**

**Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.*

RECRUITMENT /TRAINING

- As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

- Shri K Ramachandran was appointed as Executive Director of the Bank vide GoI, Ministry of Finance, Dept of Financial Services Notification F.No.4/7/2018-BO.I dated 18.03.2020 w.e.f. 01.04.2020.
- Shri Vinod Kumar Nagar was shareholder Director of the Bank upto 30.06.2020.
- Shri M K Bhattacharya was Executive Director of the Bank upto 30.11.2020.
- Dr Bharath Krishna Sankar was shareholder Director of the Bank upto 20.12.2020. He was reelected as Shareholder Director of the Bank for second term from 07.02.2021 to 06.02.2024.
- Shri Salil Kumar Jha was Part time Non-Official Director of the Bank upto 26.12.2020.
- Shri Imran Amin Siddiqui was appointed as Executive Director of the Bank vide GoI, Ministry of Finance, Dept of Financial Services Notification F.No.4/3/2020-BO.I dated 10.03.2021.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021: –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2021.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by

Shri. Vinod Kumar Nagar, Shri. M K Bhattacharya and Shri Salil Kumar Jha who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY

- Global prospects remain highly uncertain even after one year into the pandemic. The new virus mutations and the accumulating human toll are raising concerns over recovery of economy. However, growing vaccine coverage lifts the sentiment towards turnaround in the second half of current financial year.
- Strong demand for products that support working from home and the release of the pent-up demand for durable goods more generally (especially automobiles) have been key factors behind the global recovery.
- The vaccine industry is facing major challenges, including input supply bottlenecks. Countries need to work together to resolve the production bottlenecks, ramp up production, ensure universal access on which many low-income countries rely heavily for doses and avoid export controls.

2. INDIAN ECONOMY

- The pandemic has exploded in India and generated a health crisis of a kind that has hardly been experienced before in our history.
- India's merchandise exports in Apr'21 were USD 30.63 billion, as compared to USD 10.36 billion in Apr'20, exhibiting a positive growth of 195.72%. In the same period, Oil imports were USD 10.87 billion, as compared to USD 4.66 billion in Apr'20, an increase by 133.24% Y-o-Y.

  This has resulted in higher merchandise trade deficit for Apr'21 at USD 15.10 billion as against the deficit of USD 6.76 billion in Apr'20, an increase of 123.17%.
- With renewed pandemic restrictions across the country, elevated global prices across commodities and higher transportation and logistics cost, price pressures are likely to prevail in the coming months for most segments.

RBI Monetary Policy

- The Reserve Bank of India in its last MPC meeting on 4th Jun'21 decided to keep the policy rate under liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.00% and continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward.
- The RBI expects inflation to remain around 5.1% in FY22 with risks broadly balanced with upside risk of rising trajectory of international commodity prices especially of crude and reducing cost pressures due to declining infections and easing of restrictions/lockdowns improving the supply chains.
- The RBI expects real GDP growth at 9.5% in FY22 with buoyant rural demand and the urban demand gaining strength as economic activity should get a fillip with the ongoing vaccination drive and strengthening global recovery.

Union Budget FY22

- Revenue deficit is targeted at 5.1% of GDP which is lower than the revised estimate of 7.5% in FY21. Fiscal deficit is targeted at 6.8% of GDP in FY22 lower than the revised estimate of 9.5% in FY21.
- The Union Budget 2021-22 announcement for setting up a Development Financial Institution (DFI) with a capital base of ₹ 20,000 crore to finance projects under the National Infrastructure Pipeline (NIP) aims to address the problem of long-term project financing.
- Asset reconstruction company (ARC) to be set up to take care of NPAs currently in the book of banks. This may reduce the stress on account of NPAs and bad loans.
- Reduced customs duty to 7.5% on multiple steel products and withdrawing exemption on imports of certain kinds of leather will encourage local manufacturers and discourage companies from importing thereby helping local MSMEs in their production.

Recent Initiatives by RBI

Recognizing that the second wave could pose difficulties in loan servicing, RBI announced Resolution Framework 2.0.

- Borrowers having aggregate exposure of upto ₹50 crore and who have not availed restructuring under any of the earlier restructuring frameworks and who were classified as 'Standard' as on March 31, 2021 shall be eligible to be considered under Resolution Framework 2.0.
- In respect of small businesses and MSMEs restructured earlier, lending institutions are also being permitted as a one-time measure, to review the working capital sanctioned limits, based on a reassessment of the working capital cycle margins etc.
- Fresh lending to MSMEs was allowed as equivalent exemption from the Cash Reserve Ratio (CRR).

- Lending by small finance banks (SFBs), micro finance institutions (MFIs) – NBFC-MFIs and others – with gross loan portfolios of up to ₹ 25 crore by end-March 2021 – was made eligible for reckoning as priority sector lending (PSL) and such loans can be deducted from net demand and time liabilities (NDTL) for cash reserve ratio requirements up to end December 2021.
- Banks were also allowed to utilise 100% of floating provisions/countercyclical provisioning buffer held by them as at end of 2020 for making specific provisions for NPAs.
- In an effort to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID related healthcare infrastructure and services in the country, an on tap liquidity window of ₹ 50,000 crore with tenors up to three years at the repo rate was opened till the end of 2021-22. Along with this a separate liquidity window of ₹ 15,000 crore with tenors up to three years at the repo rate till 31st Mar'22 for certain contact-intensive sectors is also introduced.
- It was also decided to conduct special three-year long-term repo operations (SLTRO) of ₹ 10,000 crore at the repo rate for the SFBs to be deployed for fresh lending of up to ₹ 10 lakh per borrower.
- In order to expand system-level liquidity further and enable the orderly evolution of the yield curve, RBI announced purchase of government securities under G-SAP 1.0. Further to this, RBI announced G-SAP 2.0 for ₹1.20 lakh crore in Q2 FY22 to support the market.

Major Economic and Monetary Developments:

- Scheduled Commercial Banks (SCBs) will be allowed to deduct credit disbursed to 'New MSME borrowers' for exposures up to ₹25 lakhs per borrower (those who have not availed any credit facilities from the banking system as on 1st Jan'21) from their net demand and time liabilities (NDTL) for calculation of CRR. It will incentivise banks to lend more to MSME sector, thereby giving further boost to MSME sector.
- RBI decided to defer the implementation of last tranche of the Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% by another six months from 1st Apr'21 to 1st Oct'21, thereby giving banks some additional time to fulfil regulatory capital requirement target.
- RBI has proposed to bring all branches under the CTS clearing mechanism by Sep'21, thereby bringing operational efficiency in paper based clearing and make the process of collection and settlement of cheques faster resulting in better customer service.
- RBI has proposed to increase the ambit of TLTRO scheme to 26 stressed sectors in synergy with the credit guarantee available under the ECLGS 2.0 of the Government. This will help banks to provide credit support to stressed sectors.
- The RBI will constitute a committee to undertake a comprehensive review of the working of ARCs in the financial sector ecosystem and recommend suitable measures for enabling such entities to meet the growing requirements of the financial sector.
- In a major boost to enhance customer convenience through digital payments, the limits for contactless card transactions and e-mandates for recurring transactions through cards (and UPI) has been increased from ₹ 2000 to ₹ 5000 from 1st Jan'21.
- RBI has proposed to make interoperability mandatory for full-KYC PPIs and for all acceptance infrastructure. It has also proposed to increase the limit of outstanding balance in such PPIs from the current level of ₹1 lakh to ₹2 lakh. This will enable transfer of money across different wallets.

3. BANKING SECTOR 2020-21

- SCBs deposit growth stood at 12.3% Y-o-Y in Mar'21 which was higher than the credit growth of 5.6% in the same period.
- The CASA ratio for SCBs stood at 44.1% on account of growth in the overall savings deposit at the end of Q4FY21. The savings deposit accounts for 34.1% share in the total deposits while current deposits account for 9.9%.

Year ahead

- The more widespread and intense second wave of the pandemic since the start of FY22, is a setback to the country's economic recovery. Economic growth in FY22 is expected to be lower than earlier anticipated.
- The restrictions are expected to ease gradually. At the same time there is optimism that with higher proportion of the population getting vaccinated, there will be a turnaround in the economic activity as has been witnessed in other countries.
- The Bank's business growth while depending on the revival of economy, will also hinge on focus towards digital transformation and adapting to the new norms driven by the pandemic.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Business of the Bank reached a level of ₹928388 Cr (₹466116 Cr as on March 2020*). Domestic Business was ₹908801 Cr. (₹450273 Cr as on March 2020*)
- Deposits reached ₹538071 Cr (₹260226 Cr as on March 31, 2020*). Domestic Deposits reached ₹529264 Cr. (₹252792 Cr as on March 2020*)

- CASA Deposits reached ₹227595 Cr (₹90158 Cr as on March 31, 2020*)
- Gross Advances was at ₹390317 Cr (₹205890 Cr as on March 31, 2020*). Domestic Credit reached ₹379537 Cr. (₹197481 Cr as on March 31, 2020*)
- Domestic Non-food credit increased to ₹376954 Cr (₹196397Cr as on March 31, 2020*)
- Global Credit-Deposit Ratio stood at 72.54% (79.12 % as on March 31, 2020*)

*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its banking outlets by 12 customer interface branches, 7 administrative offices and 1 CAPC (Processing centre) during the year. Further towards consolidation of banking outlets, 203 branches were merged/closed during the FY21.
- Branch network stood at 6004 branches on 31.03.2021, comprising of 1938 Rural, 1588 Semi urban, 1259 Urban and 1219 Metropolitan branches. Apart from the above, Bank has 3 overseas Branches Viz. at Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City Gandhi Nagar, Ahmedabad.
- Bank has 528 branches in the 64 LWE districts identified by Reserve Bank of India and 2253 underbanked districts in underbanked states (UBDUBS) branches in 290 districts. There are 644 branches in the unbanked rural centres.

6. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

Bank successfully completed the amalgamation process "Project Sangam" with the final "Big Bang" CBS integration between the two core banking systems of IB and eAB in one go on 14th Feb'21. The focus during the coming year will be to maximize the synergy derived out of this amalgamation process both in terms of business and productivity.

Cost optimization and increasing fee income will be the focus areas to improve the bottom line. Bank will also strive for improving digital penetration, developing digital products and end to end digital solutions for lending to bring better customer convenience and reach.

Bank will continue to focus on increasing the CASA share with emphasis on savings account growth. Diversifying growth in loan book will be aimed with RAM sector driven by home loans, mortgage loans, vehicle and personal loans to salaried class and focus on Corporate Sector growth in high rated accounts. Bank will also take steps on strengthening monitoring of stressed assets to increase collection efficiency further and on improving recovery of NPA to keep the asset quality at planned level.

Efficient and prompt customer service will remain the prime focus of the Bank.

7. TRANSFORMATION

A "Transformation Roadmap" has been identified for the Bank to be carried out over the next 2-3 years. Various high level initiatives and other initiatives are planned to be implemented across various functions.

The focus areas as a part of transformation journey are in Digital Transformation, Transformation in Operating models, Leadership Development Plan and Performance Management System.

1. Digital Transformation:

Under Digital Transformation, the near term focus is on Digital lending (Straight through Process) in Retail, MSME and Agri products in a phased manner.

- Revamping of IT Infrastructure wherever required after doing gap analysis with focus on effectively using Cloud platform to reduce transaction and technology cost.
- Developing new channels and applications and upgrading existing channels for easy customer on-boarding process and ease of doing digital transactions through various channels.

2. Transformation in Operating Models:

- Bank is exploring the possibility of new ways of working, development of new processes. Cash Management services, marketing strategies, wealth management and third party product business will be analysed for further improvement.
- Control and Governance model will be revamped by effectively enhancing the Control mechanism and improving the existing processes. (offline audit, monitoring).

3. Leadership Development Plan:

A program that focuses on developing leaders to take on high impact roles.

- Leadership Development program for DGM/AGM / CM cadre officers.

- Individual Development Plan for Officers based on the outcome of leadership assessments.
- Facilitating a series of customized learning and development interventions like peer coaching, live strategic projects, immersive classroom learning workshops etc.
- Leveraging the Technology and virtual learning platforms to implement the leadership development journey.

4. Performance Management System:

- Identifying common KPIs and clearly defining the role of individual employee in common/shared KPIs.
- Business intelligence driven target setting which includes study of the market, geographical location, peer performance and future forecasting.
- Creation of real time dashboards to drive performance feedback.
- Effective linkage of outcomes to other HR processes (benefits, rewards, rating, trainings, transfers).

8. DEPOSITS

Performance under Domestic Deposits in FY21:

₹ in Cr

Deposits	Mar-20*	Actuals Mar-21
Current Account	12850	31573
Savings Bank	76525	195166
CASA	89375	226739
CASA% to Total Deposits	35.35	42.84
Term Core	151984	301049
Total Core Deposit	241359	527788
Other Deposits (IBD, PD &CD)	11433	1476
Domestic Deposits	252792	529264

*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.

Accounts opened from new customers from 01.04.2020 to 31.03.2021 (Bank as a whole)

Deposit	No. of Accounts	₹ in Cr
Current Account	93626	1666.93
Savings Bank	3858637	3098.37
Total	**3952263**	**4765.30**
Of Which		
Government Accounts CASA	138925	1024.83

Highlights of Performance as on March 21:

- Savings Bank Deposit exhibited continuous growing trend and reached ₹195166 Cr as on Mar'2021.
- Bank achieved Current Account Target in all the Quarters and surpassed the Budget for Mar'21 by ₹4573 Cr to close at ₹31573 Cr against the Target of ₹27000 Cr.
- CASA Ratio to Total Deposit increased to 42.84 % in Mar'21 against the allocated target of 42 %.
- Term Deposit has displayed a consistent growth while surpassing the targets for each quarter in the FY which is even more significant amidst lowering the Interest rates on Term Deposit thereby reducing interest paid cost to boost Profit.
- Bank reduced PD/CD to ₹945 Cr in Mar'21 thereby reducing the High Cost Deposits.
- Under prestigious new connections, Bank signed a MoU with Ministry of Housing & Urban Affairs for Disbursement of Incentive and Subsidy under PM-SVANidhi Yojana.
- Bank has also signed MoU with Khadi & Village Industries Commission (KVIC) for extending PFMS services to them. This has resulted in income generation of ₹ 30 Cr during FY21 in addition to mobilizing ₹ 1200 Cr in Current account.

Way forward

CASA & TERM DEPOSITS

- Focus on organic as well as average growth of Liability Verticals.
- Focus is on New Products / Product Modifications. Targeting specific customer segments by bundling value additions such as Insurance. Currently the Bank is in the process of designing a special SB product for Corporate Salary Account holders with Insurance Freebie.
- Leveraging on Video KYC to focus on Digital Account opening by way of an exclusive campaign.
- Utilising services of R&GR Cells at strategic locations of Delhi, Mumbai, Chennai for High value lead generation for

Zones and organizing training program for various digital tools like PFMS, CPMS, Online Payment Gateways etc. for Branches and Zones to target Government and Institutional CASA accounts.

- Continuous study of Market Share with Peer Banks, District wise analysis for formulating Macro level Liability vertical Strategies for the Bank
- Consciously Increasing visibility of Bank's Asset & Liability products in Bank's digital handles - social media- Facebook, Instagram, Twitter, IndOASIS, Net Banking and Website.
- Specific thrust on lead generation from Corporate office/FGMO/ZONE level especially for Hospital Industry, Educational Institutions, Religious Trusts, Government Departments.
- LCBs and MCBs will focus for mobilization of liability business leads of their Corporate Clients, NBFCs etc.

9. AGRICULTURE

- Total outstanding under Agriculture credit was ₹78775 Cr as on 31.03.2021.

Agricultural Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹67507 Cr during the FY 2020-21 as against an annual target of ₹35000 Cr.
- During the FY 2020-21, Bank disbursed sum of ₹33,054 Cr to 25 lakh Small/Marginal Farmers.

Performance under RBI mandatory target under Priority Sector Advances:

- Priority Sector Advances was at ₹130274 Crore as on 31.03.2021.Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2020-21 stood at 43.38% as against the mandatory target of 40.00%.
- Agriculture Credit was at ₹60869 Cr as on 31.03.2021 and the percentage to quarterly average ANBC for 2020-21 stood at 19.84% as against the mandatory target of 18.00%.
- Lending to SF/MF stood at ₹31174 Cr as on 31.03.2021 and constituted 9.76% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2020-21 as against the mandatory target of 8.00%.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹43898 Cr as on 31.03.2021 and constituted 12.94% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2020-21 as against the mandatory target of 10%.
- Lending to MSE-Micro Enterprises stood at ₹28304 Cr as on 31.03.2021 and constituted 8.96% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2020-21 as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹54454 Cr as on 31.03.2021 and constituted 17.11% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2020-21 as against the mandatory target of 12.14%.

KCC Saturation Campaigns for PM Kisan Samman Yojna Beneficiaries:

To address the credit need of the farmers engaged in the activities related to Crop production, Animal Husbandry and Fisheries, Government of India had launched Phase II KCC Saturation Campaign from 01.06.2020 to provide KCC for their working capital requirements. Bank has launched special drive under Phase II KCC saturation campaign to issue KCCs to the farmers engaged in Fisheries, Dairy and related activities along with crop production.

The Bank sanctioned 1.84 lakh KCCs amounting to ₹1608 Cr during the campaign period up to 31.03.2021.

JEWEL LOAN (AGRICULTURE):

Agri Jewel loan has been implemented in 3436 branches as of March 2021 against 3084 Branches in March 2020. The outstanding balance under Agriculture Jewel Loan as on 31.03.2021 was at ₹ 39776 Cr.

CREDIT FLOW TO SELF HELP GROUPS:

Self Help Groups (SHGs) have become the vehicle of change in the rural areas, transforming the lives of the marginalized community & expanding the horizons of livelihood opportunities for women predominantly in rural & semi urban areas. With a vision to support these groups in achieving the planned target of faster, more inclusive and sustainable growth, Bank has actively promoted SHG Bank Linkages.

The outstanding credit to SHGs stood at ₹7785 Cr covering 3.39 lakh SHGs as on March 2021. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹5442 Cr to 2.32 Lakh SHGs.

COVID SUPPORT MEASURES

SHG COVID SAHAY: Indian Bank has launched an exclusive Loan Product, SHG COVID Sahay to tide over the financial stress emanating out of the challenging COVID times. Under this scheme, 0.40 lakh Self Help Groups were assisted with loans of ₹257 Cr at concessional rates.

NEW SHG PRODUCTS LAUNCHED:

SHG NIRMAL: Envisaging the importance of access to Safe Water, Sanitation and Hygienic condition in the times of ongoing Covid-19 pandemic, bank has initiated new scheme,

SHG Nirmal with additional loans upto ₹3 lakh per SHG for Construction of Toilets, Water Storage-Overhead Tanks, Improvement of drinking water facilities, Installation of Water Filters/Purifiers and Setting up sanitary napkin manufacturing units.

SHG SHAKTI: With an aim of harnessing the potential of Rural Women in successful enterprise creation, Bank has launched a dedicated SHG product, SHG Shakti, providing collateral free loans above ₹10 lakh upto ₹20 lakh.

OTHER INITIATIVES:

Microsate Branches: Specialised attention is being given for SHGs in urban locations with 39 Exclusive SHG Financing Branches serving as 'One Stop Shop' - providing credit as well as credit plus services. During the financial year 2020-21, credit amounting to ₹1076 Cr has been extended to 31567 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹1410 Cr covering 45369 SHGs as on March 2021.

Joint Liability Groups: Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹209 Cr covering 12045 JLGs as on 31.03.2021.

Glimpses of SHG facilitation during FY 2020-21

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹43898 Cr as at the end of March 2021, which works out to 12.94% of Quarterly average ANBC as against stipulated norm of 10%.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹5484 Cr as on 31.03.2021.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns

- Special campaigns were conducted for extending credit to Minorities and SC/STs. Outstanding position of advances to Minorities stood at ₹15703 Cr as on March 2021 which works out to 12.05% of total Priority Sector Advances position of the Bank as on March 2021.

Regional Rural Banks:

The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) headquartered at Salem (Tamil Nadu), Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).

In respect of three RRBs, the branch network has increased by 11 from 898 (March 2020) to 909 Branches (March 2021). The total business of the three RRBs was ₹47754 Cr as of March 2021 as compared to ₹38917 Cr as of March 2020 (YoY growth of 22.71%).All the three are profit making RRBs.

(₹ in Cr)

Details as on 31.03.2021	No. of Branches	Deposits	Advances	Business
Tamil Nadu Grama Bank	640	14859	15728	30587
Saptagiri Grameena Bank	225	8028	7408	15436
Puduvai Bharathiar Grama Bank	44	895	836	1731
Total	**909**	**23782**	**23972**	**47754**

RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 9.72 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 8.14 lakh beneficiaries under PMSBY, 3.78 lakh beneficiaries under PMJJBY and 0.23 lakh beneficiaries under APY during the year 2020-21.

Awards and Accolades:

- NABARD awarded Indian Bank "First Prize" among Public Sector Banks for excellence in performance under SHG – Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during the year 2019-20.

The award was received by Smt. Padmaja Chunduru, MD and CEO from Hon'ble Chief Secretary, Govt. of Tamilnadu Shri. K. Shanmugam on 23.12.2020

- Performance of Indian Bank in SHG lending in the State of West Bengal for FY 2019-20 was recognized by West Bengal State Rural Livelihood Mission during their inauguration ceremony of 16th Saras Mela held on 23rd December 2020.

The award was received Shri, H. S. Ahluwalia, Field General Manager, Kolkata –I.

10. FINANCIAL INCLUSION

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

The scheme as a National Mission was launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi for ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections. The scheme has been declared as an open ended scheme since 28.08.2018.

Progress in opening of PMJDY Accounts under BSBD:

Branches and BC channel have been opening PMJDY Accounts under Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) category from 16.08.2014 as advised by DFS. The PMJDY category has been renamed as "New PMJDY" since 28.08.2018. As on March 2021, Bank has opened 179.26 lakh PMJDY accounts with balance outstanding at ₹6778.74 Cr. RuPay cards have been issued to 105.98 lakh (above 60%) account holders under PMJDY. Bank's market share in terms of no. of accounts is at 4.24%, while in terms of balance outstanding is at 4.65%.

Sanction of Overdrafts in PMJDY SB A/c:

Under PMJDY, Bank has sanctioned overdraft to 7.14 lakhs eligible account holders, of which 2.42 lakh BSBD/PMJDY account holders have availed the limit amounting to ₹31.58 Cr. The Bank has automated the overdraft facility and made it available through ATMs to the eligible PMJDY account holders.

Bird's eye view of our performance under Financial Inclusion:

- Per account Balance in PMJDY stands at ₹3786 in comparison to industry at ₹3449.
- Market Share of our Bank in PMJDY Ecospace increased. (4.24% in no. of Accounts and 4.65% as deposit balance)
- Bank was first amongst PSBs to meet the deadline to have Banking access either through Brick & Mortar Branches or through Business Correspondents in uncovered villages, LWE areas, Tea Gardens / North-East areas allotted by DFS/ SLBCs of various states.
- BC outlets cover approximately 46% of the total Banking outlets (Branch+ BC+ATM). BC network has presence in 24 states and 5 union Territories.
- All the Bank Mitras are provided with inter operable Micro ATM/ Kiosk Aggregated Solution (KAS) devices as per the IBA standard (1.5.1)
- Average successful financial transaction done by BCs per month has reached 103.51 lakhs.
- Bank has achieved 85 AAPB against the target of 60 AAPB (Average APY per branch) and qualified for Game Changers Award in Atal Pension Yojana. Bank has also sourced 83,698 APY against the target of 55,000 and won Exemplary Gold Award (152.17%) for MD&CEO. Bank also become winner in Exemplary Award category under 'Rise above Rest' campaign of PFRDA (Target 8 AAPB, achievement 8.4 AAPB).Under APY, Bank's Persistency ratio is 60 %, one of the best in the industry.
- The cumulative performance of the Bank under various Social Security Schemes as on 31.03.2021 is furnished below.

Name of the Scheme	No. of customers covered (in lakhs)
APY	19.23
PMJJBY	26.58
PMSBY	72.97

- Under PMJJBY, 11794 claims were settled to the nominees of the insured to the tune of ₹ 235.88 Cr and under PMSBY 2241 claims were settled to the nominees of the insured to the tune of ₹ 44.40 Cr.
- Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

  In the state of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age Pension (OAP) is being paid to beneficiaries both in Rural and other areas through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012. Pension was disbursed to 75.24 lakh beneficiaries during this FY 21 through Bank Mitras in Tamil Nadu.

11. CREDIT FLOW TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- A Department exclusively for MSME is in place which takes care of entire MSME portfolio to accelerate growth in MSME sector by providing focussed attention. Bank is having 79 MSME processing centres which have helped in improving Turn Around Time (TAT) and appraisal mechanism.
- Bank's exposure to MSMEs reached ₹70180 Cr as on 31.03.2021.
- Bank has surpassed in sub target of lending to Micro enterprises. Under PM's task force committee recommendations, Bank has surpassed target of annual growth in micro enterprise accounts.
- Bank is actively participating in all the three TReDS platform (RXIL, Invoicemart & M1xchange). During FY 2020-21, 8813 bills for ₹1221 Cr were discounted and overdue is NIL as on 31 03 2021. Balance outstanding as on 31.03.2021 is ₹361 Cr. During the current FY, income earned is ₹19.38 Cr.
- To ease the stress faced by MSME borrowers in serving the loan interest/ instalment due to internal/external reasons, a liberalized Restructuring Policy for MSMEs has been implemented. In line with RBI's notification dated

01.01.2019, 11.02.2020 & 06.08.2020, 99829 MSME accounts amounting to ₹5411 Cr have been restructured.

Implementation of PM's Atma Nirbhar Package

Bank has implemented all Pradhan Mantri's Atma Nirbhar Packages announced as COVID relief measures.

Some of the highlights of our performance under various schemes:

Emergency Credit Line Guarantee Scheme 1.0 (as on 31 03 2021)

(₹ in Cr)

Eligible borrowers	Eligible Amount	Sanctioned		Disbursed	
		No.	Amt.	No.	Amt.
305385	6033	288297 (94%)	5894 (98%)	187134	5203 (88%)

- Scheme is applicable for MSME, Mudra borrowers and other business enterprises with balance outstanding upto ₹50 Cr as on 29.02.2020.
- Scheme is open upto 30.09.2021.
- 100% guarantee coverage is available for the Scheme.

Emergency Credit Line Guarantee Scheme 2.0 (as on 31 03 2021)

(₹ in Cr)

Eligible borrowers	Eligible Amount	Sanctioned		Disbursed	
		No.	Amt.	No.	Amt.
112	1059	87 (77%)	926 (87%)	53	561 (60%)

- Applicable for all Business enterprises in 26 Stressed sectors identified by Kamath Committee for Resolution Plan 1.0 and is aggregate fund-based exposure above ₹50 Cr & upto ₹500 Cr as on 29.02.2020 & which are not in SMA1 or SMA2 or NPA as on 29.02.2020.
- Scheme is open upto 30.09.2021.
- 100% guarantee coverage is available for the Scheme.

Sub-ordinate Debt for Stressed MSMEs

(₹ in Cr)

Eligible borrowers		Sanctioned		Disbursed	
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
422	43	88	12.74	79	11.72

- 15% of promoter's stake in the stressed business units (subject to fulfilling of eligibility conditions stipulated by GoI) is given as loan to promoter to infuse as capital.
- 90% Guarantee coverage under CGSSD scheme is available and remaining 10% is covered by margin money held as Fixed Deposit.
- Scheme is open upto 30.09.2021.
- Viable units are financed out of eligible borrowers who have opted.

PM SVANIDHI Scheme – Loans to Street Vendors

(₹ in Cr)

Applications Received No.	Sanctioned		Disbursed	
	No.	Amt.	No.	Amt.
174765	150835 (86% of applications received)	151	122664 (81% of applications sanctioned)	124

- 100% credit guarantee coverage (CGTMSE) is available
- GoI is providing 7% interest subvention for prompt repayment.
- Bank is in the process of digitalizing the documentation (through NeSL) to avoid physical presence of the borrower at the bank branches for documentation / disbursement.

Credit Flow to NBFCs during FY 2020-21

Apart from directly lending to MSMEs, Bank is also supporting MSMEs through intermediary agencies (NBFC / MFIs) by way direct assignment, lending to NBFC for onward lending to MSMEs, etc.

(₹ in Cr)

Category	Sanctioned		Disbursed	
	No.	Amount	No.	Amount
Lending to NBFC for on-lending to MSME	24	3865	24	3665
Direct Assignment	12	4115	13	3953
Partial Credit Scheme announced by GOI	1	1000	2	710

MSME loan products

Indian Bank is one of the pioneers in introducing customer centric loan products in particular to MSMEs. To name a few

- **IND SME Secure** - Working Capital and Term Loan product for MSMEs.

- **IB Tradewell** – an exclusive loan product for Traders.
- **IB Doctor Plus:** Loan product for Doctors for setting up of clinics / hospitals, purchase of medical equipments etc.
- **IB My Own Shop:** Loan product for MSME to purchase / construct shop / factory.
- **IB Pure Jaldhara:** Loan product for setting of RO Kiosks by Micro & Small Enterprises.
- **IB Contractors:** Exclusive loan product for contractors.
- **IND Surya Shakti** – Loan product for setting up of Solar Power plant for captive use by MSMEs.
- **IND SME Ease:** Loan to MSMEs where assessment is based onTurnover reported in GSTN site by MSMEs and Without insisting for financials / projections.
- **IND-SME e-Vaahan:** Loan to MSMEs for purchase of electric vehicles for business purpose.
- **IND MSME Vehicle:** Loan product for purchase of LMV / HMV by MSMEs for business purpose.

Launching of MSME Product 'IB Pure Jaldhara' – Collateral free loan for erection of RO plant to supply safe drinking water at Nagpur by Shri. Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for MSME

Launching of Ind-SME-Vaahan Loan Product: To encourage use of electric vehicles in the interest of environment protection

MSME Clusters:

Bank has approved various MSME clusters pan India for concentrated approach in lending to units in these clusters. Cluster specific schemes with attractive terms have been formulated. As on 31.03.2021, there are 34 MSME clusters through which ₹2740 Cr have been financed to MSMEs. Delinquency in these clusters is very minimal at around 1%.

Bank has also identified 30 more clusters and is in the process of formulating schemes for them.

MUDRA SCHEME

- Bank along with 3 Regional Rural Banks (TN Grama Bank, Puduvai Bharathiar Grama Bank and Saptagiri Grameena Bank) has surpassed the target of ₹6800 Cr allocated under Mudra Scheme by Government of India. Bank has sanctioned an amount of ₹7111 Cr, registering an achievement of 104.57%.
- Under Mudra Scheme, Bank extends loans upto a limit upto ₹10 lakhs to various manufacturing, service activities including weaving, transport, retail trade, small business and Agriculture allied activities viz., Pisciculture, beekeeping, poultry, livestock, rearing, dairy, fishery, agri. clinics, agri. business Centers, Food and Agro processing etc.

Other Key Initiatives during 2020-21:

MSME Prerana

- Business Mentoring Programme in co-ordination with M/s. Poornatha & Co. – Pan India Programme (in all States / UTs)
- Launched on 06.10.2020 by Hon'ble Minister for Finance, Mrs. Nirmala Sitharaman
- On-line workshop for MSMEs in vernacular languages
- To provide financial literacy in basic accounting and Govt. / Bank Schemes to MSMEs•

Inauguration of 'MSME Prerana' Launched on 06.10.2020 by Hon'ble Minister for Finance, Mrs. Nirmala Sitharaman

Special focus on Women / SC/ST entrepreneur

Inauguration of 'MSME Prerana' in Uttar Pradesh – 30th January 2021

The program was launched by Shri. Rajendra Kumar Tiwari, Chief Secretary, State Government of Uttar Pradesh, in the presence of MD & CEO, Executive Directors, Shri V V Shenoy, Shri K. Ramachandran, General Managers, other Executives and staff.

IND Spring Board

- Financing for Start-ups
- Product developed after taking inputs from domain experts, professors from IIT etc.
- Launched on 20.10.2020 by Shri. K Ananth Krishnan, Exec VP & CTO, TCS in the presence of Shri. Debasish Panda, Secretary (FS), GoI.
- Entered into MOU with IIT Madras Incubation Cell for identifying the eligible Start-ups for Bank finance.
- Bank has also entered into similar MOU with M/s. The Chennai Angels and M/s. Society for Innovation & Development, an initiative of Indian Institute of Science, Bengaluru.

Tie up with IITM - IC

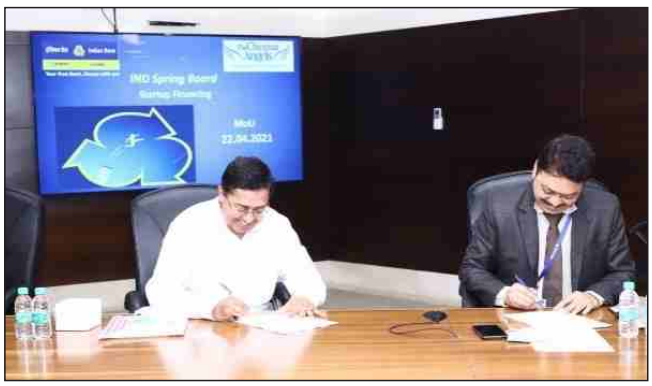

Tie up with M/s The Chennai Angels for \ funding eligible startups

Finance to customers

Tie up with IISC- Bangalore

"Paisa Portal" – Interest subsidy distribution

- MOU signed with Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and SIDBI for distribution of Interest Subsidy under PMSVANIDHI scheme through "Paisa Portal" (managed by Indian Bank) to all lenders.

Signing of MOU with MSME Ministry as a Nodal Bank for Implementation of CLCSS Scheme at Delhi by General Manager(MSME) In the presence of Hon'ble Union Minister of MSME

12. CORPORATE CREDIT

Corporate credit of the Bank stood at ₹160595 Cr (Mar'21) constituting 42% of the overall credit of the Bank. During FY 21, the Bank added several new clients to its fold viz, Punjab Urban Planning and Development authority, Torrent Gas Ltd etc, Bihar State Power Transmission company ltd, Canfin Homes Ltd.etc

M/s. Lakshmi Machine Works ltd, Coimbatore is one of the India's leading textile machinery manufacturers and one among global three which produce the entire range of spinning machinery in the 'Manchester of South India' – Coimbatore.

Mid Corporate Credit Vertical (MCV)

Mid Corporate Credit Vertical was newly formed during FY21 to deal with borrowers having individual exposure of ₹25 Cr to ₹150 Cr. The vertical started with 17 identified branches named as Mid Corporate Branches (MCBs) located at centers with high business potential. MCBs are specialized credit branches to handle mid corporate credit proposals irrespective of the sector (Corporate/RAM).

Bank has added several new corporate clients to it's fold under Mid Corporate vertical.

13. RETAIL ASSETS

Launch of JL OD with Insurance coverage for COVID19

In order to capture the untapped potential under Jewel Loan segment, Bank has introduced a new product - **"OD Against Gold Jewels"** with market friendly and attractive benefits.

The product is launched with special features

- Attractive ROI of 7.50% for Women & COVID Warriors.
- Simple documentation
- Personalised cheque book
- Personal Accidental insurance for 2 Lakh
- Withdrawal permitted through Rupay card as well.

Loan Originating System-LOS

- In order to have a uniform Appraisal, to improve our TAT and Compliance of extant guidelines issued by the Bank an End to End Automation-Loan Origination System in collaboration with M/s Sysarc Informatics Limited is under development and testing.

Business Enablers

Restructuring of ₹362.66 Cr has been effected in 3023 accounts as detailed hereunder.

Scheme	No. of account	Amt (₹ in Cr)
Home Loan	1563	302.60
Education Loan	1124	46.20
Vehicle Loan	336	13.86
Total	**3023**	**362.66**

Credit flow to retail sector

During FY 20-21, a total of ₹18910 Cr has been sanctioned in 370526 accounts. The major growth has come from Home Loan, Mortgage Loan, Pension Loan and loan against liquid collateral.

(Domestic)	Mar'21
Home Loan excl IBPC	41834
Mortgage loan (Others)	5848
Pension Loan	801
LOD /JL(NP) others	21504
Total Retail Loans	69987

Details of fresh sanction during FY 21:

(Amount ₹ in Cr)

	FY 2020-21		
	Fresh Sanction		Disbursement
Segment	A/C	Amt	Amt
Home Loan	22100	7345	6073
Mortgage Loan	5047	1111	1024
Vehicle Loan	20776	1141	1049
Salary Loan	32796	1163	1067
Pension Loan	25132	614	506
Education Loan	3640	427	172
LAD/JL/Others	261035	7110	6641
Total Retail	**370526**	**18910**	**16531**

Bank has extended loan to NBFC/HFC for purchase of pooled asset for ₹ 2950 Cr under Gold & Housing segment during FY 21.

(₹ in Cr)

Segment	Limit	O/s Balance
Jewel	1200	988
Housing	1750	1395
Total	**2950**	**2383**

SOVEREIGN GOLD BONDS (SGB)

Government of India announced 12 issues of Sovereign Gold Bond Series for the year 2020-21 starting from April 2020 to March 2021.

The amount of Sales made in the Sovereign Gold Bond for the year for the combined entity is as follows:

(₹ in Cr)

Period	Quantity (in kg)	Amount	Commission
FY 2020-21	330.88	164.92	1.64

SUKANYA SAMRIDDHI SCHEME

17677 new accounts were opened during the FY 2020-21, taking the total number of accounts to 81368 for the combined entity. The amount collected during FY 2020-21 was ₹181.11 Cr and the cumulative amount collected was ₹477.93 Cr.

PUBLIC PROVIDENT FUND

The cumulative balance in PPF accounts was ₹6400.27 Cr from 237559 accounts for the combined entity.

SENIOR CITIZEN SAVINGS SCHEME (SCSS)

The total collection made under SCSS accounts for the FY 2020-21 is ₹1759.60 Cr from 26956 new Accounts and the cumulative balance as on 31.03.2021 under SCSS is ₹5324.04 Cr in total 97552 accounts.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND DISTRIBUTION BUSINESS

Bank, for Bancassurance Business, has entered into Corporate Agency Arrangement with 7 Insurance Partners as under.

Vertical	SL	Partner
Life Insurance	1	LIC of India
	2	SBI Life Insurance Co. Ltd
	3	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
General Insurance	1	United India Insurance Co. Ltd (UIIC)*
	2	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd
	3	Universal Sompo General insurance Co. ltd.*
Health Insurance*	1	Max Bupa Health insurance Co. Ltd

(*Apart from Max Bupa's Health Insurance Products, Bank also distributes the Health Insurance Products of 2 General Insurance Partners, i.e. M/s United India and M/s Universal Sompo)

Bank, for extending **Credit Life Insurance** Coverage to Borrowers, has the following arrangements in place:

PARTNER	PORTFOLIO FOR CREDIT LIFE COVERAGE
Kotak Mahindra Life	Home Loan & Education Loan
PNB Metlife	Education Loan
Aditya Birla Sun Life	Home loan & Clean loan

For **Mutual Fund distribution**, Bank has Independent tie-up arrangement with 9 Asset management Companies (AMCs) as under:

M/s UTI AMC Co Ltd	Reliance Nippon AMC	SBI Mutual Fund
DSP Mutual Fund	Tata Mutual Fund	Principal PNB AMC
Kotak Mahindra AMC	Franklin Templeton AMC	Essel Finance AMC

For Mutual Fund distribution through digital platforms of Mobile and Internet Banking, Bank has tied up with **Fintech Partner, M/s FISDOM.**

PERFORMANCE FY'21 – Key Highlights

- The total Income from Bancassurance and Mutual Fund Business reached ₹63.97 Cr as on March'21.
- Bank is in process to introduce Insurance and Mutual Fund products in alternate digital channels of Mobile and Internet Banking to its customers. In this process Mutual Fund has already been introduced in mobile Banking app IndOASIS.
- Bank is continuously increasing the number of specified persons licensed to undertake Insurance business. Currently, Bank is in the process of Licensing 500 newly recruited Probationary Officers with IRDA.
    - During the FY 2020-21, major products that were introduced under Bancassurance are:
    - "IB RAKSHAK", a Group Personal Accident Policy with M/s Universal Sompo.
    - Covid-19 specific, "CHOLA MS COVID-19" of M/s Cholamandalam & "GO-COVID" of M/s Universal Sompo.
    - "Max Health Super Top Up", an affordable Top Up Health Insurance Plan of ₹15.00 lakh with Max Bupa for Bank's all Salary Account Holders and existing Health Insurance Customers.
    - "Credit Life Insurance for Housing Loans and Clean Loans" Borrowers with M/s Aditya Birla Sunlife.
    - "Mutual Fund Investment" was introduced in Bank's Mobile banking app, "Ind OASIS"
    - "IB Kotak Home Suraksha" and "IB Kotak Education Suraksha" has been extended to all Housing and Education loan Borrowers.

14. CREDIT MONITORING CELL

Initiatives taken to improve Asset Quality

Maintaining asset quality is the key to profitability. Bank has implemented many monitoring tools to maintain asset quality. These may be broadly classified as Scrutiny of sanction, Periodical review of accounts, Monitoring through daily signals from EWS (Early Warning Signal) software, Monthly CRM (Credit Relationship Manager) reports, Follow-up of SMAs (Special Mention Account)

Scrutiny of sanctions

- Mechanism of scrutinizing High Value sanctions. Any errors or omissions can be rectified in the initial phase of the loans. Similarly, sanction of other loans is scrutinised at Zonal / FGM Offices and necessary corrective actions taken. It helps in ensuring asset quality at the initial stage itself.

Periodical review of accounts

- Review is done through Loan Review Mechanism.
- In addition to financial ratios, operations of the account, parameters like industry level peer comparison, change in management, movement of rating, share price fluctuation, market information etc. are also reviewed.
- To identify loans which develop credit weaknesses and to suggest necessary corrective measures.

Monitoring through daily signals from EWS software

- A robust daily monitoring mechanism.
- All the alerts generated are analysed without any time delay.
- Immediate measures to rectify / recover / exit options are suggested.
- Alerts which are serious in nature are analysed for Red flagging and fraud examination.

CRM reports

- CRM report is a vital source of signals for EWS alerts.
- Helps in early detection of stress.
- Monthly CRM report is used as an effective monitoring tool for ensuring compliance of sanction terms, studying financial parameters and strengthening asset quality.

Follow-up of SMA accounts

Following monitoring measures have been implemented for minimising fresh NPA slippages.

- Nodal officers for follow-up of SMA0 accounts at branch level.
- Guardian officers for follow-up at CO/FGMO /ZO s.
- Follow up of CIF based accounts and Group accounts.
- Providing Data Enablers to field functionaries for ready reference.
- Utilizing Services of BCs/ SHGs/ NGOs/ local leader's/ Government officials etc. effectively for SMA recovery.
- Conducting exclusive recovery camps for SMA accounts at cluster level.
- Periodical review of likely NPA slippage percentage (for curtailing annual slippage to less than 2%).
- Periodical awareness programmes to Branch Managers on follow up of SMA accounts in view of daily flagging of NPA effective from 30.06.2021.
- Providing SOP to field functionaries on timely recovery in SMA0 accounts through SI, ECS, ESCROW a/c etc.

Focus on Upgradation of fresh NPAs before quarter/ year end by making an ABC analysis of borrowers and implementing specific strategies.

15. ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank deployed prudent credit monitoring tools successfully, with continuous and consistent focus on quality of assets, following a system-driven identification of NPA accounts (Non Performing Assets) approach since June 2011. Monthly flagging of NPAs is in effect from February 2016.
- Timely actions for recovery/ upgradation of fresh NPA accounts are under taken and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- Bank recorded good performance in recovery during 2020-21. Various recovery mechanisms like Lok Adalat, Negotiated Settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI/NCLT & Recovery camps have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches are aggressively implementing all recovery measures including classification of the accounts as willful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of Petition under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT), Transfer of pledge of shares, etc.
- Under the SARFAESI Act, during the year, 3145 properties with reserve price amount of ₹1915.50 Cr brought for sale and 499 properties sold with sale price of ₹196.65 Cr. Through Private Treaty mode 11 properties were sold with sale price of ₹ 6.28 Cr.
- Bank actively participated in all National Lok Adalat conducted by NALSA during the year and also organized various Lok Adalat at Mandal Level. A total number of 283526 pre litigation accounts were referred to Lok Adalat involving an amount of ₹4536.34 Cr wherein 8198 accounts were settled with settlement amount of ₹166.36 Cr and spot recovery to the tune of ₹24.41 Cr was made.
- In respect of Bad Debts and Written off (Technically Written off) accounts, an amount of ₹ 603.66 Cr was recovered during the year.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy of the Bank has been fine tuned and frontline officials sensitised for improving recovery performance. To enable end- to-end tracking and also to simplify the OTS process, Online OTS software application has been introduced to handle proposals upto ₹1 Cr. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in Fresh NPAs / Doubtful accounts was emphasized.

16. RISK MANAGEMENT

Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and is responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks which the Bank is exposed to are managed through the following three Committees viz,

- Asset Liability Committee (ALCO)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy (including Disclosure Policy, Reputational risk management Policy and Strategic Risk management Policy) has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Loan Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy (including Stress Testing Policy), Collateral Management Policy.

All the policies are reviewed on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training institutes.

Management of risk on an ongoing basis is carried out by compiling Risk profiles for Credit risk, Liquidity risk, Market risk and Operational risk on a quarterly basis and assessing the variation in direction and magnitude of the parameters set for each risk.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment through credit risk management framework that allows credit risk to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner.

Credit Review Framework

Under PSB Reforms Agenda - EASE - Bank is mandated to achieve defined action points for improving the credit risk assessment and underwriting aspect ultimately leading to improvement in the reforms index score.

Accordingly, Bank has adopted the Credit Review Framework, which involves credit risk assessment and risk categorisation of the credit proposals (fresh & enhancement proposal of Corporate Borrowers with exposure of ₹50 Cr and above in first phase and MSME borrowers with exposure of ₹10 Cr and above in second phase) into Low risk / Medium risk / High risk / No-Go based upon quantified risk scoring matrices on analysing the risk factors embedded in seven broad parameters namely Borrower, Promoter and Group entities, Activity/Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and Compliance position along with subjective risk parameters.

Based on Risk Score and Risk Categorization, Risk Advisory is issued to the credit verticals to include the same with suggested mitigations to form integral part of Appraisal Note to take risk based / informed credit decision at various Credit Committees.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines Market risk as “the risk due to which the value of ‘on’ or ‘off’ balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the Bank’s earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk.

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on 01st October, 2021.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank’s website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR).

17. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2021 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
Officers	25203	6768	4965	2063	18366	6837
Clerks	13222	3738	2877	664	8602	4620
Sub Staff	2816	565	1367	153	2421	395
Full Time Sweepers	316	34	242	15	236	80
Total*	**41557**	**11105**	**9451**	**2895**	**29625**	**11932**

(* Domestic excluding Part Time Sweeper)

Recruitment Drive

During the year, recruitment in the Bank is as follows:

Scale	Number
Officer Specialist Scale 2	20
Officer Specialist Scale 1	70
Officer Generalist Scale 1	1042
Clerks	1358
Sub-Staff	143

Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (Scs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in Promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another GM is functioning as CLO for OBC employees.

The following policies/schemes were reviewed/ formulated for the benefit of employees:

- Review of a total of 14 policies.
- Review of Policy on prevention of Sexual harassment of Women at Workplace.
- Review of 19 Staff Benefit Schemes for the amalgamated entity.
- Promotion Policy revision for the amalgamated entity.

Staff Welfare Measures

The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations.

International Day for Persons with Disabilities, 2019- Ms. Sudha Srinivasan, working in Indian Bank, Human Resource Management Department, Corporate Office, Chennai has been awarded as the Best Female Employee by the Government of Tamil Nadu for the year 2019.

Human Resource Development

Human Resources Development Department takes care of training and capacity building of the employees through IMAGE, the apex training institution of the Bank and 9 other training centres.

- Training Policy for the Bank has been designed to assess, on a regular basis, the training requirement of both the individual staff as well as the Bank, identify the gap and impart need based trainings to the employees for enhancement of knowledge and Skill Development.
- The policy on Capacity Building of employees has been revised in order to motivate the staff members to take up various certifications and to improve their capability to perform optimally on an ongoing basis.
- Details of internal trainings conducted during the period April 2020 to March 2021:

Sl. No	Type of training	No. of participants
1.	Training imparted through e-Pathshala	9490
2.	Online training from home	10822
3.	Online training from workplace	1991
	Total	**22303**

- A total of 222 Webinar were conducted, based on the training need analysis and requirements of the field on the emergent topics viz CBS Integration, Preventive Vigilance, Jewel Loan Do's & Don't, KYC & AML guidelines etc. during the year 2020-21 and 4691 employees have participated and benefited from the Webinar conducted.
- During the period April 2020 to March 2021, 564 Executives/Officers have participated in training / webinar conducted by external institutes like CAB, IDRBT, CAFRAL, NIBM, FEDAI, ISACA, IIM and SBIL.
- Our Bank was the first to implement Uniform Induction Training program for 803 newly recruited POs in line with CVC direction on Uniform Induction Training Structure for all the PSBs.
- Leadership assessment for 275 Scale V & 98 Scale VI officers through a set of psychometric tests, Group Discussion and evaluation matrix was conducted in collaboration with M/s Deloitte.
- MSME Prerana, a novel, unique and innovative online business mentoring program, first of its kind to empower Entrepreneurs in collaboration with M/s Poornatha & Co., as Knowledge Partner has been launched and a series of 10 virtual programs have been successfully conducted in the states of Uttar Pradesh and Tamil Nadu covering 486 MSME Entrepreneurs.

18. CUSTOMER SERVICE

Customer Service is the backbone of any service industry, especially banking. With the entry of small payment banks and various local area banks, the competition in the banking industry is very high now and there is huge pressure on the part of the PSBs to retain as well as improve their market share. Improving the customer service will definitely facilitate the Banks in increasing their market share and carve a niche for themselves in the industry.

Modes of Grievance Redressal

- Complaint register maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box made available in the banking hall of all the branches.
- Integrated Call centre available 24X7 with Toll free number 180042500000.
- Customers can lodge complaint through e-mail marked to any of the mail IDs viz:

  nodalofficer@indianbank.co.in;
  customercomplaints@indianbank.co.in
- All complaints received through all the modes by Branches/Zones/CO and not resolved within 24 hours are getting registered in the Customer Grievance Redress System (CGRS), an in-house software developed with a flow of several unique features.

Appointment of Internal Ombudsman

- As per the directions of Reserve Bank of India, an Internal Ombudsman has been appointed with effect from 17.02.2016 to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism and to ensure that grievances are settled in order to strengthen customer confidence.
- All complaints where the resolution is either negative or partial are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action as per the Scheme.

Initiatives taken to improve the customer service

- E Lounges opened at various centres to reduce the transaction time/foot fall in branches besides Passbook kiosk / BNA where the volume of transaction is very high.
- Branches where pension accounts are more have opened special counters for senior citizens.
- Introduced several new technology products to facilitate transactions without visiting the branches and arranged

technology awareness campaigns at selected centres to educate the customers.

- Comprehensive notice board has been displayed at all branches furnishing the vital information to the customers.
- Staff Meeting and Joint Customer Service Committee Meetings have been conducted every month to redress the grievances of customers from all walks of life.
- An exclusive session is being conducted in all the training programs / workshops at our training centres to ensure improvement in the customer service and efficient handling of the customer complaints.
- Frequent reviews were conducted with Zones where the number of complaints received was high.
- Introduced a single point online complaint portal CGRS (Customer Grievance Redressal System) with effect from 17.12.2020.
- Introduced an online portal for uploading the minutes of monthly customer service meetings held at branches.
- SMS alerts have been sent to customers for sensitizing them about non-disclosure of personal account credentials to avoid frauds in their account.
- Introduced the integrated call centre at Chennai with 150 agents capacity.

Regulatory Meetings/Notes

- Regulatory/Mandatory Meetings relating to Customer Service were held as per the schedule.
- Review of Customer Service is placed to the Customer Service Committee of the Board as per calendar of Reviews.

Regulatory Authority - Observations

- No awards have been passed by the Banking Ombudsman.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- We have a separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office for handling the applications, first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. Online facility for filing of RTI application has also been made available (Indian Bank being the first among the PSBs to introduce this facility)
- All the Applications are disposed within the stipulated time period.
- No awards have been passed against the bank in the year 2020-21.

19. FOREX BUSINESS

- Turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹40980.45 Cr during FY 21. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹17184.33 Cr, while imports and other outward remittances amounted to ₹23796.12 Cr.
- During FY 21, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹1823026.30 Cr.
- 128 branches of the Bank are authorised to handle forex business along with two FXCPC in Chennai and Mumbai. The Bank has Correspondent Arrangements across the globe.
- FCNR/NRE Deposits: Non Resident Indian (NRI) Deposits reached a level of ₹12086.20 Cr as on 31.03.2021.

Remittances

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered by the Bank include Western Union Money Transfer and Ria Money Transfer, besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.
- Electronic Funds Transfer arrangement is in place with Exchange Houses viz., UAE Exchange Centre WLL– Kuwait, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia is in place.

International operations

- Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. In the month of December, 2019 Bank had commenced its operations at IFSC Banking Unit (IBU) at Gandhi Nagar, Gujarat. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on March 31 2021 was ₹8807 Cr and ₹10780 Cr respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for

Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.

- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch re opened in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

20. TECHNOLOGY AND DIGITAL INITIATIVES

ATM & Debit cards:

- Debit card activation and PIN change were enabled through Net banking and Mobile banking.
- 500 Cash Recyclers (BNAs) and 250 Passbook Kiosks(PBKs) were deployed additionally.
- RuPay Debit Select cards, RuPay Arthia cards and NCMC compliant RuPay contactless cards were introduced.
- Declining of Issuer Fallback transactions has been enabled.
- Disbursal of ₹2000 note denomination was disabled while calibration has been carried out for ₹200 notes in ATMs/ BNAs.
- RBI guidelines on enhancing security of card transactions viz. facility to enable / disable transactions and to set limits through DCMS, Net Banking and IndOASIS, implemented.
- Single length PINs converted to double length tripple DES PINs.
- Terminal Security Solution and Voice Guidance in ATMs /BNAs were implemented.
- Debit Card Tokenisation and restriction in Cash@POS limit in EFT Switch were enabled.Base24 ATM EFT switch application was upgraded.
- Authentication Code (MACing) for NPCI transactionson ATM and PoS transactions was enabled.
- Debit card online transactions were migrated to Bharat eCommerce Payment Gateway of NPCI.
- ATM/ BNA terminals and DCMS /ACS services were migrated from e-Allahabad Bank to Indian Bank.
- DR server was shifted from Hyderabad to Mumbai
- New Thales 10K HSM (Host Security Module) procured and installed.

E-Banking

- Implementation of Integrated Mobile App (IndOASIS) having the functionalities of IndPay, IB Smart Remote, IB Customer App featured with Biometric/Face ID login
- Integration of UPI functionality in Mobile App (IndOASIS) and MP Cyber Treasury with Internet Banking were completed.
- Implementation of RAC for database/ Multi-app system in Internet Banking and NPA tracker through mobile app for combined entity.
- New Merchant aggregator SabPaisa on-boarded for online payments & Recharge
- As a part of amalgamation, all ebanking channels (Net banking, mobile banking, IMPS and UPI) of erstwhile Allahabad Bank were successfully migrated into Indian Bank

New Functionalities/Features introduced during FY 21.

MOBILE BANKING	NET BANKING
• Cooling period of 24 hours for activation of new beneficiary • View- Add-Delete nominee under Nomination • PPF Account opening • Card management like Limit setting, Lock/Unlock, PIN settling, Card Activation/ Payment Channel Setting • Subscription to Mutual funds, Insurance, e-NPS	• RTGS 24*7 • Implementation of Positive Pay System. • Updation of mobile number. • Anti-Bot captcha for additional layer of security. • Deposit calculator –to verify the maturity period for Term deposits • E-mandate registration with verification • Customizable transaction limits for each transaction type. • Transfer of Account- Home Branch change.

Credit Card

- Green PIN for Credit Cards was enabled in BNAs.
- RUPAY Credit Cards was introduced. Provision for modification of card limits and fixing of daily limits was made in Customer credit card portal.
- Availability of Credit Card portal at e- ALB branches.
- MIS team has supported in developing NPA module.
- EFRMS - Fraud detection tool by FIS service provider via NRT approach

Management Information system (MIS)

- IBAB MIS Dashboard portal made available for merged entity. MIS portal /Advance Sheet for the combined entity was revamped. In addition, various dashboards were developed to meet the requirements of various departments.
- Customised PARTH portal for monitoring NPA accounts of combined entity and Exceptional Transactions portal was introduced.
- Data Canvas project was implemented for dynamic report generation with dynamically configured columns. CIMS implementation was completed for 11 returns (10 under UAT) out of 25 applicable returns for the combined entity.
- Integrated with NeSL for Digital document execution.

Data Analytics / Power BI

- Data Analytics (DA) models were developed and put to use in phases. 6, 13 and 9 models completed and provided to User Department in Phase I, II and III respectively. DA model for automatic Email response to Branch/ZO/ FGMO for rent recovery, cost optimization were implemented.
- Procured and Installed Power BI Premium software License. Dashboards using Power BI developed and incorporated into our IBAB Sangam à Mid Corporate, Branch profitability, Vertical Business, NPA Movement, Single View –FGM Profile, Business Trend with access to FGMO/ZO/Branches. Amalgamated Executive Dashboard is published in Premium Space. New BI Dashboard developed in respect of Cash Optimization and ATM profitability.
- EASE3.0 (AP2) - 4 Models implemented using Power BI for Retail Assets department.

Merchant Acquisition & Fastag

- Digital Apnayen Campaign launched by Government of India and conducted from 15.08.20 to 31.12.20 achieved the target of 100% for on-boarding of at least 100 additional customers by every branch on digital payment mode.
- One-time cost model and reduced rental model introduced in PoS for market expansion.
- Sodexo card and Amazon Pay facility on PoS terminals activated.
- UPIQR to PM Svanidhi Customers and Integrated PoS terminals to various government organizations including Vasai Virar Municipal Corporation were created/ provided.
- Admin portal for enabling process of PoS application and generating UPI QR code for small/ corporate merchants provided at Branch /Zonal level for ease. Portal for monitoring/ recovering of overdue PoS rent introduced.
- NFC/NCMC acceptance enabled.
- Mobile Application for on boarding of Small / Corporate merchants on UPI (QR)
- Offline FASTag issuance/ renewal through branch module enabled.
- Entered with a tie-up arrangement with India's first ever 'FASTag Car Park' at GMR Hyderabad Airport parking.

Others

- Web portal for Doorstep Banking and web service for Business correspondents in respect of PMJJBY and PMSBY were launched.
- Integrated GeM (Government e-market place) challan collection, On-line OTS and NPA tracker through mobile app for combined entity were launched.

21. INFORMATION SYSTEMS SECURITY:

- Bank's Information System & Security Department and IT Departments are certified for ISO 27001: 2013 Standard. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The Standard also lays emphasis on measuring and evaluating the performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as per ISO 27001 - 2013 Standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of our Bank.
- The re-certification audit for ISO 27001certification has been successfully conducted during February 2018 to ascertain compliance on certified security environments. Recertification has been issued till February 2021. The recertification audit is under progress.

RBI Guidelines on Cyber Security Framework in Banks

- Bank has put in place a Cyber Security Policy in terms of RBI circular dated 2nd June 2016 on Cyber Security Framework in Banks elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats given the level of complexity of business and acceptable levels of risk, duly approved by the Board.
- The main objectives of the policy are to enhance the resilience of the bank by improving the current defenses in addressing cyber risks and ensure adequate cyber security preparedness on a continuous basis, provide guidance and direction to the bank in combating cyber threats, given the level of complexity of business and acceptable level of risks and to enable the staff, vendors, contractors and other stakeholders to gain awareness and fulfill their responsibilities to protect the information assets with which they are entrusted.
- A Cyber Crisis Management Plan (CCMP) has also been formulated and put in place mainly focusing on incident handling process of cyber incidents. Both the Cyber Security Policy and CCMP have been reviewed and renewed after incorporating the best practices.

Information Security solutions to protect customer information

- Bank has put in place a Cyber Security Operation Centre (C-SOC) which consists of various leading security solutions and the C-SOC is monitored 24*7.
- Cyber Security solutions are further strengthened as part of amalgamation with eALB by integrating various solutions erstwhile used at eALB.
- Bank has a dedicated team under Chief Information Security Officer (CISO) to monitor the security operations 24/7.
- A dedicated team is also formed under IT Dept which look after the implementation of various cyber security solutions. The solutions are designed to protect the data, network and servers in a proactive way.
- Bank has implemented some advanced solutions/ technologies in order to create various lines of defense at different levels in the security architecture, to prevent any unauthorized access/entry into bank network.
- Employees are given training on Cyber Security to make them aware of the recent cyber attack strategies and how to avoid such incidents.
- Bank has developed and put in place a Business Continuity Plan during the time of COVID pandemic and as part of the plan, Bank has provided a secured remote connectivity to its employees/vendors to enable them to work from their home.

22. PREMISES

- Bank owns 254 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Bank has put in place uniform polices for Premises Expenditure, Purchase Contracts, Printing and Stationery, Air- Conditioning and has adopted the same at all branches / Zones.
- As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channel, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made).

Green Initiatives

Solar Power and LED Lighting

- Harnessing of Solar Power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternative sources of energy, as a Public Sector Bank, the Bank has joined hands with other entity to form Green India. Bank has also implemented 55 KWP Solar Power Plant for IMAGE Auditorium, 106 KWP Solar Power Plant for Head Office/Krest Building/Corporate Office and 115 KWP Solar Power Plant for 11 branches across Chennai city.
- Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own buildings, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4 to 5 percent.
- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems.
- New branches have been illuminated by installing LED lamps. Existing Branches are being replaced in a phased manner.

Other Initiatives

- Energy Audit is being conducted periodically for branches and offices.
- Provision of Timers for auto cut-off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installation of harmonic filters and usage of Star rates electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

23. STATUS OF 'IND AS' IMPLEMENTATION

- Bank has appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as consultants for smooth implementation of Ind AS and the implementation is in progress.

- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018.
- RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- Subsequently, RBI advised that Banks shall submit proforma Ind AS financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been complied with.
- As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/ 2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, quarterly submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

24. INSPECTION (INTERNAL CONTROLS):

- Risk Based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- For the FY 20-21, Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 4224 branches.
- 970 branches have been covered under concurrent audit comprising 41.25 percent of total domestic deposits and 70.01 percent of domestic advances as on 31.03.2021.
- Revenue Audit was carried out in 5940 branches having business exposure of ₹10 Cr and above, to identify leakage of income, if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit was conducted in 47 Zonal Offices during FY 21 under review and followed up for compliance.
- Information System Audit, Vulnerability Assessment and Penetration Testing of Bank's entire CBS and allied infrastructure including Hardware, Operating System, Database, Application(s), Network, Security Devices, and Process & People was carried out by an external audit firm during the period of review.
- Offsite monitoring software has been implemented to raise alerts to branches based on certain exceptions. These alerts have been duly attended by the Branches through portal and submitted to respective Zonal offices. As per delegated powers, these alerts are closed at respective Zonal offices/ Field General Manger Offices/ Functional Departments at Corporate Office.
- In order to equip Inspectors familiar with the latest developments and to improve their reporting skills, a separate program was conducted during FY 21.

25. COMPLIANCE

Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:

- Various legislations viz., Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by Industry Associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc., and
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

26. VIGILANCE

Vigilance department is responsible for the vigilance administration in the Bank. The department is guided by Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (CVC) and also the guidelines on Vigilance Administration issued by CVC from time to time. The department is the single point of contact for consultations with CVC on vigilance matters. Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) who is appointed to the post by Government of India on the recommendations of the CVC. CVO is the Nodal Officer to liaise with CVC, GOI, RBI, external investigating Agencies like CBI, in respect of vigilance related matters of the Bank.

All officers of the rank of Assistant General Manager (i.e., Scale V) and above in the Bank come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVC tenders Stage Advices (in vigilance cases) in respect of officers in Scale V and above and also in composite cases where there is involvement of both Scale V Officers and Officers below Scale V. CVO ensures adherence of Commission's guidelines in respect of vigilance cases. CVO tenders Advice as to the nature of disciplinary proceedings in Vigilance cases in respect of Officers upto Scale IV.

The Vigilance department in the Bank is functioning in a proactive manner, with main focus on-

- Preventive vigilance initiatives,
- Suggesting systemic improvements to the Bank's administration,
- Close monitoring to ensure conduct and completion of vigilance-related disciplinary cases in line with the CVC guidelines by taking up with the respective Disciplinary Authorities,
- Conduct of Vigilance Inspection of branches identified for the Financial Year and
- Conduct of investigations of complaints having vigilance overtone and frauds, through Zonal Vigilance Officers.

Preventive vigilance initiatives during the year

- Bank had introduced the system of acceptance of bulk Government/Institutional deposits only by select branches across the country and necessary SOP was issued, to prevent frauds in large value deposits.
- An online system of taking prior approval by branches from the empowered Authorities for permitting excesses in Working Capital accounts and Temporary Overdrafts has been introduced by the Bank to enforce discipline in Credit administration.

Strengthening vigilance mechanism post amalgamation of eAB into Indian Bank

As the amalgamated entity came into being from 01.04.2020, as part of further strengthening the Vigilance function, the best practices from both the Banks were adopted and incorporated in the Manual.

Vigilance Awareness Week 2020

Vigilance Awareness Week (VAW 2020) was observed from 27/10/2019 to 02/11/2020 with the CVC prescribed theme "Vigilant India, Prosperous India" (Satark Bharat, Samriddh Bharat).

As part of the observance of VAW 2020, hyperlink was provided in the Bank's Home page on the internet and the intranet, for accessing CVC webpage so as to enable citizens to take e-Pledge on integrity.

To highlight the values of 'integrity & probity, 'jingles' were broadcast in FM Stations on, in Hindi & English, at 3 centres viz., Chennai, Kolkata & Delhi.

SMS was sent to about 40,000 employees and about 1.50 lakh customers emphasizing on pursuing the virtues of integrity and probity in all walks of life.

A Vigilance awareness message was displayed in Bank's Homepage during the week.

Bank organized Essay, Slogan and Cartoon competitions on the Theme of VAW 2020, for the employees in all FGM Centres and Corporate Office.

On the first day of the VAW 2020, i.e., 27th October 2020, a special edition of the Bank's Newsletter 'IndVigil', covering various inputs/insights on Preventive Vigilance measures was released. This was ported on Bank's Helpdesk for the benefit of all staff.

The on-line Vigilance Inspection Portal was virtually launched by Shri Suresh N. Patel, Vigilance Commissioner, CVC. Since its launch, Vigilance Inspection of 527 branches was done.

Integrity Pledge was administered by MD&CEO at Corporate Office and the respective Heads at various FGMO, ZO and Inspection Centres.

The Bank conducted Program on 'Preventive Vigilance' through e-Learning Portal (e-Pathshala) wherein around 300 Branch Managers/Credit Officers attended.

27. SECURITY

Banking being a Cash Rich industry has always been a lucrative target for anti-social elements who adopt new and sophisticated techniques to further their mala-fide motives. The whole scenario of crime and security are constantly changing, as criminals evolve and adapt to newer paradigms with agility and precision. Their acts vary from restrained midnight attempts to more blatant daredevilry such as Train heists, Armed daylight dacoity etc. This mandates active counter measures from those who are involved in Crime Prevention and necessitates the need for dynamic active security solutions vis-a-vis conservative passive security measures.

- The objective of Security Management is to provide a safe and secure work place environment to Staff and Customers alike and to protect all assets of the Organisation from external aggression. To achieve this objective, integration of technology is augmented with Human analytics to provide a robust, seamless security cover. Incorporation of technology driven solutions in the field of Physical Security has proven to be more reliable, efficient and cost effective than traditional means.
- The herculean task of securing Bank's assets is a collective responsibility of all the stakeholders. Concerted efforts have been taken to ensure that our Branch Security Systems are continuously upgraded with the latest technology as available in the Market. Our Branches have now been equipped with state-of-the-art Electronic Burglar and Fire Alarm systems, HD DVR / NVR based

CCTV solutions with automated communication linkage with designated Officials for instant alert notification during eventualities.

- With rapid technological advancements made in the Banking Industry, Fire has now become one of the inherent and potent threat to our Branches / Offices. Vital installations like Server Rooms, DR Sites are provided with Automatic (Modular) Clean Agent based Fire Extinguishers / Fire Suppression Systems to avert / mitigate fire hazards. To enhance awareness on fire safety, Fire fighting practice and Mock evacuation drills are conducted once a year in all High rise buildings owned by the Bank and once in two years in all Currency chests, as per RBI guidelines.
- Cash in transit is most vulnerable as it is outside the safe haven of Bank premises. Hence, in addition to the physical security, GPS based Tracking devices have been installed in our Cash Vans. The movements of Cash Vans are tracked real time at multiple levels from the Currency Chest, Branch and Zonal Offices.
- Considering the vulnerability of ATM centres, 24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralised monitoring has been implemented in our Bank owned ATMs across the country.
- Though electronic security is comparatively more reliable and effective, it is subject to periodical reviews to ensure serviceability and functionality. In order to overcome redundancy and obsolescence of security gadgets which can lead to untoward incidents, review of the existing security systems and procedures are periodically undertaken by the Department headed by Chief Security Officer at Corporate Office. Modern security gadgets, devices and mechanisms available in the market are comprehensively studied, assessed for performance and systems upgraded / replaced / introduced in our Bank Branches as per feasibility with the approval of Top Management. Additionally, recommendations and guidelines on security arrangements in Banks / ATMs / Currency Chests as and when prescribed by IBA and RBI are also implemented.
- Security Management is a part of Operational Risk Management. Unlike 'Financial Risks' the physical risks to Bank's assets can be protected by effective security systems. Security Management perforce is required to be dynamic and should strive to constantly evolve with emerging trends. The need for Risk assessment and its revision is imminent. Hence, based on threat perception and prevailing security scenario, comprehensive evaluation is carried out atleast once in three years and Branches are classified based on security risk and additional security measures initiated based on assessment.
- The Department is duly supported at the field level by Security Officers at respective Zones who are crucial in ensuring that the guidelines / instructions / policy of the Bank are implemented at the Branches / ATMs / Currency Chests. Deficiencies / Shortcomings observed during the inspection are followed up for rectification to strengthen the security aspects of the Branch / ATM with the objective of preventing untoward incidents.
- In order to ensure effective security measures, all the employees are made aware of the Security precautions. Zonal Security Officers conduct Security inspection of all Branches / ATMs once a year and Inspection reports uploaded in the Online - In House Module designed for the same which is available for scrutiny at various levels – Branch, Zonal Office & Corporate Office. Currency Chests being a High risk entity, are inspected on a quarterly basis and timely rectification of observations ensured.
- Electrical Safety and Energy Audit of all Branches / Administrative Offices are conducted once in three years. Audit Observations are rectified at the Branch level with the concurrence of the respective zonal offices. In-House module has been designed which can be accessed at all levels to ascertain the deficiencies and rectifications undertaken and comprehend the level of compliance.
- With a view to keep Security Officers abreast on the latest technological advancement, updates on Security and to review the performance during the preceding period, Annual Training of Security officers is carried out once a year. The best practices derived during the training are taken up for implementation based on Corporate Office directives in their respective Zones. LIVE firing training practice is conducted for Bank armed guards, every year.
- Security Aspects highlighted during State Level/ District Level Security Committee and Standing Security Committee Meetings are disseminated to respective Zones and compliance ensured.
- Preparation, Precaution and Prevention are the principles around which Security Department is established. Bank adheres to Asset Protection Measures and follows procedural safe guards during cash remittance for safety of Bank's assets.
- Bank strives to ensure that its assets – both personnel and property are given the best possible safety and security from inherent risks and threats. The task is handled by Officers who are veterans from the elite Indian Armed Forces, who after protecting the security of the nation have re-dedicated themselves for the safety of the Bank.

28. AMALGAMATION OF ALLAHABAD BANK INTO INDIAN BANK

1. Major Day-1 operations

Post amalgamation of Allahabad Bank with Indian Bank effective from 1st April 2020, Treasury operations were fully integrated and consolidated reporting requirements were put in place from Day-1. Harmonized Products have been made available to the customers of amalgamated entity across the country, with harmonized Service Charges and Interest Rates.

2. CBS Integration:

One of the most critical final steps in the ongoing amalgamation process i.e., the integration of core banking systems of both Banks was completed on 14.02.2021 and the system was ready for use by branches on 15.02.2021 at the opening of banking hours. All the 3000+ branches of the e-ALB were seamlessly integrated on the Indian Bank's CBS platform in one go using "Big Bang" approach.

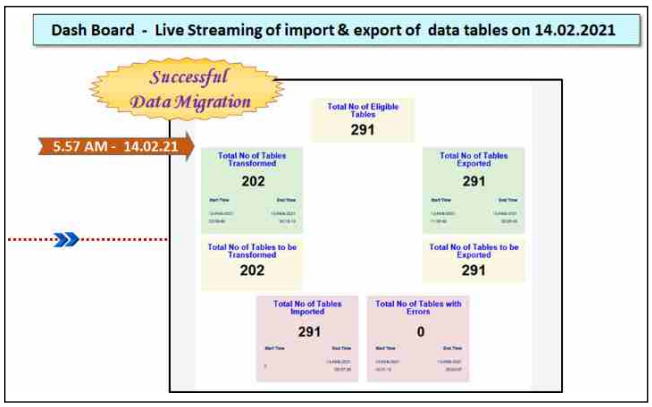

To ensure smooth transition and minimum customer disruption various steps were taken.

- The concept of Buddy branches was introduced. IB branches (Buddy branches) were mapped to e-ALB Branches in all the Zones to guide the staff on changed CBS functioning.
- Customers were communicated in advance about the CBS integration and disruption of banking services on 13th and 14th February 2021 and changes in the operations through various channels including Social Media. SMS alerts were sent to both IB and e-ALB customers.

Communication to Customers in Print media

- FAQs for Customers in English, Hindi and Bengali were ported on Bank's website along with portal for Customers to raise queries which were replied by the respective departments. Separate Cell was set up at Call Centre for resolution of customer queries.

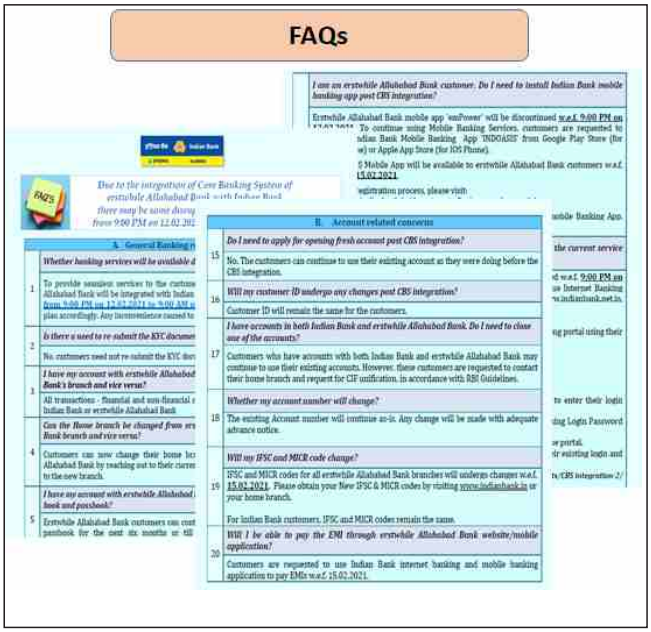
FAQs

- Animated videos on change in IFSC code, Internet and Mobile Banking applications were floated on Bank's social media in Hindi, English, and Bengali for the benefit of the customers and employees. SMS facility was enabled for the customers to know new IFSC code of the branches.

- All the Zonal Managers, FGMs were made aware of the CBS integration through VC on 1st and 10th February 2021 and all the employees of the Bank were also sensitized through Webcast on 11th February 2021 to ensure smooth customer service post CBS migration.

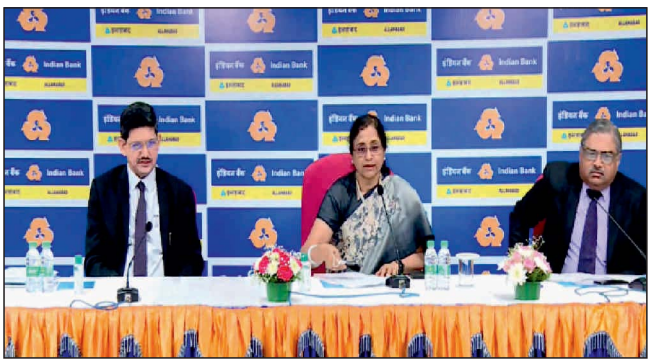

- Control Centres were set up in each Zone and Command Centre at Head Office to guide the branches. A portal for Staff (Online Support and Redressal System) was set up to address their queries relating to CBS Integration.

With this Tech Integration, major activities relating to amalgamation have been completed.

3. Rationalisation:

- A broad roadmap for rationalization of Administrative Offices like FGMOs, ZOs, Inspection centres, besides Service Branches, SAM Branches, Corporate Branches and General Branches was drawn up.
- As against the planned rationalization of 100 branches in the 1st year, Bank has rationalized 203 branches upto 31st March 2021.
- Rationalisation of 25 Zonal Offices completed.
- Rationalisation of Service Branches completed in Chennai, New Delhi, Mumbai, Bhubaneshwar and Lucknow.
- Merger of 12 currency chests completed and merger of 4 more is under progress.
- Closure of Kolkata Main Office, e-Allahabad Bank completed in December 2020.
- 6 STCs at Kolkata, Chandigarh, Trivandrum, Bhubaneswar, Chennai and Hyderabad have been rationalised /closed.
- Large Corporate Branches rationalized at Chennai, Mumbai and New Delhi.
- Merger of 6 SAM Branches at Ahmedabad, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Delhi, and Kolkata have been completed.
- Bank has started realising synergy benefits on account of amalgamation and we expect that the full impact will be visible in the current financial year.

Inauguration of New Premises of Service Branch, Mumbai by MD&CEO for the Amalgamated Entity

Merger of Adyar Branch (e-AB) with Adyar Branch (IB)

Merger of e-AB Thiruvanmiyur Br with LB Road Branch of IB

Merger of Godhra Branch (e-AB) with Godhra Branch (IB)

In parallel, Bank has also started working on various strategic/digital initiatives and brand building to leverage the synergy benefits arising out of amalgamation.

4. Launch of Vision and Mission Statements:

The new Vision, Mission, Tagline and HR Vision statement of the Bank was launched on 1st April 2021.

5. Digital Initiatives:

a. IB Smart Office:

- As a part of BPR and green initiative, a system of dispensing with placing of physical notes and replacing the same with digital module of placing notes (IB e-Note) has been introduced.

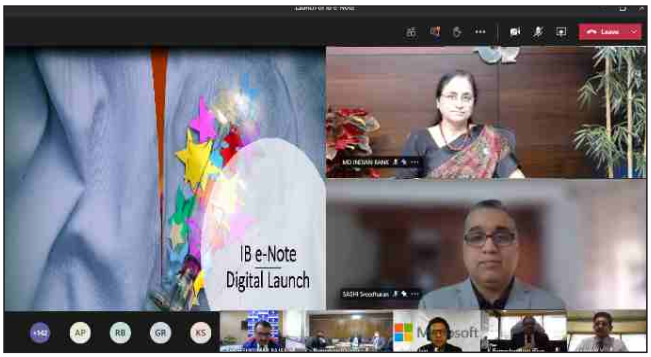

- **IB e-Dak,** an Online Letter Management System has been launched which will help in strengthening the communication process, better control, compliance, retrieval of data, saving in time and manpower besides saving in cost.

b. Chatbot:

As a part of enhancing customer experience, Bank has launched "ADYA" (Automated Dost for Your Assistance) Chatbot. ADYA can answer the queries related to

1. Bank's products and services
2. Bank's Management, Structure, Offices and Branches
3. News and Information related to the Bank

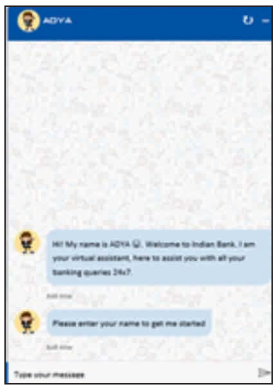

6. Formation of Transformation Management Office:

A "Transformation Roadmap" for the next 2-3 years was approved by the Board in the Strategy meet held in November 2020. For carrying out the Transformation Roadmap, 24 high level initiatives and 150 other initiatives have been identified. To drive all these initiatives, an exclusive department Transformation Management Office has been formed with effect from 1st April 2021.

Bank has embarked on implementing various Transformational initiatives viz., Digital Transformation, Transformation in operating models, Leadership Development Plan and Performance Management System.

Through these initiatives, it is proposed to introduce end to end Digital lending process, revamping of IT and Digital operating models, enhancing the functionality of existing channels and developing new applications / channels, news way of working, improving the Control and Governance by enhancing the effectiveness.

As a part of Leadership Development Programme, Bank is focusing on developing leaders to take on high impact roles from the grade of Scale IV and above besides creation, customization and implementation of the performance management process as a part of Performance Management System.

29. MARKETING

Brand Building Activities on Social Media

- Indian Bank's Official Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn channels were managed and product promotion and information dissemination was done on Social media channels. Specific content was developed, promoted on our social media channels related to field activities, commemorative days, occasions and Bank's achievements. Interactive GIFs and Video Posts were created for Instagram, Facebook story post and Festival wishes.
- Bank's Official Facebook Page, namely '@MyIndianBank' made over 1773 posts and added over 3.80 lakhs likes during FY 21.
- Bank's Official Twitter Channel '@MyIndianBank' made over 1632 tweets during FY 21.
- Bank's Official YouTube Channel 'Indian Bank' added 74 videos during the year. It has overall 38,787 subscribers and 64 lakh views.
- Bank's Official Instagram Channel '@MyIndianBank' made 2080 posts, and as many as 44,100 users following our Bank.
- Bank's Official LinkedIn channel 'IndianBank' made 312 posts and has 18,251 followers.

Engagement Contests on Face book, Instagram and Twitter pages

The objective of these contests is to promote and build awareness about our Bank and engage more people on our social media pages. Facebook, Twitter and Instagram pages were used extensively for the same. 10 campaigns/ contests were conducted around World Book Day, Mother's Day, Ind Advantage, Diwali, Christmas, Ind Oasis, Festival Bonanza etc. Over 35 lakhs impressions were clocked during these promotions.

Information and Promotion on Website

The official website of Indian Bank was constantly updated with newer creative content, in coordination with the respective Departments of Corporate Office. During the year, over 100 creatives were generated in English and Hindi.

Indian Bank's Official News letter "Ind Navya"

IND NAVYA is a monthly e-newsletter, ported on our website in English and Hindi and sent through e-mail on first week of every month to nearly 25 lakhs customers who have registered email IDs. It covers the Bank's customer-centric initiatives and developments like launch of new products and services, features, promotional offers, campaigns, achievements, network expansion, events, government directives, etc.

Launch of IB Brand Manual

Brand Manual, a document that helps in creating the brand uniformly across the length and breadth of the organization was unveiled on 03.06.2020. Designed typically around elements of logo, color palette, image style, placement and other typographical aesthetics, the manual spells how our brand should be used internally and externally.

Improving Image, Publicity and Visibility.

Created and Uploaded soft copies of Danglers, Banners, Posters, etc. for field-level functionaries located at Branches, Zonal Offices and other offices

Soft copy of creative contents for our products, offers and other developments like Arch, Banners, Danglers and Standees etc. were generated and uploaded on Marketing Site for printing and use by Branches and Zonal Offices. An indicative list of creatives that were made during the financial year for

- Senior Citizens: Additional Interest, Term Deposit, IB Golden Ager (Term deposit for super senior citizens).
- Retail Credit : Festive Bonanza for Home Loan/vehicle Loan and Overdraft Jewel Loan
- Agriculture: New Agriculture Infrastructure Schemes
- MSME: SME Ease and IB Standby Facility, Restructuring of MSME Retail Loan and MSME Prerana brochure
- General: COVID Emergency Loans, Positive Pay System and Amalgamation
- Digital: Digital Apnayen Campaign, Digital Carnival Campaign

Production of Video content use TV and Digital Channels

53 videos (34 on demand from respective Departments and the remaining 19 initiated by Marketing Department) were generated during the financial year covering Tutorial (How to use a service), Promotional (Introducing and promoting products and services) and Informational (Developments in Bank like results, interviews, CSR, etc.)

Bank's Loyalty Programme - "Ind Advantage":

Bank's Loyalty Programme launched the Mobile App for the customers for better viewing/redeeming of points and browsing catalogue. The App shall provide more convenience and better user experience than the dedicated web portal. At present the app is available on Android platform. Bank is in the process of providing live iOS platform to bring Single sign-on (SSO) session through our Mobile App (Ind Oasis) to facilitate a user to use one set of login credentials to login in to the portal.

Implementation of Digital Signage

Bank has procured Digital Signage Solutions to provide information to customers on Bank's Products and offer an electronic display in branches identified by Corporate Office. The display will be connected to Bank Network and receives the content on banks products and offers available etc, from corporate office from the central location. The advantage of the digital signage is receiving the updated information on changes taking place in the Bank. Installing 1000 signages PAN India in scale IV and above branches and FGMO's /ZO's /Administrative Office.

AI-Chatbot

ADYA is a web based chatbot that is integrated in the Indian Bank website as an additional mobile-friendly customer interface for answering customer queries on content available on the Bank's website. Now customers don't have to spend time searching and browsing the website to get the required information, as they can query ADYA directly. The chatbot was officially launched on 01.04.2021

ADYA is able to understand queries put up in normal conversational language (presently English) by the customer.

It is able to answer the queries related to Bank's products and services, Bank's organisation - Management, Structure, Offices, Branches and News/Information related to the Bank.

Customers/Website visitors and Bank's Sales/Admin team are users of Adya.

Event Management

114th Foundation Day: For the first time, on 14th August 2020, 114th Founding Day Celebrations were held online. AV films on Bank's Legacy and Amalgamation, CSR activities, Solidarity for colleagues who lost their lives to COVID, launch of IND OASIS Mobile App, the cultural shows by staff from across the country were showcased. On social media channels, a commemorative commercial was also generated and posted for public.

Launch of IB e-Note System: On 28th September 2020, 'IB e-Note', a tool that digitizes processing of internal notes was launched.

Car loan Mela: Car loan Mela conducted on 24th and 25th of September 2020 across 4 zones viz. Chennai North, Chennai South, Poonamallee and Kancheepuram involving 7 Branches, resulted in 88 leads amounting to ₹6.84 Cr.

SMS Campaigns: As a part of promotional campaign, during Q2 FY 21, 7 lakhs SMS were sent to customers who have not yet availed any product from our Bank. During the third quarter, SMS were sent to almost 15 lakhs customers having RuPay Debit cards who were active in PoS but inactive in the e-Com.

E-mail Campaign: During Q2 FY 21, in order to promote the newly launched Mobile App'Ind Oasis', around 17.85 lakhs number of messages were sent to the customers with a request to download the App.

30. CORPORATE COMMUNICATION INITIATIVES:

External Communication

- During FY 2020 - 21, Bank focused on various activities to reach out to customers with customer centric products, educating various schemes of Government, achievements of Bank and welfare for the general public.
- Bank has organised more than 60 press conferences, several meets and special interviews of Top Management through virtual mode on various occasions including launch of new technology products, release of financial results, Melas and other important events like Vigilance Awareness Week, Swachh Bharat Drive etc.
- Bank was widely covered by ET Now, CNBC TV 18 group, Thanthi TV, Sun TV, Puthiyathalaimurai TV, News 7, News 18, The Hindu, The Times of India, Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Dina Mani, etc during various occasions such as Press Meet for declaration of the Financial Results, Launch of technology products, Loan Melas, Swachh Bharat Pakhwada, Pan-India Blood/Organ Donation Camps, 114th Foundation Day Celebrations etc.
- Out-of-Home (OOH) campaigns were accelerated at Chennai and Puducherry through hoardings and advertisements at bus shelter advertisements. Full train wrap Advertisement in 'Lalbagh Express' train between Chennai and Bangalore, Lucknow Airport and KGMU, Lucknow were also initiated.
- Tri vision advertisements campaigns are being carried out in 8 of our Bank's Branches in Chennai.
- In addition to news on our Bank's merger, advertisements were released in leading dailies pan India on the occasion of Independence Day, Republic Day and other festivals viz. Holi, Diwali, Christmas, Pongal etc.
- Bank's advertisements were released in SVBC Channel of Tirumala Tirupathi Devasthanam and other local television channels during various occasions in multiple languages.

Internal Communication

- Information on various events of the Bank viz. CSR programmes, Visit by Parliamentary Committee etc. were disseminated to employees through Helpdesk.
- Banners were also displayed to make employees aware about various National and International Days like Women's Day, May Day, Mother's Day, World Environment Day, Blood Donor Day, International Day of Yoga etc.

Corporate Social Responsibility (CSR):

- CSR initiatives of the Bank extended beyond banking and lead it to honor ethical values and respect people, communities and the natural environment.
- As a strong responsible Corporate, Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India and worked to reach out to the needy and marginalized population through its pillars of CSR as follows:
- Gender Equality and Women Empowerment
- Inclusive Growth
- Green Initiative and Environmental sustainability
- Financial Literacy & Enhancing vocational skills
- Specific needs of the Senior Citizens
- Proud of its humanitarian services, Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.

CSR Highlights:

COVID 19 relief measures and other important CSR initiatives aimed to minimize the damages implicated by COVID 19.

(a) COVID 19 related CSR activities

Chief Minister's Relief Fund: MD & CEO, Ms Padmaja Chunduru, handed over a cheque to Shri K Shanmugam, IAS, Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.

MD & CEO Ms Padmaja Chunduru handed over Tarpaulin sheets to the poor tribals belonging to Tiruvallur district on 26.01.21 as part of Republic Day celebrations.

Shri K. Ramachandran, Executive Director handed over Covid-19 protection essentials to Dr Girish Shiva Rao, Medical Director (Administration), Sankara Nethralaya Hospital, Chennai.

Bank donated sanitizer and masks to Kilpauk Medical College, Chennai.

Bank donated face masks, sanitizer, N95 masks and PPEs to Adyar Cancer Institute, Chennai – received by Dr V Shanta, Chairman, Adyar Cancer Institute.

Bank distributed personal protective equipment to Vishranthi Old Age Home Chennai on the occasion of International Day of Older Persons.

Bank donated audio-visual equipment, colouring-books and crayons to Special children at Guild of Service, Bala Vihar, Chennai

hri Bhaktula Suribabu Field General Manager, Bhubaneswar distributed blankets to differently-abled persons at Swami Vivekananda National Institute of Rehabilitation Training and Research, Olatpur, Cuttack

Distribution of COVID safety kits to the representatives of Bowring and Lady Curzon Hospital Management by Shri Rohit Rishi, FGM, Bengaluru.

FGM Office, Delhi distributed blankets at Rashtriya Virja Nand Andh Kanya Vidyalaya, Rajendra Nagar.

Shri. B K Sarangi, Field General Manager, Patna distributed blankets to Veda Asram

Shri Sandeep Kumar Gupta, Field General Manager, Mumbai along with Shri Shyam Shankar, Zonal Manager, Nagpur distributed blankets to Specially abled children of Snehangan Apang Mulachi, Nagpur.

Shri Sashi Bhusan Dash, Field General Manager, Kolkata II along with Shri. F R Bokhari, Zonal Manager, Siliguri sapling plant at "Apna Ghar" Old Age Care Home

Donation of 225 PPE Kits to Shri K Rajamani, IAS - District Collector, Coimbatore by Mrs. Zaphia Fareed FGM, Coimbatore.

Shri M.B. Suresh Kumar, Zonal Manager distributed meals to 400 mentally retarded/destitute orphans of Amma Nanna Anandha Ashramam at Choutuppal village on 17.04.20.

Zonal Office, Nagpur distributed food packets to poor at various locations during Covid-19.

Zonal Office, Vijayawada distributed blankets and food items to differently-abled students of Vijaya Mary Integrated School.

Zonal Office Patna distributed walkers to differently-abled persons at Bihar College of Physiotherapy, Patna.

Zonal Office, Surat distributed daily ration to poor people at various locations across Surat City

Zonal Office, Bangalore distributed essential food items to stranded migrant workers due to Covid-19.

Zonal Office, Ranchi distributed food packets & masks to the poor villagers of Jharkhand state during pandemic Covid19.

Zonal Office, Guwahati distributed blankets to the differently-abled staying at Mission of Charity, Shanti Dan.

Inauguration of Incinerator Machine at Government Rajaji Hospital, Madurai sponsored by Zonal Office, Madurai

Bank distributed umbrellas to police personnel in Chennai to help them manage in scorching heat during COVID lockdown.

Zonal Office Hyderabad observed International Day of Persons with Disabilities by distributing utility items to 120 people at Home for Disabled, Bansilalpet, Secunderabad.

Zonal Office, Salem sponsored automated thermal scanner to Salem Municipal Corporation during corona outbreak.

Zonal Office, Kancheepuram distributed breakfast to 100 police personnel and volunteers during lockdown for three weeks

Shri K.G.M Faizani, Zonal Manager, Karim Nagar Zone distributing essential items during COVID 19

Tiruvallur Bazaar Branch handing over masks and sanitizer tanks to Tiruvallur District Collector

Mask Distribution by Branches under Ludhiana Zone

Zonal Office, Vellore donated N-95 masks to Vellore Collectorate

Bank donated 4 food serving trolleys to Little Drops Old age Home under its CSR.

31. SPORTS

In FY21, Banks Sports association could conduct limited sport activities/tournaments following the Govt. advisory due to COVID 19 pandemic.

Executive Cricket Match: Ms Padmaja Chunduru, MD & CEO of the Bank presenting mementos to Shri M K Bhattacharya, Executive Director during Indian Bank Executive Cricket Match for MKB Cup held at Chennai

Volleyball: IndianBank Volleyball team won the State Level Invitation Volleyball tournament held at Tirunelveli conducted by Tirunelveli District Volleyball Association on 13th & 14th February 2021. Indian Bank beat TN State Police in the finals

Para Shooting: Ms Pooja Agarwal, (Assistant Manager, Punjabi Bagh Branch) represented Indian Para Shooting Squad. Recently she participated in World Cup organised by International Para Olympic Committee from 15th to 26th March 2021 held at Dubai, UAE. She finished 15th & 14th in world ranking in the competition of 25m Pistol & 10m Air Pistol events respectively.

Cricket: Indian Bank Cricket team won the Dr.YSR Cup-T20 Invitation Cricket League Tournament played at Kadappa from 16th to 19th March 2021 conducted by Kadappa District Cricket Association, Andhra Pradesh.

32. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- In line with the Annual Programme released by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Bank frames a detailed annual plan for implementation of Official Language and same is being communicated to all the Zonal Offices. Moreover, every year, Bank issues a Master Circular for ensuring compliance of Official Language Policy of the Government of India.
- In addition to Bank's in-house magazine "Ind-Chhavi" published by Corporate Office, in-house magazines to promote Official Language are published by Zonal Offices on a Quarterly/ Half-year basis. The articles published in the in-house magazines have special emphasis on Banking topics. In order to encourage and motivate the employees, the author of each article is honoured with a book.
- This year has been very impressive for the Official Language department (OLC). The amalgamated entity has received two 'Rajbhasha Kirti' awards viz. Bank's in – house magazine 'Ind–Chhavi' was conferred with the award and the erstwhile Allahabad Bank was selected for the award by the Government of India for implementation of Official Language.
- Due to the COVID19 pandemic, as per the guidelines of the Government of India, Corporate Office organized various Hindi competitions online for staff members. On the occasion of Hindi Month 2020, staff members and their children spiritedly participated in all such competitions conducted from 18.08.20 to 24.08.20. Hindi Day, Hindi Week etc. were also celebrated at Zonal Offices.

- **On the eve of Hindi Day(14th September 2020), MD & CEO inaugurated 'Rajbhasha - An Introduction' video** digitally during the valedictory function. This video was prepared in bilingual form for assisting the staff members. It has been made available in the Bank's Training Portal "e – Pathshala".

- OLC published "Simple Hindi Notes used in Daily Operation" on the occasion of New Year 2021 to help Officers and Executives of the Bank to promote Official Language in their day to day work.
- In order to create awareness on global pandemic COVID-19, stickers made by the Department have been affixed on the letters/circulars sent/dispatched.
- Hindi Words are being displayed on the help desk on the Bank's Intranet site to assist the employees of the Bank to learn Hindi.
- With the aim of motivating and encouraging staff members, inspirational quotes of great personalities are being displayed in Hindi on the helpdesk -> intranet from 4th February 2021.
- Website of the bank is bilingual. It is being updated from time to time. The bank's mobile app Ind-Oasis is available in 13 languages including English and Hindi.
- In order to monitor the implementation of Official Language at the Zonal office level, the online Official Language Inspection of Zonal Offices was done as per the 'Annual Plan'.
- During the valedictory function of Hindi Month 2020, MD & CEO encouraged the participants of online competitions by distributing prizes.

- Information relating to amalgamation such as tenders, banners, promotional materials etc. were provided in Hindi.
- All the necessary forms and formats provided to the customers, banners, posters, pamphlets etc. are made in bilingual / trilingual.
- The bank's monthly e-newspaper 'Ind Navya' is being published in bilingual form.
- The Bank's Internet Banking and Mobile Banking 'Frequently Asked Questions (FAQ)' has been made available in bilingual form.
- Official Language-related inspections of branches are being done regularly by the Official Language Officers, wherein desk training is being impart to the staff members to ensure the implementation of the official language.
- Regular meetings of Official Language Implementation Committee are being organized in Corporate Office and Zonal Offices.
- The bank is giving special emphasis to training staff members through Hindi workshops. Due to COVID -19 pandemic, Corporate Office and Zonal offices have organized Hindi workshops online.
- Bank is the convener for the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in various regions. Corporate Office has organized half-yearly meetings and various programs of the TOLIC (Banks and Financial Institutions) Chennai from time to time.
- Zonal offices of Vijayawada, Kolkata-1 and Hyderabad have been awarded by the concerned TOLICs for excellent implementation of the Official Language.

Business Responsibility Report – 2020-21

Reg 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	ibinvestorrelations@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2020-21
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company **No of Locations**	
I. National	6004 as on 31.03.2021
II. International	3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	The Bank has branches in 29 states and 6 UTs and International presence in Singapore and Sri Lanka

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹ 1129 Crores
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹ 45,185 Crores
3) Total profit After Tax(INR)	₹3005 Crores
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹ 202.54 Lakhs

5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred

Sl. No.	CSR activity	Amount (₹ in Lakhs))
1.	Inclusive Growth	188.43
2.	Financial Literacy & Enhancing Vocational Skills 4.76	
3.	Green Initiatives and Environment Sustainability	7.61
4.	Gender Equality and Women Empowerment	1.56
5.	Specific needs of the senior citizens	0.18
	Total	**202.54**

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Ind Bank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	No, Both the subsidiaries of the Bank are listed entities.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30% - 60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	07561455
Name	Shri. V.V.Shenoy
Designation	Executive Director

II. **Details of the BR head – as below**

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri Sudhakara Rao K S
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 - 28134566
5	e-mail-id	Sudhakar.rao@indianbank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	**www.indianbank.in**								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						NA			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Business Responsibility Report forms part of Annual Report and made available on Bank's website www.indianbank.in. ▪ It is published Annually as part of Annual Report.

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	● In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ● The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2018" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ● Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers. ● Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. ● Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in

	• "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank • The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	

Particulars	Customers	Shareholders
No. of complaints pending at the beginning of the year	16804	Nil
No. of complaints received during the year	321876	55
No. of complaints redressed during the year	326846	55
No. of complaints pending during the year	11834	Nil
% age of complaints resolved	96.5%	100 %

Principle 2 : : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities ➢ Self Help Groups (SHGs) ➢ Financial Literacy Centres (FLCs) ➢ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) The Bank believes that a sustainable growth incorporates environment protection. In this direction, the Bank has always laid emphasis on initiatives that contribute to betterment of environment such as: i. Provision of energy efficient LED fixtures. ii. Provision of Roof top solar panels in Bank's own buildings. iii. Sewage Treatment Plant at Corporate Office.

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	• Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. • Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. • Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems • New branches illuminated with LED lighting only. • Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 1317 branches / 24-Offices are provided with LED lighting. • Through STP, the sewage water was circulated and about 17,000 liters of water per day is recycled, thereby a saving of Rs.5.60 lakh p a towards water charges.
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce the transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 17,000 liters / day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees	42601(41557*)
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	-
3. Please indicate the number of permanent women employees	12131 (11932*)
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	1058
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	Officers:77.40 % Award Staff: 70.22 %

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year Complaints	

Complaints	Child labour	Forced labour	Involuntary labour	Sexual harassment
Number received	0	0	0	1
Number Pending	0	0	0	0

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

SL No	Type of training	No. of participants
1.	Training imparted through e-Pathshala	9490
2.	Online training from home	10822
3.	Online training from workplace	1991
	Total	**22303**

* - Domestic excluding Part Time Sweepers as on 31.03.2021

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes ● Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, Individuals etc
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes ● Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Mudra loans etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	● Indian Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded people under PMJDY ● Indian Bank has provided financial counseling to 6.49 lakh individuals up to March 2021 through 42 FLCs since inception. ● Indian Bank has established 37 RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) and imparted self employment trainings to 82781 individuals through 2997 batches up to March 2021, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Yes ● Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

Particulars	Customers	Shareholders
No. of complaints pending at the beginning of the year	16804	Nil
No. of complaints received during the year	321876	55
No. of complaints redressed during the year	326846	55
No. of complaints pending during the year	11834	Nil
% age of complaints resolved	96.5%	100 %

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	• Gardens / green spots are maintained at prime locations. • Bank has planted tree saplings pan India to address the issue of greenery & global warming.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	**YES** **PREMISES:** • As the part of the green initiatives, all payments to vendors, suppliers etc are made through electronic channels, viz., direct credit / NEFT / RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made) • Introduction of Solar Power and LED lights at Bank owned premises • Bank owns 252 properties in India and 2 properties in Singapore. • Bank has put in place uniform policies for Premises Expenditure , Purchases Contracts, Printing and Stationery, Air-Conditioning, Auto mobiles, Telephone / Cell Phone and has adopted the same at all branches / Zones **GREEN INITIATIVES:** **A. Solar Power and LED lighting** • Harnessing of Solar power to Corporate Office, this is already under Green Building (Gold Rating Status). By adopting alternatives sources of energy, as a public Sector Bank the Bank has joined hands with other entity to form Green India. • Expanding the Solar Power Plant installation network in Bank's own building, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on Energy consumption by about 4 to 5 percent. • Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems • New branches illuminated with LED lighting only. • Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 1317 branches / 24-Offices are provided with LED lighting. **B. OTHER GREEN INITIATIVES** • Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices. • Provision of timers for auto cut off of Air Conditioners installed at branches and Offices, installations of harmonic filters and usage of Star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle? If yes details thereof	Indian Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at 42 centres spread across Tamil Nadu (15 centres), Uttar Pradesh (13 centres), Kerala (3 centres), Haryana (3 centres), Andhra Pradesh (2 centres), Jharkhand (2 centres), Madhya Pradesh (1 centre), Puducherry (1 centre), Maharashtra (1 centre) & West Bengal (1 centre) out of which Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi region and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 6.49 lakh individuals were provided financial counseling through these 42 FLCs. Indian Bank has established RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in 37 centres spread across Tamil Nadu (14 centres), Uttar Pradesh (15 centres), Jharkhand (3 centres), West Bengal (2 centres), Andhra Pradesh (1 centre), Madhya Pradesh (1 centre) & Puducherry (1 centre). So far a total of 82781 candidates were given self employment training in 2997 Batches through these INDSETIs since inception. During 2020-21, 555 training programmes have been conducted and training imparted to 15155 candidates. Indian Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 179.26 lakh customers in the villages covered under financial inclusion and Overdraft facilities to the extent of Rs.28.83 crore have also been extended to the account holders.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for imparting training to the poor and downtrodden people and conducts various training programmes.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs. During the year 2019-20, out of 33 RSETIs for which grading was done, 31 institutes have obtained AA grades, one AB grade and one BA grade. The grading for 2020-21 is yet to be done.
4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR 'and the details of the projects undertaken	During the year 2020-21, the Bank has contributed an amount of Rs. 2.00 crore to the Trust (IBTRD) towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighbouring bank branches to enable the candidates to stand on their own legs.

6. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so provide details thereof in about 50words or so.	Through 42 FLCs, 6.49 lakh individuals have been counselled since inception. During 2020-21, 1.36 lakh individuals have been counselled. So far 37 INDSETIs have Trained 82781 candidates through 2997 Batches of training programmes since inception. During 2020-21, 555 training programmes have been conducted and training imparted to 15155 candidates.

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Indbank Merchant Banking Services Ltd and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Tamil Nadu Grama Bank; headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (UT of Puducherry)
- The bank network of the three RRBs increased by 11 Branches during the year from 898 as of March 2020 to 909 Branches as of March 2021.
- The total business of the three RRBs was 47754.41 crores as of March 2021 as compared to ₹ 38943.27 Cr as of March 2020.
- Saptagiri Grameena Bank has 225 Branches with Total Business of ₹15436.45 Crores. (Deposits ₹ 8028.04 crore and Advances ₹ 7408.41 crore)
- Tamil Nadu Grama Bank has 640 Branches with Total Business of ₹30586.59 Crores. (Deposits ₹14858.82 crore and Advances - ₹15727.77 crore)
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 44 Branches with Total Business of ₹1731.37 Crores. (Deposits ₹895.28 crore and Advances ₹ 836.09 crore)
- TNGB is having CRAR of 12.34, SGB is having CRAR of 13.55 and PBGB is having CRAR of 12.06
- All the three RRBs are profit making RRBs.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 9.72 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 8.14 lakh beneficiaries under PMSBY, 3.78 lakh beneficiaries under PMJJBY and 23283 under APY Scheme.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	3.5%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks (additional information)	NA
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2020-21

Details required for incorporating in Corporate Governance Report

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and three Executive Directors are the Whole Time Directors appointed by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director (in our case one) are nominated /appointed by Govt. of India.

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank :-

- Management Committee of the Board (MCB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- IT Strategy Committee (IT Com)
- Customer Service Committee (CSC)
- Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) (SCMLVF)
- Share Transfer Committee (STC)
- Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- H R Committee (HR com)
- Committee for monitoring of Recovery (CMR)
- Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (BACDC)
- Review Committee for Wilful Defaulters (RCWD)
- Review Committee for Non Co-operative Borrowers (RCNCB)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2021 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
1	Ms. Padmaja Chunduru	MD & CEO	21.09.2018	1. Management Committee of the Board 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Wilful Defaulters 10. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 11. Credit Approval Committee	Member on the Board of Life Insurance Corporation of India Nominee Director / Non-executive Chairperson in Universal Sompo General Insurance Company Limited Representative member of commercial banks on the Governing Board of National Institute of Bank Management.	5000
2	Shri. V V Shenoy	Executive	01.12.2018	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee 5. Committee of Directors (Vigilance) 6. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 7. IT Strategy Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Share Transfer Committee (Chairman) 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee	Director in Universal Sompo General Insurance Company Limited	5000

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
3	Shri. K Ramachandran	Executive Director	01.04.2020	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee (As Invitee) 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee 5. Committee of Directors (Vigilance) 6. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 7. IT Strategy Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Share Transfer Committee 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee	Director in Ind Bank Housing Ltd and Indbank Merchant Banking Services Ltd.	Nil
4	Shri. Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2021	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee (As Invitee) 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee 5. Committee of Directors (Vigilance) 6. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 7. IT Strategy Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Share Transfer Committee 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee	Nominated to the Board of National Payments Corporation of India	695
5	Shri. Sanjeev Kaushik	Govt. Nominee Director	24.01.2020	1. Audit Committee of the Board 2. Committee of Directors Vigilance)	-	Nil

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
				3. HR Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. IT Strategy Committee. 6. Board Committee for Performance Evaluation 7. Nomination and Remuneration Committee 8. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 9. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases		
6	Shri. S K Panigrahy	RBI Nominee Director	26.04.2019	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance)	-	Nil
7	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2021	1. Audit Committee of the Board (Chairman) 2. HR Committee 3. IT Strategy Committee (Chairman) 4. Share Transfer Committee 5. Board Level Appellate Comm. for Disciplinary Cases 6. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman) 7. Nomination and Remuneration Committee 8. Stakeholders Relationship Committee (Chairman) 9. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 10. Risk Management Committee 11. Customer Service Committee 12. Review Committee for Wilful Defaulters 13. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers	Chairman of Aparajitha Corporate Services Private Limited Director in 1. Dinram Holdings Pvt Ltd 2. Dasa Consulting Pvt Ltd 3. Aparajitha Dynamic Synergies Pvt Ltd 4. Aparajitha Property Shelters Pvt Ltd 5. Aparajitha Partnering Progrez Pvt Ltd. 6. Aparajitha Total Solutions Pvt Ltd. 7. Aparajitha Software Services Pvt Ltd 8. Edsix Brainlab Pvt Ltd	300

Note:

(I) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.

(ii) There is no inter-se relationship between Directors.

(iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2020-21 and that the reporting structures of the listed entity, formal and informal are in consistent with the same.

(iv) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.

(v) During FY 2020-21, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.

(vi) The first term of Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director ended on 20.12.2020 and he was re-elected as Shareholder director on 07.02.2021.

2.6 The profiles of the directors who were appointed/nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2020-21 are furnished hereunder:

2.6.1 K. Ramachandran, Executive Director:

Shri K Ramachandran, had assumed office as Executive Director of Indian Bank on 1st April, 2020, subsequent to Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank. He has taken charge as Executive Director of Allahabad Bank with effect from 26th December 2018. He is a Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Computer Application. He joined Corporation Bank as Probationary Officer in May 1985 and had worked in Branches, Corporate Office and other Controlling Offices. He was part of the core team involved in the design, development and implementation of the total Branch Automation, Internet Banking and Mobile Banking application of Corporation Bank. As Assitant General Manager, Priority Sector he had implemented the voice enabled Point of Transaction, Hand Held Terminals used by Business Correspondents. Shri Ramachandran held independent charge of Alternate Channels, Credit Monitoring verticals and had headed Thane Zone of Corporation Bank. On elevation to General Manager Cadre, he was heading Chennai Circle of Corporation Bank from April 2016.

2.6.2 Dr Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director

Dr. Bharath Krishna Sankar was elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from December 21, 2017. He is a Post Graduate in Commerce, a national gold medalist (topper in both Inter and Final) in Chartered Accountancy and an Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India. His doctoral thesis is on "Determinants of entrepreneurship and its impact on MSME sector sustainability in Madurai District". He has rich experience in Business Management, Finance, HR & Training. The term of appointment of Dr. Bharath Krishna Sankar had ended on December 20, 2020. He has been re-elected as Shareholder Director with effect from February 07, 2021.

2.6.3 Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director

Shri Imran Amin Siddiqui is an Engineering Graduate from HBTU, Kanpur and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He started his banking career with erstwhile Allahabad Bank as a SSI Field Officer on 28th December, 1987. He is having diversified experience of more than 33 years in field of banking. He has worked in rural, semi-urban, urban and metro center branches as well as administrative offices. He has worked as Zonal Manager in different Zones like Kolkata Urban, Barasat of e- Allahabad Bank and has headed the entire West Bengal & all the North East States as Field General Manager. He has also headed different verticals like Credit Department, Credit Monitoring Department and Resources & Government Relationship Department etc., at the Corporate Office/Head Office.

2.7 The details of cessation of directorship during FY 2020-21 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	30.06.2020	Expiry of term of appointment
2.	Shri M K Bhattacharya	Executive Director	30.11.2020	Superannuation
3.	Shri Salil Kumar Jha	Part time Non Official Director	26.12.2020	Expiry of term of appointment
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	20.12.2020	Expiry of term of appointment

3) Credentials of members of Board of Directors:

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Core Skill/ Expertise/ competencies
1	Ms. Padmaja Chunduru	MD & CEO	Executive	M.Com, CAIIB	Banking
2	Shri V V Shenoy	Executive Director	Executive	B.Com, CAIIB	Banking
3	Shri K Ramachandran	Executive Director	Executive	M.Sc	Banking
4	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	Executive	B.Sc, B. Tech, CAIIB	Banking
5	Shri Sanjeev Kaushik	Govt. Nominee Director	Non Executive-Nominee	MBA from London Business School Mechanical Engineering from BITS Pilani.	Admin and Finance
6	Shri S K Panigrahy	RBI Nominee Director	Non Executive-Nominee	M. Sc (Physics)PGDM (Finance)CAIIB	Banking supervision
7	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	Non Executive-Independent Director	B.com, M.com, Ph.D in commerce, FC A, ACMA	Business Management, Finance and HR & Training

3.1 Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2020-21:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2020-31.03.2021):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	ITCom.	SCMLVF	CSC	H R Com	STC	CAC	CFMR	BACDC	BACDC	NRC	RCWD	BC PE
1	Ms. Padmaja Chunduru	18	22	-	9	4	-	8	4	4	5	-	24	4	-	-	-	1	-
2	Shri M K Bhattacharya*	12	15	10	5	2	2	5	3	3	3	-	11	2	-	-	-	-	-
3	Shri V V Shenoy	19	23	15	9	4	3	8	4	4	5	1	24	4	-	-	-	-	-
4	Shri K Ramachandran	19	23	15	9	4	3	8	4	4	5	1	24	4	-	-	-	-	-
5	Shri Imran Amin Siddiqui	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
6	Shri Sanjeev Kaushik	12	-	9	-	3	-	6	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	2
7	Shri S K Panigrahy	18	20	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Shri Salil Kumar Jha**	13	17	-	6	-	2	6	4	3	4	-	-	3	-	-	-	1	-
11	Shri Vinod Kumar Nagar***	3	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Dr. Bharath Krishna Sankar****	17	-	14	3	-	3	8	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	2

* ED upto 30.11.2020.

** Part time Non-Official Director upto 26.12.2020

*** Shareholder Director upto 30.06.2020

****Shareholder Director upto 20.12.2020. Re-elected as Shareholder Director with effect from 07.02.2021.

During the financial year 2020-21, 19 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details are given below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1	12.05.2020	9	9
2	23.06.2020	9	9
3	29.06.2020	9	7
4	17.07.2020	8	8
5	30.07.2020	8	8
6	14.08.2020	8	7
7	29.08.2020	8	7
8	29.08.2020 Seq.Board	8	7
9	14.10.2020	8	8
10	22.10.2020	8	7
11	26.11.2020	8	8
12	27/28.11.2020	8	7
13	18.12.2020	7	6
14	22.01.2021	5	5
15	06.02.2021	5	5
16	05.03.2021	6	6
17	05.03.2021 Seq Board	6	6
18	11.03.2021	7	7
19	25.03.2021	7	6

4. Committees of the Board:

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is re-constituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The composition of Management Committee of the Board as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO		Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director		Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director		Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director		Member
5.	Shri S K Panigrahy, RBI Nominee Director		Member

4.1.2 Details of meetings:

The Committee met 23 times during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	27.04.2020	6	6
2.	14.05.2020	6	6
3.	29.05.2020	6	6
4.	18.06.2020	6	6
5.	30.06.2020	6	5
6.	16.07.2020	6	6
7.	31.07.2020	6	6
8.	21.08.2020	6	6
9.	04.09.2020	6	6
10.	18.09.2020	6	6
11.	28.09.2020	6	6
12.	16.10.2020	6	6
13.	29.10.2020	6	5
14.	13.11.2020	6	6
15.	30.11.2020	6	6
16.	11.12.2020	5	4
17.	24.12.2020	5	4
18.	11.01.2021	4	4
19.	30.01.2021	4	4
20.	12.02.2021	4	4
21.	05.03.2021	4	4
22.	19.03.2021	5	5
23.	30.03.2021	5	5

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

- The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is re-constituted from time to time. Its terms of reference include the following:
- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports and all the issues/concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.

- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The composition of Audit Committee of the Board as on 31.03.2021 stands as under:-

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
4.	Shri S K Panigrahy, RBI Nominee Director	Member
5.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Invitee
6.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Invitee

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, 15 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	11.05.2020	5	5
2.	23.06.2020	5	5
3.	29.06.2020	5	4
4.	17.07.2020	4	4
5.	29.07.2020	4	3
6.	14.08.2020	4	3
7.	16.09.2020	4	4
8.	13.10.2020	6*	6*
9.	22.10.2020	6*	6*
10.	16.11.2020	5*	5*
11.	17.12.2020	4*	4*
12.	22.01.2021	6*	4*
13.	22.02.2021	6*	4*
14.	10.03.2021	6*	5*
15.	25.03.2021	6*	5*

*Including invitee

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was re-constituted from time to time. The functions/ responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The composition of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

Shri Rajesh Mahajan, domain expert was Special Invitee to Committee meetings

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met 9 times during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	12.05.2020	6	6
2.	18.07.2020	5	5
3.	27.08.2020	5	5
4.	16.09.2020	5	5
5.	09.11.2020	6*	6*
6.	16.12.2020	5*	5*
7.	23.02.2021	4*	4*
8.	11.03.2021	5*	5*
9.	24.03.2021	5*	5*

*Including Special Invitee

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee was reconstituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The composition of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
6.	Shri S K Panigrahy, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	18.06.2020	6	6
2	27.08.2020	6	6
3	17.12.2020	5	4
4	25.03.2021	6	5

4.5 Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member

4.5.2 Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The role of the committee inter-alia include:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

4.5.3 Details of meetings

The Committee held 3 meetings during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	29.08.2020	5	5
2	14.10.2020	5	5
3	10.03.2021	3	3

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (IT Com.):

The members of the IT Strategy Committee (IT Com.) as on 31.03.2021 were as under:

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar Shareholder Director	Chairman
2.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Member
3.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
4.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
5.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
6.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

Shri Ramnath Chintagunta, domain expert was Special Invitee to Committee meetings.

4.6.2 Details of meetings:

This Committee held 8 meetings during the period from 01.04.2020-31.03.2021, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	11.05.2020	7	7
2	29.07.2020	7	7
3	27.08.2020	7	7
4	14.10.2020	7	7
5	09.11.2020	7	6
6	16.12.2020	6	6
7	22.02.2021	5	5
8	10.03.2021	5	4

4.7 Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

4.7.1 Composition of Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The composition of the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member
6.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) held 4 meetings during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	Number of Directors Attended the meeting
1	29.05.2020	6	6
2	18.07.2020	6	6
3	17.10.2020	6	6
4	17.12.2020	5	5

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and was reconstituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The composition of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2021 stands as under:-

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	18.06.2020	6	6
2	27.08.2020	5	5
3	14.10.2020	5	5
4	23.02.2021	4	4

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee was reconstituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2021 were as under:-

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

4.9.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021.

4.10 Board Committee for Performance Evaluation:

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs and EDs and to set up KRAs of MD & CEO for recommending to Board. The Committee is re-constituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The composition of the Board Committee for Performance Evaluation of the Board as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1	16.12.2020	2	2
2	05.03.2021	2	2

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee has been reconstituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2021 were as under:

1.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Chairman
2.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
3.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	23.02.2021	1	1

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Committee was reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:-

- Managing Director & Chief Executive Officer
- Executive Directors
- The General Manager (Corporate Credit)

- The General Manager (Midcorp/MSME)
- General Manager (Finance / Accounts)
- General Manager (submitting the Credit & Expenditure proposals)
- General Manager (CRO) and CCO are attendees

As different General Managers / Department Heads are dealing with Credit & Expenditure Proposals, the General Manager / Department Head concerned shall be a member of the Committee for the respective proposal.

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held 24 meetings during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of members on the Credit approval Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	18.04.2020	4	4
2.	16.05.2020	4	4
3.	03.06.2020	4	4
4.	14.07.2020	4	4
5.	05.08.2020	4	4
6.	28.08.2020	4	4
7.	11.09.2020	4	4
8.	25.09.2020	4	4
9.	09.10.2020	4	4
10.	23.10.2020	4	3
11.	06.11.2020	4	4
12.	21.11.2020	4	4
13.	04.12.2020	3	3
14.	07.12.2020	3	3
15.	19.12.2020	3	3
16.	29.12.2020	3	3
17.	13.01.2021	3	3
18.	30.01.2021	3	3
19.	22.02.2021	3	3
20.	06.03.2021	3	3
21.	19.03.2021	4	4
22.	25.03.2021	4	4
23.	29.03.2021	4	4
24.	30.03.2021	4	4

4.13 Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non-Cooperative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non-Cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines and was reconstituted from time to time.

4.13.1 Composition of the Review Committee for Non-Cooperative Borrowers:

The composition of the Review Committee for Non Cooperative Borrowers as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

4.13.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021.

4.14 Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. The Committee was reconstituted from time to time.

4.14.1 Composition of Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The members of the Election Committee of the Board as on 31.03.2021 were as under:

1.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021.

4.15 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is reconstituted from time to time.

4.15.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2021 were as under were as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director	Member
5.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member
6.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

Shri Kamlesh R Patel and Prof Vasanthi Srinivasan, HR experts are special invitees for HR Committee meetings.

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met 5 times during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	18.06.2020	7	7
2.	29.07.2020	7	7
3.	14.10.2020	7	7
4.	16.12.2020	6	6
5.	10.03.2021	5	4

4.16 Review Committee for Willful Defaulters:

Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 30.03.2015. committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee was reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters Review Committee of the Board as on 31.03.2021 were as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Dr. Bharath Krishna Sankar, Shareholder Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:-

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1	18.06.2020	3	3

4.17 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as SAC, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.17.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The composition of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2021 stands as under:

1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	Chairperson
2.	Shri V V Shenoy, Executive Director	Member
3.	Shri K Ramachandran, Executive Director	Member
4.	Shri Imran Amin Siddiqui ,Executive Director	Member
5.	Shri Sanjeev Kaushik, GOI Nominee Director	Member

4.17.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1.	29.07.2020	6	5
2.	16.11.2020	6	5
3.	17.12.2020	5	5
4.	22.02.2021	4	4

5. Remuneration to Directors :

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as per Government of India /RBI guidelines.

The details of salary including incentives paid to the Whole-Time Directors of the Bank past and present, i.e. Managing Director & CEO and Executive Directors (EDs) during the financial year 2020-21 are as under:

Sl. No.	Name	Basic Pay (Rs.)	Dearness Allowance (Rs.)	Arrear (Rs.)	Incentives/ Other allowances (Rs.)	1 day Leave Encashment to PM Relief Fund (Rs.)	Total(Rs.)
1.	Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO	2595900.00	441303.00	-	-	8534.53	3045737.53
2.	Shri V V Shenoy, ED	2234700.00	379899.00	-	-	7344.70	2621943.70
3.	Shri K Ramachandran, ED	2234700.00	379899.00	-	-	6872.81	2621471.81
4.	Shri Imran Amin Siddiqui, ED (From 10.03.2021)	125470.97	21330.06	-	-		146801.03
5.	Shri M K Bhattacharya, Ex-ED (ED upto 30.11.2020)	1545600.00	262752.00	-	-	7792.40	1816144.40

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of Rs.40,000/- for attending Board Meetings and Rs.20000/- for Committee Meetings, Rs.10,000/- extra for chairing Board Meetings and Rs.5000/- for chairing Committee Meetings with effect from 18.01.2019 (Subject to Rs.15 lakh per annum). Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed/nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

6. Familiarization Programmes:

Details of familiarization programmes imparted to independent Directors is available on Bank's website, www.indianbank.in.

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Twelfth Annual General Meeting	Thursday, the June 28, 2018 at 10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2018, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
Thirteenth Annual General Meeting	Thursday, the June 27, 2019 at 10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2019, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
Fourteenth Annual General Meeting	Friday, the August 07, 2020 at 11.00 a.m.	Through VC/OAVM	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

7.1 No special resolution was passed in aforementioned three Annual General Meetings.

7.2 **The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 07.08.2020:**

Ms Padmaja Chunduru	MD & CEO (In the chair)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director
Shri V V Shenoy	Executive Director
Shri K Ramachandran	Executive Director
Shri Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director & Chairman ACB
Shri Salil Kumar Jha	Part time Non Official Director and Chairman of Stakeholder Relationship Committee of the Board

7.3 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2020-21. However, the shareholders of the Bank passed the following Special Resolutions:

7.4 **In the Extraordinary General Meeting held on 30.11.2020:**

To utilize an amount of Rs.18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) out of an amount aggregating to Rs.19,833,14,85,004.17 (Rupees nineteen thousand eight hundred thirty three crore fourteen lakh eighty five thousand four and paise seventeen only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as at April 01, 2020 by transfer to the accounts representing accumulated losses under Reserves & Surplus of the Indian Bank, (Amalgamated Bank) for adjustment of the debit balance (accumulated losses) aggregating to Rs.18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) as at April 01, 2020, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current FY 2020-21.

7.6. **In the Extraordinary General Meeting held on 02.03.2021:**

To create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of Rs.10 (Rupees ten only) aggregating to not more than Rs.4000 crore (Rupees four thousand crore only) whether at a premium or at a discount to the market price, in one or more tranches by way of QIP/FPO/Right Issue or in combination thereof.

8. **Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism:**

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website www.indianbank.in

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

9. **Disclosures:**

a. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

b. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.

c. The Bank has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable to Nationalized Banks.

d. Bank has formulated a 'Policy for determining material subsidiary' and the same is available on Bank's website, viz., www.indianbank.in .

e. The Bank is having two listed subsidiary companies namely Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited. None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides two subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely Universal Sompo General Insurance Company Ltd. and ASREC (India) Ltd.

f. In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. During the financial year 2020-21, one (01) complaint was received and it was resolved.

g. We have obtained a Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory Authority.

h. A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the Financial year 2020-21 is annexed to this report.

I. Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2019-2020: 2.64 Cr

j. A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated in Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.

Management discussion and analysis report forms part of the Directors' Report.

k. Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished hereunder:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results had been published in the newspapers, uploaded in Bank's website and is available on the websites of the stock exchanges.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2020-21 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer.	Appointment of Chairman is to be made by Government of India
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.

10. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2020-21, the quarterly/half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express (English), Business Standard (English), Jansatta (Hindi), Business Standard (Hindi), Dinamani (Tamil) etc. The results are also displayed on the web site of the Bank www.indianbank.in

The presentation made to the analysts/institutional investors if any, are also hosted on the Bank's Website www.indianbank.in

11. General Shareholders Information:

11.1 Particulars of 15th Annual General Meeting:

Day and Date	Friday, 16th July 2021
Time	11.00 a.m.
Venue	AGM will be held through VC/ Other Audio Visual Means (OAVM), as such the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

11.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April 2021 to March 2022

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2021 - July- August, 2021

September 30, 2021 - October- November, 2021

December 31, 2021 - January- February, 2022

March 31, 2022 - Audited Annual Accounts: April- May, 2022

11.3 Record Date for Dividend Payment:

Friday, the 09th July 2021

11.4 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM and Dividend Payment:

Book Closure- Saturday, the 10th July 2021 to Friday the 16th July 2021 (Both days inclusive)

11.5 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.2.00 per equity shares i.e. 20.00% of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2020-21.

11.6 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under:-

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001	INDIANB / 532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2021-22 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

11.7 Compliance Officer

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri Bimal Shah, Company Secretary, was the Compliance Officer upto 30.06.2020. However, Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank with effect from 01.07.2020.

11.8 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2020-21 were as under:

Month	NSE			BSE			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	
April - 20	55.55	42.70	454.79	55.65	42.65	27.62	482.41
May - 20	50.90	43.20	265.49	51.45	43.25	22.30	287.79
June - 20	72.95	44.05	1,553.97	72.90	44.30	1,16.23	1670.2
July - 20	69.00	57.05	541.21	68.95	55.15	39.67	580.88
August - 20	71.85	57.05	661.88	71.75	57.85	41.63	703.51
September - 20	65.70	53.10	193.74	66.70	53.20	15.23	208.97
October - 20	63.45	56.20	184.65	63.30	56.30	13.00	197.65
November - 20	68.80	57.55	335.94	68.70	56.55	22.75	358.69
December - 20	97.75	66.85	1,460.75	97.75	66.90	93.33	1554.08
January - 21	98.80	85.35	1,069.80	98.65	85.10	59.87	1129.67
February - 21	157.00	87.50	2,007.35	156.90	87.55	119.46	2126.81
March - 21	143.95	112.00	449.28	143.95	112.10	38.83	488.11

11.9 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty-50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	Nifty-50 (Closing)	S&P BSE Sensex (Closing)
April - 20	43.95	8253.80	28265.31
May - 20	47.05	9293.50	31715.35
June - 20	46.5	9826.15	33303.52
July - 20	65.75	10430.05	35414.45
August - 20	58.1	10891.60	36939.6
September - 20	64.75	11470.25	38900.8
October - 20	57.2	11416.95	38697.05
November - 20	58.45	11669.15	39757.58
December - 20	69.15	13109.05	44655.44
January - 21	88.35	14018.5	47868.98
February - 21	94.7	14281.2	48600.61
March - 21	137.5	14761.55	49849.84

11.10 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai – 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

11.11 Share Transfer System:

1. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 as amended, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. This measure has come into effect from April 01, 2019. However Investors are not prohibited to hold shares in physical form even after April 01, 2019.
2. Any investor who is desirous of transferring shares (which are held in physical form) after April 01, 2019 can do so only after the shares are dematerialized.
3. The transmission or transposition of physical shares are effected with the approval of the Share Transfer Committee of the Bank.

11.12 Distribution of shareholding as on 31.03.2021:

Shareholding	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	Number of Shares	Percentage of Total Shares (%)
1 - 500	314772	93.04	253679360	2.25
501 – 1000	13219	3.91	103601250	0.92
1001 – 2000	6278	1.86	92668730	0.82
2001 – 3000	1585	0.47	40168230	0.35
3001 – 4000	715	0.21	25621430	0.23
4001 – 5000	572	0.17	27129500	0.24
5001 – 10000	645	0.19	46643200	0.41
10001 & above	535	0.16	10704154000	94.78
TOTAL	**338321**	**100.00**	**11293665700**	**100.00**

11.13 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is INE562A01011.

As on 31.03.2021, 1127869328 equity shares constituting 99.87 % of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2021 are as under:

Shares held in		Number of shareholders	% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form		42968	12.70	1497242	0.13
Dematerialized form	NSDL	180382	53.32	107586493	9.53
	CDSL	114971	33.98	1020282835	90.34
Total		338321	100.00	11293665700	100.00

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2021 is 994549600 equity shares of ₹10/- each, which constitutes 88.06% of the paid up capital of the Bank.

11.14 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

11.15 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of Rs.9.48 crore up to 31st March, 2021 (previous year Rs. 8.82 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

11.16 Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website www.indianbank.in

11.17 Utilization of funds raised through issuance of Additional Tier 1 (AT 1) and Tier 2 Bonds:

During the FY2020-21, the Bank raised AT 1 capital in three Tranches aggregating to Rs.2000 Crore through private placement of Basel III compliant AT 1 Bonds and Tier 2 capital of Rs.2000 Crore through private placement of Basel III compliant Tier 2 Bonds.

The fund raised has been utilized for Regular Business activities, for strengthening the Capital Adequacy and for enhancing Long term resources.

12. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.), for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests/complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134698 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

12.1 Number of complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests/complaints received and resolved during the financial year 2020-21 and pending as on 31.03.2021 are as follows:-

Shareholding	Pending as on 01.04.2020	Received during 2020-21	Resolved during 2020-21	Pending as on 31.03.2021
Number of Complaints/requests	Nil	55	55	Nil

13. Disclosure with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2020	Shareholders-33 Shares-3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year i.e. 31.03.2021	Shareholders-33 Shares-3862

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India (President of India) -Promoter	1	994549600	88.06
2.	Mutual Funds	10	28992185	2.57
3.	Foreign Portfolio Investor(FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)	62	11468331	1.02
4.	Insurance Companies	8	20273490	1.80
5.	Financial Institutions/ Banks	5	22926	0.00
6.	Resident Individual	290828	50798903	4.50
7.	Body Corporate	836	3333685	0.30
8.	Directors and their relatives	5	11295	0.00
9.	Employees	33451	15433325	1.37
10.	Clearing Members	183	1143219	0.10
11.	Hindu Undivided Family(HUF)	3421	1710151	0.15
12.	NRI	2397	1472320	0.13
13.	Trust	20	149257	0.01
14.	Central Government/ State Government(s)/ President of India- Non Promoter	1	4021	0.00
15.	Unclaimed Demat suspense Account	2	3862	0.00
	TOTAL	331230	1129366570	100.00%

15. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

16. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2020-21. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.in

17. Details of Bonds/ Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2021:

Details of Bonds issued by the Bank outstanding as on 31.03.2021 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2021	Name of Credit Rating Agency (ies)	Percentage of Total Shares (%)
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series II	INE562A08057	1048	CARE AA/ Stable CRISIL AA/Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	**Axis Trustee Services Ltd.** The Ruby, 2nd Floor SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series III	INE562A08065	560			
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series IV	INE562A08073	392			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds series I	INE562A08016	600	CARE AAA/Stable CRISIL AAA/Stable		
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche A	INE562A08024	290			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche B	INE562A08032	110			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Tranche C	INE562A08040	600			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series I	INE428A08028	500	CRISIL AAA/Stable BWR AAA/Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	**IDBI Trusteeship Services Limited** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard, Mumbai – 400 001.
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000	CRISIL AAA/Stable BWR AAA/Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	**Axis Trustee Services Limited** The Ruby, 2nd Floor SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA/Stable INDR AA+/Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CARE Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series IV	INE428A08101	1500	CRISIL AAA/Stable INDR AA+/Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. & CRISIL Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series V	INE428A08101	1500	CARE AAA/ Stable CRISIL AAA/Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	
Total		**9600**			

18. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianbank.in

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

19. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached.

For and on behalf of the Board of Directors

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2021 in terms of Regulation 26(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.co.in

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year 2020-21

To,

The Members,
INDIAN BANK

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Indian Bank (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We have conducted online verification & examination of records, as facilitated by theBank, due to COVID-19 and for the purpose of issuing this Report.

Based on our verification of the Indian Bank books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Bank ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2021according to the provisions of:

(I) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made the reunder;- The IEPF related provisions are applicable.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Take-overs)Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;**(Not applicable)**

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buy back of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

(vii) The Banking Regulations Act, 1949

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(I) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(TO THE EXTENT APPLICABLE)**

(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As per Regulation 15(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other listed entities, which are not companies but body corporate, are subject to regulations under other statutes, the provisions of corporate governance as specified in Regulations 17 to 27 and 46(2)(b) to (i) and Paras C, D and E of Schedule V shall apply

to the extent that it does not violate their respective statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is not registered under the Companies Act, 1956/2013.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 are not compliable / applicable.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following Observation:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under Section 9 (3) (e)(f)& (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit report

(i) The Bank has raised Additional Tier 1 capital in three tranches aggregating to Rs.2000 crores through private placement of Basel III compliant AT 1 Perpetual Bonds in the quarter ended 31.12.2020 and Tier 2 Capital of Rs.2000 Crores through private placement of Basel III compliant Tier 2 Bonds in the month of January 2021.

(ii) The Government of India vide Gazette Notification No. G.S.R.156 (E) dated 04.03.2020 notified Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank Scheme, 2020 (The Scheme).

Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank came into force from 01.04.2020.

On the commencement of the Scheme, i.e. with effect from 01.04.2020, the undertakings of the Transferor Bank (Allahabad Bank) stand transferred to and vested in the Transferee Bank (Indian Bank)

Place : Chennai
Date : 01.06.2021

For V Suresh Associates
Practicing Company Secretaries

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. : 667/2020
UDIN: F002969C000406020

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,

The Members
Indian Bank
Chennai – 600014

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For V Suresh Associates
Practicing Company Secretaries

V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. : 667/2020
UDIN: F002969C000406020

Place : Chennai
Date : 01.06.2021

To

The Board of Directors
Indian Bank

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2020-21 and that to the best of our knowledge and belief:

(I) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are incompliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:

(I) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Arun Kumar Bansal)
General Manager & CFO

(Padmaja Chunduru)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 28, 2021

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the Financial year ended on March 31st, 2021, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

(a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent these do not violate RBI/Government of India guidelines.

(b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

For M/s K C MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FR No.106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M No. 047164)
UDIN:21047164AAAAEM9291

For M/s SRIRAMAMURTHY & CO.
Chartered Accountants
FR No.003032S

DONDETI TEJA SAGAR
Partner
(M No. 227878)
UDIN:21227878AAAAEP3128

For M/s RAVI RAJAN & CO. LLP
Chartered Accountants
FR No: 009073N/N500320

JAYANTH A
Partner
(M No. 231549)
UDIN:21231549AAAACT4199

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

V KOTHANDARAMAN
Partner
(M.No. 25973)
UDIN:21025973AAAABB7598

For M/s G. NATESAN & CO.
Chartered Accountants
FR No.002424S

K MURALI
Partner
(M.No. 024842)
UDIN:21024842AAAABZ8572

Place : Chennai
Date : May 28, 2021

STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2021

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2021 (Audited)	As on 31.03.2020 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1129 36 66	608 80 06
Reserves and Surplus	2	37282 57 83	21480 46 80
Deposits	3	538071 11 49	260225 89 70
Borrowings	4	26174 59 82	20830 30 96
Other Liabilities & Provisions	5	23347 36 19	6322 69 92
TOTAL		**626005 01 99**	**309468 17 44**
ASSETS			
Cash & Balances with R B I	6	27545 08 17	5736 12 43
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	26514 79 55	8188 55 97
Investments	8	176536 96 62	81241 68 80
Advances	9	364010 24 06	197887 01 15
Fixed Assets	10	7376 31 14	3895 74 42
Other Assets	11	24021 62 45	12519 04 67
TOTAL		**626005 01 99**	**309468 17 44**
Contingent Liabilities	12	293533 46 10	42576 86 28
Bills for Collection	-	12620 72 77	5994 96 94

* Figures of 31.03.2020 are related to standalone Indian Bank financials of pre-amalgamation period; hence not comparable with post amalgamation financials as at 31st March, 2021.

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M. No. 047164)

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

DONDETI TEJA SAGAR
Partner
(M. No. 227878)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

JAYANTH A
Partner
(M No. 231549)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

V.KOTHANDARAMAN
Partner
(M No. 25973)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

K MURALI
Partner
(M No. 024842)

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Schedule No.	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. INCOME			
Interest earned	13	39105 78 65	21404 96 92
Other Income	14	6079 25 38	3312 46 43
TOTAL		**45185 04 03**	**24717 43 35**
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	23439 83 90	13798 55 31
Operating expenses	16	10349 55 28	4420 83 92
Provisions & Contingencies	-	8390 97 08	5744 68 30
TOTAL		**42180 36 26**	**23964 07 53**
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit/Loss(-) for the year		3004 67 77	753 35 82
Profit/Loss(-) Brought forward		99 16 27	99 15 45
Less: Set off against Share Premium/other adjustments		-101 67 04	-
TOTAL		**3002 17 00**	**852 51 27**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		751 17 00	188 34 00
Capital Reserves		47 71 00	152 15 00
Revenue Reserves		1387 34 39	-
Staff Welfare Fund		25 00 00	15 00 00
Investment Fluctuation Reserve		464 91 00	389 99 00
Investment Reserve		-	7 87 00
Equity Dividend		225 87 33	-
Bal. carried over to Balance Sheet		100 16 28	99 16 27
TOTAL		**3002 17 00**	**852 51 27**
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		26.61	14.33

* Figures of 31.03.2020 are related to standalone Indian Bank financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials for the Year Ended March, 2021

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M. No. 047164)

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

DONDETI TEJA SAGAR
Partner
(M. No. 227878)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

JAYANTH A
Partner
(M No. 231549)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

V.KOTHANDARAMAN
Partner
(M No. 25973)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

K MURALI
Partner
(M No. 024842)

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

(₹ in Thousands)

SCHEDULE 1 - CAPITAL

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
Equity Shares:		
a. 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-50,80,80,023 Equity shares of Rs. 10/- each)	994 54 96	508 08 00
b. 13,48,16,970 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 10,07,20,557 Equity shares of Rs.10/- each)	134 81 70	100 72 06
Total	**1129 36 66**	**608 80 06**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I.	**STATUTORY RESERVES**		
	a. Opening Balance	4694 19 81	4505 85 81
	b. Additions during the year (*)	3955 55 70	188 34 00
	TOTAL I	**8649 75 51**	**4694 19 81**
II.	**CAPITAL RESERVES**		
A	Revaluation Reserve		
	a. Opening Balance	2987 84 42	3095 03 91
	b. Additions during the year (*)	2909 98 72	0
	c. Deductions during the year	142 86 51	107 19 49
	TOTAL (A)	**5754 96 63**	**2987 84 42**
B	**Others**		
	a) Opening Balance	388 55 24	236 40 24
	b) Additions during the year (*)	524 45 50	152 15 00
	TOTAL (B)	**913 00 74**	**388 55 24**
	TOTAL II (A + B)	**6667 97 37**	**3376 39 66**
III.	**SHARE PREMIUM**		
	Opening Balance	4026 65 23	1325 67 33
	Additions during the year (*)	15806 49 62	2700 97 90
	Deductions during the year	18975 52 95	0
	TOTAL III	**857 61 90**	**4026 65 23**
IV.	**REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	A) Revenue Reserve :		
	Opening Balance	7448 29 29	8265 03 80
	Additions during the year (*)	5533 16 14	0
	Tfrd from revaluation reserve	142 86 51	107 19 49
	Deductions during the year	0	923 94 00
	TOTAL (A)	**13124 31 94**	**7448 29 29**
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	Opening Balance	725 52 00	725 52 00
	Additions during the year (*)	1450 00 00	0
	TOTAL (B)	**2175 52 00**	**725 52 00**
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	Opening Balance	58 20 00	58 20 00
	Additions during the year	0	0
	TOTAL (C)	**58 20 00**	**58 20 00**
	D) Investment Fluctuation Reserve		
	Opening Balance	566 99 00	177 00 00
	Additions during the year	464 91 00	389 99 00
	TOTAL (D)	**1031 90 00**	**566 99 00**
	E) Investment Reserve		
	Opening Balance	47 79 22	39 92 22
	Additions during the year (*)	138 58 55	7 87 00
	TOTAL (E)	**186 37 77**	**47 79 22**
	F) Foreign Currency Translation Reserve		
	Opening Balance	437 26 31	380 59 24
	Additions during the year		56 67 07
	Deductions during the year	15 33 43	0
	TOTAL (F)	**421 92 88**	**437 26 31**

	G) IRS reserve		
	Opening Balance	0	0
	Additions during the year (*)	1 90 63	0
	Deductions during the year	0	0
	TOTAL (G)	**1 90 63**	**0**
	TOTAL IV (A + B + C + D + E + F + G)	**17000 15 22**	**9284 05 82**
V.	**AMALGAMATION RESERVE**		
	Opening Balance		
	Additions during the year	4006 91 55	0
	TOTAL V	**4006 91 55**	**0**
VI.	**PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	Opening Balance	99 16 27	99 15 45
	Additions during the year (*)	102 67 05	82
	Deductions during the year	19077 19 99	0
	Adjustments from Share Premium	18975 52 95	0
	TOTAL VI	**100 16 28**	**99 16 27**
	TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**37282 57 83**	**21480 46 80**

(*) Additions / deductions include e-AB reserves

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
A. I. DEMAND DEPOSITS		
I) From Banks	289 29 18	211 10 71
ii) From Others	32055 27 51	13337 91 83
TOTAL	**32344 56 69**	**13549 02 54**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**195250 29 37**	**76609 10 59**
III. TERM DEPOSITS		
I) From Banks	5323 09 87	4111 94 38
ii) From Others	305153 15 56	165955 82 19
TOTAL	**310476 25 43**	**170067 76 57**
TOTAL (I+II+III)	**538071 11 49**	**260225 89 70**
B. i) Deposits of branches in India	529264 23 30	252792 25 88
ii) Deposits of branches outside India	8806 88 19	7433 63 82
TOTAL	**538071 11 49**	**260225 89 70**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. BORROWINGS IN INDIA		
I) Reserve Bank of India	5032 04 04	11529 90 30
ii) Other Banks	13 72	10 88
iii) Other Institutions and Agencies *	14935 73 74	6418 86 00
TOTAL	**19967 91 50**	**17948 87 18**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	6206 68 32	2881 43 78
TOTAL (I+II)	**26174 59 82**	**20830 30 96**
Secured Borrowings included above	5032 04 04	11529 90 30

*** includes AT-1 Capital -Perpetual Debt Instrument of ₹ 2000 00 00 (P.Y. ₹ 500 00 00) and Tier II Capital - Subordinated debt of ₹ 7600 00 00 (P.Y. ₹ 2600 00 00).**

**** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances**

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Bills Payable	2822 90 69	494 00 20
II. Inter Office Adjustments(Net)	6228 15 32	-
III. Interest Accrued	1041 86 06	845 32 77
IV. Others(including Provisions) *	13254 44 12	4983 36 95
TOTAL	**23347 36 19**	**6322 69 92**

* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹ 282 68 255 (P.Y - ₹ 961 08 29)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1658 27 76	1006 08 85
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	25886 80 41	4730 03 58
TOTAL (I+II)	**27545 08 17**	**5736 12 43**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Account	95 08 44	5 35 06
b) in Other Deposit Accounts	2046 43 44	713 36 57
TOTAL (I)	**2141 51 88**	**718 71 63**
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	8900 00 01	2100 00 01
TOTAL (ii)	**8900 00 01**	**2100 00 01**
TOTAL (i + ii)	**11041 51 89**	**2818 71 64**
II. OUTSIDE INDIA		
I) in Current Accounts	1577 67 70	530 92 57
ii) in other Deposit Accounts	13866 22 54	4830 26 44
iii) Money at Call and Short Notice	29 37 42	8 65 32
TOTAL (i + ii + iii)	**15473 27 66**	**5369 84 33**
GRAND TOTAL (I +II)	**26514 79 55**	**8188 55 97**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	179570 44 81	81665 09 41
Less : Provision for Depreciation & NPI	3437 58 50	1282 86 31
Less: Provision on Security Receipts	1922 31 20	1311 53 07
Net Investments	**174210 55 11**	**79070 70 03**
I) Government Securities	157550 39 28	67537 87 44
ii) Other approved Securities	5 22 76	2 98 83
iii) Shares	986 58 19	351 87 70
iv) Debentures and bonds	13359 15 13	6715 54 67
v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	216 16 81	101 15 25
vi) Others	2093 02 94	4361 26 14
TOTAL	**174210 55 11**	**79070 70 03**

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	**2420 89 82**	**2268 26 80**
Less Provision for Depreciation & NPI	94 48 31	97 28 03
Net Investments	**2326 41 51**	**2170 98 77**
I) Government Securities (including local authorities)	2304 10 19	2149 36 57
ii) Other investments		
(a) Shares	59 71	43 53
(b) Debt Securities	21 71 61	21 18 67
TOTAL	**2326 41 51**	**2170 98 77**
NET GRAND TOTAL (I+II)	**176536 96 62**	**81241 68 80**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I) Bills purchased and discounted	2131 68 93	1453 59 19
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	221263 43 24	99136 74 77
iii) Term Loans	140615 11 89	97296 67 19
TOTAL	**364010 24 06**	**197887 01 15**
I) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	320789 57 49	161337 53 81
ii) Covered by bank/Government guarantee	22887 65 72	4056 48 84
iii) Unsecured	20333 00 85	32492 98 50
TOTAL	**364010 24 06**	**197887 01 15**
I. ADVANCES IN INDIA		
I) Priority Sector	157623 42 54	90415 78 93
ii) Public Sector	64398 77 88	17991 68 34
iii) Banks	169 24 06	772 90 59
iv) Others	131534 30 98	80515 67 81
TOTAL	**353725 75 46**	**189696 05 67**
II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
I) Dues from Banks	4475 58 45	2254 59 78
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	771 50 63	970 27 17
b) Syndicated loans	3526 55 17	3355 58 88
c) Others	1510 84 35	1610 49 65
TOTAL	**10284 48 60**	**8190 95 48**
GRAND TOTAL (I+II)	**364010 24 06**	**197887 01 15**

RIDF and PSLC had not been deducted or added from Priority Sector

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

	PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I.	**PREMISES (Incl. Revalued Premises)**		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet (*)	6853 35 76	3762 94 58
	Additions/Adjustments during the year	3 99 76	3 63 15
	Sub Total	6857 35 52	3766 57 73
	Deductions during the year	0	0
	Sub Total	6857 35 52	3766 57 73
	Depreciation to date (*)	1243 94 40	832 07 90
	TOTAL	**5613 41 12**	**2934 49 83**
II.	**LEASED ASSETS**		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet (*)	530 52 79	244 97 37
	Additions/Adjustments during the year	0	0
	Sub Total	530 52 79	244 97 37
	Deductions during the year	0	0
	Sub Total	530 52 79	244 97 37
	Depreciation to date (*)	42 92 70	4 52 05
	TOTAL	**487 60 09**	**240 45 32**
III.	**BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION**	**1 06 54**	**78 25**
IV.	**OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)**		
	At cost as per last Balance Sheet (*)	4121 12 83	2056 01 96
	Additions/Adjustments during the year	554 37 72	255 42 34
	Sub Total	4675 50 55	2311 44 30
	Deductions during the year	47 34 82	51 56 44
	Sub Total	4628 15 73	2259 87 86
	Depreciation to date (*)	3353 92 34	1539 86 84
	TOTAL	**1274 23 39**	**720 01 02**
	TOTAL (I+II+III+IV)	**7376 31 14**	**3895 74 42**

(*) Opening Balance of Cost/revaluation and depreciation to date include Assets taken over as part of amalgamation.

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Inter Office Adjustment (net)	0	2044 28 71
II. Interest Accrued	2766 81 86	1283 47 23
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	6625 26 70	4356 23 89
IV. Stationery and Stamps	46 37 53	17 56 30
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51 38 26	20 26 11
VI. Others*	14531 78 10	4797 22 43
TOTAL	**24021 62 45**	**12519 04 67**
* includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	1304 51 23	284 72 93

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Claims against the bank not acknowledged as debts*	953 36 91	651 26 63
II. Liability for partly paid investments	373 81 66	400 32 98
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	254856 84 39	20382 57 13
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	17792 78 38	8930 01 79
b) Outside India	379 99 49	382 63 47
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	9394 28 29	6401 33 66
VI. Other items for which the bank is contingently liable	9782 36 98	5428 70 62
TOTAL	**293533 46 10**	**42576 86 28**

* Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021 (Audited)	Y E 31.03.2020 (Audited)
I. Interest/Discount on Advances/Bills	27454 63 11	15933 04 15
II. Income on Investments	11166 89 38	5278 82 36
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	425 45 97	177 42 66
IV. Others	58 80 19	15 67 75
TOTAL	**39105 78 65**	**21404 96 92**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Commission, Exchange and Brokerage	753 08 93	338 66 77
II. Profit on Sale of Investments	2259 91 38	934 93 94
Less: Loss on Sale of Investments	135 67 19	55 20 58
Net	2124 24 19	879 73 36
III. Profit on revaluation of Investments	0	0
Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
Net	0	0
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	2 83 09	3 13 61
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	3 22 28	2 40 22
Net	- 39 19	73 39
V. Profit on exchange transactions (Net)	405 92 51	202 05 96
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	12 45 06	12 69 28
VII. Miscellaneous Income	2783 93 88	1878 57 67
TOTAL	**6079 25 38**	**3312 46 43**

* Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Interest on deposits	22220 79 49	12996 10 31
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	1048 64 54	757 94 57
III.Others	170 39 87	44 50 43
TOTAL	**23439 83 90**	**13798 55 31**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Payments to and provisions for employees	6378 23 81	2472 96 30
II. Rent, Taxes and Lighting	602 83 47	317 91 89
III. Printing and Stationery	57 65 50	30 54 18
IV. Advertisement and Publicity	11 66 17	8 83 46
V. Depreciation on Bank's property	632 87 20	313 63 06
VI. Directors' fees allowance and expenses	39 60	89 93
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	63 01 86	34 18 00
VIII Law Charges	20 19 41	8 58 34
IX. Postage, Telegrams and Telephones	117 18 86	51 66 96
X. Repairs and Maintenance	197 09 98	93 72 73
XI. Insurance	682 46 34	286 90 24
XII. Other Expenditure	1585 93 08	800 98 83
TOTAL	**10349 55 28**	**4420 83 92**

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/ Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).

ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/FBIL periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

ix. In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- Equity investment classified as NPI should be valued at market value, if quoted, and in case where equity is not quoted, it should be valued at Re.1

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that

would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

- **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:**

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(I) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for

reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

7.2. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economicbenefits from such assets on their functioning capacity.

7.3. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

S No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate / Useful Life
1.	Computers	33.33% every year
2.	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3.	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4.	Automated Teller Machine/Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5.	Servers	33.33% every year
6.	Network equipment	20.00% every year
7.	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises : 60 years Safes/Locker/Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

7.4. In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

7.5. Assets costing upto 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

7.6. The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

7.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

7.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease arerecognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.27	11.78
ii)	Tier I Capital ratio (%)	11.93	12.08
iii)	Tier II Capital ratio (%)	3.78	2.04
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	15.71	14.12
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India in public sector banks	88.06	83.46
vi)	Amount of equity capital raised	# 520.57	128.51
vii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instruments (PDI):	2000	NIL
viii)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)]	2000	NIL

Increase in capital in the FY 2020- 21 is due to amalgamation of erstwhile Allahabad Bank

2. INVESTMENTS

2.1. In In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.2021 are given hereunder:

(Amount ₹ in crore)

Classification	31/03/2021		31/03/2020	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	127975.51	72.04	46772.80	58.21
Available for Sale – AFS	49672.64	27.96	33580.76	41.79
Held for Trading – HFT	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross Total	177648.14	100.00	80353.56	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 19.50 against a stipulated maximum level of 22.50 (previous year works out to 17.08 as against a stipulated maximum level of 19.50).

2.2. Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments $		
(a) In India	177648.14	80353.56
(b) Outside India	2420.90	2268.27
(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
(a) In India	3437.58	1282.86
(b) Outside India	94.48	97.28

(iii) Net value of Investments		
(a) In India	174210.56	79070.70
(b) Outside India	2326.41	2170.99
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
(i) Opening Balance	3075.64**	1035.06
(ii) Add: Provisions made during the year	967.12	821.55
(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	605.17	573.75
(iv) Closing Balance	3437.58#	1282.86#

#Provision has not been made on shares issued in lieu of FITL for which Bank has not booked any income and holds an equivalent amount of interest realizable.

** The Opening Balance is as per the opening balance sheet of combined entity (IB and eAB)

$ Gross value of investments in India is after considering provision for security receipts ₹ 1922.31 Crore (Previous Year ₹ 1311.53 Crore)

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

(Amount ₹ in crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2021
Securities sold under repo				
I. Government securities	0.00	12227.00	6164.01	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	18900.00	5284.41	8900.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(Amount ₹ in crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF "BELOW INVESTMENT GRADE" SECURITIES	EXTENT OF "UNRATED" SECURITIES	EXTENT OF "UNLISTED" SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	22659.18	20507.29	0.00	175.36	19085.92
2	Fis	7290.60	5116.48	332.19	0.00	167.04
3	Banks	907.22	307.50	0.00	0.00	191.08
4	Private Corporate#	6633.03	6293.16	1121.39	3.50	4337.84
5	Subsidiaries/Joint Ventures	211.50	211.50	0.00	0.00	132.83
6	Others	293.90	213.17	0.00	0.00	213.17
7	Provision held towards depreciation & NPI	-3413.49	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	**34581.93**	**32649.10**	**1453.58**	**178.86**	**24127.67**

#This figure is net of hived off provision of ₹.1922.31 crore

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance	1623.51*	412.77
Additions during the year since 1st April	93.07	363.40
Reduction during the above period	17.85	4.86
Closing Balance	1698.73	771.32
Total Provisions held	797.45	425.08

*Opening balance is as per the opening balance sheet of the combined entity

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 85.00 Crore (previous year ₹ 271.10 Crore) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 47.71 Crore (previous year ₹ 152.15 Crore) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves).
- Shifting of securities

(I) In the beginning of the year, the Bank shifted

- SLR securities for Book Value of ₹17581.47 Crore from HTM to AFS which has resulted in no additional provision. Out of which SLR shifting is ₹17548.95 Crore & Non-SLR VCF securities for Book Value of ₹ 32.52 Crore with NIL depreciation provision from HTM category to AFS category and
- SLR securities for Book Value of ₹1358.97 Crore from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation for ₹2.32 Crore to reduce the book value to the market value. Out of which SLR shifting is ₹1347.97 Crore and NSLR shifting is ₹11 Crore

ii) During the year, the Bank shifted

- NSLR securities for Book value of ₹ 2942.92 crores from HTM category to AFS category on account of repayment of funds availed under TLTRO/TLTRO 2.0 before maturity
- NSLR securities for Book value of ₹325.00 crores from AFS category to HTM category as per the extended PCGS scheme

(ii) In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2020-21, a sum of ₹ 261.43 crores (previous year ₹ 90.58 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2020-21.

(Amount ₹ in crore)

Items	Current Year	Previous year
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreement.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The Bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sl No	Particulars	Current Year	Previous year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	NIL	225
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2020 (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective": (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2021 was ₹ Nil Crores (previous year ₹ Nil Crores).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2021 is ₹ Nil Crores and (previous year was ₹ Nil Crores)

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) For hedging				
	b) For trading	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	Marked to Market Positions(1)				
	a) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Liability (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	Credit Exposure(2)	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	Likely impact on one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	2.47
	Minimum	0.00	0.00	0.00	1.23

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.37	3.13
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	* 41997.71	13353.45
(b) Additions during the year	9429.55	5320.50
(c) Reductions during the year	12971.91	4523.11
(d) Closing Balance	38455.35	14150.84
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	* 14272.33	6793.11
(b) Additions during the year	7196.53	3778.48
(c) Reductions during the year	9197.73	4387.35
(d) Closing Balance	12271.13	6184.24
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	* 27274.26	6131.86
(b) Provisions made during the year	6663.77	4254.77
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	8297.85	2871.16
(d) Closing Balance	25640.18	7515.47

* Opening balance is as per the opening balance sheet of the combined entity

4.1.2 Disclosure on Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

In terms of the RBI circular no. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated 1st April 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBIs annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied : (a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 percent of the published incremental Gross NPAs for the reference period. As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBIs annual supervisory process for FY2020. However, the bank has fully provided for divergences pointed out by RBI in its RAR report for F.Y.2019-20.

4.1.3 Details of Resolution Plans implemented during the year 2020-21 in terms of RBI circular no DBR no BP.BC. 45 / 21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019::

Resolution plan in terms of RBI circular DBR no.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 has been successfully implemented in our NPA accountM/s Jaiprakash Power Ventures Ltd o/s as on 31.12.2020 – ₹.90.81 crore.

Resolution period extended in any accounts as provided in para 3 & 4 of RBI circular No.DOR No.DP.BC.62/21.04.48/ 2019-20 dt. 17.04.2020: NIL

4.2.1 Disclosure of Restructured Accounts - as on 31-03-2021

	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total				
	Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
Sl No	Details																						
1	Restructured Accounts as on April 1 of FY 2020 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	1	0	4	1	6	40414	5786	731	8	46939	20341	941	2180	40	23502	60756	6727	2915	49	70447
		2	Amount Outstanding	0.00	0.00	387.37	77.65	465.02	2099.67	262.95	173.41	1.44	2537.47	1485.88	202.62	1668.53	143.29	3500.32	3585.55	465.57	2229.31	222.38	6502.81
		3	Provision thereon	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	23.07	2.80	0.16	0.00	26.03	9.27	0.02	12.14	0.00	21.43	32.34	2.82	13.15	0.00	48.31
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2021	4	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	19457	1314	333	4	21108	7098	642	812	2	8554	26555	1956	1145	6	29662
		5	Amount Outstanding	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62	2501.18	158.98	113.22	0.77	2774.15	1485.95	66.64	886.77	44.38	2483.74	3987.13	225.62	1004.61	45.15	5262.51
		6	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	1.18	-3.87	-0.01	-3.52	19.38	0.01	-2.80	0.00	16.59	18.56	1.19	-6.67	-0.01	13.07
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2021	7	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	291	-281	-10	0	0	39	-23	-16	0	0	330	-304	-26	0	0
		8	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70	-14.07	-40.63	0.00	0.00	152.42	-151.25	-1.17	0.00	0.00	207.12	-165.32	-41.80	0.00	0.00
		9	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	0				0	-5390				-5390	-8593				-8593	-13983				-13983
		11	Amount Outstanding	0.00				0.00	-238.65				-238.65	-321.63				-321.63	-560.28				-560.28
		12	Provision thereon	0.00				0.00	-1.25				-1.25	-5.19				-5.19	-6.44				-6.444
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2021	13	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0.00	-5705	-4597	10215	7	-80	-2648	-557	3277	8	80	-8353	-5154	13492	15	0
		14	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-521.69	-162.94	668.86	3.44	-12.33	-185.68	-37.66	200.75	34.92	12.33	-707.37	-200.60	869.60	38.37	0.00
		15	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.40	-2.25	8.06	0.01	-1.58	-2.48	0.05	2.74	1.27	1.58	-9.88	-2.20	10.80	1.28	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2021	16	Number Of Borrowers	-1	0	0	0	-1	-5118	-777	-108	-1	-6004	-3163	-190	-321	-9	-3683	-8282	-967	-429	-10	-9688
		17	Amount Outstanding	0.00	0.00	-9.58	0.00	-9.58	-195.95	-12.55	-30.86	-0.56	-239.92	-352.71	-8.34	-115.78	-1.85	-478.68	-548.66	-20.89	-156.22	-2.41	-728.18
		18	Provision thereon	0.00	0.00	-0.86	0.00	-0.86	-3.43	-0.01	-3.47	0.00	-6.92	26.73	0.00	-11.62	-1.27	13.84	23.30	-0.01	-15.96	-1.27	6.06
7	Restructured Accounts as on Mar 31st 2021 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	0	0	4	1	5	43949	1445	11161	18	56573	13074	813	5932	41	19860	57023	2258	17097	60	76438
		20	Amount Outstanding	0.00	0.00	382.41	77.65	460.06	3699.26	232.37	884.00	5.09	4820.72	2264.23	72.01	2639.10	220.74	5196.08	5963.49	304.38	3905.50	303.49	10476.86
		21	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	1.71	0.86	0.00	12.75	47.72	0.08	0.45	0.00	48.25	57.91	1.79	1.30	0.00	61.00

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)
\# Opening balance is as per the opening balance sheet of the combined entity

S No. 2 includes ₹ 3710.95 Crore of fresh restructuring and further debits / disbursements to existing restructured account as on 31.03.2021 - ₹ 1551.56 Crore
S No.6 includes fresh write off ₹ 0.01 cr and closer/ sale to ARC - ₹ 204.90 cr decrease in balance - ₹ 523.27

4.2.2 MSME DISCLOSURE

Based on RBI Circular DBR No: BP.BC 18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 and BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 the Bank has restructured MSME accounts as detailed below:

	No. of accounts	Balance outstanding in these accounts as on 31.03.2021 (Amount of ₹ in Crore)
Accounts Restructured	95862	4414.93
Of which, slipped to NPA	15963	839.10
Net standard Advances		3575.83

Standard asset provision required for these accounts as per above RBI circular: 0.25 % + Additional provision of 5%=5.25% i.e.₹3575.83* 5.25% = ₹187.73 Crore

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

4.3.1. Details of Sales

(Amount ₹ in crore)

Items	2020-21	2019-20
(i) No. of Accounts	709	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	11.35	NIL
(iii) Aggregate consideration	48.84	NIL
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	1.96	NIL
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	39.45	NIL

4. 3.2 Book Value of Security Receipt (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	Current year	Previous Year
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	3854.53	2336.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	**3854.53**	**2336.73**

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1086.55	2708.01	59.97
	Provision held against (i)	230.62	819.94	59.06
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ Non banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i)+(ii)	**1086.55**	**2708.01**	**59.97**

4.3.3 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
1. (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
1. No. of accounts sold	709	NIL
2. Aggregate Outstanding	128.96	NIL
3. Aggregate consideration received	48.84	NIL

4.3.4. Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in crore)

	2020-21	2019-20
Provisions towards Standard Assets	2826.83	961.08

4.4 COVID-19 Measures

4.4.1 The spread of COVID-19 across the globe resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. Though the calibrated and gradual withdrawal of lockdown by the government had led to resumption of economic activities, the current second wave of COVID 19 pandemic, has resulted in imposition of localised / regional lockdown measures in various parts of the country. In this situation, the challenges continue to unfold and the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same and is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, to the business environment. Considering the regulatory actions, Government intervention to support the economic recovery, the Bank expects realisable value of the assets not to be significantly impacted

4.4.2 In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated 27th March, 2020,17th April, 2020 and 23rd May 2020, and clarification issued by RBI through Indian Banks' Association, dated 6th May 2020, the Bank has granted moratorium on the payment of installments and / or interest, as applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 ('moratorium period') to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on 29th February, 2020 without considering the same as restructuring. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days past-due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. The Bank holds provisions as on 31st March 2021 against the potential impact of COVID-19 based on the information available up to a point in time. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank:

(Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31st March, 2021
1.	Advances outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package (total outstanding)	NIL
2	Advances outstanding where asset classification benefits is extended (total outstanding)	NIL
3	Provisions made during FY 2020-21	1517.53
4	Provisions adjusted during FY 2020-21	1517.53
5	Total provisions held as on 31.03.2021	NIL

4.4.3 The Honourable Supreme Court of India, in its interim order dated September 3, 2020 in the Public Interest Litigation case of Gajendra Sharma vs Union of India & Anr has directed Banks that the accounts which were not classified as NPA till August 31, 2020 should not be so classified till further orders of Supreme Court. Pursuant to the order, the Bank did not classify any domestic borrowal account which had not been classified as NPA as at August 31, 2020 as per RBI Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters, as NPA after August 31, 2020. However, as a matter of prudence, the Bank made an additional provision of ₹ 1517.53 Cr till 31.12.2020.

In view of the above, and pursuant to the Supreme Court's final order dated March 23, 2021 and in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 issued in this connection, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms with effect from 01.09.2020 and utilized the above provisions towards provision on these accounts.

4. In accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of COVID 19 regulatory package", the Bank shall refund / adjust 'interest on interest' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities has been circulated by the Indian Banks' Association (IBA) as required by RBI notification. Accordingly the bank has created an estimated liability of ₹ 230 Crore towards interest relief. The bank has reversed the same from interest income.

5. Business Ratios

Particulars	2020-21	2019-20
(I) Interest Income as a percentage to Working Funds	6.56	7.26
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.02	1.12
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.91	2.20
(iv) Return on Assets (%)	0.50	0.26
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	22.17	24.62
(vi) Profit per employee (₹ Crore)	0.07	0.04

6. Asset Liability Management

(Amount ₹ in crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	4649.65	11479.41	7776.47	11310.75	16085.01	15716.12	33232.35	54155.98	68082.80	25241.73	290340.83	538071.12
Borrowings	1291.41	5180.22	97.35	80.48	452.39	781.95	2255.33	3434.67	4600.80	5500.00	2500.00	26174.60
Investments*	54012.41	2857.14	1230.50	3400.33	1281.89	1457.08	7206.61	13026.40	15800.44	5848.82	69980.92	176102.54
Advances	6334.18	5102.45	15768.16	5860.84	12746.00	9365.18	24866.05	40684.33	137366.03	54342.68	51574.33	364010.24
*Excludes 50% of listed equities of ₹ 434.43 Crore of which												
Foreign Currency Liabilities	1311.60	619.23	134.27	1009.26	1580.47	1985.09	2551.50	3143.35	3088.18	777.00	679.44	16879.39
Foreign Currency Assets	301.53	590.40	281.70	1945.51	1665.49	1743.19	3167.52	1506.50	2181.39	567.69	184.51	14135.43

7. Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount ₹ in crore)

Category	31.03.2021	31.03.2020
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	39600.06	21438.09
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	17181.98	9051.73
(ii) Commercial Real Estate -	7932.84	3822.07
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	NIL	NIL
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporation (HFCs)	23729.22	11842.40
Total Exposure to Real Estate Sector	**71262.12**	**37102.56**

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount ₹ in crore)

Items	31.03.2021	31.03.2020
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	997.88	448.41
b) In Bonds / Convertible Debentures	977.59	68.71
d) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	54.93	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	15.16	18.03
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances;	NIL	NIL
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	121.50	20.25
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	82.23	20.05
Total Exposure to Capital Market	**2249.29**	**575.45**

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Amount ₹ in crore)

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021*	Exposure (Net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020
Insignificant	10888.46	NIL	5333.55	3.18
Low	4706.67	NIL	4290.33	NIL
Moderate	3085.07	NIL	117.79	NIL
High	0	NIL	0.11	NIL
Very High	0	NIL	0	NIL
Restricted	0	NIL	0	NIL
Off-credit	0	NIL	0	NIL
Total	**18680.20**	NIL	**9741.78**	**3.18**

*There is a retrieval of provision of Rs.7.27 crore this quarter, provided on 31.12.2020
**As per the updated country risk classification by the ECGC as on 31.03.2021

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analyzed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2021 and such exposure to countries is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank.(In previous year in respect of Singapore , which was classified under "Insignificant" risk category by ECGC LTD, a provision of ₹.3.18 Crore was made)

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

(Amount ₹ in crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
----------	----------	NIL	----------	----------

7.5 Unsecured Advances

Out of the total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc. charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL. Estimated total value of such intangible collateral is NIL

7.6 Provision for Income Tax for the year

(Amount ₹ in crore)

	2020-21	2019-20
Provision for Taxation (IncomeTax including Deferred Tax)	-99.10	619.37

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2021 was ₹.3953.36 Crore (previous year ₹.4129.14 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of ₹ 7584.17 Crore (previous year ₹ 4396.00 Crore) relating to disputed tax matters as at 31.03.2021. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

8 Disclosure of Penalties imposed by RBI

a) During the year RBI has imposed of ₹ 12.01 lakhs (142 entries) (Previous Year ending 2019-20 ₹ 16.82 lakhs, 155 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.

Disclosure of Penalties imposed by GOI

No penalties are levied/paid during the year 2020-21 for Government transactions

Disclosure of Penalties imposed by IT

Income tax department has imposed penalty of ₹.0.24 lacs on Alipur branch for not delivering Form 16A of FY 2018-19 to customer in time.

8.1 Fixed Assets

8.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of ₹.983.38 Cr ore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2020-21, depreciation amounting to ₹114.43 Crore (Previous Year ₹110.49 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to ₹142.87 Crore (previous year ₹107.20 crore) is adjusted against the"Revaluation Reserve account'.

As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to ₹142.87 Crore was also charged under expenditure for the year 2020-21.The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

There is a change in the estimated useful life of Fixed Assets. The impact due to the change is increase in depreciation and decrease in net profit for the year ended 31.03.2021 by ₹82.38 crores.

8.1.2 Registration formalities are yet to be completed for the following properties:

IB Premises:

Premises include 4 properties costing ₹3.59 Crore (Previous year 4 properties costing ₹3.59 Crore) having original/revalued book value of ₹45.59 crore (Previous year – ₹48.04 crore), net of depreciation at ₹1.17 Crore (Previous year ₹1.17 crore) for which registration formalities are pending.

e-AB Premises:

Premises include 5 (3+2*) properties costing ₹ 4.79 cr (Previous year – 5 (3+2*) properties costing ₹ 4.79 cr), having original/revalued book value of revalued book value of ₹ 14.15 crore (Previous Year – ₹14.32 crore), net of depreciation at ₹.0.23 crore (Previous year – 0.23 crore) for which registration formalities are pending.

*Property at Hyderabad costing ₹ 1.61 crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹ 2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.

Combined Entity:

Premises include 9 (7+2*) properties costing ₹ 8.38 crore (Previous year : 9(7+2*) properties costing ₹.8.38 crore), having original/revalued book value of ₹ 59.74 crore (Previous year – ₹ 62.36 crore), net of depreciation at ₹ 1.40 crore (Previous year : ₹ 1.40 crore) for which registration formalities are pending

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 Cash Flow Statement (AS 3) :

Cash Flow statement for the Year Ended March 31,2021		
	Year ended 31.03.2021	**Year ended 31.03.2020**
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
Net Profit as per Profit and Loss Account	**30046777**	**7533582**
Adjustments for :		
Provision for for NPA	73184606	43358373
Provision for for Investment	4276778	3913030
Provision for for Standard Assets	4694004	1429444
Provision for Tax	(990977)	6193684
Other Provisions and Contingencies	2745298	2552298
Depreciation on Fixed Assets	6328720	3136306
Interest on Capital Instrument	6439760	2776814
Loss/(profit) on sale of land and buildings	3919	(7339)
Income taxes paid	0	(7900000)
Profit before working Capital Changes	**126728885**	**62986192**
Increase/Decrease in Operating Assets		
Increase / (Decrease) in Investments	(150563787)	(166408167)
Increase/(Decrease) in advances	(302528578)	(209131864)
Increase / (Decrease) in other assets	(29155843)	(18996441)
	(482248208)	**(394536472)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	495212542	181499502
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	(72784108)	86927667
Increase/(Decrease) in other liabilities	103715023	(20885612)
	526143457	**247541557**
Net cash generated from operations (A)	**170624134**	**(84008723)**
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(5586490)	(2590730)
Sale of fixed assets	154985	118368
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(5431505)**	**(2472362)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	0	0
Payment of distribution tax	0	0
Issue of AT-1 Bonds	20000000	0
Issue of Tier - 2 Bonds	20000000	0
Redemption of AT 1 Bonds	(5000000)	0
Redemption of Tier 2 BondsI	(10000000)	0
nterest on Capital Instrument	(6319416)	(2770750)
Capital Received towards Share	0	28294878
Amount paid to e-AB Shareholder (for fraction part)	(25076)	0

Net cash generated from financing activities (C)	**18655508**	**25524128**
Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)	**217503795**	**0**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	**401351932**	**(60956957)**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	10060885	10307547
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	47300358	106711096
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	53506	28027
(b) in other deposit accounts	7133657	7114575
Money at Call and short notice with Banks	21000001	22000000
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	5309257	2036553
(b) in other deposit accounts	48302644	51684718
Money at call and short notice	86532	321281
	139246840	**200203797**
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	16582776	10060885
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	258868041	47300358
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	950844	53506
(b) in other deposit accounts	20464344	7133657
Money at Call and short notice with Banks	89000001	21000001
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	15776770	5309257
(b) in other deposit accounts	138662254	48302644
Money at call and short notice	293742	86532
	540598772	**139246840**
Difference in Opening and closing cash and cash equivalents	401351932	(60956957)

Note:-

1. Figures of the previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform to current period classification.
2. The Cash flow statement for the ended March 31, 2021 has been prepared by Indirect Method after giving effect of amalgamation in the Balance Sheet for the year ended 31.03.2020.

9.2 Property, Plant and Equipment (AS-10)

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹.142.87 crore and lowering the net profit by ₹.142.87 crore.

9.3 Amalgamation of Erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank

9.3.1 In exercise of powers conferred by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act of 1970 (5 of 1970) after consultation with the Reserve Bank of India, The Government of India (GOI) has notified the Scheme of Amalgamation (referred As per the GOI gazette notification dated March 4, 2020, the Scheme came into force on the 1st day of April, 2020. On the commencement of the Scheme, the undertakings of the Transferor Bank shall be transferred to and shall vest into the Transferee Bank.

9.3.2 In consideration of the transfer of and vesting of the undertaking of the Transferor Bank, equity shares of face value of ₹10 each fully paid-up (rank pari passu in all respect and have the same rights attached to them as the then existing equity shares of Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that may be declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) in the Transferee Bank was issued to shareholders whose names were recorded in the register of members of the Transferor Bank as on the record date determined by the Transferee Bank for this purpose. Details are as below

Name of Transferor Bank	Share exchange Ratio
Allahabad Bank	115 equity shares of Indian Bank of face value of 10/- each fully paid up for every 1000 equity shares of Allahabad Bank of face value of 10/- each fully paid up

Further, the Transferee Bank has paid cash in respect of entitlements to fraction of equity shares wherever so determined

9.3.3 Disclosures as per para 24 of AS 14 —"Accounting for Amalgamations" is as under:

i) The general nature of business of the amalgamating company i.e. Allahabad bank is same as that of the Banking business of Indian Bank i.e Banking;

ii) The amalgamation is accounted under the 'pooling of interest' method as prescribed in AS-14 "Accounting for amalgamation". All assets and liabilities (including contingent liabilities), duties and obligations of transferor Bank are proposed to be recorded in the books of account of transferee Bank at their existing carrying amount and in the same form as on April 01, 2020 except for adjustments to bring uniformity of accounting policies as required under AS-14. Any changes required to be made in liabilities / assets (including those consequent to changes in Accounting Standards) after the date on which the scheme came into force has been made subsequently in the books of account of the Transferee Bank.

iii) The amount of Share Capital issued by Transferee Bank amounting to ₹ 520.57 Crore (52,05,65,990 equity shares of face value ₹ 10 each issued at par) has been adjusted against the corresponding share capital of the Transferor Bank and the balance of ₹ 4006.91 crore has been adjusted to the Amalgamation Reserve. Cash in lieu of fractional entitlement of shares amounting to ₹ 2.51 Crore were paid.

iv) Summarized values of assets and liabilities transferred in accordance with the terms of the Scheme are as detailed below:

Particulars	eAB
Assets Taken Over	
Cash and Balances with RBI	7366.61
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	14383.82
Investments	80666.58
Advances	142964.78
Fixed Assets	3510.42
Other Assets	9109.91
Total Assets (A)	258002.12
Liabilities Taken Over	
Reserves and Surplus	8135.29
Deposits	228608.51
Borrowings	9102.57
Other Liabilities and Provisions	7628.27
Total Liabilities (B)	253474.64
Net Assets C=(A-B)	4527.48

Indian Bank and Allahabad bank have merged during the year. Though Indian Bank and Erstwhile Allahabad Bank had the same IT infrastructure, due to different policies and parameterization, there were challenges faced during integration. This has also thrown up operational difficulties of integration and differences in figures during the year end. The Management is in the process of carrying out a migration audit. Errors if any will be corrected after the integration is completed. In Management's estimate the impact of the same to the financial statement is not expected to be material

9.4 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.4.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2020-21, the Bank has contributed ₹1.07 Crore (previous year ₹ 0.56 cr)

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2020-21, the Bank has contributed ₹ 153.31Crore(previous year ₹ 58.41 cr)

9.4.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2021**	**31/03/2020**
Discount Rate -G-Sec Rate	6.87% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.44% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper	6.89% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.82% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	6.89% for Pension and 6.86% for Gratuity	8.05% for Pension and 7.74% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* * Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

Mortality table: Indian Assured Life Mortality (2012-14) ultimate.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	**Pension Fund**		**Gratuity**		**Leave Encashment**	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
PVO as at the beginning of the year	**13995.78**	**6520.32**	**1868.46**	**923.85**	**826.09**	**188.20**
Interest Cost	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
Current service cost	229.80	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-69.4	-17.77
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	1542.88	-449.26	-23.06	61.23	-7.62	5.90
PVO as at the end of the year	**15319.48**	**6801.95**	**1848.22**	**928.98**	**977.42**	**210.29**

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	13918.80	6418.93	1929.03	923.85	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
Contributions	1495.93	446.42	50.70	69.64	215.94	17.77
Benefits paid	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-215.94	-17.77
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-193.89	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**14961.61**	**6697.41**	**1897.26**	**896.40**	**0.00**	**0.00**

*Data not available

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Expected return on plan assets	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	-193.39	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
Actual return on plan assets	910.53	521.65	140.57	68.15	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1542.88	-449.25	+23.06	-24.74	7.62	5.90
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	-36.48	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	-193.89	13.33	+14.15	2.71	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90
Actuarial gain/(loss) recognised in the year	**-1736.77**	**-435.92**	**+37.21**	**-58.51**	**7.62**	**5.90**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Present value of the obligation	15319.48	6801.96	1848.22	928.98	977.42	210.29
Fair value of plan assets	14961.61	6697.41	1897.26	896.40	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-357.87	-104.55	49.04	-32.58	977.42	-210.29
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**210.29**

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Current service cost	229.79	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
Interest Cost	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
Expected return on plan assets	-1104.42	-508.32	-126.42	-65.44	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1736.77	435.92	-37.21	58.51	7.62	5.90
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1776.82**	**449.57**	**62.23**	**102.22**	**220.73**	**39.86**

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity Fund		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Opening net liability	-76.98	-101.39	60.57	-13.19	-826.09	-188.21
Expense as above	-1776.82	-449.58	-62.23	-89.02	-220.73	-39.86
Contribution paid	1495.93	446.42	50.7	69.64	69.4	17.77
Closing net liability	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**-210.30**

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2016-21 - Pension	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48
Plan Assets	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61
Surplus/ (Deficit)	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	357.87
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	1542.88
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32	193.89

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2016-21 - Gratuity	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	831.94	900.9	964.99	923.85	928.98	1848.22
Plan Assets	829.38	876.81	932.55	910.66	896.40	1897.26
Surplus/ (Deficit)	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-24.2	-87.34	-36.2	-2.11	-61.22	23.06
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	2.71	14.15

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2016-21- Leave Encashment	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	977.42
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2020-2021		2019-2020	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	36.76%	28.00%	55.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.64%	12.98%	40.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.00%	1.00%	-
Funds managed by Insurer	47.21%	58.60%	4.00%	100.00%
Private Sector Bonds	0.33%	0.42%	-	-
Money Market	-	-	-	-
Total	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

(Amount ₹ in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR**	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	1400	50	240

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹. 50.12 crore (previous year ₹ 3.71 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount ₹ in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2021	31/03/2020
1.	Sick Leave	15.28	1.44
2.	Casual Leave	0.16	0.12
3.	Leave Travel Concession	34.68	2.15
	Total	**50.12**	**3.71**

No.	Long Term Employee Benefits	Opening Balance 01.04.2020	Expenditure 2020-21	Addition 2020-21	Closing Balance 31.03.2021
1	Sick Leave	7.38	0	15.28	22.66
2	Casual Leave	0.71	0	0.16	0.87
3	Leave Travel Concession	53.80	18.56	34.68	69.62
Total		**14.87**	**18.56**	**50.12**	**93.45**

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.5 Accounting Standard - 17 "Segment Reporting"

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank: -

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

I. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate /

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

i.Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii.Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India

III.Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated

(Amount ₹ in crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Revenue	14002.34	6360.25	17708.42	8257.78	13021.62	9532.64	452.66	271.11	45185.04	24421.78
Result	6204.56	2092.05	2843.03	1824.77	2084.26	2072.26	263.80	216.16	11395.65	6205.24
Unallocated expenses									8490.07	5128.16
Operating Profit									2905.58	1372.73
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	295.65
Income Taxes									-99.10	(619.37)
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									3004.68	753.36
Other information										
Segment Assets	216026.72	91370.17	248990.98	104502.35	182696.29	117426.74	0 .00	0.00	647713.99	313299.26
Unallocated assets									(21708.97)	(3831.09)
Total assets									**626005.02**	**309468.17**
Segment Liabilities	182491.24	82590.87	229897.04	91493.87	168782.65	103057.81	0.00	0 .00	581170.93	277142.55
Unallocated liabilities									6422.14	10236.35
Capital, Reserves & Surplus									38411.95	22089.27
Total liabilities									**626005.02**	**309468.17**

		Part B Geographic Segments				
	Domestic		**International**		**Total**	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
Revenue	44857.79	24269.13	327.25	448.30	45185.04	24717.43
Assets	611587.18	299875.18	14417.84	9592.99	626005.02	309468.17

Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

9.6 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

I) Tamilnadu Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Joint Ventures:

I) Universal Sampo General Insurance Company Ltd

ii) ASREC (India) Ltd

d) Key Managerial Personnel:

Ms. Padmaja Chunduru	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 21.09.2018)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017 upto 30.11.2020)
Shri Shenoy Vishwanath V	Executive Director (w.e.f. 01.12.2018)
Shri K Ramachandran	Executive Director (w.e.f. 01.04.2020)
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director (w.e.f. 10.03.2021)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Bharath Krishna Sankar	300
	TOTAL	**300**

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 102.52 lakhs (Previous-year ₹ 98.16 lakhs)

	2020-2021	2019-20
Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.17 to 03.04.17)	-	₹ 6.00 lakhs
Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	₹ 30.46 lakhs	₹ 31.70 lakhs
Shri Subramania KumarSalary & Emoluments Paid	-	₹ 2.00 lakhs
Shri A S Rajeev, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2018 to 30.11.2018)	-	₹ 2.66 lakhs
Shri M K Bhattacharaya Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 30.11.2020)	₹ 18.16 lakhs	₹ 28.52 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	₹ 26.22 lakhs	₹ 27.28 lakhs
Shri. K Ramachandran, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	₹ 26.21 lakhs	-
Shri. Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (10.03.2021 to 31.03.2021	₹ 1.47 lakhs	-

Parties with whom transactions were entered during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

9.7 Leases (AS 19)

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹441.04 Crore (Previous year ₹ 225.85 Crore).

d) **Finance Lease**

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

9.8 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2020-21	2019-20
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	3004.68	753.36
Number of Equity Shares	1129366570	608800580
Weighted Number of equity shares	1129366570	525852645
Basic Earning Per Share (in ₹)	26.61	14.33
Diluted Earning Per Share (in ₹)	26.61	14.33
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

9.9 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

a) **Current Tax-** During the current year, considering the accumulated losses of erstwhile Allahabad bank, Bank has not created provision for income tax for domestic operations. Provision for income tax made in foreign branches amounting to ₹ 10.56 Crore during the current year. The Current Tax for domestic operations has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

b) **Deferred Tax -** The Bank has a net DTA of ₹ 2844.49 crore (Previous Year net DTA of ₹ 744.20 crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of ₹ 949.89 crore (Previous ₹ 584.06 crore) included under 'Other Liabilities and Provisions' and Deferred Tax Assets (DTA) of ₹ 3794.38 crore (Previous Year ₹ 1328.26 crore) included under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below: (₹ in Crore)

	Components	31.03.2021	31.03.2020
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	208.53	67.70
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	105.29	109.15
3	Provision for GRATUITY	0.09	0.12
4	Provision for bad debts	3076.11	1006.58
5	Provision for restrutured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	328.67	70.66
6	Depreciation on Fixed Assets	75.69	73.87
7	Provision for Head Office Expenses	0.00	0.18
	Total DTA	**3794.38**	**1328.26**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	38.51
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff welfare retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	538.22	178.29
	Total DTL	**949.89**	**584.07**
	Net DTA / (DTL)	**2844.49**	**744.20**

9.10 Financial Reporting of interests in Joint Ventures (AS-27)

Accounting Standard – 27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'

Investments include ₹142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country/ Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (₹ in crore)
Universal Sampo General Insurance Company Ltd	India	Joint Venture	28.52%	105.00
ASREC (India) Ltd	India	Joint Venture	38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

Particulars	As on 31st March, 2021
Liabilities	
Capital & Reserves	349.28
Deposits	-
Borrowings	28.44
Other Liabilities & Provisions	1032.28
TOTAL	**1410.00**
Assets	
Cash and Balances with RBI	0.09
Balances with Banks and money at call and short notice	22.72
Investments	1109.29
Advances	-
Fixed Assets	12.88
Other Assets	264.99
TOTAL	**1410.00**
Capital Commitments	-
Other Contingent Liabilities	48.58
Income	
Interest earned	3.73
Other Income	452.68
TOTAL	**456.41**
Expenditure	
Interest expended	1.36
Operating expenses	434.74
Provisions & Contingencies	5.28
TOTAL	**441.38**
Profit	**15.03**

- During Financial year 2019-20 Indian Bank had no Joint Ventures, therefore no previous year figures have been given

9.11 Impairment of Assets (AS-28)

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

10.1 Provisions and Contingencies

(Amount ₹ in crore)

Break-up of Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account			2020-21	2019-20
I)	Provision for depreciation on investments		429.06	391.30
ii)	Provision towards NPA		7318.46	4335.84
iii)	Provision made towards Income Tax		-99.10	619.37
iv)	Other Provisions and contingencies with details		742.55	398.17
	Particulars	**2020-21** / **2019-20**		
	1. Standard Advances	469.40 / 142.94		
	2. Restructured Advances:	-1.68 / -47.75		
	3. Others	274.83 / 302.98		
	Total		**8390.97**	**5744.68**

10.2 Floating Provisions:

(Amount ₹ in crore)

	Floating Provisions Account	2020-21	2020-21
(a)	Opening balance in the floating provisions account	46.76	46.76
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Addition on amalgamation	24.00	0.00
(e)	Closing Balance in the floating provisions account	70.76	46.76

10.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2020-21	2019-20	
		142.87	107.20	Depreciation on revalued portion on Premises*

* For the year 2019-2020, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards

10.4 Customer Complaints :

SL. NO		Particulars	Current year (combined entity) 2020-21	Previous year 2019-20
1.		Number of complaints pending at beginning of the year *	16804*	5493
2.		Number of complaints received during the year	321876	429068
3.		Number of complaints disposed during the year	326846	418385
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	351	409
4.		Number of complaints pending at the end of the year	11834	16176
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	4896	4766
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by BOs	4795	4380
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by BOs	466	215
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs agaianst the bank.	0	0
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

* Includes complaints pending at e-AB

Top five grounds of complaints received by the Bank from customers:

Grounds of which complaints (i.e complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current year					
ATM debit card	2341	139288	-55	4815	350
Internet /mobile / electronic banking	13637	124969	+26	6150	2649
Loan & advances	1	4084	+ 440	113	31
Account opening / difficulty in operation of the account	12	1605	+ 915	63	9
Credit cards	3	1137	+19	0	0
Others	810	51183		693	209
Total	**16804***	**321876**		**11834**	**3248**
Previous year					
ATM/Debit cards	4540	311591	+ 13	2341	0
Internet / mobile / electronic banking	859	99032	+257	13637	0
Credit card	7	949	-26	3	0
Loans and Advances	5	756	+18	1	0
Account opening / difficulty in operation of the accounts	0	158	-82	12	0
Others	82	16582		182	
Total	**5493**	**429068**		**16176**	

* Includes complaints pending at e-AB

10.5 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2021, branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2021 is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU

During the year ended 31.03.2021, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and Outstanding as on 31.03.2021 is NIL

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 314.37 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

We have issued LOU for Sri Lankan branches favoring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. We do not anticipate any financial impact in immediate near future on account of LOU issued

10.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non-Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 82.12% (previous year 73.05%).

10.7 BANCASSURANCE BUSINESS

The Commission from Bancassurance Products was hitherto accounted on realization basis and has been changed to Accounting on Accrual basis from this financial year 2020-21.

During the current year, the Bank has earned commission income to the extent of₹ 63.97 Crore on sale / marketing of various Bancassurance /Mutual Fund products against previous year income of ₹ 20.44 Crore.

Due tochange in accounting policy to Accrual basis of accounting the commission income is more by ₹ 5.69 crore

(Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	2020-21	2019-20
1	From Distribution of Life Insurance Policies	38.43	8.88
2	From Distribution of Non-life insurance policies	18.53	11.43
3	From Distribution of Health insurance policies	6.33	0.00
4	Others – From Distribution of Mutual Fund Products	0.98	0.15
	Total	**63.97**	**20.44**

10.8 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas and erstwhile Allahabad Bank has Allahabad Bank Rural Development Trust (ABDRT) for the same purpose.

As per GOI notification, erstwhile Allahabad Bank has been amalgamated with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020.

The Trust accounts of both IBTRD and ABDRT are duly audited by qualified Chartered Accountants. The process of amalgamation of Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD) and Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) is under progress and all the assets and liabilities of ABTRD will be transferred to IBTRD.

Currently IBTRD is running a total of 37 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs), 42 Financial Literacy Centres (FLCs) and 5 Centres for Financial Literacy (CFLs) with pan-India presence.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE OF IBTRD FOR THE YEAR 2020-2021 *

(Amount in ₹)

Details of Receipts	
Contributions received from Bank	20000000
Building Fund received from Bank	0
Opening Balance in the Trust account (including ABRDT)	18699277
Bank interest earned	948647
Training cost reimbursement received from various agencies	65218824
Unspent amount recredited by RSETIs against advance paid for the month of March 2021	1235686
Total Income	**106102434**
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	74438406
Excess of Receipts over payments	31664028
Closing Balance:	
Bank Balance as on 31.03.2021 (including ABRDT)	31664478
Fixed Deposits	143132005
Ofwhich	
Corpus fund	86000000
Building fund	57132005
* Figures are subject to change on final audit of Trust.	

10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

10.9.1 Concentration of Deposits

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	33601.39	21720.38
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	6.35 %	8.60 %

10.9.2 Concentration of Advances

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Advances to twenty largest borrowers	52342.04	27031.80
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	13.41%	13.13%

10.9.3 Concentration of Exposures

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	68813.87	34923.40
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	12.51%	11.96%

10.9.4 Concentration of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Exposures to top four NPA accounts	4021.90	2869.17

10.10 Sector-wise Advances

(Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Sector	2020-21			2019-20		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	78529.90	8735.80	11.12	44869.06	1083.67	2.42
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	20662.08	3511.92	17.00	11805.40	1368.11	11.59
3.	Services	49519.11	4959.00	10.01	25570.39	1186.75	4.64
4.	Personal loans	21147.36	1608.61	7.61	13203.29	691.22	5.24
	Sub-total (A)	**169858.45**	**18815.33**	**11.08**	**95448.14**	**4329.75**	**4.54**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	203.00	1.93	0.95	0.00	0.00	0.00
2.	Industry	109110.62	15851.22	12.50	97945.82	9597.84	9.80
3.	Services	47889.06	2910.30	6.07	0	0	
4.	Personal loans	48945.52	1299.84	2.65	12495.77	223.25	1.79
	Sub-total (B)	**220458.50**	**19640.01**	**8.91**	**110441.59**	**9821.09**	**8.89**
	Total (A+B)	**390316.96**	**38455.35**	**9.85**	**205889.73**	**14150.84**	**6.87**

10.11 Movement of NPAs/Technical Write-off

10.11.1 Movement of NPAs

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Gross NPAs as on 1st April of 2020 (Opening Balance)	41997.71	13353.45
Additions (Fresh NPAs) during the year	9429.55	5320.50
Sub-total (A)	51427.26	18673.95
Less :		
(I) Upgradations	686.18	308.82
(ii) Amount assigned to ARC	0.00	0.00
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	3859.56	1182.68
(iv) Technical/Prudential Write-offs	7531.18	2572.71
(v) Write-offs other than those under (iv) above	894.99	458.90
Sub-total (B)	12971.91	4523.11
Gross NPAs as on 31st March 2021 (closing balance (A-B)	38455.35	14150.84

10.11.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2020	23370.02	6463.84
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	7531.18	2572.71
Sub-total (A)	30901.20	9036.35
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	731.15	238.77
Closing bal as at 31st March, 2021(A-B)	30170.05	8797.58

10.11.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provisions during the year, on certain accounts, as advised by RBI .: NIL

10.11.4 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Assets	14417.84	9592.99
Total NPAs	1240.56	1039.99
Gross NPA	798.47	586.41
Net NPA	302.73	352.57
Total Revenue	327.25	448.30

10.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

10.13 Disclosures relating to Securitization: NIL

10.14 Credit Default Swaps: Nil

10.15 Equity:

10.16 Intra Group Exposures:

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total amount of intra group exposure	1030.85	985.25
Total amount of top 20 intra group exposure	1030.85	985.25
Percentage of intra group exposure to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.19%	0.34%
Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action there on, if any	NIL	NIL

10.17 Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹ 400 Crore, wherein our Bank share is ₹ 100 crore. Remittance of our Bank's share of ₹100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of ₹.32.44 crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of ₹.80.22 crore held as security – margin money as on 31.03.2021

10.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-2020
Opening balance of amounts transferred to DEAF as on 01.04.2020	1386.90	762.84
Add : Amounts transferred to DEAF during the year2020-2021	596.89	130.46
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year 2020-21	10.52	9.15
Closing balance of amounts transferred to DEAF up to 31.03.2021	1973.27	884.15

*Opening balance is as per the opening balance sheet of the combined entity

10.19 Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ₹ 9.49 Crore and Capital of ₹ 39.45 Crore for the year ended 31st March 2021 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular dated January 15, 2014

10.20 Frauds reported during the year:

The Bank has reported 219 cases of fraud amounting to ₹.3759.68 Crore during the year 2020-21 as per the details furnished below:

Type of fraud	No. of cases	Amount in crores
Advance related	61	3691.77
Non-advance related	158	67.91
Total	219	3759.68

The Bank has reported 158 cases of non advance related frauds amounting to ₹ 67.91 Crore during the year 2020-21.

Upto 31.03.2021, 1473 cases (cumulative) relating to non-advance related frauds are pending involving amount of ₹ 324.39 Crore and the Bank carries a provision of ₹ 148.72 Crore against the same after taking into account recoveries made

11. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):Provisional March 2021

(Rs in Crore)	Current Year								Previous year	
	Jun Q1*	2020-21	Sep Q2*	2020-21	Dec Q3*	2020-21	Mar Q4**	2020-21	Mar Q4*	2019-20
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		129009.32		133143.15		144298.04		148782.78	0.00	61929.24
Cash Outflows										
2 Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	313969.96	30146.26	314857.16	30372.32	318607.14	30706.01	297094.80	28344.60	109093.05	10449.53
(I) Stable Deposits	25014.66	1250.73	22267.94	1113.40	23094.13	1154.71	27297.59	1364.88	9195.57	459.78
(ii) Less Stable deposits	288955.30	28895.53	292589.22	29258.92	295513.01	29551.30	269797.21	26979.72	99897.48	9989.75
3 **Unsecured wholesale funding**	117705.14	52225.16	115948.40	51536.75	129275.49	57563.15	150677.73	69095.30	83760.87	37031.83
(I) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Non operational deposits (all counterparties)	117302.38	51822.40	115948.40	51536.75	129275.49	57563.15	150319.01	68736.60	83488.30	36759.26
(iii) Unsecured debt	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	358.70	358.70	272.57	272.57
4 Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 Additional requirements, of which	48320.78	5281.05	48695.92	5579.93	49544.17	5896.58	68887.22	23946.87	33306.51	3302.79
(I) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	290.87	290.87	409.25	409.25	636.55	636.55	17804.24	17804.24	42.82	42.82
(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Credit and liquidity facilities	48029.91	4990.18	48286.67	5170.68	48907.62	5260.03	51082.98	6142.63	33263.69	3259.98
6 Other contractual funding obligations	2545.50	2545.50	2835.11	2835.11	2119.21	2119.21	3135.48	3135.48	1803.98	1803.98
7 Other contingent funding obligations	66551.48	2625.45	64143.20	2538.58	57837.80	2253.36	56555.49	2182.93	19916.59	597.50
8 TOTAL CASH OUTFLOWS		92823.42		92862.59		38538.31		126705.18		53185.64
Cash Inflows										
		Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)
9 Secured lending (e.g. reverse repos)	9829.85	0.00	5150.00	0.00	1829.85	0.00	3669.11	0.00	804.36	0.00
10 Inflows from fully performing exposures	11543.69	6170.09	15079.95	8183.50	17950.59	9564.93	21537.54	11521.98	11395.30	6208.36
11 Other cash inflows	7177.65	5667.07	10201.36	8389.80	13500.36	10682.05	28777.66	27356.30	5043.28	5043.28
12 TOTAL CASH INFLOWS	28551.18	11837.15	30431.31	16573.30	33280.80	20246.98	53984.30	38878.28	17242.94	11251.64
21 TOTAL HQLA		129009.32		133143.15		144298.04		148782.78		61929.24
22 TOTAL NET CASH OUTFLOWS		80986.02		76289.40		78291.33		87826.90		41934.00
23 LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		159.30%		174.52%		184.31%		169.40%		147.68%

* LCR is based on Daily average

Liquidity Coverage Ratio

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2020-21 on a daily basis is 80%(effect from 01/04/2020) & 90% (effect from 01/10/2020) . The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2021 had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 148782.78 Crore. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement, the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2021 was 169.40%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 54.53% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 22.37% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has one significant counterparty in the deposits as on 31.03.2021. The largest depositor contributed 1.16% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2021 is 6.24% of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposits which are 31%, 5% and 50% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Bank's Liquidity is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and contingency funding plan is in place based on the quarterly stress testing results.

12. MISCELLANEOUS

12.1 Reconciliation and Adjustments

12.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2021. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to ₹. 4.86 Crore are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

12.1.2 In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2021, no provision is required.

12.1.3 Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

12.1.4 Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant

12.1.5 The results for year ended March 31, 2021 include the operations of erstwhile Allahabad Bank. Hence the yearly results, assets, liabilities and cash flows of current financial year are not comparable with corresponding figures of previous financial year.

12.1.6 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year

13. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of the Indian Bank, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

i. The Central Office, 78 Zones, Treasury Branch, Top 20 Branches in terms of Advances audited by us;

ii. 3108 Indian Branches audited by respective Statutory Branch Auditors and

iii. 4 Foreign branches audited by respective Local Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 3003 (number) Indian branches which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 6.86% of Advances, 25.35% of Deposits, 8.36% of Interest income and 30.36% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021;

b. the Profit and Loss statement, read with the notes thereon shows a true balance of profit and

c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter:

We draw attention to:

4. Note No. 4.4 of the Standalone Financial Statement on the impact of uncertainties caused by COVID 19 on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is in the process of evaluating the effect of the uncertainties on an ongoing basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

5. Note No. 12.1.5 of the Standalone Financial Statement, that the figures for the year ended 31st March, 2021 include figures of erstwhile Allahabad Bank amalgamated with the Bank whereas figures for the corresponding year ended 31st March, 2020 are of pre-amalgamated Indian Bank and hence the same are not comparable.

6. Note No. 9.3.3 on merger of data between Indian Bank and Erstwhile Allahabad Bank carried out during the year and the data migration audit in progress.

Our report is not modified in respect of above matters.

Key Audit Matters

7. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the

Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
1.	**Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances** The net advances of the Bank constitute 58.15% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	**Tests of control** Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income, and assessing the reliability of management information (including overdue reports). **Substantive tests.** A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done • Reviewed the Standalone Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments** • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. • Investments constitute 28.20% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning / depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments;

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	(RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non Performing Investments and provisioning related to investments.	3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.
3.	**Sufficient appropriate alternative audit procedures carried out to perform the Audit.** Amid COVID-19 pandemic at peak in the month of April, 2021 and May, 2021, lockdown declared by different State Governments lead to restrictions on physical movement during the period of our Audit. As per the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, we conducted the Audits of Branches, Zonal Offices and Corporate Office of the Bank by using alternative appropriate audit procedures from a remote location with information made available to us online by the bank's management. Since different appropriate audit procedures were carried out for the Audit of the bank, the form of obtaining the Audit Evidence was also made different to ensure and to reduce audit risk to an acceptably low level, and thereby enable us to draw reasonable conclusion and form opinion on the Standalone Financial Statements. Considering the above, we consider the application of alternative audit procedure to be a key audit matter.	Our audit approach was suitably modified to perform the audit with different audit procedures in line with the requirement of the Standards of Auditing and the various auditing guidelines on Covid 19 issued by Institute of Chartered Accountants of India. Modified audit procedures for control testing and substantive testing include the following: • Verification of necessary records/ documents/ CBS and other Application software electronically through remote access and emails in respect of some of the Branches, Zones and Corporate and other offices of the Bank wherever there was restriction on physical movement of the Auditors • Carried out verification of scanned copies of the documents duly signed by the concerned official of the Bank, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. Management has represented that the information and documents provided to us electronically are correct, complete, reliable and directly extracted from the accounting system of the bank without any manual modifications. • Making enquiries and gathering sufficient appropriate audit evidence through interaction on phone, Video Conferencing, e-mail, conference call and etc. • Resolution of our audit observations through formal channels i.e. mail supported by the relevant documents and records.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

8. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

9. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As per the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the

bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

11. We did not audit the financial statements / information of 3112 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,67,211.78 crores as at 31st March 2021 and total revenue of Rs. 18,607.38 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters

12. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2020 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

14. Subject to the limitations of the audit indicated in **paragraphs 8 to 11** above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we report that:

(a) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2021.

(b) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank.

(c) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

(d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

16. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

Partner CHIRAG BAKSHI
(M. No. 047164)
UDIN: 21047164AAAAEM9291

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner DONDETI TEJA SAGAR
(M. No. 227878)
UDIN: 21227878AAAADO6339

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner JAYANTH A
(M No. 231549)
UDIN: 21231549AAAACP5550

M/s. P K F Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

Partner V. KOTHANDARAMAN
(M. No. 25973)
UDIN: 21025973AAAAAZ4107

M/s. G Natesan & Co
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner K MURALI
(M. No. 024842)
UDIN: 21024842AAAABJ5112

Place : Chennai
Date : 28th May, 2021

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 15(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Bank as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standard Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 3112 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

Partner CHIRAG BAKSHI
(M. No. 047164)
UDIN: 21047164AAAAEM9291

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner DONDETI TEJA SAGAR
(M. No. 227878)
UDIN: 21227878AAAADO6339

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner JAYANTH A
(M No. 231549)
UDIN: 21231549AAAACP5550

M/s. P K F Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

Partner V. KOTHANDARAMAN
(M. No. 25973)
UDIN: 21025973AAAAAZ4107

M/s. G Natesan & Co
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner K MURALI
(M. No. 024842)
UDIN: 21024842AAAABJ5112

Place : Chennai
Date : 28th May, 2021

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2021

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2021 (Audited)	As on 31.03.2020* (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1129.37	608.80
Reserves and Surplus	2	38328.70	22158.78
Minority Interest	2A	22.60	21.17
Deposits	3	538029.80	260184.40
Borrowings	4	26203.04	20830.31
Other Liabilities & Provisions	5	24400.02	6337.50
TOTAL		**628113.53**	**310140.96**
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	27545.18	5736.12
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	26554.38	8200.35
Investments	8	178292.44	81871.16
Advances	9	364010.24	197887.01
Fixed Assets	10	7392.56	3899.08
Other Assets	11	24318.73	12547.24
TOTAL		**628113.53**	**310140.96**
Contingent Liabilities	12	**293606.77**	**42601.71**
Bills for Collection	-	**12620.73**	**5994.97**

*Figures of 31.03.2020 pertains to pre- amalgamated Indian Bank financials, hence not comparable with post amalgamated figures as at 31.03.2021

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M. No. 047164)

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

DONDETI TEJA SAGAR
Partner
(M. No. 227878)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

JAYANTH A
Partner
(M No. 231549)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

V.KOTHANDARAMAN
Partner
(M No. 25973)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

K MURALI
Partner
(M No. 024842)

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 (₹ in Crore)

PARTICULARS	Schedule No.	Y.E. 31.03.2021 (Audited)	Y.E. 31.03.2020 (Audited)
I. Income			
Interest earned	13	39108.07	21401.28
Other Income	14	6540.47	3325.50
Total		**45648.54**	**24726.78**
II. Expenditure			
Interest expended	15	23438.80	13797.51
Operating Expenses	16	10789.28	4432.70
Provisions & Contingencies		8404.74	5738.49
Total		**42632.82**	**23968.70**
III. Consolidated Profit/ (loss) for the attributable to group		**3015.72**	**758.08**
Share of earnings in Associates		134.86	103.95
Consolidated Profit/ (loss) for the Year before deducting minorities' interest		3150.58	862.03
Less: Minority Interest		1.43	0.69
Consolidated Profit/(loss) for the Year attributable to the group		3149.15	861.34
Profit/(Loss) brought forward		556.71	448.73
Add: Adjustments /Set off against Share Premium		41.30	0.00
Balance carried forward to the Balance Sheet		3747.16	1310.07
IV. Appropriations			
Transfer to			
Statutory Reserves		751.17	188.34
Capital Reserves-Others		47.71	152.16
Investment Fluctuation Reserve		464.91	389.99
Revenue Reserves		1387.34	0.00
Staff Welfare Fund		25.00	15.00
Investment Reserve		0.00	7.87
Proposed Equity Dividend		225.87	0.00
Balance carried to consolidated Balance Sheet		845.15	556.71
Total Appropriations		**3747.16**	**1310.07**
Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted) not annualised	**18**	**27.88**	**16.38**

*Figures of 31.03.2020 are related to pre- amalgamated Indian Bank financials, hence not comparable with post amalgamated financials for the year ended 31.03.2021

Ms. PADMAJA CHUNDURU
MANAGING DIRECTOR & CEO

IMRAN AMIN SIDDIQUI
EXECUTIVE DIRECTOR

K RAMACHANDRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

SHENOY VISHWANATH V
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

SANJEEV KAUSHIK
GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

S K PANIGRAHY
RBI NOMINEE DIRECTOR

Dr. BHARATH KRISHNA SANKAR
SHAREHOLDER DIRECTOR

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/s. K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

CHIRAG BAKSHI
Partner
(M. No. 047164)

For M/s. SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

DONDETI TEJA SAGAR
Partner
(M. No. 227878)

For M/s. RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

JAYANTH A
Partner
(M No. 231549)

For M/s. P K F SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

V.KOTHANDARAMAN
Partner
(M No. 25973)

For M/s. G NATESAN & CO
Chartered Accountants
FR No: 002424S

K MURALI
Partner
(M No. 024842)

Place : Chennai
Date : 28.05.2021

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a. 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Central Government (P.Y.50,80,80,023 Equity shares of Rs. 10/- each)	994.55	508.08
b. 13,48,16,970 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 10,07,20,557 Equity shares of Rs.10/- each)	134.82	100.72
Total	**1,129.37**	**608.80**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Statutory Reserves	8649.75	4694.20
Capital Reserves- Revalaution	5754.97	2987.84
Capital Reserve -Others	962.79	388.55
Share Premium	857.62	4026.65
Investment Fluctuation Reserve	1031.90	566.99
Investment Reserve	186.38	47.80
Revenue and other Reserves	13369.84	7669.06
Spl. Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act	2181.35	725.52
Spl. Reserve u/s 36(1) (viii)(a) of Income Tax Act	58.20	58.20
Foreign Currency Translation Reserve	421.93	437.26
IRS Reserve	1.91	0.00
Amalgamation Reserve	4006.91	0.00
Profit & Loss account	845.15	556.71
Total	**38328.70**	**22158.78**

SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/decrease	19.33	17.90
Minority interest on the date of balance sheet	22.60	21.17

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
A.I. Demand Deposits		
(i) From Banks	289.29	211.11
(ii) From others	32053.15	13334.92
II. Savings Bank Deposits	195250.29	76609.11
III. Term Deposits		
(i) from Banks	5323.10	4111.94
(ii) From others	305113.97	165917.32
Total A (I,II & III)	**538029.80**	**260184.40**
(i) Deposits of branches in India	529222.92	252750.76
(ii) Deposits of branches outside India	8806.88	7433.64
Total B (i & ii)	**538029.80**	**260184.40**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Borrowings in India		
(I) RBI	5032.04	11529.90
(ii) Other Banks	4.95	0.11
(iii)Other Institutions and Agencies	14948.82	6418.86
II.Borrowings outside India	6217.23	2881.44
Total (I & II)	**26203.04**	**20830.31**
Secured borrowings included in I & II above	**5032.04**	**11529.90**

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Bills Payable	2822.91	494.00
II. Inter-Office adjustments(net)	6228.15	0.00
III. Interest Accrued	1041.93	845.33
IV. Others(including provisions)	14307.03	4998.17
Total	**24400.02**	**6337.50**

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1658.38	1006.08
II.Balances with Reserve Bank of India -		
(i) in Current Account	25886.80	4730.04
(ii) in Other Accounts	0.00	0.00
Total (I & II)	**27545.18**	**5736.12**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. In India		
(i) Balances with Banks		
(a) in Current Accounts	116.03	8.86
(b) in Other Deposit Accounts	2065.07	721.65
(ii) Money at call and short notice		
(a) with Banks	8900.00	2100.00
(b) with other institutions	0.00	0.00
Total I (i & ii)	**11081.10**	**2830.51**
II. Outside India		
(i) in Current Account	1577.68	530.93
(ii) in Other Deposit Accounts	13866.23	4830.26
(iii) Money at call and short notice	29.37	8.65
Total II (i, ii & iii)	**15473.28**	**5369.84**
Grand Total (I & II)	**26554.38**	**8200.35**

SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	181348.95	80991.01
Less Provision for Depreciation & NPI	5382.93	1290.84
Net Investment	**175966.02**	**79700.17**
i) Government Securities	157952.46	67537.87
ii) Other approved Securities	9.14	2.99
iii) Shares	996.38	352.07
iv) Debentures and bonds	13653.87	6715.55
v) Investment in Associates	861.55	730.43
vi) Others	2492.62	4361.26
TOTAL	**175966.02**	**79700.17**
II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2420.90	2268.27
Less Provision for Depreciation & NPI	94.48	97.28
Net Investment	**2326.42**	**2170.99**
i) Government Securities (including local authorities)	2304.10	2149.37
ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments (to be specified)	0.00	0.00
(a) Shares	0.60	0.44
(b) Debt Securities	21.72	21.18
TOTAL	**2326.42**	**2170.99**
GRAND TOTAL (I & II)	**178292.44**	**81871.16**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
A.(i) Bills Purchased and discounted	2131.69	1453.59
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	221263.43	99136.75
(iii)Term Loans	140615.12	97296.67
(iv) Others	0.00	0.00
Total (A)	**364010.24**	**197887.01**
B. (i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	320789.57	161337.54
(ii) Covered by Bank / Government Guarantees	22887.66	4056.49
(iii) Unsecured	20333.01	32492.98
Total (B)	**364010.24**	**197887.01**
C. I. Advances in India		
(I Priority Sector	157623.43	90415.79
(ii) Public Sector	64398.78	17991.68
(iii) Banks	169.24	772.91
(iv) Others	131534.31	80515.68
Total (C-I)	**353725.76**	**189696.06**
C. II. Advances outside India		
(i) Due from Banks	4475.58	2254.60
(ii)Due from Others		
(a) Bills Purchased & discounted	771.51	970.27
(b) Syndicated Loans	3526.55	3355.59
(c) Others	1510.84	1610.49
Total (C-II)	**10284.48**	**8190.95**
Total (C-I+C-II)	**364010.24**	**197887.01**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Premises		
At cost/revaluation as per last Balance Sheet (*)	6862.57	3767.79
Additions / adjustments during the year	4.00	3.63
Deductions during the year	0.00	0.00
Depreciation to date (*)	1246.78	834.04
Net Value	**5619.79**	**2937.38**
IA.Premises under Construction	1.07	0.78
II. Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
At cost as per last Balance Sheet (*)	4158.17	2060.62
Additions during the year	556.66	255.51
Deductions during the year	47.87	51.78
Depreciation to date (*)	3383.29	1543.89
Net Value	**1283.67**	**720.46**
IIA.Leased Assets		
At cost as per last Balance Sheet (*)	552.43	262.37
Additions during the year	0.00	0.00
Deductions during the year including provisions	0.33	0.00
Depreciation to date (*)	64.50	21.91
Net Value	**487.60**	**240.46**
III. Capital-work-in-progress (Leased Assets) net of provisions	0.43	0.00
Total (I,IA,II,&IIA)	**7392.56**	**3899.08**

(*) Opening Balance of Cost / revaluation and depreciation to date include Assets taken over as part of amalgamation.

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Inter Office Adjustment (net)	0.00	2044.29
II. Interest accrued	2801.64	1284.83
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	6655.17	4374.34
IV. Stationery and stamps	46.44	17.62
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51.38	20.26
VI. Deferred Tax assets (Net)	2851.41	748.07
VII.Others	11912.69	4057.83
Total	**24318.73**	**12547.24**

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	953.37	651.27
II. Liability for partly paid Investments	373.82	400.33
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	254856.84	20382.57
IV. Guarantees given on behalf of constituents		
(a)In India	17792.78	8930.02
(b)Outside India	379.99	382.63
V. Acceptances, endorsements and other obligations	9394.29	6401.34
VI.Other items for which the bank is contingently liable	9855.68	5453.55
Total	**293606.77**	**42601.71**

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Interest/discount on advances/bills	27454.67	15933.12
II. Income on Investments	11170.34	5275.06
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	425.71	177.43
IV. Others	57.35	15.67
Total	**39108.07**	**21401.28**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Commission, exchange and brokerage	1117.90	338.67
II. Profit on sale of Investments (net)	2125.53	879.73
III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	-0.42	0.73
V. Profit on exchange transactions (net)	406.22	202.06
VI. a) Lease finance / Hire Purchase inome	0.04	0.07
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	12.45	12.69
VII. Miscellaneous Income	2878.75	1891.55
Total	**6540.47**	**3325.50**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Interest on deposits	22218.39	12993.56
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	1048.65	757.95
III. Others	171.76	46.00
Total	**23438.80**	**13797.51**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

PARTICULARS	Y E 31.03.2021	Y E 31.03.2020
I. Payments to and provisions for employees	6411.62	2478.34
II. Rent, taxes and lighting	611.77	318.12
III. Printing and stationery	58.53	30.62
IV. Advertisement and publicity	13.03	8.88
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	633.17	313.94
(b) Depreciation on Leased Assets	3.73	0.07
VI. Directors' fees, allowances and expenses	0.77	0.94
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	63.29	34.29
VIII. Law charges	23.66	8.62
IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	118.93	51.78
X. Repairs and maintenance	201.76	93.96
XI. Insurance	682.42	286.91
XII. Other expenditure	1966.60	806.23
Total	**10789.28**	**4432.70**

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2020)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sompo General Insurance Co. Ltd, (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the institute of Chartered accountants of India. The financial statements of the subsidiaries and Joint Ventures are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE :

PARENT:

4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

a) Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

c) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

d) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.

e) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations :

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:

i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).

ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net

Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

c) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.

d) Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

e) Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored

5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at

lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

Parent:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

Parent:

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 **Parent:**

8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

S No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate / Useful Life
1.	Computers	33.33% every year
2.	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3.	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4.	Automated Teller Machine/Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine	20.00% every year
5.	Servers	33.33% every year
6.	Network equipment	20.00% every year
7.	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises : 60 years Safes/Locker/Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year

8.1.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

8.1.5 Assets costing upto 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

8.1.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

8.1.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

8.1.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Ind Bank Housing Ltd :

8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

Parent :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products – Considered on receipt of subscription particulars.

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 **Ind Bank Housing Ltd:**

a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

Parent:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation..

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment

of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Ind bank Housing Ltd:

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. Discontinuing Operations

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2020-21)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. ACCOUNTING FOR INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS 27)

Name of Entity	Country/ Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (₹ in cr)
Universal Sampo General Insurance Company Ltd	India	Joint Venture	28.52%	105.00
ASREC (India) Ltd	India	Joint Venture	38.26%	37.50

RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2021. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 5747 IBGA credit entries aggregating to ₹ 4.86 crore are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2021, no provision is required.

Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1 The premises of the Bank include land are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2018-19 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of ₹.983.38 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account". For the year 2020-21, depreciation amounting to ₹114.43 crore (Previous Year ₹.110.49 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to ₹142.87 Crore (previous year ₹ 107.20crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account'.

As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to ₹ 142.87 crore was also charged under expenditure for the year 2020-21. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

There is a change in the estimated useful life of Fixed Assets. The impact due to the change is increase in depreciation and decrease in net profit for the year ended 31.03.2021 by ₹ 82.38 crores.

4.2 IB Premises:

Premises include 4 properties costing ₹3.59 crore (Previous year 4 properties costing ₹ 3.59 crore) having original/ revalued book value of ₹ 45.59 crore (Previous year – ₹48.04 crore), net of depreciation at ₹ 1.17 Crore (Previous year ₹1.17 crore) for which registration formalities are pending.

e-AB Premises:

Premises include 5 (3+2*) properties costing ₹4.79 crore (Previous year – 5 [3+2*] properties costing ₹ 4.79 crore), having original/revalued book value of revalued book value of ₹14.15 crore (Previous Year – ₹14.32 crore), net of depreciation at ₹ 0.23 crore (Previous year – ₹ 0.23 crore) for which registration formalities are pending.

*Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹ 2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.

Combined Entity:

Premises include 9 (7+2*) properties costing ₹ 8.38 crore (Previous year: 9 (7+2*) properties costing ₹ 8.38 crore), having original/revalued book value of ₹ 59.74 crore (Previous year – ₹ 62.36 crore), net of depreciation at ₹1.40 crore (Previous year : ₹1.40 crore) for which registration formalities are pending.

4.3 Draw Down from Reserves: (Amount ₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2020-21	2019-20	
		142.87	107.20	Depreciation on revalued portion on Premises*

* For the year 2019-2020, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS 10 Standards

5. COVID 19 Measures

5.1. The spread of COVID-19 across the globe resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. Though the calibrated and gradual withdrawal of lockdown by the government had led to resumption of economic activities, the current second wave of COVID 19 pandemic, has resulted in imposition of localised / regional lockdown measures in various parts of the country. In this situation, the challenges continue to unfold and the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same and is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, to the business environment. Considering the regulatory actions, Government intervention to support the economic recovery, the Bank expects realisable value of the assets not to be significantly impacted

5.2 In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated 27th March, 2020, 17th April, 2020 and 23rd May 2020, and clarification issued by RBI through Indian Banks' Association, dated 6th May 2020, the Bank has granted moratorium on the payment of instalments and / or interest, as applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 ('moratorium period') to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on 29th February, 2020 without considering the same as restructuring. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days past-due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. The Bank holds provisions as on 31st March 2021 against the potential impact of COVID-19 based on the information available up to a point in time. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank:

Sr. No.	Particulars	As on 31st March, 2021
1	Advances outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package (total outstanding)	NIL
2	Advances outstanding where asset classification benefits is extended (total outstanding)	NIL
3	Provisions made during FY 2020-21	1517.53
4	Provisions adjusted during FY 2020-21	1517.53
5	Total provisions held as on 31.03.2021	NIL

5.3 The Honourable Supreme Court of India, in its interim order dated September 3, 2020 in the Public Interest Litigation case of Gajendra Sharma vs Union of India & Anr has directed Banks that the accounts which were not classified as NPA till August 31, 2020 should not be so classified till further orders of Supreme Court. Pursuant to the order, the Bank did not classify any domestic borrowal account which had not been classified as NPA as at August 31, 2020 as per RBI Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters, as NPA after August 31, 2020. However, as a matter of prudence, the Bank made an additional provision of ₹ 1517.53 Cr till 31.12.2020 .

In view of the above, and pursuant to the Supreme Court's final order dated March 23, 2021 and in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 issued in this connection, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms with effect from 01.09.2020 and utilized the above provisions towards provision on these accounts.

5.4 In accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of COVID 19 regulatory package", the Bank shall refund / adjust 'interest on interest' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities has been circulated by the Indian Banks' Association (IBA) as required by RBI notification. Accordingly the bank has created an estimated liability of ₹ 230 crore towards interest relief. The bank has reversed the same from interest income.

6. TAXATION

6.1 PARENT

Provision for Income Tax for the year

(Amount ₹ in crore)

	2020-21	2019-20
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	-99.10	619.37

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2021 was ₹3953.36 Crore (previous year ₹4129.14 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of ₹ 7584.17 Crore (previous year ₹.4396.00 Crore) relating to disputed tax matters as at 31.03.2021. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

6.2 SUBSIDIARY COMPANIES

6.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) A net provision of ₹12.54 lakhs for tax has been made in the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is ₹70.49 lakhs (Previous year- ₹34.15 lakhs) which has been charged to profit & loss account.

d) Prior period taxes : Nil

6.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crore for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.

7. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

	Year ended	
	31.03.2021 (₹ in Crore)	**31.03.2020** (₹ in Crore)
Net Profit as per Profit and Loss Account	**3150.58**	**862.02**
Add: Adjustments for :		
Provision for NPA	7318.39	4335.84
Provision for Investment	427.68	391.30
Provision for Standard Assets	469.40	142.94
Provision for Tax	(90.38)	620.22
Other Provisions and Contingencies	279.65	248.18
Depreciation on Fixed Assets	636.90	314.00
Interest on Capital Instrument	643.98	277.68
Loss/(profit) on sale of land and buildings	0.42	(0.73)
Income taxes paid	(19.72)	(790.00)
Profit before working Capital Changes	**12816.90**	**6401.45**
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(15380.42)	(16640.54)
(Increase) / Decrease in Advances	(30252.79)	(20913.19)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(2994.25)	(1895.00)
	(48627.46)	**(39448.73)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	49525.72	18143.60
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	(7267.38)	8692.77
Increase/(Decrease) in other liabilities	10616.77	(2185.26)
	52875.11	**24651.11**
Net cash generated from operations (A)	**17064.55**	**(8396.17)**
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(560.44)	(259.16)
Sale of fixed assets	15.56	11.79
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(544.88)**	**(247.37)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	-	-
Payment of distribution tax	-	-
Issue of AT-1 Bonds	2000.00	-
Issue of Tier -2 Bonds	2000.00	-

	Year ended	
	31.03.2021 (₹ in Crore)	**31.03.2020** (₹ in Crore)
Redemtion of AT-1 Bonds	(500.00)	-
Redemtion of Tier-2 Bonds	(1000.00)	-
Interest on Capital Instrument	(631.94)	(277.07)
Capital Received towards Share	-	2829.49
Amount paid to e-AB Shareholder (for fraction part)	(2.51)	-
Net cash generated from financing activities (C)	**1865.55**	**2552.42**
Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)	**21777.86**	**-**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	**40163.08**	**(6091.12)**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	1006.09	1030.76
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	4730.04	10671.11
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	8.86	4.34
(b) in other deposit accounts	721.65	717.14
Money at Call and short notice with Banks	2100.00	2200.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	530.93	203.66
(b) in other deposit accounts	4830.26	5168.47
Money at call and short notice	8.65	32.12
	13936.48	**20027.60**
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	1658.38	1006.09
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	25886.80	4730.04
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	116.03	8.86
(b) in other deposit accounts	2065.07	721.65
Money at Call and short notice with Banks	8900.00	2100.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1577.68	530.93
(b) in other deposit accounts	13866.23	4830.26
Money at call and short notice	29.37	8.65
	54099.56	**13936.48**
Difference in Opening and closing cash and cash equivalents	40163.08	(6091.12)

Notes:

- Figures of the previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform to current period classification
- The Cash flow statement for the year ended March 31, 2021 has been prepared by Indirect Method after giving effect of amalgamation in the Balance Sheet for the year ended 31.03.2021

8. Property, Plant and Equipment (AS 10)

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹142.87 crore and lowering the net profit by ₹142.87 crore.

9. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.1. PARENT

9.1.1 **Defined Contribution Plans:**

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2020-21, the Bank has contributed ₹ 1.07 crore (previous year ₹ 0.56 cr)

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2020-21, the Bank has contributed ₹ 153.31 crore (previous year ₹ 58.41 cr)

9.1.2 **Defined Benefit Plans**:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2021**	**31/03/2020**
Discount Rate -G-Sec Rate	6.87% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.44% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper	6.89% for Pension – 15 year G-Sec Paper 6.82% for Gratuity – 10 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	6.89% for Pension and 6.86% for Gratuity	8.05% for Pension and 7.74% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

Mortality table: Indian Assured Life Mortality (2012-14) ultimate

The liabilities of leave encashment are unfunded. (Amount ₹ in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	**Pension Fund**		**Gratuity**		**Leave Encashment**	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
PVO as at the beginning of the year	**13995.78**	**6520.32**	**1868.46**	**923.85**	**826.09**	**188.20**
Interest Cost	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
Current service cost	229.80	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-69.4	-17.77
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	1542.88	-449.26	-23.06	61.23	-7.62	-5.90
PVO as at the end of the year	**15319.48**	**6801.95**	**1848.22**	**928.98**	**977.42**	**210.29**

(Amount ₹ in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS -RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	13918.80	6418.93	1929.03	923.85	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
Contributions	1495.93	446.42	50.7	69.64	215.94	17.77
Benefits paid	-1363.65	-689.59	-223.04	-165.24	-215.94	-17.77
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-193.89	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**14961.61**	**6697.41**	**1897.26**	**896.40**	**0.00**	**0.00**

*Data not available

(Amount ₹ in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Expected return on plan assets	1104.42	508.32	126.42	65.44	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	-193.39	13.33	14.15	2.71	0.00	0.00
Actual return on plan assets	910.53	521.65	140.57	68.15	0.00	0.00

(Amount ₹ in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1542.88	-449.25	+23.06	-24.74	7.62	5.90
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0	0.00	0	-36.48	0	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	-193.89	13.33	+14.15	2.71	0	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90
Actuarial gain/(loss) recognised in the year	**-1736.77**	**-435.92**	**+37.21**	**-58.51**	**7.62**	**5.90**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1736.77	-435.92	+37.21	-58.51	7.62	5.90

(Amount ₹ in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Present value of the obligation	15319.48	6801.96	1848.22	928.98	977.42	210.29
Fair value of plan assets	14961.61	6697.41	1897.26	896.40	0	0
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-357.87	-104.55	49.04	-32.58	977.42	-210.29
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**210.29**

(Amount ₹ in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Current service cost	229.79	96.47	105.33	46.31	174.38	20.03
Interest Cost	914.67	425.49	120.53	62.84	53.97	13.93
Expected return on plan assets	-1104.42	-508.32	-126.42	-65.44	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1736.77	435.93	-37.21	58.51	7.62	5.90
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1776.82**	**449.57**	**62.23**	**102.22**	**220.73**	**39.86**

(Amount ₹ in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		IB		IB		IB
Opening net liability	-76.98	-101.39	60.57	-13.19	-826.09	-188.21
Expense as above	-1776.82	-449.58	-62.23	-89.02	-220.73	-39.86
Contribution paid	1495.93	446.42	50.7	69.64	69.4	17.77
Closing net liability	**-357.87**	**-104.55**	**49.04**	**-32.58**	**977.42**	**-210.30**

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2016-21 - Pension	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	5608.14	5925.15	6245.89	6520.32	6801.96	15319.48
Plan Assets	5508.95	5841.36	6146.80	6418.93	6697.41	14961.61
Surplus/ (Deficit)	-99.19	-83.79	-99.09	-101.39	-104.55	357.87
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-384.40	-626.82	-704.39	-335.65	-449.25	1542.88
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-7.61	27.73	10.93	-8.58	13.32	193.89

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2016-21 - Gratuity	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	831.94	900.90	964.99	923.85	928.98	1848.22
Plan Assets	829.38	876.81	932.55	910.66	896.4	1897.26
Surplus/ (Deficit)	-2.56	-24.09	-32.44	-13.19	-32.58	49.04
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-24.2	-87.34	-36.2	-2.11	-61.22	23.06
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-1.66	-1.36	22.12	-0.38	2.71	14.15

(Amount ₹ in crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2016-21- Leave Encashment	Year Ended					
	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
Present Value of obligation	161.63	171.21	179.51	188.21	210.29	977.42
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-161.63	-171.21	-179.51	-188.21	-210.29	977.42
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-100.37	-3.01	10.18	7.58	17.71	7.62
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2020-2021		2019-2020	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	36.76%	28.00%	55.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	15.64%	12.98%	40.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.06%	0.00%	1.00%	-
Funds managed by Insurer	47.21%	58.60%	4.00%	100.00%
Private Sector Bonds	0.33%	0.42%	-	-
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(Amount ₹ in crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR**	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprise's best estimate of contribution during next year	1400	50	240

9.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 50.12 crore (previous year ₹ 3.71 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount of ₹ in crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2021	31/03/2020
1	Sick Leave	15.28	1.44
2	Casual Leave	0.16	0.12
3	Leave Travel Concession	34.68	2.15
	Total	**50.12**	**3.71**

No.	Long Term Employee Benefits	Opening balance 01.04.2020*	Expenditure 2020-21	Addition 2020-21	Closing Balance 31.03.2021
1	Sick Leave	7.38	0	15.28	22.66
2	Casual Leave	0.71	0	0.16	0.87
3	Leave Travel Concession	53.80	18.56	34.68	69.62
Total		**61.89**	**18.56**	**50.12**	**93.45**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary. *includes eAB portion also

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

(Reproduced as per audited financials of the subsidiary companies)

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

Amount in ₹

Details	2020-21	2019-20
Employer's contribution to Provident Fund	4503279	3956245

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

Amount in ₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Defined benefit obligation at the beginning of the year	14477169	10424236	9175621	7487157
Current service cost	1245412	875494	418454	346222
Interest cost	915972	781818	588067	535448
Actuarial (gain)/ loss	(104445)	1161862	(64441)	1559387
Benefits paid	(1239594)	(702125)	(557996)	(752593)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	15294514	12541285	9559705	9175621

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

Amount in ₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2020-21	2019-20
Fair value of plan assets at the beginning of the year	11607029	11550311
Expected return on plan assets	867210	758843
Contributions	4264874	-
Actuarial (gain)/ loss	98528	-
Benefits paid	(1239594)	(702125)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	15598048	11607029
Actual return on plan assets	(202973)	1161862

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

Amount in ₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Fair value of plan assets	15598048	11607029	-	-
Present value of obligation	15294514	12541285	9559705	9175621
Amount recognized in Balance Sheet	303534	(934256)	(9559705)	(9175621)

IV) Expense recognized during the year

Amount in ₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Current Service Cost	1245412	875494	418454	346222
Interest Cost	915972	781818	588067	535448
Expected return on plan assets	867210	758843	-	-
Actuarial (gain) / loss	(202973)	1161862	(64441)	1559387
Net Cost	1091201	2060331	9559705	2441057

V) Actuarial assumptions

Amount in ₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Mortality Table (LIC)	2012-14 (Ultimate)	1994- 96 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	6.83%	7.25%	6.83%	6.61%
Expected rate of return (per annum)	6.61%	8.00%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	1% to 3%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹ 23.53 Lakhs (previous year- ₹ 20.36 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2020-21

9.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation: ₹

		2020-21	2019-20
1	Total past service gratuity	NIL	664113
2	Actuarial value past service gratuity	NIL	686909
3	Gratuity Fund with LIC	NIL	670525
4	Contribution payable to LIC	NIL	16384
5	Contribution paid during the year	NIL	NIL
6	Balance payable	NIL	16752
7	Risk premium and service tax paid	NIL	368
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NA	7.25% p.a. compound 7.50% p.a. compound

10. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

(₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Revenue	14002.34	6360.25	17708.42	8257.78	13021.62	9532.64	916.16	280.46	45648.54	24431.13
Result	6204.56	2092.05	2843.03	1824.77	2084.26	2072.26	288.61	211.83	11420.46	6200.91
Unallocated expenses									8495.13	5118.27
Operating profit									2925.33	1082.64
Minority interest									1.43	0.69
Other unallocable income									134.86	399.60
Income Taxes									-90.38	620.22
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									3149.14	861.33
Other information										
Segment Assets	216026.72	91370.17	248990.98	104502.35	182696.29	117426.74	2071.69	650.81	649785.68	305018.55
Unallocated assets									-21672.15	5122.41
Total assets									628113.53	310140.96
Segment Liabilities	182491.24	82590.87	229897.04	91493.87	168782.65	103057.81	1062.39	-5.53	582233.32	277137.02
Unallocated liabilities									6422.14	10236.36
Capital reserves & Surplus									39458.07	22767.58
Total liabilities									628113.53	310140.96

Part B Geographic Segments						
	Domestic		International		Total	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Revenue	45321.29	24278.48	327.25	448.30	45648.54	24726.78
Assets	613695.69	300546.96	14417.84	9594.00	628113.53	310140.96

Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

11.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Smt.Padmaja Chunduru Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 21.09.2018)

Shri. M K Bhattacharya Executive Director (w.e.f. 18.02.2017 upto 30.11.2020)

Shri Shenoy Viswanath V Executive Director (w.e.f. 01.12.2018)

Shri. K Ramachandran, Executive Director (w.e.f. 01.04.2020)

Shri. Imran Amin Siddiqui, Executive Director (w.e.f. 10.03.2021)

Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1	Shri Bharath Krishna Sankar	300
	TOTAL	**300**

Related Party Transactions are as under:

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹. 102.52 lakhs (Previous year ₹.98.16 lakhs)

	2020-2021	2019-20
Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.17 to 03.04.17)	-	6.00 lakhs
Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	30.46 lakhs	31.70 lakhs
Shri Subramania Kumar Salary & Emoluments Paid	-	2.00 lakhs
Shri A S Rajeev, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2018 to 30.11.2018)	-	2.66 lakhs
Shri M K Bhattacharaya Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 30.11.2020)	18.16 lakhs	28.52 lakhs
Shri Shenoy Vishwanath V Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	26.22 lakhs	27.28 lakhs
Shri. K Ramachandran, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2020 to 31.03.2021)	26.21 lakhs	-
Shri. Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (10.03.2021 to 31.03.2021	1.47 lakhs	

Parties with whom transactions were entered during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(Amount of ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2020-21	2019-20
Mr.SeshaSai P L V K	President & Whole Time Director (upto 27.06.2020)	Salary	3.96	16.72
		Contribution to PF	0.20	0.83
Mr. A Rajaraman	President & Whole Time Director (upto 03.09.2020)	Salary	10.60	
		Contribution to PF	0.73	
Mr. U.Rajkumar	Vice President & CFO	Salary	10.40	3.82
		Contribution to PF	0.79	0.30
Mr.V.Balamurugan	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	6.62	7.32
		Contribution to PF	0.81	0.76
Sitting fees paid to Non-whole time independent directors			2.74	2.20

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.9

11.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

11.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

12. LEASES (AS 19)

12.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 441.04 Crore (Previous year ₹ 225.85 Crore).

d) Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020	As at 31st March 2021	As at 31st March 2021
Payable not later than 1 Year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5years	0	0	0	0
Payable later than 5 Years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less:Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

13. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2020-21	2019-20
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	3149.15	861.34
Number of Equity Shares	1129366570	608800580
Weighted Number of equity shares	1129366570	525852645
Basic Earning Per Share ₹	27.88	16.38
Diluted Earning Per Share ₹	27.88	16.38
Nominal value per Equity Share ₹	10.00	10.00

14. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2021 includes ₹134.86 crore being share in the unaudited profit of three Associates viz, M/s Tamilnadu Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank and ₹7.15 crore being the share in the unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd

15. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

15.1 PARENT

15.1.1 Current Tax-

During the current year, considering the accumulated losses of e-Allahabad bank, Bank has not created provision for income tax for domestic operations. Provision for income tax made in foreign branches amounting to ₹ 10.56 Crore during the current year. The Current Tax for domestic operations has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

15.1.2 Deferred Tax

The Bank has a net DTA of ₹ 2844.49 crore (Previous Year net DTA of ₹ 744.20 crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of ₹ 949.89 crore (Previous ₹ 584.06 crore) included under 'Other Liabilities and Provisions' and Deferred Tax Assets (DTA) of ₹ 3794.38 crore (Previous Year ₹1328.26 crore) included under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below:

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

		31.03.2021	31.03.2020
Deferred Tax Assets			
1	Liabilities provision allowable on payment /crystallisation	208.53	67.70
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	105.29	109.15
3	Provision for GRATUITY	0.09	0.12
4	Provision for bad debts	3076.11	1006.58
5	Provision for restructured assts, AQR, S4A, Stressed Assets	328.67	70.66
6	Depreciation on Fixed Assets	75.69	73.87
7	Provision for Head Office Expenses	0.00	0.18
	Total DTA	**3794.38**	**1328.26**
Deferred Tax Liabilities			
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	38.51
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff welfare retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserves U/s.36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	538.22	178.29
	Total DTL	**949.89**	**584.07**
	Net DTA / (DTL)	**2844.49**	**744.20**

15.2 SUBSIDIARY COMPANIES

15.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD :

The major components of deferred tax asset/liability are as below: (Amount of ₹ in crore)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2021		As on 31.03.2020	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		1.48		2.60
ii) Provision for Bad debts and NPAs	4.40		6.16	
iii) Others	0.24		0.31	
tal	**4.64**	**1.48**	**6.47**	**2.60**
NET DTA / (DTL)	**3.16**		**3.87**	

16. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24–DISCONTINUED OPERATIONS

16.1 SUBSIDIARY COMPANIES

16.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations..

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalized bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

17. SUBSIDIARY COMPANIES

17.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of ₹ 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of ₹ 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly, the company has repaid ₹ 675 lakhs to Indian Bank upto the half year ended 31.03.2021 as per the terms approved by the parent bank

18. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

The Commission from Bancassurance Products was hitherto accounted on realization basis and has been changed to Accounting on Accrual basis from this financial year 2020-21.

During the current year, the Bank has earned commission income to the extent of ₹ 63.97 Crore on sale / marketing of various Bancassurance /Mutual Fund products against previous year income of ₹ 20.44Crore.

Due to change in accounting policy to Accrual basis of accounting the commission income is more by ₹ 5.69 crore.

(Amount ₹ in crore)

Sl.No.	Nature of Income	2020-21	2019-20
1	From Distribution of Life Insurance Policies	38.43	8.88
2	From Distribution of Non-life insurance policies	18.53	11.43
3	From Distribution of Health insurance policies	6.33	0.00
4	Others – From Distribution of Mutual Fund Products	0.98	0.15
	Total	**63.97**	**20.44**

19. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT :

19.1 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

19.2 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.

19.3 Amalgamation of Erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank

19.3.1. In exercise of powers conferred by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act of 1970 (5 of 1970) after consultation with the Reserve Bank of India, The Government of India (GOI) has notified the Scheme of Amalgamation (referred As per the GOI gazette notification dated March 4, 2020, the Scheme came into force on the 1st day of April, 2020. On the commencement of the Scheme, the undertakings of the Transferor Bank shall be transferred to and shall vest into the Transferee Bank.

19.3.2 In consideration of the transfer of and vesting of the undertaking of the Transferor Bank, equity shares of face value of ₹10 each fully paid-up (rank pari passu in all respect and have the same rights attached to them as the then existing equity shares of Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that may be declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) in the Transferee Bank was issued to shareholders whose names were recorded in the register of members of the Transferor Bank as on the record date determined by the Transferee Bank for this purpose. Details are as below

Name of Transferor Bank	Share exchange Ratio
Allahabad Bank	115 equity shares of Indian Bank of face value of ₹ 10/- each fully paid up for every 1000 equity shares of Allahabad Bank of face value of ₹ 10/- each fully paid up

Further, the Transferee Bank has paid cash in respect of entitlements to fraction of equity shares wherever so determined

19.3.3. Disclosures as per para 24 of AS 14 — "Accounting for Amalgamations" is as under:

i) The general nature of business of the amalgamating company i.e. Allahabad bank is same as that of the Banking business of Indian Bank i.e Banking;

ii) The amalgamation is accounted under the 'pooling of interest' method as prescribed in AS-14 "Accounting for amalgamation". All assets and liabilities (including contingent liabilities), duties and obligations of transferor Bank are proposed to be recorded in the books of account of transferee Bank at their existing carrying amount and in the same form as on April 01, 2020 except for adjustments to bring uniformity of accounting policies as required under AS-14. Any changes required to be made in liabilities / assets (including those consequent to changes in Accounting Standards) after the date on which the scheme came into force has been made subsequently in the books of account of the Transferee Bank.

iii) The amount of Share Capital issued by Transferee Bank amounting to ₹ 520.57 crore (52,05,65,990 equity shares of face value ₹ 10 each issued at par) has been adjusted against the corresponding share capital of the Transferor Bank and the balance of ₹ 4006.91 crore has been adjusted to the Amalgamation Reserve .Cash in lieu of fractional entitlement of shares amounting to ₹ 2.51 crore was paid.

iv) Summarized values of assets and liabilities transferred in accordance with the terms of the Scheme are as detailed below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	eAB
Assets Taken Over	
Cash and Balances with RBI	7366.61
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	14383.82
Investments	80666.58
Advances	142964.78
Fixed Assets	3510.42
Other Assets	9109.91
Total Assets (A)	258002.12
Liabilities Taken Over	
Reserves and Surplus	8135.29
Deposits	228608.51
Borrowings	9102.57
Other Liabilities and Provisions	7628.27
Total Liabilities (B)	253474.64
Net Assets C=(A-B)	4527.48

Indian Bank and Allahabad bank have merged during the year. Though Indian Bank and Erstwhile Allahabad Bank had the same IT infrastructure, due to different policies and parameterisation, there were challenges faced during integration. This has also thrown up operational difficulties of integration and differences in figures during the year end. The Management is in the process of carrying out a migration audit. Errors if any will be corrected after the integration is completed. In Management's estimate the impact of the same to the financial statement is not expected to be material

19.4. In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

19.5 The results for year ended March 31, 2021 include the operations of erstwhile Allahabad Bank. Hence the yearly results, assets, liabilities and cash flows of current financial year are not comparable with corresponding figures of previous financial year.

20. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to confirm to current year's classification

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Bank

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Indian Bank (hereinafter referred to as "Parent/Bank")** and its subsidiaries including the share of earnings of its Associates and Joint ventures which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-

   a) Audited Statements of the Bank which have been reviewed by us;

   b) Audited Statements of 2 Subsidiaries audited by other Auditors; and

   c) Un-audited Statements of 2 Joint Ventures.

   d) Un-audited Statements of 3 Associates

   The above entities a), b) & c) together are referred to as the 'Group'.

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements of Subsidiaries and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture and Associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give

   a. true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India and the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Consolidated Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank and Subsidiaries as at 31st March, 2021;

   b. the Consolidated Profit and Loss statement, read with the notes thereon shows a true balance of profit and

   c. the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its Associates in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter:

We draw attention to:

3. Note No. 5 of the Consolidated Financial Statement on the impact of uncertainties caused by COVID 19 on the future business and financial results and Management's assessment of the same in the prevailing situation. The Management is in the process of evaluating the effect of the uncertainties on an ongoing basis with reference to challenges under the prevailing uncertainties.

4. Note No. 19.5 to the Consolidated Financial Statement, that the figures for the financial year ended 31st March, 2021 includes figures of erstwhile Allahabad Bank amalgamated with the Bank whereas figures for the corresponding year ended 31st March, 2020 are of pre-amalgamated Indian Bank and hence the same are not comparable.

5. Note No. 19.3.3 on merger of data between Indian Bank and Erstwhile Allahabad Bank carried out during the year and the data migration audit in progress.

   Our report is not modified in respect of above matters.

Key Audit Matters

6. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1.	**Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances.** The net advances of the Group and its Associates constitute 57.95% of the total assets, which is the significant part of the Consolidated Financial Statements The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or nonperforming, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Consolidated Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	**Tests of control** Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income, and assessing the reliability of management information (including overdue reports). **Substantive tests.** A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done • Reviewed the financial statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPA's. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments** • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Per forming Investments, Provisioning / depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation,

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	• Investments constitute 28.39% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non Performing Investments and provisioning related to investments.	classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per he aforesaid RBI Circular/ directions.
3.	**Sufficient appropriate alternative audit procedures carried out to perform the Audit.** Amid COVID-19 pandemic at peak in the month of April, 2021 and May, 2021, lockdown declared by different State Governments, lead to restrictions on physical movement during the period of our Audit. As per the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, we conducted the Audits of Branches, Zonal Offices and Corporate Office of the Bank by using alternative appropriate audit procedures from a remote location with information made available to us online by the bank's management. Since different appropriate audit procedures were carried out for the Audit of the bank, the form of obtaining the Audit Evidence was also made different to ensure and to reduce audit risk to an acceptably low level, and thereby enable us to draw reasonable conclusion and form opinion on the Standalone Financial Statements.	Our audit approach was suitably modified to perform the audit with different audit procedures in line with the requirement of the Standards of Auditing and the various auditing guidelines on Covid 19 issued by Institute of Chartered Accountants of India. Modified audit procedures for control testing and substantive testing includes the following: • Verification of necessary records/ documents/ CBS and other Application software electronically through remote access and emails in respect of some of the Branches, Zones and Corporate and other offices of the Bank wherever there was restriction on physical movement of the Auditors • Carried out verification of scanned copies of the documents duly signed by the concerned official of the Bank, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

7. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

8. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its Associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group Entities and Associates is responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   Those Board of Directors of the Group Entities and Associates are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls in the report on standalone financial statements.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and Associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its Associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and Associates and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public discloser about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

10. We did not audit the financial statements / financial information of Two (02) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 94.87 crores as at 31st March, 2021, total revenues of Rs. 15.47 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries is based solely on the reports of the other auditors.

11. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect total assets of Rs. 4844.64 crore as at March 31, 2021, total revenues of Rs. 1584.32 crore for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 7.15 crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit of Rs. 134.86 crore for the year ended March 31, 2021, as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of Three (03) Associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint Ventures and Associates, in so far as is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

    Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

12. The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2020 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

14. Subject to the limitations of the audit indicated in **paragraphs 7 to 9** above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. As required by the RBI's letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020(as amended), we report that:

    a) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

    c) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    d) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2021.

16. We further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

    b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

    c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For K C MEHTA AND CO
Chartered Accountants
FR No. 106237W

Partner CHIRAG BAKSHI
(M. No. 047164)
UDIN: 21047164AAAAEN5045

For SRIRAMAMURTHY & CO
Chartered Accountants
FR No. 003032S

Partner DONDETI TEJA SAGAR
(M. No. 227878)
UDIN: 21227878AAAADP6730

For RAVI RAJAN & CO LLP
Chartered Accountants
FR No. 009073N / N500320

Partner JAYANTH A
(M No. 231549)
UDIN: 21231549AAAACQ9519

M/s. P K F Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
FR No. 003990S/S200018

Partner V. KOTHANDARAMAN
(M. No. 25973)
UDIN: 21025973AAAABA7815

M/s. G Natesan & Co
Chartered Accountants
FR No. 002424S

Partner K MURALI
(M. No. 024842)
UDIN: 21024842AAAABK8607

Place : Chennai
Date : 28th May, 2021

Basel III-Pillar III Disclosures

March 31,2021

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Asrec (India) Ltd (Joint venture)	**Yes**	Accounting standard 27-Financial reporting of interests in joint ventures	**Yes**	Consolidated in accordance with proportionate consolidation method as per Accounting Standard 27-Financial reporting of interests in joint ventures	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Universal Sompo General Insurance company Ltd (Joint venture)	**Yes**	Accounting standard 27-Financial reporting of interests in joint ventures	**No**	Not Applicable	**Not Applicable**	**Regulatory Guidelines**
Tamil Nadu Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes

Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements	**No**	**Not Applicable**	**Treated as associates**	Risk weighted for capital adequacy purposes

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	841.86
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	105.31
Asrec India Ltd (India)	Asset Recovery Company	980.00	2902.61
Universal Sompo General Insurance company Ltd (India)	General insurance company	3681.81	45543.98

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NIL				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses.

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 7.375% (including Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum CRAR of 10.875%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of 11.27%(Solo), 11.59% (Consolidated) and CRAR of 15.71%(Solo), 16.02 % (Consolidated).

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

c) Bank projects capital for the next 5 financial years based on business projections, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc

(d) Under Pillar II, Bank considers following risks while assessing / planning capital:

➢ Credit Concentration Risk	➢ Underestimation of Credit Risk under Standardised Approach
➢ Interest Rate Risk in the Banking Book	➢ Pension Obligation Risk
➢ Liquidity Risk	➢ Off-Balance sheet exposure Risk
➢ Settlement Risk	➢ Technology Risk
➢ Compliance Risk	➢ Outsourcing Risk
➢ Reputational Risk	➢ Human Resources Risk
➢ Model Risk	➢ Residual Risk
➢ Country Risk	➢ Strategic Risk
➢ Compensation Risk	➢ Un-hedged Foreign Currency Exposure Risk
➢ Legal Risk	
➢ Group Risk	

(e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios The Bank has also conducted stress testing under Covid 19 pandemic to assess the plausible losses on Bank's balance sheet during the pandemic. The result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) /Board.

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	2,75,278.55	2,75,350.42
Securitization exposures	--	--

(b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	8,700.50	8,700.50
Foreign Exchange Risk (including gold)	90.00	90.00
Equity Risk	3,464.95	3,598.44
Total	**12,255.45**	**12,388.94**

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	23,718.06	23,771.48

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	11.27%	11.59%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	11.93%	12.25%
Total Capital Adequacy Ratio	15.71%	16.02%

Organisation Structure:

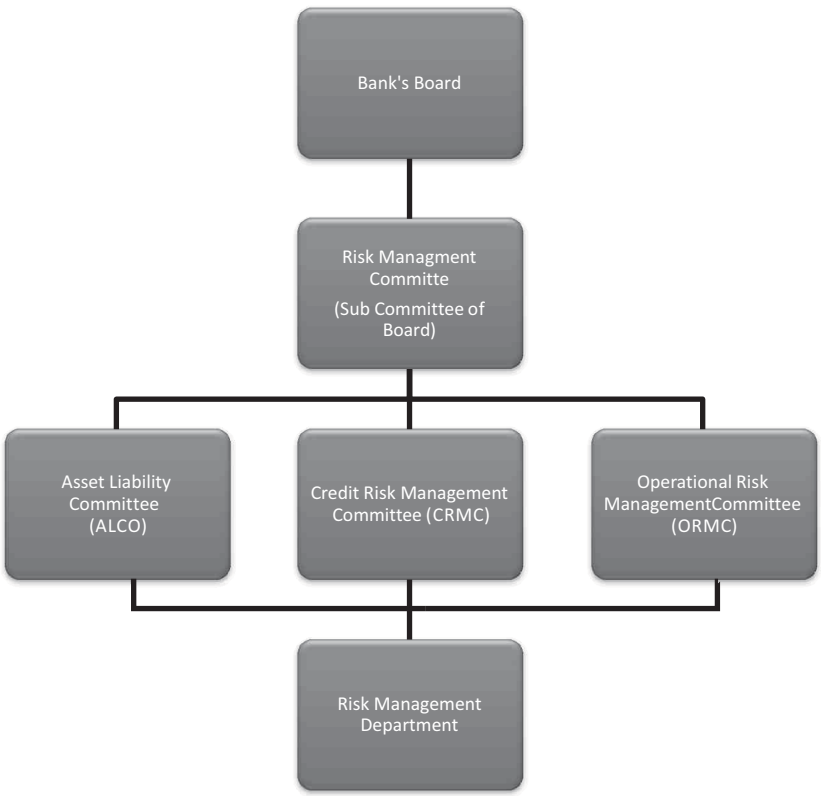

Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

(I) Asset Liability Committee (ALCO)

(ii) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy (including Disclosure, Reputational & Strategic Risk Management) has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy), Asset Liability Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy.,.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training establishments.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- Sensitive sector exposure
- Unsecured exposure
- Country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Term loan exposure
- Industry-wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality. The output of the rating models is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to ensure robustness of the rating models, the rating models have been subjected to validation by an external agency.

Scoring model: The Bank has entry level scoring models for all the fresh sanctions coming under structured loan products and other loans which are not subjected to Rating Model.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely.

Migration analysis of ratings is done on quarterly basis. Also weighted average rating of industry-wise portfolio of the Bank is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is also carried out on quarterly basis.

Adopting best risk management practices, credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of Corporate Office are scrutinised by the Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, review of MCLR and Base Rate, liquidity position, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) on daily as per latest Regulatory guidelines and is using it for assessing Liquidity risk. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore, various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Modified duration (MD), PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report and weekly summary note is placed to Chief Risk Officer and on monthly basis to ALCO. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved Policy on Market Risk Management and Stress Testing Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI

regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors.

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms. Further, in line with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is factored in for the purpose of asset classification.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

- **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

- **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

- **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy: The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy) and the same has been ported on Bank's intranet. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

Bank considers rating of a borrower as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software.

Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	39,03,169.56	39,03,169.56
Investments	12,87,933.17	12,87,941.21
Other Assets	8,54,578.13	8,55,254.49
Total Fund Based	**60,45,680.86**	**60,46,365.27**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	39,66,299.72	39,66,547.02
Total Credit Risk Exposure	**1,00,11,980.58**	**1,00,12,912.29**

*includes notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances Guarantees

(a) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately (₹ in Million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	1,34,049.73	55,060.29	1,89,110.02
Domestic	59,11,631.13	39,1 1,239.43	98,22,870.56
Total	**60,45,680.86**	**39,66,299.72**	**1,00,11,980.58**

(b) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2021

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	FB Exposure	NFB Exposure	Commited Exposure
1	**Chemicals & Chemical Products**			
1.1	Drugs and Pharmaceuticals	13868.91	2374.75	16243.66
1.2	Fertilizers	12154.24	927.90	13082.14
1.3	Other Chemicals & Chemical Products	17853.25	7589.06	25442.31
2	**Engineering**			
2.1	General Engineering Machinery and Goods	43722.04	72805.70	116527.74
2.2	Electrical Machinary and Goods	10210.92	9725.92	19936.84
2.3	Electronic Machinery,Goods and Software	14657.59	7094.59	21752.19
3	**Food Manufacturing and Processing**			
3.1	Edible oil and Vanaspati	9648.65	15581.96	25230.60
3.2	Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills	27986.85	4917.33	32904.18
3.3	Sugar	18762.86	129.58	18892.44
3.4	Tea and Coffee	5062.36	32.31	5094.67
3.5	Other Food Manufacturing and Processing	51116.29	6061.79	57178.08
4	**Infrastructure**			
4.1	**Power**			
4.1.1	Power Generation	155852.81	27577.44	183430.25
4.1.2	Power Transmission and Distribution	91175.08	6114.03	97289.10
4.1.3	Renewable Energy	4378.78	385.99	4764.77
4.2	**Transport**			
4.2.1	Ports and Roads	135676.77	990.75	136667.52
4.2.2	Shipping	6094.78	8395.93	14490.71
4.2.3	Logistics	18077.74	6028.76	24106.50
4.3	Telecommunication	6553.50	54129.47	60682.97
4.4	Educational Institution	47688.08	5641.47	53329.56
4.5	Hospital	22969.50	1109.99	24079.49
4.6	Hotels (Three Star and above)	11867.61	177.07	12044.68
4.7	Other Infrastructure	282330.07	7709.00	290039.06
5	**Textiles**			
5.1	Cotton Textile	28538.24	2281.69	30819.93
5.2	Natural Fibre Textile	2109.14	122.83	2231.97
5.3	Handloom Textile and Khadi	3426.69	87.40	3514.10
5.4	Other Textile	57572.52	3743.50	61316.02
6	**NBFC/HFC/MFI**			
6.1	Non Banking Financial Companies (NBFC)	314001.57	1074.62	315076.18
6.2	Micro Finance Institutions (MFI)	30941.33	0.00	30941.33
6.3	Housing Finance Companies (HFC)	237292.17	0.00	237292.17
7	**Metal and Metal Products**			
7.1	Iron and Steel	110140.81	36945.40	147086.22
7.2	Other Metals and Metal Products	31042.82	16208.16	47250.98
8	**Trade**			
8.1	Wholesale Trade	349572.34	35832.73	385405.06

(₹ in Million)

S.No.	Major Industries / Sectors	FB Exposure	NFB Exposure	Total Exposure
8.2	Retail Trade	177849.00	6324.69	184173.69
9	Automobiles	20838.81	1607.73	22446.55
10	Aviation	2253.62	3.67	2257.29
11	Beverages and Tobacco	8016.95	202.16	8219.11
12	Cement and Cement Products	31790.83	5683.96	37474.80
13	Capital Market Exposure (CME)	21277.75	1215.00	22492.75
14	Commercial Real Estate (CRE)	76317.64	3010.79	79328.43
15	Construction Contractors	90609.83	156130.74	246740.57
16	Gems and Jewellery	7217.41	2335.76	9553.17
17	Glass and Glass Ware	3689.74	3065.82	6755.56
18	Leather and Leather Products	3482.28	231.26	3713.55
19	Media and Entertainment	5691.12	4125.52	9816.64
20	Mining and Quarrying	26804.11	815.82	27619.93
21	Paper and Paper Products	19589.10	4553.48	24142.58
22	Petroleum and Petroleum Products	137247.76	38293.10	175540.86
23	Printing and Publishing	8107.58	2350.46	10458.04
24	Rubber, Plastic and their Products	29840.78	12090.46	41931.24
25	Wood and Wood Products	6310.78	1960.91	8271.69
26	Other Industries	223745.90	15726.71	239472.61

As on 31-03-2021, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	Infrastructure	16.38%
2	NBFC / HFC / MFI	10.61%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

	Investments*	Advances
1 day	540124.10	63341.80
2-7 days	28571.40	51024.49
8 -14 days	12305.00	157681.61
15 to 30 days	34003.30	58608.40
31 days to 2 months	12818.90	127460.00
2 months to 3 months	14570.80	93651.80
Over 3 months to 6 months	72066.10	248660.49
Over 6 months to 1 year	130264.00	406843.34
Over 1 year to 3 years	158004.40	1373660.35
Over 3 years to 5 years	58488.20	543426.84
Over 5 years	699809.17	515743.29
Total	**1761025.37**	**3640102.41**

* Excludes 50% of listed equities of ₹ 4344.29 million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	
	➢ Substandard	73699.53
	➢ Doubtful 1	66789.93
	➢ Doubtful 2	103756.07
	➢ Doubtful 3	76033.31
	➢ Loss	64274.63
	Gross NPA (Solo- Global)	384553.46
(g)	Net NPAs	**122711.26**
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	9.85%
	➢ Net NPAs to net advances	3.37%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance (01.04.2020)	419977.07
	➢ Additions	94295.48
	➢ Reductions	129719.09
	➢ **Closing Balance (31.03.2021)**	**384553.46**
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➢ Opening Balance (01.04.2020)	272742.64
	➢ Provisions made during the period	66637.70
	➢ Write Off / Write-back of excess provisions	82978.50
	➢ **Closing balance (31.03.2021)**	**256401.84**
(k)	Amount of Non-Performing investments	16987.31
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	7974.54
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance (01.04.2020)	18508.44
	➢ Provisions made during the period	9171.91
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	1279.05
	➢ **Closing balance (31.03.2021)**	**26401.30**

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement: (₹ in Million)

Recovery in Accounts under collection	6036.50
Memorandum of Interest / Legal charges / Recovery in written off accounts	163.10

Amount of NPA by Major Industry type (₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metal and metal products	35981.98	26799.36	9182.62
Infrastructure including Power	61014.80	46718.66	14296.14
Textiles	13587.40	7383.92	6203.48
All engineering	9829.01	6869.41	2959.60
Coal and mining	631.10	263.45	367.65

Technical Write Off during the quarter ended 31.03.2021-global:₹ 25008.80 million

Geography-wise NPA (₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➢ Substandard	70954.43	2745.10	73699.53
➢ Doubtful 1	63584.20	3205.73	66789.93
➢ Doubtful 2	103684.39	71.68	103756.07
➢ Doubtful 3	75473.38	559.93	76033.31
➢ Loss	62872.36	1402.27	64274.63
Total	**376568.75**	**7984.71**	**384553.46**

Analysis of ageing of past-due loans (₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	73699.53
1-2 Years (D1)	66789.93
2-3 Years (D2- 1st Year)	74217.39
3-4 Years (D2- 2nd Year)	29538.68
More than 4 years	140307.94

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

The Bank uses ratings assigned by the seven Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d) India Ratings, e) Brickworks, f) Acuite and g) Infomerics for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, and Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, & Moody's.

The Bank uses only publicaly available solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity up to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- If If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	57,57,347.67	11,03,349.89
100% Risk weight	32,95,870.64	5,35,343.90
Above 100% Risk weight	9,58,762.26	8,92,603.24
Total	**1,00,11,980.58**	**25,31,297.03**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	57,57,762.51	11,03,394.79
100% Risk weight	32,96,321.43	5,35,794.69
Above 100% Risk weight	9,58,828.34	8,92,768.45
Total	**1,00,12,912.29**	**25,31,957.93**

Table DF – 5 Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy (part of Credit Policy) with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel III / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy (part of Credit Policy).

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge as per RBI guidelines:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

vi) Debt securities rated at least BBB (-)/PR3/P3/F3/A3

vii) Units of Mutual Funds

Main types of guarantor counter party and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC, NCGTC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements.

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	5,31,186.32	4,75,555.84
Investments	0.00	0.00
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	**5,31,186.32**	**4,75,555.84**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	44,517.84	0.00
Total	**5,75,704.16**	**4,75,555.84**

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:	The Bank has not undertaken any securitization activity.
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** Setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report and weekly summary report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO on monthly and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various apex level committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest rate risk	8,700.50	8,700.50
Foreign exchange risk	90.00	90.00
Equity position risk	3,464.95	3,598.44
Total	**12,255.45**	**12,388.94**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for more than 10 years.

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the Basel III Capital regulations, for the previous 3 years i.e. is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 23771.48 Million (Consolidated).

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(I) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) : The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity. This approach assesses impact on economic value of equity by assuming parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields are used in the calculation of the Modified Duration.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. Analysis note on the same on a monthly basis is placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The impact on earnings and economic value based on interest rate shocks are given below:-

I) Earnings at Risk for 25 bps interest rate shock as on for one year time horizon is (-) ₹2099 Million

ii) Change in Economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock in Banking Book is ₹ 732140 Million (IRRBB)

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow. The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on 31.03.2021 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
Forward Contracts	25,48,568.44	15,665.65	63,788.53
Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	19,869.86	A1+B1
2	Retained earnings	7,084.94	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3,20,872.30	B2+B3+B4+B5+ B7+B8(i)+B10(i)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	**0.00**	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	3,47,827.10	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	892.90	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	1,050.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**1,942.90**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**3,45,884.20**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	20,000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	20,000.00	D8
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**20,000.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	200.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out form ATI	0.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.00	
	of which: DTA	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**2,00.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (At1)**	**19,800.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**19,800.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**3,65,684.20**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	76,000.00	D7
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	D5+D6
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions (Including IFR)	40,558.71	B9+E1
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**1,16,558.71**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	4,000.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**4,000.00**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	1,12,558.71	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**1,12,558.71**	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	1,12,558.71	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**4,78,242.91**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**29,83,963.17**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	25,31,957.93	
60b	of which: total market risk weighted assets	1,54,861.75	
60c	of which: total operational risk weighted assets	2,97,143.50	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.59%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.25%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.02%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.09%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.38%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) Including CCB	8.88%	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in million)
			Ref No. (With respect to DF-12; Step 2)
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.88%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	273.79	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	28,510.95	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	28,375.94	E1
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	31,649.47	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	4,000.00	

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	28,510.95
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital (Including IFR)	40,558.71
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	40,558.71

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	11,293.67	11,293.67
	Reserves & Surplus	3,83,286.99	3,81,442.41
	Total Capital	**3,94,580.66**	**3,92,736.08**
	Minority Interest	226.01	226.01
ii	**Deposits**	**53,80,298.04**	**53,80,298.04**
	of which: Deposits from banks	56,123.91	56,123.91
	of which: Customer deposits	53,24,174.13	53,24,174.13
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**2,62,030.43**	**2,62,030.43**
	From RBI	50,320.40	50,320.40
	From banks	49.53	49.53
	borrowings outside India	62,172.31	62,172.31
	From other institutions & agencies	1,49,488.19	1,49,488.19
	of which: Capital instruments	96,000.00	96,000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**2,44,000.18**	**2,33,905.68**
	Total Liabilities	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**2,75,451.78**	**2,75,450.86**
	Balance with banks and money at call and short notice	**2,65,543.77**	**2,65,372.46**
ii	Investments:	**17,82,924.43**	**17,73,839.34**
	of which: Government securities	16,02,565.71	15,98,545.00
	of which: Other approved securities	91.41	52.28
	of which: Shares	9,969.82	9,879.78
	of which: Debentures & Bonds	1,36,538.68	1,33,591.51
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	8,615.47	9,665.53
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	25,143.34	22,105.24
iii	Loans and advances	**36,40,102.41**	**36,40,102.41**
	of which: Loans and advances to banks	46,448.25	46,448.25
	of which: Loans and advances to customers	35,93,654.16	35,93,654.16
iv	Fixed assets	**73,925.60**	**73,835.96**
v	Other assets	**2,43,187.35**	**2,40,595.21**
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	28,514.07	28,510.95
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2021	
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	11,293.67	11,293.67	A
	of which: Amount eligible for CET1	11,293.67	11,293.67	A1
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**3,83,286.99**	**3,81,442.41**	**B**
	of which			
	1.Share Premium	8,576.19	8,576.19	B1
	2.Statutory Reserves	86,497.55	86,497.55	B2
	3.Capital Reserves	9,627.94	9,149.89	B3
	4.Special Reserves	22,395.52	22,395.52	B4
	of which special reserve net of Tax	582.00	582.00	B4(i)
	5.Revenue Reserves	1,33,698.37	1,33,698.37	B5
	6.Profit and Loss account	8,451.48	7,084.94	B6
	7.Amalgamation Reserve	40,069.16	40,069.16	B7
	8.Revaluation Reserve	57,549.66	57,549.66	B8
	Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	25,897.35	25,897.35	B8(i)
	9.Investment Reserve	12,182.78	12,182.78	B9
	10.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	4,219.29	4,219.29	B10
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	3,164.47	3,164.47	B10(i)
	11.IRS Reserve	19.06	19.06	
	Minority Interest	226.01	226.01	B11
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	B11(i)
	Total Capital	**3,94,806.67**	**3,92,962.09**	
ii	**Deposits**	**53,80,298.04**	**53,80,298.04**	**C**
	of which: Deposits from banks	56,123.91	56,123.91	C(i)
	of which: Customer deposits	53,24,174.13	53,24,174.13	C(ii)
	of which: Other deposits	0.00	0.00	C(iii)
iii	**Borrowings**	**2,62,030.43**	**2,62,030.43**	**D**
	From RBI	50,320.40	50,320.40	D1
	From banks	49.53	49.53	D2
	borrowings outside India	62,172.31	62,172.31	D3
	From other institutions & agencies	1,49,488.19	1,49,488.19	D4
	of which: Capital instruments	96,000.00	96,000.00	D4(i)
	Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	0.00	0.00	D5
	Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	0.00	0.00	D6
	Tier II Instruments (Basel III Complaint)	76,000.00	76,000.00	D7
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	20,000.00	20,000.00	D8
iv	**Other liabilities & provisions**	**2,44,000.18**	**2,33,905.68**	**E**
	General Provisions	28,375.94	28,375.94	E1
	Total	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (Consolidated)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference No.
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020	
B	**Assets**			
i.	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**2,75,451.78**	**2,75,450.86**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**2,65,543.77**	**2,65,372.46**	
ii	**Investments**	17,82,924.43	17,73,839.34	
	of which: Government securities	16,02,565.71	15,98,545.00	
	of which: Other approved securities	91.41	52.28	
	of which: Shares	9,969.82	9,879.78	
	of which: Debentures & Bonds	1,36,538.68	1,33,591.51	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	8,615.47	9,665.53	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	25,143.34	22,105.24	
iii	**Loans and advances**	**36,40,102.41**	**36,40,102.41**	
	of which: Loans and advances to banks	46,448.25	46,448.25	
	of which: Loans and advances to customers	35,93,654.16	35,93,654.16	
iv	**Fixed assets**	**73,925.60**	**73,835.96**	
v	**Other assets**	**2,43,187.35**	**2,40,595.21**	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	Out of which:			
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets (net)	28,514.07	28,510.95	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**62,81,135.32**	**62,69,196.23**	

Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11 STEP 3
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	19,869.86	A1+B1
2	Retained earnings	7,084.94	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3,20,872.30	B2+B3+B4+B5+B7+B8(i)+B10(i)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	3,47,827.10	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A08057
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Additional Tier 1 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Solo & Group
7	Instrument type	Common Shares	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million)	11293.67	10480
9	Par value of instrument	Not Applicable	10480
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	08.12.2020
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Call Option Date: 08.12.2025 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	8.44% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	At Point of Non Viability(PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Fullly or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify other instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	The claims of the Bondholders shall be (i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer (ii). Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital. (iii). Pari passu without preference amongst themselves and other subordinated debt classifying as Additional Tier 1 Capital(iv). Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08065	INE562A08073
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds	Additional Tier 1 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1 Bonds	Additional Tier 1 Bonds
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds	Basel III compliant Additional Tier 1 (AT 1) Perpetual Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million	5600	3920
9	Par value of instrument	5600	3920
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	14/12/2020.	30/12/2020.
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Call Option Date:14/12/2025 Redemption amount - At Par	Call Option Date:30/12/2025 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Any coupon payment date after first call due date	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.44% p.a.	8.44% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fullly or Partially as per discretion of RBI	Fullly or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer; (ii) Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) Pari passu without preference amongst themselves and other subordinated debt Classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.	The claims of the Bondholders shall be (i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares, if any, of the Issuer; (ii) Subordinated to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) Pari passu without preference amongst them-selves and other subordinated debt classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08016	INE562A08024
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million)	6000	2900
9	Par value of instrument	6000	2900
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28/07/2016.	30/10/2018.
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28/07/2026.	30/10/2028
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	First Call Option Date: 28/07/2021 Redemption amount - At Par	Call Option Date: 30/10/2023 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Any coupon payment date after first call due date	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon

17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.10% p.a.	8.90% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eigible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee \of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08032	INE562A08040
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	**Transitional Basel** III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million)	1100	6000
9	Par value of instrument	1100	6000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	06/11/2018	22/01/2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	06/11/2028	22/01/2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Call Option Date:06/11/2023 Redemption amount - At Par	Call Option Date: 22/01/2024 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Any coupon payment date after first call due date	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85% pa	8.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank.	The claims of the Bondholders shall be (i) Senior to the claims of Investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors (iv) Unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this information Memorandum or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall remain the pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances; and shall be on pari passu ranking with holders of other Tier 2 instruments issued by the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08028	INE428A08044
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million)	5000	10000
9	Par value of instrument	5000	10000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	20/01/2015	21/12/2015
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	20/01/2025	20/12/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Available	Not Available
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Available	Not Available
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon

17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.78% p.a.	8.64% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08051	INE428A08101
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	**Transitional Basel** III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million)	10000	15000
9	Par value of instrument	10000	15000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/01/2017	27/12/2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/01/2027	27/12/2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Available	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Available	Call Option Date: 27/12/2024 Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Available	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.15% pa	9.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank.	The claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (iii) Neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series V
1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08081
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2 Bonds
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Basel III compliant Tier 2 Bond
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million as of 31.03.2021)	20000
9	Par value of instrument (Rs. in million)	20000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	13/01/2021
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	13/01/2031
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs.in Millions)	Call Option Date:13/01/2026Redemption amount - At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	Any coupon payment date after first call due date
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.18% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No

22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as per discretion of RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Subject to Permanent write-off upon occurrence of the trigger event called PONV as determined by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall – (i) be senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 Capital issued by the Bank; (ii) be subordinated to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) neither be secured nor covered by any guarantee of the Issuer or its related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis -a-vis creditors of the Bank; (iv) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the Bonds issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bondholders shall be pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank; and(v) (v) rank pari passu without preference amongst themselves
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series II
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of Rs.10Lakh each aggregating to Rs.1048 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	07/12/2020
5	Date of closing of the issue	07/12/2020
6	Series	Series II
7	ISIN Code	INE562A08057
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000

9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 1048 Crore
11	Date of allotment	08/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44% p.a .
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates subject to holiday convention	08th December every year till redemption/ Exercise of Call Option
18	First Interest Payment date	08/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series III
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of Rs.10 Lakh each aggregating to Rs.560 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	11/12/2020
5	Date of closing of the issue	11/12/2020
6	Series	Series III
7	ISIN Code	INE562A08065
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 560 Crore
11	Date of allotment	14/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds. The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	14th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	14/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Additional Tier 1 Bonds Series IV
1	Security Description	8.44% Listed, Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Perpetual, Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds (AT 1) in the nature of Debentures of Rs.10Lakh each aggregating to Rs.392 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	29/12/2020
5	Date of closing of the issue	29/12/2020
6	Series	Series IV
7	ISIN Code	INE562A08073
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 392 Crore
11	Date of allotment	30/12/2020
12	Date of maturity	Perpetual instruments
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Not Applicable
15	Coupon rate (fixed)	8.44%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	30th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	30/12/2021

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series I
1	Security Description	8.10% Unsecured, Redeemable, Fully-paid up, Non-Convertible Subordinated Tier 2 Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Debentures of Rs.10Lakh each aggregating to Rs.600 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	28/07/2016
5	Date of closing of the issue	28/07/2016
6	Series	Series I
7	ISIN Code	INE562A08016
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 600 Crore
11	Date of allotment	28/07/2016
12	Date of maturity	28/07/2026
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs.600 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.10%
16	Frequency of Interest	Annual and Non-Cumulative
17	Interest due dates	28th July every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	28/07/2017

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche A
1	Security Description	8.90% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs.290 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	26/10/2018
5	Date of closing of the issue	26/10/2018
6	Series	Tranche A
7	ISIN Code	INE562A08024
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs.290 Crore
11	Date of allotment	30/10/2018
12	Date of maturity	30/10/2028
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs.290 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.90%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	30th October every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	30/10/2019

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche B
1	Security Description	8.85% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs 110 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	02/11/2018
5	Date of closing of the issue	02/11/2018
6	Series	Tranche B
7	ISIN Code	INE562A08032
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs.110 Crore
11	Date of allotment	06/11/2018
12	Date of maturity	06/11/2028
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs. 110 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.85%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	6thNovember every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	06/11/2019

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Tranche C
1	Security Description	8.53% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Subordinated Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs.600 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	18/01/2019
5	Date of closing of the issue	18/01/2019
6	Series	Tranche C
7	ISIN Code	INE562A08040
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 600 Crore
11	Date of allotment	22/01/2019
12	Date of maturity	22/01/2029
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs.600 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.53%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	22nd January every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	22/01/2020

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series I
1	Security Description	8.78% Unsecured, Fully paid-up, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs.500 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	14/01/2015
5	Date of closing of the issue	16/01/2015
6	Series	Series I
7	ISIN Code	INE428A08028
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs.500 Crore
11	Date of allotment	20/01/2015
12	Date of maturity	20/01/2025
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	Rs. 500 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.78%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	20thJanuary every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	20/01/2016

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series II
1	Security Description	8.64% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel-III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs. 1000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	18/12/2015
5	Date of closing of the issue	18/12/2015
6	Series	Series II
7	ISIN Code	INE428A08044
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 1000 Crore
11	Date of allotment	21/12/2015
12	Date of maturity	20/12/2025
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	Rs. 1000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.64%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	21st December every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	21/12/2016

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bond - Series III
1	Security Description	8.15% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs. 1000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	25/01/2017
5	Date of closing of the issue	25/01/2017
6	Series	Series III
7	ISIN Code	INE428A08051
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 1000 Crore
11	Date of allotment	25/01/2017
12	Date of maturity	25/01/2027
13	Call Option	Not Available
14	Amount to be matured	Rs. 1000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	8.15%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	25th January every year subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	25/01/2018

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bond – Series IV
1	Security Description	9.53% Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs. 1500 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	26/12/2019
5	Date of closing of the issue	26/12/2019
6	Series	Series IV
7	ISIN Code	INE428A08101
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 1500 Crore
11	Date of allotment	27/12/2019
12	Date of maturity	27/12/2029
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings

		promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs. 1500 Crore
15	Coupon rate (fixed)	9.53%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	27th December every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	27/12/2020

Terms and conditions for Basel III compliant Bonds

S.No	Particulars	Tier 2 Bonds - Series V
1	Security Description	6.18% Listed, Unsecured, Redeemable, Subordinated, Non-Convertible, Fully Paid Up, Taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of 10 Lakh each aggregating to Rs. 2000 Crore
2	Security offered through	Private Placement
3	Tax status	Taxable
4	Date of opening of the issue	12/01/2021
5	Date of closing of the issue	12/01/2021
6	Series	Series V
7	ISIN Code	INE562A08081
8	Face Value per instrument	Rs.10,00,000
9	Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
10	Issue Size	Rs. 2000 Crore
11	Date of allotment	13/01/2021
12	Date of maturity	13/01/2031
13	Call Option	(i) Issuer Call: The issuer, with prior approval of RBI may at its sole discretion, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such issuer call (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the issuer Call (The "Issuer call date"), may exercise a call option on the outstanding Bonds.The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the Deemed Date of Allotment i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. (ii)Tax call: If a Tax Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Tax Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Tax Call or Variation "Tax Call Date"), may exercise a call on the Bonds or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification. A Tax event has occurred if, as a result of any change in, or amendment to, the laws affecting taxation or regulations or rulings

		promulgated there under in India or any change in the official application of such laws, regulations or rulings; the Issuer will no longer be entitled to claim a deduction in respect of computing its taxation liabilities with respect to coupon on Bonds. The exercise of Tax Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Tax Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Tax Event at the time of issuance of the Bonds.(iii) Regulatory Call: If a Regulatory Event (As described below) has occurred and continuing, then the issuer may, having notified the Trustee not less than 21 calendar days prior to the date of exercise of such Regulatory Call or Variation (Which notice shall specify the date fixed for exercise of the Regulatory Call or Variation "Regulatory Call Date"), may exercise a call on the Bonds and replace with the instrument with better regulatory classification or lower coupon with same regulatory classification with prior approval of RBI or substitute the Bonds or vary the terms of the Bonds so that the Bonds have better classification.A Regulatory event is deemed to have occurred if there is a downgrade of the Bonds in regulatory classification e.g. Bonds are excluded from the regulatory Tier 1 Capital of the Issuer. The exercise of Regulatory Call by the Issuer is subject to requirements set out in the applicable RBI Guidelines (as defined below). RBI will permit the Issuer to exercise the Regulatory Call only if the RBI is convinced that the issuer was not in a position to anticipate the Regulatory Event at the time of issuance of the Bonds.
14	Amount to be matured	Rs. 2000 Crore
15	Coupon rate (fixed)	6.18%
16	Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
17	Interest due dates	13th January every year till redemption/ Exercise of Call Option subject to holiday convention
18	First Interest Payment date	13/01/2022

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration
----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investments under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31.03.2021, Book value of equity shares under Banking book is Rs. 2521.02 million.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

(₹ in Million)

	Item	
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	62,69,196.23
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	1,050.00)
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	63,788.53
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	1,254.41
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	3,89,028.77
7	Other adjustments	(1,092.90)
8	**Leverage ratio exposure**	**67,21,125.04**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	
	On-balance sheet exposures	**Consolidated**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	61,80,196.23
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(2,142.90)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	61,78,053.33
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	15,665.65
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	48,122.88
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	63,788.53
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	90,254.41
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	90,254.41
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	13,10,373.89
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(9,21,345.12)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	3,89,028.77
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	3,25,615.04
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	67,21,125.04
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**4.84%**

NOTES

On the occasion of completing one year of amalgamation of e-Allahabad Bank with Indian Bank, Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO, Indian Bank along with Executive Directors Mr. V V Shenoy, Mr. K.Ramachandran and Mr. Imran Amin Siddiqui launched Bank's Mission & Vision statement, HR Vision, CHATBOT(ADYA) and IB Smart Office .

Best Banker of the Year (FY 2019-20) was awarded to
Ms. Padmaja Chunduru, MD & CEO of the Bank by the Financial Express

Indian Bank was awarded for its outstanding performance in disbursements of loans to women SHG for the FY 2019-20 by Govt. of West Bengal. On behalf of Indian Bank, Mr. H.S. Ahluwalia, Field General Manager, Indian Bank, Kolkata received award from Mr. A.R Khan, CGM/OIC, NABARD (West Bengal RO) in the presence of Mr. Subrata Mukherjee, Hon'ble Minister-in-charge, Panchayats & Rural Development and Non-Conventional & Renewal Energy Sources Department, Govt. of West Bengal and other dignitaries on 23rd December, 2020 in the inauguration ceremony of 16th Saras Mela at Kolkata.

हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है / We are proud to be associated with

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर | MAKE IN INDIA | Digital India Power To Empower | Skill India कौशल भारत - कुशल भारत | #startupindia | STAND UP India Endeavour and Prosper

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014

1800 425 00 000 | www.indianbank.in | Follow us on :